अष्टम माला, खंड 11, अंक 20

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1985
25 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Date....6/8/86
S.S.

(खंड 11 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 11, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 20, सोमवार, 16 दिसम्बर, 1985/25 अग्रहायण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		1—27
*तारांकित प्रश्न संख्या :	390 से 392, 394, 396, 401, 406 और 407	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		27—302
तारांकित प्रश्न संख्या :	389, 393, 395, 397 से 400, 402 से 405 और 408	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4006 से 4065, 4067 से 4089, 4091 से 4101, 4103 से 4221, 4223, 4224, 4226 से 4245 और 4245-क से 4245-ङ	
दिनांक 5-8-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		298
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		303—306
राज्य-सभा से संदेश		306
लोक सभा सदस्य (दल-बदल के आधार पर निर्हरता) नियम, 1985 ...		307—309
सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति पांचवां प्रतिवेदन		309
सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति कार्यवाही सारांश		309

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक—पुर:स्थापित	309—310
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक--पुर:स्थापित	310
नियम 377 के अधीन मामले	310—314
(एक) हिमाचल प्रदेश में नाहन फाउन्ड्री का प्रबन्ध ग्रहण करने और वहां आल तथा अदरक के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	310
(दो) कर्नाटक के पिछड़े जिले तुमकुर में डीजल इंजनों का निर्माण करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक सब डिवीजन खोलने की आवश्यकता	
श्री जी० एस० बसवराजू	311
(तीन) कोचीन स्थित नौसेना अकादमी को अस्थायी तौर पर गोवा ले जाने पर होने वाले व्यय को रोकने के लिए उसे फिलहाल वहीं पर ही रहने देने की आवश्यकता	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	311
(चार) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बेगमपेट, हैदराबाद में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री एस० एम० भट्टम	312
(पांच) वैगाई, पल्लवन और सेतु एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को पुन: चालू करने की आवश्यकता	
श्री कादम्बुर जनार्दनन	313
(छह) बिहार के मुंगेर जिले को भयानक बाढ़, सूखे, भूक्षरण आदि से बचाने के लिए बड़हिया मोकामा ताल योजना क्रियान्वित करने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	313
(सात) सफेदाबाद रेल फाटक पर एक ऊपरि पुल बनाने और बाराबंकी में जयन्ती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	
श्री कमला प्रसाद रावत	314

विषय	पृष्ठ
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक	314
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव	315
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक	315
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव	316
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	317—371
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक	
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक ...	
और	
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी	317
श्री श्रीहरि राव	322
श्री हरूभाई मेहता	327
श्री आनन्द पाठक	335
श्री गिरधारी लाल व्यास	336
श्री आर० अण्णानम्बी	340
श्री शान्ति धारीवाल	343
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	344
श्री मूल चन्द डागा	348
श्री इन्द्रजीत गुप्त	352
श्री पीयूष तिरकी	358
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	360
श्री जनार्दन पुजारी	363

विषय पृष्ठ

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक ... ...

खंड 2 से 4 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 369

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक ...

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 370

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक ... ...

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 370

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव 371

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक ...

और

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक ... ... 372—378

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री खुर्शीद आलम खां 372

श्री एम० रघुमा रेड्डी 374

श्री बालासाहेब विखे पाटिल 376

सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985-90 के सम्बन्ध में प्रस्ताव ... ... 378—391

श्री ए० के० पंजा 378

कार्य मंत्रणा समिति 391

सातवां प्रतिवेदन

आधे घंटे की चर्चा ... ... 391—402

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के बारे में

श्री मूल चन्द डागा 391

श्री बंसी लाल 396

श्री सुरेश कुरूप 398

श्री बालकवि बैरागी 398

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर 399

श्री एम० रघुमा रेड्डी 400

लोक सभा

सोमवार, 16 दिसम्बर, 1985/25 अग्रहायण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मारीशस के गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम के निधन का समाचार सुनकर सभा को गहरा दुःख हुआ है। श्री राम गुलाम शांति के दूत होने के साथ-साथ भारत के पक्के मित्रों में से थे। उन्हें अपने जीवन काल में ही एक शूरवीर स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त हो गयी थी। वह मारीशस के लोगों की स्वतन्त्रता के लिए लड़े और गुलामी के अन्धेरे से निकाल कर उन्हें स्वतन्त्रता की सुनहरी धूप के दर्शन कराये। हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं और मुझे विश्वास है कि सभा मेरे साथ मिलकर मारीशस के लोगों को अपनी शोक संवेदनायें प्रेषित करेगी। उनके शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को भी हमारी संवेदनायें प्रेषित की जायें।

अपना दुःख प्रकट करने के लिये अब सभा थोड़ी देर के लिये मौन खड़ी होगी।

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम की स्थापना

*390. डा० कृपा सिन्धु भोई†
श्री मानवेन्द्र सिंह
} : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम की स्थापना के प्रश्न की जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी;

(ख) क्या उक्त समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

कृषि मन्त्रालय के 28 जुलाई, 1982 के आदेश संख्या 3-17/82-मशी० (ए०आई०) के अनुसार, अपर सचिव (आदान) श्री पी० एस० कोहली की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति में विभिन्न विभागों, कृषि उद्योग निगमों, योजना आयोग आदि के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। समिति के विचारार्थ विषय निम्नवत् थे :—

(1) राज्य कृषि उद्योग निगमों के योगदान तथा कार्यकलापों और भावी विकास के निदेशों पर विचार करना;

(2) (क) निगमों को वित्तीय, तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन स्थापित करने पर विचार करना।

(ख) प्रस्तावित संगठन की संरचना तथा इसके कार्यों के चार्टर के बारे में सुझाव देना।

समिति की 5 सितम्बर, 1982, 17 नवम्बर, 1982 और 26 अप्रैल, 1983 को तीन बैठकें हुईं। समिति ने राष्ट्रीय स्तर का संगठन स्थापित करने के बारे में अन्य सिफारिशों के साथ-साथ निम्नलिखित सिफारिश की :—

"समिति कृषि उद्योग निगमों को तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं और वित्तीय सहायता मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन की स्थापना करने की सिफारिशें करती है। इस संगठन को राष्ट्रीय कृषि उद्योग परामर्शदात्री तथा वित्त निगम कहा जाए और निम्नवत् उद्देश्यों के साथ कम्पनी अधिनियम के तहत एक कम्पनी के रूप में किया जाना चाहिए :—

(क) कृषि उद्योग निगमों को तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं मुहैया करना;

(ख) निगमों के कार्यों का समन्वय करना तथा बहु-निगम-परियोजनाओं का विकास करना;

(ग) नई परियोजनाओं के लिये साम्य पूंजी की व्यवस्था करना;

(घ) निगमों को निर्यात-आयात सेवाएं मुहैया करना;

(ङ) निगमों के प्रबन्धकीय तथा तकनीकी विशेषज्ञता में सुधार लाने में सहायता करना।

डा० कृपा सिन्धु भोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय का कृतज्ञ हूं क्योंकि वह मेरे प्रश्नों का उत्तर विस्तारपूर्वक और बहुत ही संतोषजनक ढंग से दे रहे हैं। किन्तु मैं एक बात और जानना चाहता हूं। अपने देश में तथा तीसरे विश्व में कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिये कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के उद्देश्य के बारे में मन्त्री महोदय ने अपनी राय कई बार प्रकट की है। उनके मस्तिष्क में कई मानदण्ड हैं। जब से देश में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ था तब से पूरे देश में 17 कृषि उद्योग निगम स्थापित किये जा चुके हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये सभी 17 कृषि आधारित निगम काश्तकारों की आवश्यकताओं के अनुरूप पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं और क्या वे धान की खरीददारी और उर्वरकों का वितरण करते हैं। क्या मन्त्री महोदय उनके कार्य से सन्तुष्ट हैं अथवा नहीं।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, माननीय सदस्य के समान मैं पूरी तरह से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि राज्य कृषि उद्योग निगम का कार्यक्रम सन्तोषजनक नहीं है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम गरीब किसानों की, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों की तथा जनजाति पट्टियों में रहने वाले किसानों की सहायता किस प्रकार की जाये क्योंकि इन किसानों के पास कृषि उपकरण उपलब्ध नहीं हैं और हम इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि हम एक शीर्षस्थ निकाय बना पाते; चाहे उसका गठन राष्ट्रीय राज्य कृषि उद्योग निगम एसोसिएशन के माध्यम से ही क्यों न किया जाता जिससे कि हम इन सीमांत और छोटे किसानों को अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यों पर बैल द्वारा चलाये जाने वाले उपकरण सप्लाई कर पाते जिससे कि छोटे और सीमांत किसानों के उत्पादन सहित पूरे देश के कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती।

डा० कृपा सिन्धु भोई : समिति ने अपना प्रतिवेदन तथा सिफारिशें 1983 में ही प्रस्तुत कर दी थीं। क्या निगम की स्थापना हो चुकी है? यदि नहीं, तो इतनी देर क्यों की जा रही है?

संयुक्त क्षेत्र में कृषि उद्योग निगमों के उत्थान के लिये सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि का नियतन किया गया है? राज्यों के साथ-साथ उसमें केन्द्र का कितना अंशदान रहेगा।

क्या मन्त्रालय को तीसरे विश्व के देशों की कठिनाइयों के बारे में पता है और जो देश अपने डिजाइन अभी तक विकसित नहीं कर पाये हैं; क्या उन्हें डिजाइन उपलब्ध कराये जा सकते हैं?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, समिति ने मोटे तौर पर निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

वे चाहते थे कि कृषि-उद्योग निगम मुख्यतः कृषि कार्य में काम आने वाली सहायक वस्तुओं का वितरण करता रहे तथा वह विभिन्न प्रकार के उत्पादों का निकासी केन्द्र स्थापित करें तथा किराये पर देने का एक ऐसा व्यापारिक केन्द्र बनाये तथा कस्टम्स हायरिंग सेंटर बनाये, जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो। इसके बाद ट्रैक्टरों, कृषि सम्बन्धी उपकरणों और यन्त्रों का प्रश्न उठता है। वे चाहते थे कि निगम बैलों तथा ट्रैक्टरों से चलाये जाने वाले उन्नत किस्म के उपकरणों का बड़े पैमाने पर निर्माण करे तथा यह भी चाहते थे कि कृषि यन्त्रों को किराये पर देने के व्यापार की पुनरीक्षा की जाये। इसके अलावा एक ऐसे नये निगम की स्थापना करने से पूर्व, जो कृषि उद्योग निगम के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके अथवा उसकी गतिविधियों तथा लाभ को कम करने में सफल हो सके, राज्य सरकार एक बार सावधानीपूर्वक विचार कर ले। वर्तमान सभी निगमों के सम्बन्ध में भी इस प्रकार की पुनरीक्षा की जाये।

इसके अलावा, वे यह चाहते थे कि निगमों को राज्य सरकारों की ओर से कोई ऐसा कार्य करना पड़े, जो अलाभकारी हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को सम्पूर्ण हानि सहन करने के लिए सहमत होना चाहिये। वे यह भी चाहते थे कि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि सहकारी समितियां और निगम पूरक भूमिका अदा करें, राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति होनी चाहिये।

दूसरा मुद्दा यह था कि विभिन्न कारणवश निगम कृषि आधारित उद्योगों के संवर्धन और स्थापना के सम्बन्ध में अपना उद्देश्य पूरा करने में असफल रहा है। यह बात अत्यधिक महत्व की है क्योंकि अब तक वे राजसहायता पर निर्भर रहे हैं और राज सहायता समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुरूप दी जाती रही है। अर्थात् छोटे किसानों के लिए 25 प्र०श० राजसहायता, सीमांत किसानों के लिए 33 प्र०श० और जनजातीय किसानों के लिए 50 प्रतिशत राजसहायता दी जाती रही है। इसलिये, वे वास्तव में चाहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपकरणों के निर्माण के लिए विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्वतन्त्र यूनिट के रूप में कार्य करें।

माननीय सदस्य महोदय यह जानना चाहते थे कि सभी राज्यों को भारत सरकार की ओर से कितनी पूंजी का अंशदान दिया जाएगा। मैं पूरा ब्यौरा दे सकता हूं किन्तु इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। कुल रुपया 3155.693 लाख है।

श्री पी० कुलन्देइवेलु : महोदय, कृषि उद्योग निगम किसानों से सम्बन्धित अनेक प्रकार का व्यापार करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य किसानों की सहायता के लिए हर प्रकार की राजसहायता प्रदान करना है। किन्तु सरकार द्वारा दी जा रही राज सहायता वास्तव में किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। यही मुख्य समस्या है।

दूसरी बात यह है कि अधिकांश राज्य सरकारें इसी प्रकार के सामानान्तर संगठन चला रही हैं। तमिलनाडु में भी एनकोफेड, इंजीनियरिंग कोपरेटिव फेडरेशन हैं। वे भी यहीं व्यापार करते हैं। और जिनके पास निजी सामान है वे अपने ट्रैक्टर उससे काफी कम दर पर किराये पर देते हैं, जितनी

दर पर कृषि-उद्योग निगम देता है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन सभी बातों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में तथा इन सभी बातों को नियमित करने के लिए उनका विचार एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजसहायता कृषि-उद्योग निगम के बजाये राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है? इस राशि को एक मुश्त भी दिया जा सकता है और इसे किसानों को सीधे भी दिया जा सकता है।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, इस समय कृषि-उद्योग निगम पूर्णत: राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकारों के अन्तर्गत आते हैं। केन्द्र सरकार का भी इसमें कुछ हिस्सा है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था, उपकरणों की सप्लाई करना इसका एक कार्य है। कृषि-उद्योग निगम के अन्य और मुख्य उद्देश्य हैं :—कृषि आदानों का वितरण; कृषि उपकरणों औजारों और यन्त्रों का निर्माण; कीटनाशी दवाओं और दानेदार उर्वरकों का उत्पादन, फल और फल के उत्पादों से अन्य चीजों को तैयार करना। कृषि-आधारित उद्योगों का संवर्धन करना, कस्टम हायरिंग बुलडोजर से भूमि को समतल बनाने के कार्य सहित अन्य सेवायें प्रदान करना। इन सब उद्देश्यों के लिए कृषि उद्योगों की स्थापना की जाती है।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि राज्य में सहकारी संघ हैं, जो इस कृषि उद्योग निगम की प्रतिस्पर्धा में कार्य करते हैं; और जो इसे लाभप्रद नहीं बनने दे रहे हैं कि अधिकांश कृषि-उद्योग निगम का प्रबन्ध मुख्यत: राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता से किया जाता है।

इसलिए, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम ऐसे छोटे, सीमांत और जनजाति के किसानों को प्राथमिकता देते हैं; जो इन उपकरणों को नहीं खरीद सकते हैं। इन कृषि उद्योग निगमों का मुख्य उद्देश्य निर्धन किसानों, सर्वहारा किसानों को बैलों द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों और उपकरणों को उपलब्ध कराने की चेष्टा करना है क्योंकि कृषि क्षेत्र में संसाधन की सबसे अधिक कठिनाई ऊर्जा की है। उदाहरण के तौर पर इन निगमों के असफल रहने का कारण ही यही है कि अधिकांश नलकूप इसलिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सके क्योंकि या तो बिजली की सप्लाई नहीं थी या बिजली के कनैक्शन देने में देर हुई। इसलिए, धन का सदुपयोग नहीं किया जा सका। अत: ऐसे कार्य करने होंगे। किंतु केवल इन निगमों के माध्यम से ही नहीं। ये निगम जिलों में अथवा खण्डों में एक प्रकार की मुख्य भूमिका निभा सकते हैं, किंतु सहकारी क्षेत्र में और स्वयं निजी क्षेत्र में कृषि उपकरण और विभिन्न प्रकार की अन्य वस्तुओं के निर्माण हेतु इन एककों को आगे आना चाहिये, जिससे कृषि-उद्योग निगम इन गतिविधियों का समन्वय करने में मुख्य भूमिका निभा सकें।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : जनाबे-सदर मुहतरम, राजस्थान का जो किसान है, वह हर साल अकाल की लपेट में आता है। वहां के किसान की जो हालत है, वह ऐसी हालत है जो कि बयान से बाहर है। मेरा कहना यह है कि वहां के किसान को जो उपकरण मिलते हैं बीज और उपकरण मिलते हैं, वे मुफ्त मिलने चाहिए। वहां पर जो बिजली सप्लाई की जाती है, आज के दिन उसकी कीमत डबल

कर दी गई है। पहली बात तो यह है कि वहां पीने का पानी नहीं है, दूसरी बात यह है कि जो पानी सप्लाई किया जाता है, उसकी इतनी बड़ी कीमत है कि वहां का किसान उसको लें नहीं सकता। वहां पर किसान को पानी नहीं मिलता और खाने के लिए अनाज नहीं मिलता, तो उसकी खेती के लिए आप क्या बन्दोबस्त करने जा रहे हैं।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए इशारा पाते ही बन्द कर दिया।

श्री बालकवि बैरागी : अयूब साहब का उत्तर सदन के लिए तो होगा ही लेकिन उसमें सीकर और नागौर भी आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री टी० बशीर।

[अनुवाद]

विदेशों में रोजगार के लिए जनशक्ति निगमों की स्थापना

*391. श्री टी० बशीर†
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विदेशों में रोजगार के अवसरों का उपयोग और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को जनशक्ति निगम स्थापित करने की सलाह दी है;

(ख) क्या सभी राज्यों ने इस संबंध में अपेक्षित कार्यवाही की है; और

(ग) बेईमान भर्ती एजेन्टों द्वारा धोखाधड़ी और ठगी के मामलों को कम से कम करने और विदेश जाने वाले श्रमिकों के मामले में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब की राज्य सरकारों और दिल्ली एवं गोवा, दमन, दीव संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करने और विदेशों में रोजगार अवसरों का उपयोग करने के लिए जनशक्ति निगम स्थापित करें। दिल्ली और गोवा, दमन, दीव संघ राज्य क्षेत्रों और गुजरात एवं उत्तर प्रदेश की राज्य

सरकारों से उत्तर प्राप्त हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक जनशक्ति निगम स्थापित किया है। दिल्ली प्रशासन ने इस प्रयोजनार्थ एक निगम स्थापित करने का निर्णय किया है, जबकि गुजरात, पंजाब और गोवा, दमन द्वीव जनशक्ति निगम स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच कर रहे हैं। अन्य राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त होने हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में पहले से ही जनशक्ति निगम स्थापित किए गए हैं।

2. बेईमान भर्ती एजेन्टों द्वारा धोखाधड़ी और छल करने के मामलों को कम करने के उद्देश्य से, ऐसे भर्ती एजेन्टों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं जिनके खिलाफ धोखाधड़ी/छल करने के आरोप सिद्ध हो जाते हैं, जब कभी भर्ती एजेन्टों द्वारा अनियमितताएं करने के मामलें रिपोर्ट किए जाते हैं और प्रत्यक्षतः सिद्ध हो जाते हैं तो उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र, जब कभी आवश्यक हों, निलंबित/रद्द किए जाते हैं। विदेशों में जाने वाले श्रमिकों को अनुमति देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जैसे भर्ती करने और उनके पासपोर्ट के पंजीकरण के लिए अनुमति एक ही फाइल की तहत दी जाती है। उत्प्रवास अनुमति देने के लिए दस्तावेजों पर कार्रवाई करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है। अब उत्प्रवास अनुमति तीन दिनों के भीतर दे दी जाती है।

श्री टी० बशीर : रोजगार दिलाने वाली इन एजेन्सियों के द्वारा ठगी किए जाने की अनेक शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं। यह 10 दिसम्बर का 'मलयालम मनोरमा' नामक समाचार-पत्र है। इसमें एक बड़ी खबर छपी है। यह खबर बड़ी ही दिलचस्प है। बम्बई में स्थित एजेन्सी कुछ लड़कियों को नियुक्त करती है और उन्हें साऊदी अरब भेज देती है। उनके नाम बदल दिए जाते हैं। श्यामला का नाम बदलकर अजीया हो जाता है। पारपत्र नकली होते हैं। उनके माता-पिता का नाम भी बदल दिया जाता है। प्रभा का नाम बदलकर रसिया और राधारमा का नाम बदल रजिया सुल्ताना रख दिया जाता है। उन्हें सफाई कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

श्री पी० कुलन्देइवेलु : उन्होंने अपना मौन भी परिवर्तित करा लिया है।

श्री टी० बशीर : और उन्हें साउदी अरब भेज दिया गया। साउदी अरब से उन्होंने अपने रिश्तेदारों को लिखा है कि उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामन ाकरना पड़ रहा है। उन्होंने यहां तक लिखा है कि उनका सतीत्व खतरे में है। इसलिए, उन्होंने यह अनुरोध किया है; "इससे पहले कि हमारा सब कुछ नष्ट हो, कृपया हमारी रक्षा करो।" समाचार पत्र में लिखे गये लेख का यही शीर्षक था। मैं इन बातों के बारे में केवल समाचार पत्रों पर ही भरोसा नहीं कर रहा हूं। दो लड़कियां मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गई हैं और उनके माता-पिता और रिश्तेदारों ने मुझे वास्तव में लिखा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि रोजगार दिलाने वाली एजेन्सियों द्वारा की जा रही इस प्रकार की ठगी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं। यह ठगी बंबई, दिल्ली और अन्य स्थानों में की जा रही है। अधिनियम, 1983 स्थिति से निपटने के लिए बहुत ही अपर्याप्त है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका विचार ऐसा विधेयक लाने का है, जो स्थिति से निपटने में सक्षम हो।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना में मैं यह और जोड़ सकता हूं कि अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास इस प्रकार की अनेक शिकायतें पहुंची हैं। इन लोगों द्वारा 50 लाख से अधिक रुपए लिए गए हैं। इस समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

श्री टी० अंजैया : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का सम्बन्ध निगमों से है। इन निगमों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में है और इस प्रकार के कुल पांच निगम हैं। गैर सरकारी एजेन्सियों के बारे में जब भी कोई मामला हमारी जानकारी में लाया जाता है, हम उन्हें निलम्बित कर देते हैं। 1984 में; 223 शिकायतें प्राप्त हुई थीं; 210 प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ० आई० आर०) दर्ज किए गए थे, 204 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे, 60 आरोप पत्र भरे गए और 7 व्यक्तियों के मामले दोष सिद्ध हो गया।

जब भी हमारे पास यह मामले लाए जाते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा बोल लेने दीजिए।

श्री टी० अंजैया : जब कभी हमारे सामने मामले लाये जाते हैं हम कार्यवाही करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कोई सख्त कानून लाना चाहते हैं जैसा कि माननीय सदस्य ने मांग की है ?

श्री टी० अंजैया : हमें पहले ही पंजीकरण रद्द करने और आरोप-पत्र दायर करने का अधिकार प्राप्त है। कई बार उन्हें हिरासत में भी लिया गया है। वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने की काफी व्यवस्था है।

श्री टी० बशीर : मुझे खेद है कि मंत्री का उत्तर बहुत ही अस्पष्ट है। इस मामले में कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि इस सम्बन्ध में हमें बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं इस बात का सुझाव भी देना चाहूंगा कि इस मामले पर हम आधे घंटे की चर्चा करें···

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं होगा; अन्यथा मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री टी० बशीर : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न कहानी के दूसरे पहलू के बारे में है। भारतीय वैध वीजा पर विदेश जाते हैं, जिसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन०ओ०सी०) कहते हैं, जो विदेशी प्रवर्तकों के आवेदन पत्र पर विदेशों द्वारा जारी किया जाता है। वह समझौते का पालन करते हैं, किंतु यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकतर मामलों में यह प्रवर्तक समझौते का पालन नहीं करते हैं और न वह उन्हें वह रोजगार और न ही वह वेतन देते हैं जिसके सम्बन्ध में समझौता किया होता है। अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से अवगत है कि क्या हो रहा है और यदि हां तो विदेश में काम करते हुए हमारे देश के लोगों को बचाने के लिए सरकार कौन-कौन से कदम उठा रही है।

श्री टी० अंजैया: हमारा प्रत्येक दूतावास में श्रम सहचारी (आटेची) नियुक्त करने का विचार है। हम राजदूतों को भी यह सूचना दे रहे हैं कि उन्हें जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, वह हमें सूचित करें ताकि हम कार्यवाही कर सकें। हमें जो शिकायतें मिल रही हैं, हम कार्यवाही करते हैं। यदि वह अभ्यावेदन देते हैं तो सचमुच मैं कार्यवाही करूंगा। मैं किसी को नहीं छोडूंगा।

श्री थम्पन थामस : मुझे हाल ही में इसका अनुभव हुआ था। अतः मैं इस सम्बन्ध में मन्त्री से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मैं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई० एल० ओ०) के काम के सम्बन्ध में इन देशों की यात्रा पर गया था जहां हमारे लोग कार्य कर रहे हैं। मैंने शरजाह संयुक्त अरब अमीरात आदि में देखा है कि हमारे लोगों को उचित यात्रा दस्तावेजों के अभाव के कारण जेल में डाल दिया जाता है। हजारों लोग जेल में हैं। न दूतावास और न कोई सरकारी अधिकारी इस मामले में सहायता कर सकता है। अतः इस स्थिति को बचाने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र कदम उठाये जाने चाहिएं।

दूसरा, कोरिया सरकार, थाई सरकार द्वारा अन्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों को मानव शक्ति भेजने के लिए समझौते किये जा रहे हैं, जहां मानव शक्ति की आवश्यकता है। क्या सरकार नियमित रूप से मानव शक्ति भेजने के लिए राष्ट्रीय समझौते का विचार करेगी और इस सम्बन्ध में नियम तथा विनियम जारी करेगी ?

श्री टी० अंजैया : ऐसा तभी सम्भव हो सकता है जब राज्य सरकारें हमारे साथ सहयोग करें। अन्यथा व्यक्तिगत एजेन्ट ठगते हैं। हमें यह सब बातें मालूम हैं। इसीलिए हम सभी राज्य सरकारों से निगमों की स्थापना करने के लिए कहते हैं। यदि वे निगम स्थापित नहीं करते हैं तो हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पूछ रहे हैं। क्या हमारी सरकार सीधे अन्य सरकारों के साथ मानव-शक्ति के आदान-प्रदान के लिए समझौता कर सकती है ?

श्री टी० अंजैया : मैं एक सलाहकार समिति का गठन भी कर रहा हूं। हम संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों को इस सलाहकार समिति में आमन्त्रित कर रहे हैं। हमने पहले ही उनको चेतावनी दी है। जहां से भी हमें सूचना मिल रही है हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं। सऊदी अरब के संबंध में हमारे दूतावास को कार्य आरम्भ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह सरकार और सरकार के बीच समझौते के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री टी० अंयजैा : महोदय, कतार के साथ हमने समझौता किया है। अन्य देशों के साथ हम बातचीत कर रहे हैं।

श्री शान्ताराम नायक : कुवैत से लगभग 50 हजार श्रमिक और अन्य खाड़ी के देशों से डेढ़ लाख से अधिक लोगों के अगले दो वर्षों की अवधि में वापस आने की सम्भावना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्रालय ने अन्य मन्त्रालयों के परामर्श से इन श्रमिकों के पुनर्वास के लिए कोई योजना

तैयार की है। यदि नहीं, तो क्या आप इसके पुनर्वास के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री टी० अन्जैया : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से असंगत है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मन्त्री ने यह स्वीकार किया है कि सरकार के ध्यान में बहुत-सी शिकायतें लाई गई हैं। उन्होंने सदन को यह आश्वासन भी दिया है कि अभ्यावेदन के रूप में यदि उन्हें और कोई शिकायत प्राप्त होगी तो वह उसकी ओर पूरा ध्यान देंगे। इस मामले में मैं यह जानना चाहता हूं कि विदेशों में हमारे भारतीय दूतावासों तथा वाणिज्य दूतावासों को किस प्रकार काम दिया जाता है ? मुझे बहुत-सी शिकायतें मिली हैं। उदाहरणार्थ, पंजाब में मालेर कोटला में बहुत से लोग अनुबन्ध पर बाहर गए थे। उन्होंने यह शिकायत की है कि उन्हें अनुबन्ध के अनुसार मजदूरी नहीं दी जा रही है और उनकी बहुत-सी राशि अभी मिलनी बाकी है। वह शिकायत करने भारतीय दूतावास में चले गए। वे कहते हैं कि भारतीय दूतावास ने पूरी तरह एक नकारात्मक रवैया अपनाया है और किसी भी प्रकार उनकी सहायता नहीं की है। उनका कहना है कि यहां निगमों की स्थापना की जा रही है। ठीक है। किन्तु इस मामले में भारतीय दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के साथ किस प्रकार सम्पर्क स्थापित होगा ? उन्हें उन देशों में भारतीय नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करना चाहिये। इस मामले में उन्हें क्या करना चाहिये ?

श्री टी० अन्जैया : हम विदेश मन्त्रालय से श्रम सहचारी स्थापित करने को कहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप अभी भी उनसे श्रम सहचारी की नियुक्ति के लिए कहते आ रहे हैं और अब कई वर्ष तो बीत गए हैं।

श्री टी० अन्जैया : हां, हम कह रहे हैं। वित्त मन्त्री को यह सभी बातें करनी चाहिएं। अन्यथा यह काम राजदूतों को करना चाहिए। उनके पास तन्त्र हैं, उन्हें काम आरम्भ करना चाहिए। जब कभी हम लोगों को भेजते हैं, हम राजदूतों को भी एक प्रति भेजते हैं। अब हमने निश्चय किया है कि राजदूतों को भर्ती की स्थिति के बारे में पूछेंगे। मैं इन एजेन्टों के पक्ष में नहीं हूं··· (व्यवधान)··· किन्तु यदि राज्य सरकार निगम की स्थापना करती है तो अधिक सहायकहोगा··· (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : राज्य सरकारों का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री टी० अन्जैया : एजेन्टों के बदले यदि राज्य सरकार निगम की स्थापना करती है और यदि वे निगम द्वारा जाएंगे तो यह राज्य की जिम्मेदारी होगी। हजारों एजेन्ट हैं। हम उनके लाइसेंस और जमा राशि जब्त कर रहे हैं किन्तु फिर भी वे ठगते रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमें इसकी ओर अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। इसके लिए और अधिक जांच और गहराई से ध्यान देने की आवश्यकता है। गरीब लोग विश्वास से पैसा देते हैं और उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। उन्हें भेजा भी नहीं जाता है और ठगा जाता है।

श्री टी० अंजैया : महोदय, सारे प्रश्न की जांच करने के पश्चात् भविष्य के लिए जो भी अतिरिक्त कार्यवाही करनी है अथवा नियम बनाने हैं उनको मैं सदन के समक्ष लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : रोज 20-30 लोग मेरे पास आते हैं।

कृषि लागत और मूल्य आयोग

*392. श्री जी० भूपति†
श्री एस० जी० घोलप } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि लागत और मूल्य आयोग का वर्तमान संगठनात्मक ढांचा, उसके निर्देश पद तथा इसके सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आयोग ने अप्रैल, 1985 से अब तक कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं और इन रिपोर्टों पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या इस आयोग की रिपोर्टों का प्रकाशन औद्योगिक एवं मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट की तरह ही किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इनको प्रकाशित न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) कृषि लागत और मूल्य आयोग में इस समय चार सदस्य हैं, जिनमें अध्यक्ष और सदस्य सचिव शामिल हैं। आयोग के विचारार्थ विषयों को दर्शाने वाला संकल्प संलग्न विवरण के रूप में सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) अप्रैल, 1985 के बाद इस आयोग ने गन्ना तथा 1985-86 मौसम की खरीफ फसलों और 1985-86 के मौसम की रबी फसलों, जिनका विपणन 1986-87 के मौसम में किया जाना है, से सम्बन्धित मूल्य नीति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। सरकार गन्ना तथा खरीफ फसलों के लिए मूल्य नीति पहले ही घोषित कर चुकी है तथा रबी फसलों की नीति पर विचार किया जा रहा है।

(ग) आयोग की रिपोर्टों का प्रकाशन 1982-83 से फिर शुरू कर दिया गया है।

विवरण

संकल्प

कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कृषि उत्पादों की मूल्य नीति के बारे में सलाह देने के लिए 1965 में की गई थी, ताकि अर्थ व्यवस्था की सारी जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में तथा उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए एक संतुलित और समन्वित मूल्य तन्त्र तैयार किया जा सके। पिछले वर्षों में इस आयोग ने कृषि उत्पादों के लिए एक स्थिर और साकारात्मक मूल्य नीति तैयार करने में मदद की है।

इस आयोग की स्थापना के बाद कृषि की स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। सिंचाई के तहत क्षेत्र और फसलों की गहनता में धीरे-धीरे बढ़ोतरी हो रही है। उर्वरकों एवं कीटनाशी दवाइयों की खपत बढ़ गई है। संस्थागत तथा अन्य स्रोतों से कृषि सम्बन्धी निवेश बढ़ गया है। कृषि और ग्रामीण विकास को उच्च अग्रता देने के लिए अनेक नीति सम्बन्धी निर्णय लिए गए हैं।

इन कदमों से कृषि उत्पादन में काफी हद तक स्थिरता आई है तथा कृषि क्षेत्र को और अधिक मंडी प्रधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसलिए, कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों को संशोधित और विस्तृत करना जरूरी समझा गया है। इस आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

1. अर्थ व्यवस्था की सारी जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में तथा उत्पादक और उपभोक्ता के हितों का पूरा ध्यान रखते हुए एक संतुलित और समन्वित मूल्य नीति तैयार करने की दृष्टि से धान, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, चना, तुड़, मूंग, उड़द, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, सूर्यमुखी के बीज, तोरिया एवं सरसों, कपास, पटसन, तम्बाकू और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली अन्य वस्तुओं की मूल्य नीति के बारे में सलाह देना।

2. मूल्य नीति तथा तत्सम्बन्धी मूल्य तन्त्र के बारे में सिफारिशें करते समय आयोग निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :—

(i) उत्पादक द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए तथा मुख्य रूप से राष्ट्रीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उत्पादन स्वरूप का विकास करने के लिए उत्पादक को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता।

(ii) भूमि, जल और अन्य उत्पादन संसाधनों का युक्तिसंगत उपयोग सुनिश्चित करने की आवश्यकता।

(iii) शेष अर्थ व्यवस्था पर मूल्य नीति का सम्भावित प्रभाव, विशेषकर निर्वाह लागत, मजदूरों के स्तर, औद्योगिक लागत तन्त्र आदि पर।

3. आयोग ऐसे गैर-मूल्य उपाय सुझा सकता है, जिनसे उपर्युक्त 1 पर उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति में सुविधा होती हो।

4. विभिन्न कृषि जिन्सों के बारे में मूल्य नीति को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपायों की सिफारिश करना।

5. कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार के सम्बन्ध में आने वाले परिवर्तनों को ध्यान में रखना।

6. विभिन्न क्षेत्रों में कृषि जिन्सों के विपणन की लागत और प्रचलित पद्धतियों की छानबीन

करना और विपणन की लागत को घटाने के उपाय सुझाना और विपणन की विभिन्न अवस्थाओं के लिए उचित मूल्य सम्बन्धी मार्जन की सिफारिश करना।

7. विकसित हो रही मूल्य स्थिति की समीक्षा करते रहना और आवश्यकता पड़ने पर समूची मूल्य नीति के ढांचे में समुचित सिफारिशें करना।

8. विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन करना।

9. मूल्य नीति तथा कृषि मूल्यों तथा अन्य सम्बन्धित आंकड़ों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र करने की व्यवस्था से सम्बन्धित अध्ययन की संवीक्षा करना और उसमें सुधार करने हेतु सुझाव देना तथा मूल्य नीति के क्षेत्र में अनुसंधान सम्बन्धी अध्ययनों का आयोजन करना।

10. कृषि मूल्यों तथा उत्पादन सम्बन्धी किसी भी ऐसी समस्या पर सलाह देना, जिसे सरकार आयोग को समय-समय पर भेजे।

आयोग भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम तथा भारतीय पटसन निगम सहित मूल्यों और उत्पादन सम्बन्धी मामलों से सम्बद्ध अन्य एजेंसियों से निकट का सम्पर्क बनाए रखेगा।

आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेगा। यह नोट, ज्ञापन, अध्ययनों के नतीजे, आंकड़े और सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से अपने कार्य से सम्बद्ध अन्य सामग्री मंगाने और उनके साथ विचार-विमर्श करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

आयोग, विभिन्न जिन्सों अथवा उसके समूहों के बारे में आवश्यकता पड़ने पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[हिन्दी]

श्री जी० भूपति : अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में 90 प्रतिशत किसान हैं, लेकिन दुःख की बात है कि यहां आते ही सभी माननीय सदस्य किसानों को भूल जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई नुस्खा निकालो।

श्री जी० भूपति : आज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होती जा रही हैं। इस वजह से अरबन एरियाज की उन्नति होती जा रही है और रूरल एरियाज पिछड़ते जा रहे हैं। क्या माननीय मंत्री जी किसानों को उन्नति के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ाने के बारे में कोई कदम उठाये जा रहे हैं?

सरदार बूटा सिंह : यह सही नहीं है कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होती जा रही है। इस साल एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन सिफारिशें करता है। उसके बाद राज्य सरकारों के परामर्श

में ही केन्द्रीय सरकार एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर प्राइसिज का निर्णय करती है। यही कारण है कि पिछले कई सालों से यह प्रणाली चलती आई है जिससे एग्रीकल्चरल प्राइस में कमी तो नहीं मगर थोड़ी-थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। मैं यह मानता हूं कि जितना हमारे काश्त-कार चाहते हैं, उसके मुताबिक कीमतें तय न होती हों, लेकिन यह सही नहीं है कि यह कीमतें कम हुई हैं। जैसा कि 1979-80 से लेकर 1985-86 तक।

[अनुवाद]

खरीफ के धान का तथा अन्य दालों के समर्थन मूल्य में 49.5% और 36.8% की वृद्धि की गई है। अरहर के समर्थन मूल्य में 81.8% और मूंग के मूल्य में 71.4% की वृद्धि की गई।

[हिन्दी]

इस तरह से ट्रेंड नजर आता है। मगर मैं मानता हूं कि :

[अनुवाद]

इस बात से शायद इसलिए किसान सन्तुष्ट नहीं हैं क्योंकि बहुत-सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आयोग जब रिपोर्ट देगा तो राज्यों के साथ इस पर विचार-विमर्श करना है और अन्य विभिन्न बातों को भी ध्यान में रखना है। मूल्य कम नहीं हुए हैं। वह थोड़े से बढ़ गए हैं।

[हिन्दी)

श्री जी० भूपति : माननीय मन्त्री जी ने जिस कमेटी के बारे में जिक्र किया है, क्या उस कमेटी में स्माल फार्मर्स को रखने का कोई प्रपोजल है ?

दूसरा, आज आन्ध्र प्रदेश में 2 रुपये किलो के हिसाब से चावल, वीकर सैक्शन को सप्लाई किया जा रहा है। क्या पूरे देश में वीकर सैक्शन को इस कीमत पर चावल सप्लाई करने का कोई प्रपोजल है ?

सरदार बूटा सिंह : सर वह तो बेचने की कीमत होगी, अभी तो खरीदने की बात हो रही है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एस० जी० घोलप : आयोग के गठन की वर्तमान प्रणाली क्या है ? माननीय प्रधान मंत्री ने सामान्य चुनावों से पहले घोषणा की थी कि कृषकों का उचित प्रतिनिधित्व किया जाएगा। इस समय आयोग का गठन कैसे हुआ है ? कृषक समुदाय के आयोग में कितने सदस्य हैं ?

सरदार बूटा सिंह : यह सच है कि माननीय प्रधान मन्त्री ने कृषि पदार्थों के लिए लागत तथा

मूल्य आयोग के पुनर्गठन के लिए एक सार्वजनिक वक्तव्य दिया था। इस पर अब सरकार सक्रिय रूप से विचार करेगी। हमने गठन का कार्य लगभग पूरा किया है। हम शीघ्र ही यह घोषणा कर रहे हैं और कृषकों का अधिक पैदावार वाले क्षेत्रों, शुष्क भूमि क्षेत्रों और भूमिहीन कृषकों का भी इस आयोग में प्रतिनिधित्व होगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जो सवाल माननीय सदस्य ने रखा है वह महत्वपूर्ण है बूटा सिंह जी, एक बात ध्यान रखिए जो मेम्बर बनाए जाएं, चाहे वे इकनामिस्ट हों, एकडमिस्ट हों, लेकिन उनको ज्ञान खेती का जरूर होना चाहिए और अगर नहीं है तो उनको कम से कम दो साल की ट्रेनिंग दी जाए। इस दौरान उनको जितनी हाइएस्ट सीलिंग है, उतनी जमीन दे दो और पूरे साधन देकर उन पर निगरानी रखो कि कहीं खुदकुशी न कर लें, क्योंकि उनसे रिपोर्ट लेनी है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : नियुक्ति के पश्चात् नहीं।··· (व्यवधान)

श्री अजय मुशरान : महोदय, अभी-अभी माननीय मंत्री ने कहा कि कृषि उत्पाद में थोड़ी-बहुत वृद्धि हुई है। फिर भी कृषि यन्त्र उपकरण, अच्छे बीज, खाद, कीटनाशक के रूप में लागत में बहुत वृद्धि हुई है और हाल ही में यह शोर हुआ है कि कृषि उपकर की ओर ध्यान दिया जाएगा। क्या माननीय मन्त्री हमें यह बताने की कृपा करेंगे—क्योंकि रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है—कि छोटे कृषकों को किस प्रकार की राहत दी जाएगी क्योंकि हम सभी छोटे कृषक बन गए हैं, क्योंकि गैर-कृषि विशेषज्ञों में यह भ्रम है कि आजकल कृषक बहुत धनवान बन गये हैं। वास्तव में ऐसी बात नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का कृषकों को कुछ संरक्षण प्रदान करने और कृषि साधन सामग्री की लागत में कुछ छूट करने का विचार है।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे देश में सर्वेक्षण द्वारा आने वाली लागत किराये पर लिए मजदूरों का मूल्य, बैलों द्वारा किए गए श्रम का मूल्य, किराए पर ली गई मशीन से किए गए काम का मूल्य, निजी मशीन द्वारा किए गए काम का मूल्य भूमि के पट्टे के लिए दिया गया किराया और महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीज, उर्वरक, खाद, कीटनाशक दवाओं के प्रयोग पर होने वाले व्यय, सिंचाई प्रभार, जिसमें डीजल, बिजली का काम शामिल है, भू राजस्व, उपकर, कार्यकर पूंजी पर ब्याज और विविध प्रभार शामिल होते हैं।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, क्या आप इस उत्तर से संतुष्ट हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : उत्पादन लागत के अलावा निजी भूमि के किराए के मूल्य में पारिवारिक श्रम का आकलित मूल्य और भवनों तथा फार्म मशीनरी का ह्रास मूल्य शामिल है। मुख्य उत्पाद की शुद्ध लागत को प्राप्त करने के लिए खेती की कुल लागत से उपोत्पाद का मूल्य अभी तक लगाया जा रहा था। इस प्रक्रिया को बन्द कर दिया गया है और मुख्य उत्पाद तथा उपोत्पाद के बीच लागत को निर्धारित करने का आनुपातिक तरीका स्वीकार किया गया। खेत से, गांव, खरीद केन्द्र, मण्डी तक परिवहन व्यय को भी लागत आंकड़ों के एक भाग के रूप में लिया जा रहा है। कई मामलों में भी किसानों को आदानों की व्यवस्था करने और मशीनरी तथा कृषि उपकरणों की मरम्मत के लिए शहर, खंड मुख्यालय, आदि स्थानों पर जाना होता है। (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं। यहां तक कि किसानों के खंड मुख्यालयों में जाने पर होने वाले खर्च पर भी विचार किया जा रहा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह सारा पेनेशिया आपको बताया, वह बता दें उससे काम बढ़िया हो जाएगा।

[अनुवाद]

केवल यही उत्तर है।

एक माननीय सदस्य : हम आधे घंटे की चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम इसको ले सकते हैं। हमने इसे हमेशा लिया है। कोई समस्या नहीं है।

सरदार बूटा सिंह : उत्पाद की लागत निकालने के लिए हमें मौसम की विभिन्न स्थिति के अन्तर्गत, वर्षा से सिंचित सुसिंचित स्थिति में विभिन्न राज्यों से उस उपज के नमूने को लेना होता है। अब, नमूनों की संख्या 6000 से बढ़कर 9000 हो गई है। मूल वस्तु को अधिक अच्छी तरह से जानने तथा अनुमानित लागत निकालने के लिए तथा निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में यह बहुत सहायक होगा। संशोधित लागत परिकलन के प्रयोजनों के लिए हम बहुत से कारकों को इसमें शामिल किया गया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फैक्टरियों का डेप्रिसियेशन और प्राफिट कम करोगे तभी बात बनेगी।

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी : कृषि उपज की लागत के आधार पर समर्थन या खरीद मूल्यों को

निर्धारित किया जाता है। लेकिन कृषि की लागत के आंकड़े को इकट्ठा करने में एक मूल दोष है। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने कृषि विश्वविद्यालयों को कृषि उपज की लागत सम्बन्धी आंकड़ों का पता लगाने के लिए कहा है विश्वविद्यालय के ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाते हैं, वे विश्वविद्यालय परिसर में ठहरते हैं और उनके द्वारा एकत्रित किए गए कुछ आंकड़ों को देते हैं। क्या मन्त्री जी कृषि विश्वविद्यालय के लोगों को गांवों में भेजने, किसानों के साथ ठहरने तथा फिर आंकड़े एकत्र करने के लिए विचार करेंगे? यह केवल उसी आंकड़े के आधार पर आप कृषि उपज की वास्तविक लागत निकाल सकते हैं और उसके बाद समर्थन या खरीद मूल्य निश्चित कर सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और विभिन्न कालेजों तथा राज्य सरकारों सहित कृषि से सम्बद्ध अन्य प्रमुख लोगों के माध्यम से कृषि उत्पादन की लागत का हिसाब लगाने के कार्य स्वतन्त्र रूप से एजेन्सियां लगी हुई हैं। माननीय सदस्य चाहते हैं कि उन्हें जाकर किसानों के साथ ठहरना चाहिए, अब हमारे पास आयोग में किसानों के प्रतिनिधि शामिल करने जा रहे हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आयोग किसानों की वास्तविकताओं से परिचित हो सकेगा।

श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या यह सरकार के लिए उचित नहीं है कि बुआई करने से काफी पहले मूल्यों की घोषणा की जाए, ताकि किसानों को सुविधा हो सके? दूसरे, क्या सरकार ने भारत कृषक समाज से आयोग में कुछ ऐसे प्रगतिशील किसानों को शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त किया है जिन्होंने विशेष फसलें उगाई हैं, ताकि आयोग किसानों के लिए लाभकारी मूल्य निर्धारित कर सके?

सरदार बूटा सिंह : कई संगठनों ने अपने अभ्यावेदन दिए हैं और हम अन्तिम रूप से मूल्यों की घोषणा करने से पहले इन अभ्यावेदनों पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य इस बात से आश्वस्त हों कि जब आयोग को गठित किया जाएगा तो किसानों के विभिन्न संगठनों की सिफारिशों के आधार पर इसका गठन होगा तथा महोदय आप सहित इस सदन के उन प्रमुख सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जो कृषि संबंधी चर्चा में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। यह सुनिश्चित करने का सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि आयोग की रिपोर्ट पर तुरंत विचार किया जाए, ताकि किसान बुआई करने से थोड़े पहले कीमतों को जान सकें।

श्री भागवत झा आज़ाद : मन्त्री जी की घोषणा का स्वागत करते हुए कि अब आयोग में एक कृषक होगा तथा ग्रामीण सम्बन्धी प्रश्न को सौम्य उत्तर की सराहना करते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि उत्पादन की लागत वास्तविक उत्पादन और आदानों के बीच अनुपात—क्या इन सभी बातों पर विचार किया गया था और केवल तभी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सीमा वास्तव में संगत है जिसे निर्धारित किया गया है। दूसरे, क्या मंत्रालय ने यह सिफारिश की है कि इस संबंध में नगर संपत्ति के बारे में युक्ति संगति, वैधता अन्य बातों को लाने के लिए, इस देश में नगर सम्पत्ति पर इसी प्रकार की सीमा होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिए कोशिश करेंगे।

सरदार बूटा सिंह : इस विशेष प्रश्न में यह नहीं आता है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पहले भी कृषि क्षेत्र से संबंधित एक सदस्य थे···

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था।

सरदार बूटा सिंह : जी नहीं, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। वह पद छोड़कर चले गए थे। अब किसानों के प्रतिनिधियों के रूप में और अधिक सदस्यों को शामिल किया जाएगा, और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हालांकि मैं दिल्ली में रह रहा हूं मुझे अपने आपको अभी भी शहरी वातावरण के अनुरूप बनाना होगा। जैसा कि अभी माननीय सदस्य ग्रामीण जैसे नहीं है, मैं अभी तक शहरी जैसा नहीं हूं।

सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सलाहकार समिति की स्थापना

*394. श्री एस० एम० भट्टम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए छह प्रमुख सिनेमा निर्माण केन्द्रों में से प्रत्येक में एक सलाहकार समिति स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सलाहकार समितियों को सौंपे जा रहे विशिष्ट कार्यों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, बंगलौर, त्रिवेन्द्रम तथा हैदराबाद में एक-एक सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव किया था। बम्बई, बंगलौर, हैदराबाद तथा मद्रास में सलाहकार समितियां पहले ही गठित की जा चुकी हैं तथा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जा चुकी है। अन्य दो स्थानों अर्थात् कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम में समितियों का गठन शीघ्र ही किया जा रहा है। ये समितियां सरकार को सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1981 के प्रशासन से उठने वाले ऐसे मामलों पर सलाह देंगी, जिन्हें सरकार द्वारा सिनेमा कर्मकार कल्याण निधि को लागू करने से संबंधित मामलों सहित इन समितियों को भेजा जाए।

श्री एस० एम० भट्टम : कलकत्ता और त्रिवेन्द्रम के सम्बन्ध में इसी तरह की सलाहकार समितियों को सरकार द्वारा अभी गठित किया जाना है। उसका कब तक इसे गठित किये जाने का विचार है? अब तक गठित उन समितियों के बारे में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनकी बैठकें हुई हैं और क्या उन्होंने कोई कार्य किया है तथा सरकार द्वारा परिकल्पित कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा हुआ है। क्या मन्त्री जी इन पहलुओं पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

श्री वी० एन० गाडगिल : इन समितियों का गठन संगत अधिनियम के अनुसार होता है। उनका उद्देश्य सिनेमा कर्मकारों के लिए कल्याण निधि को चलाना है। माननीय सदस्य के जिन दो समितियों के बारे में बताया है उन पर विचार हो रहा है। संविधि में यह अपेक्षित है कि हमें फिल्म निर्माताओं तथा सिनेमा कर्मकारों के संगठन से परामर्श करना चाहिए। यह प्रक्रिया चल रही है।

श्री एस०एम० भट्टम : इस समिति के प्रयोजन के लिए कितनी धन राशि उपलब्ध है। समिति को कल्याण कोष की व्यवस्था करने के लिए गठित किया गया था। अब वास्तविक रूप से कितनी धन राशि उपलब्ध है और वे कौन से मामले या विषय हैं। जिन्हें आमतौर पर इस समिति को भेजा जाना है तथा ऐसे कौन से विषय हैं जिन्हें वास्तविक रूप से उन समितियों के भेजा गया है जो कि पहले से ही बनी हुई है ?

श्री वी० एन० गाडगिल : ये समितियां केवल दो या तीन महीने पहले गठित की गई थी। यदि मुझे सही आंकड़े याद हैं तो इसमें कुल राशि लगभग 11 लाख रुपये की है क्योंकि अधिनियम में यह अपेक्षित है कि सेंसरशिप के लिए सैंसर बोर्ड को भेजी गई प्रत्येक फिल्म के लिए इस कल्याण निधि में 1000/रुपये जमा किए जाने चाहिए। जहां तक मुझे याद है सही आंकड़े लगभग 11 लाख रुपये हैं।

पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर सिक्किम में उच्च मूल्य वाली फसलें और बागान

*396. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पौध और बागान पौध के लिए अधिक उपज देने वाले उन्नत बीज विकसित करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है;

(ख) क्या सरकार का अब पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक मूल्य वाली फसलों/पेड़ों जैसे चिकित्सीय जड़ी बूटियों, फल उद्यानों तथा अन्य विदेशी फूलों और पेड़ों जैसे सिरोडोडनड्रोन्स की ओर उचित ध्यान देने का है और उनके संरक्षण के लिए भी व्यवस्था करने का है; और

(ग) क्या पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर सिक्किम के लिए माइक्रो जांच और आयोजना से विशेष रूप से निपटने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद में विशेष उच्चाधिकार प्राप्त अनुसंधान और विकास सेल बनाये जाने का प्रस्ताव है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) सातवीं योजना के दौरान चल रहे कार्यक्रमों को उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

श्रीमती डी० के० भंडारी : प्रश्न (ख) का यह उत्तर है कि सातवीं योजना के दौरान चल रही परियोजनाओं को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ किये जाने का प्रस्ताव है क्या मैं माननीय मन्त्री से प्रस्तावित कार्यक्रमों के लिए परिव्यय के बारे में जान सकती हूं ?

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने मुख्य उत्तर में बताया है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए अनेक परियोजनाएं हैं। हमारे पास बहुत सी परियोजनाएं हैं पहाड़ी क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर अनुसंधान समूह जिसके क्षेत्रीय केन्द्र शिलांग अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, अलमोड़ा हैं। भारतीय कृषि संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र शिमला, कट्रेज, कुल्लू, लाहौल स्पीति, दार्जिलिंग तथा कलिम्पोंग हैं। हिमाचल प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय, श्रीनगर में कृषि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय और जी० पी० पंत कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कैम्पस, रानीचोटी जो उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र में है। और विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए देश में हमारे पास अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान की बहुत सी परियोजनाएं चल रही हैं।

श्रीमती डी० के० भन्डारी : मैं विशेषरूप से सिक्किम के बारे में जानना चाहती हूं।

सरदार बूटा सिंह : जैसा कि मैंने बताया है कि सिक्किम में हमारे पास स्थानीय किस्म के आर्किड तथा अन्य सजावटी वृक्षों और फल वाले वृक्षों की सुरक्षा के लिए जीन केन्द्र हैं और हमारे पास जीन बैंक भी हैं जो विभिन्न जातियों और किस्मों के पौधों के लिए जनन-द्रव्य को सुरक्षित रखता है। इसके बाद सिक्किम में बागवानी के विकास के लिए सिक्किम हमारे विशेष कृषि अनुसंधान परियोजनाएं हैं। सिक्किम राज्य सरकार ने सिक्किम के मूनूथांग जिले में सिनोबा में रहोडाडेन्ड्रन्स के लिए परिरक्षण जीन केन्द्र की स्थापना की है। उस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न किस्में एकत्र की जाती हैं और उनकी जनन द्रव्य के संरक्षण के लिए रखी जाती है 'रहोडाडेन्ड्रन्स' तथा अन्य प्राकृतिक वनस्पति को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण विभाग ने सिक्किम में खांगचांदजोंगा राष्ट्रीय पार्क को बनाने का प्रस्ताव किया है। आंकड़ तथा अन्य वृक्षों के लिए बताए गए जीन परिरक्षक केन्द्र निम्बू वंश के लिए भी एक जीन परिरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। यह मेघालय में है।

श्रीमती डी० के० भंडारी : सिक्किम में बहुत सी नकदी फसलें, जैसे बड़ी इलायची अदरक, आलू के बीज संतरे तथा बिना मौसम की सब्जियां पैदा होती हैं। स्थानीय किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह फसलें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकती हूं कि क्या वह

इन नकदी और वाणिज्यिक फसलों के फसल बीमा पालिसियों में सम्मिलित करने पर विचार करेंगे, ताकि किसानों को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का पूरा फायदा मिल सके।

सरदार बूटा सिंह : माननीय सदस्य को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम इन पौधों/फसलों के संबंध में और अधिक अनुसंधान उपाय करना चाहते हैं। सातवीं योजना के दौरान जम्मू और काश्मीर तथा गंगटोक में हम नये अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें हम विशेष रूप से बड़ी इलायची, बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी सब्जियां तथा बागवानी को लेना चाहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने सिक्किम में बागवानी के विकास पर विशेष तौर पर उन फसलों के विकास पर जिनका सदस्य महोदया ने उल्लेख किया है विशेष ध्यान दिया है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न संख्या 397--श्री अमल दत्त यहां उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 98 श्री देवी घोषाल उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 399···श्री हरीश रावत भी उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न संख्या 400 के लिए कुमारी पुष्पा देवी भी उपस्थित नहीं हैं। अब प्रो० चन्द्रभानु देवी—प्रश्न संख्या 401

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी : अध्यक्ष महोदय, यदि सवाल करने वाले मैम्बर्स सभा से अनुपस्थित रहें तो आप उन्हें भत्ता मत दिया करें।

अध्यक्ष महोदय : लगता है कि सब का ही काटना पड़ेगा।

बाढ़ और सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण

*401. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के महीनों में देश के विभिन्न भागों में बाढ़ और सूखा की घटनाओं के कारण केन्द्रीय पूल से कितना खाद्यान्न वितरित किया गया है; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों की आवश्यकताओं का जायजा लगाने के लिए वहां कोई केन्द्रीय दल भेजा गया है ?

[अनुवाद]

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) उन राज्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 7.80 लाख मीटरी टन चावल और 1.17 लाख मीटरी टन गेहूं का अधिकाधिक आबंटन किया गया है जिनमें हाल ही के महीनों में बाढ़ आयी थी और सूखा पड़ा था।

(ख) केन्द्रीय दलों ने सूखा ग्रस्त/बाढ़ प्रभावित आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मणिपुर, मेघालय, राजस्थान उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पाण्डिचेरी राज्यों का दौरा किया। अंतःमंत्रालयी ग्रुप ने अरुणाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव की सरकारों के अनुरोध पर विचार किया। बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों ने किसी भी केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध नहीं किया है।

[हिन्दी]

प्रो० चन्द्र भानु देवी : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा देखा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में समय पर नहीं पहुंच पाती. इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार कोई कदम उठा रही है ?

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष जी, यह तो बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। यदि खाद्यान्न के बारे में है, तब तो हम बता सकते हैं और यदि वित्तीय सहायता के बारे में हैं, तो थोड़ी दिक्कत होगी मगर हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही सैंक्शन हो जाता है यहां पर केन्द्रीय सरकार की तरफ से, हम राज्य सरकार के परामर्श के साथ जल्दी ही उसको पहुंचाते हैं ताकि जो लोग मुसीबत में रहते हैं चाहे वह ड्रायट हों, चाहे फ्लड हो और चाहे फैमिन हो, उसमें तुरन्त सहायता मिल जाए। यही इसका मकसद है। यदि इसमें किसी किस्म का विलम्ब है, तो हम कोशिश करेंगे कि वह न हो।

प्रो० चन्द्र भानु देवी : बिहार ने बाढ़ और सूखा के लिए अनुदान नहीं मांगा है। बाढ़ के लिए सहायता नहीं मांगी है, फिर भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ आई हुई थी। का जानना चाहते हैं कि क्या उन क्षेत्रों के लिए कोई सहायता देने के लिए सरकार सोच रही है।

सरदार बूटा सिंह : प्रत्येक प्रदेश के पास प्रावधान रहता है, जिसको मार्जिन मनी कहते हैं और मार्जिन मनी से ऊपर उनको सहायता चाहिए, तब वे केन्द्रीय सरकार से मांगते हैं। यदि बिहार गवर्नमेंट ने नहीं मांगा है, तो इसका मतलब यह है कि उसको भी क्षति हुई है, उसको मार्जिन मनी से उन्होंने पूरा कर लिया है और हमें नहीं लिखा है, ऐसा हम मानते हैं।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहती हूं कि ये जो आपके गोदाम हैं, उनमें बहुत सा अनाज सड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूं कि खास तौर से जो अनाज बाहर पड़ा हुआ है, उसकी तादाद कितनी है। दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि राजस्थान जैसे प्रान्त में, जहां भीषणतम अकाल है और जिसको इस शताब्दी का भयंकर अकाल कहा जा सकता है, उसको कितना अनाज अब तक आपने दिया है ?

सरदार बूटा सिंह : मेरा काम तो अनाज पैदा करने का है, अनाज को सम्भालने का काम तो मेरे भाई साहब का है। उनके गोडाउन्स में यह रहता है। यह सही नहीं है कि हम अनाज को सड़ने देते हैं। हम अनाज को पूरा ध्यान देकर सम्भालते हैं और हमारी कोशिश यह होती है कि अनाज न सड़े। हमारे पास अभी तक इस तरह के गोडाउन्स नहीं हैं जो कि वाटरप्रूफ हों और हमें बहुत सा

अनाज बाहर रखना पड़ता है। हमेशा हमारी यह कोशिश रहती है कि उसको हिफाजत में रखा जाए।

राजस्थान को जो अनाज दिया गया है, उसमें 12-12 हजार टन तो रेगूलर एन० आर० ई० पी० और आर० एल० ई० जी० पी० के तहत था। 36,000 हजार टन और दिया गया है। इस तरह से कुल 48,000 हजार टन अन्डर एन० आर० ई० पी० था और 48,000 हजार टन अन्डर आर० एल० ई० जी० पी० हुआ है। इस तरह से 96,000 हजार टन राजस्थान को दिया जा चुका है।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि एक सेन्ट्रल टीम महाराष्ट्र का दौरा करने के लिए गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि उसको एसिस्ट करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट्स सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भेजी है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को कितनी राहत दी है।

सरदार बूटा सिंह : जहां तक अनाज का प्रश्न है, मैं यह बता सकता हूं कि महाराष्ट्र को कितना अनाज दिया गया है। 20 हजार टन अनाज महाराष्ट्र को दिया गया है और सेन्ट्रल टीम की जो रिपोर्ट है, वह हाई लेविल कमेटी के पास जाती है और उसके बाद जब पैसा सैंक्शन होता है, तो राज्य सरकार को दिया जाता है।

[अनुवाद]

आलू का उत्पादन

*406. **श्रीमती शीला दीक्षित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आलू का उत्पादन कितना होता है;

(ख) क्या सरकार गत वर्ष आलू की फसल बहुत अच्छी होने के कारण इसके मूल्यों में आई भारी गिरावट को देखते हुए आलू उगाने वाले किसानों के लिए कोई लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार आलू की अतिरिक्त उपज का उपयोग करने के लिए कोई मार्गोपाय ढूंढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्रस्ताव क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) पिछले वर्ष अर्थात् 1984-85 के दौरान देश में आलुओं का अनुमानित उत्पादन 126.42 लाख मीटरी टन था।

(ख) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से मंडी में हस्तक्षेप करने के कार्य के बारे में सरकार द्वारा

मार्च, 1985 में की गई स्थायी व्यवस्था विद्यमान है ताकि यदि अच्छी औसत क्वालिटी के आलुओं का भाव 50 रुपये प्रति क्विंटल से गिर जाये जो किसानों को उचित मूल्य मिलना सुनिश्चित हो सके।

(ग) और (घ) मंडी में हस्तक्षेप करने की योजना के अन्तर्गत उत्पादक क्षेत्रों से खरीदे गए फालतू आलुओं की बिक्री की व्यवस्था देश के विभिन्न भागों के उपभोक्ता केन्द्रों में नामित केन्द्रीय और राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सियों द्वारा की जाती है।

श्रीमती शीला दीक्षित : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को पता है कि 50 रुपये प्रति क्विंटल बिक्री में भ्रष्टाचार व्याप्त किसानों को परेशान किया जाता है क्योंकि आलू के औसत से छोटे आकार के नाम पर माल को अस्वीकार किया जाता है। अतः क्या सरकार आलू के एक समान उत्पादन के लिए अच्छे बीजों का दिया जाना सुनिश्चित किया है ?

सरदार बूटा सिंह : हम राज्य सरकारों से सदा बीजों को बदलने का आग्रह करते रहे हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश फसलों के मामले में बीजों के बदले जाने की गति धीमी पड़ती जा रही है। यही कारण है फसल अच्छी नहीं आ रही है। अच्छी फसल न आने के कारण खरीदने वाली एजेन्सियां बाजार में आने वाली सारी मात्रा को नहीं खरीदती हैं जिसकी वजह से किसानों को लगातार नुकसान होता रहता है। अतः मैं माननीय सदस्या से आग्रह करूंगा कि वह राज्य सरकारों से अच्छे बीज देने का आग्रह करें। क्योंकि अच्छी फसल देने वाले बीजों को बदलना महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें लम्बे अरसे तक नहीं रखा जा सकता। उन्हें प्रति वर्ष बदला जाना चाहिए परन्तु बहुत से राज्य उन्हें बदलने को तैयार नहीं होते। इसलिए हमने भारी मात्रा में बीजों का भंडार अपने पास जमा किया है। अतः मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि वे राज्यों को बीज बदलने के लिए कहें क्योंकि कृषि उत्पादों के सुधार के लिए यह आवश्यक है।

श्रीमती शीला दीक्षित : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि फालतू आलू की खरीद के अलावा क्या मंत्रालय ऐसे कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना कर रहा है जिसमें फालतू आलू की खपत हो सके।

सरदार बूटा सिंह : महोदय, यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या मन्त्री महोदय को पता है कि आलू के लिए निर्धारित 50 रुपये का समर्थन मूल्य वास्तव में आलू की फसल को हतोत्साहित करने वाला है ? इसे ध्यान में रखते हुए क्या इस वर्ष इस मूल्य को बढ़ाया जाएगा, यदि हां, तो कितना ?

सरदार बूटा सिंह : महोदय, पहली बार हमने यह कदम उठाया है। पहले आलू, प्याज जैसी नाशवान वस्तुओं के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं था। पिछले वर्ष हमने विभिन्न राज्यों से परामर्श करके इनका समर्थन मूल्य तय किया। यह लाभदायक मूल्य नहीं है, यह समर्थनकारी उपाय है क्योंकि यह किसानों को विवशता में आलू बेचने से बचायेगा। परन्तु मैं माननीय महिला सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी से सहमत हूं कि कई बार किसानों को विवशता में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि यह

मूल्य भी प्राप्त नहीं होता है क्योंकि बिचौली एजेन्सियां किस्म को बहुत महत्व देती हैं और उनकी राय में आलू बढ़िया किस्म के नहीं हैं। इसलिए उन्होंने उसे नहीं खरीदा। इसीलिए राज्य सरकारों से परामर्श करके 50 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया और किसी भी राज्य सरकार ने इस मूल्य में वृद्धि की मांग नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, बलराम जी।

[हिन्दी]

श्री बलराम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आलू की जो सपोर्ट प्राइस 50 रुपये क्विंटल तय की गई है, उसका आधार क्या है?

सरदार बूटा सिंह : सर, इसका आधार तो मुख्य तौर पर वही था जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया।

[अनुवाद]

उत्पादन व्यय में कई बातों पर विचार किया जाता है, परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि यह कदम बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए है ताकि विवशता में बिक्री को रोका जा सके और जैसे ही हम खरीदने के लिए बाजार में पहुंचते हैं, मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इसीलिए हमें सारे माल खरीदने को विवश नहीं होना पड़ता। यह केवल समर्थन मूल्य है ताकि मूल्य घटें नहीं, परन्तु जैसा कि मैंने बताया है कि मूल्यों में वृद्धि केवल राज्य सरकारों से परामर्श करके ही की जा सकती है।

पंचायतों को टी० वी० सैट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

*407. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री मोहन भाई पटेल
} क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम पंचायतों को ग्रामवासियों के हितार्थ टी० वी० सैट खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने अथवा ग्राम पंचायतों को टी० वी० सैट देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई और उससे कितनी पंचायतें लाभान्वित हुईं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना को शुरू करने का है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

इनसेट के दूरदर्शन उपयोग के लिए छठी योजना स्कीम के अंग के रूप में, सामुदायिक अवलोकन के लिए 2000 वी० एच० एफ० और 2000 सीधे संग्रहण (उपग्रह से सीधे दूरदर्शन सिगनल प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले) टी० वी० सैट दूरदर्शन द्वारा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के छः राज्यों के चुनींदा तीन जिला कलक्टरों के गांवों में लगाए जा रहे हैं । इन टी० वी० सैटों का वितरण इस प्रकार है :—

राज्य का नाम	वी० एच० एफ० टी० वी० सैटों की संख्या	सीधे संग्रहण टी० वी० सैटों की संख्या
आंध्र प्रदेश	—	400
उड़ीसा	—	400
महाराष्ट्र	600	300
गुजरात	400	300
बिहार	400	300
उत्तर प्रदेश	600	300
	कुल : 2000	कुल : 2000

वी० एच० एफ०, सैट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के गांवों में आबंटित नहीं किये गये हैं, क्योंकि इस प्रकार के सैट वहां पर छठी योजना से पहले की अवधि में लगाये गये थे । तथापि, ग्राम पंचायतों को सामुदायिक अवलोकन के लिए टी० वी० सैट खरीदने के लिए समर्थकारी बनाने के लिए उन्हें केन्द्रीय वित्तीय सहायता देने की छठी योजना के दौरान और कोई स्कीम नहीं थी ।

सिद्धान्ततः यह निर्णय लिया गया है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के चुनींदा गांवों में 5000 सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट (वी० एच० एफ० और सीधे संग्रहण दोनों प्रकार के) उपलब्ध किए जाएं । इस स्कीम का और ब्यौरा अभी

तय किया जाना है राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों से भी यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने संसाधनों में से पंचायत स्तर पर सामुदायिक अवलोकन टी० वी० सैट उपलब्ध करें।

[हिन्दी]

श्री अमर सिंह राठवा : मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास टी० वी० खरीदने का कोई साधन नहीं है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है जिससे कि जो पंचायत के माध्यम से टी० वी० रखना चाहें वह रख सकें और टी० वी० के माध्यम से बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्यों का अंशदान

*389. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों द्वारा बराबर के संसाधन न जुटा पाने के कारण समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित गरीबी उन्मूलन योजनाओं का पूरा लाभ उठाने में समर्थ नहीं रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो किस हद तक; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का पिछड़े राज्यों के लिए इन योजनाओं के बारे में, राज्यों द्वारा दिये जाने वाले अंशदान को कम करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों ने आमतौर पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित गरीबी निवारण योजनाओं का लाभ उठाया है। योजना आयोग द्वारा राज्य योजना परिव्ययों का अनुमोदन करते समय इन कार्यक्रमों के लिए राज्यों के बराबर के अंशदान को हमेशा ही ध्यान में रखा गया था। बराबर के संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्रमों को समग्र रूप से हानि नहीं पहुंची है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर के फोटो की मूल प्रति का संरक्षण

*393. श्री प्रणवि चरण दास : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के फोटो प्रभाग अथवा फोटो संग्रहालय ने स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर के उनके प्रारूप समिति के चेयरमैन तथा कानून मंत्री की हैसियत से संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा में प्रस्तुत करते समय तथा बाद में हस्ताक्षर समारोह के समय लिये गये फोटो की मूल प्रति सुरक्षित रखी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी फोटो की प्रतियां जनता के प्रयोजनार्थ विशेष अनुरोध किये जाने पर उपलब्ध कराई जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) फोटो प्रभाग और पत्र सूचना कार्यालय के फोटो पुस्तकालय में स्वर्गीय डा० बी० आर० अम्बेडकर के प्रारूप समिति के अध्यक्ष तथा विधि मंत्री की हैसियत में संविधान को अंतिम रूप से संविधान सभा में प्रस्तुत करते समय तथा बाद में हस्ताक्षर समारोह के समय के उनके फोटो की प्रति नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कृषि के विकास के लिए विश्व बैंक से ऋण

*395. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि का विकास करने के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो नाबार्ड—एक ऋण परियोजना के लिए विश्व बैंक से कितना ऋण मिलने की सम्भावना है;

(ग) विश्व बैंक से ऋण कब तक प्राप्त किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) विश्व बैंक समूह की सहायता विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त होती है, लेकिन ऐसी सहायता किसी क्षेत्र विशेष के लिए नियत नहीं होती । विभिन्न क्षेत्रों के बीच आबंटन और विभिन्न परियोजनाओं का चयन योजनागत आबंटनों के आधार पर किया जाता है और विश्व बैंक द्वारा अपने कानयम संघ की बैठक में हर वर्ष नियत की

जाने वाली समग्र राशि में से धन देने के प्रस्ताव उस बैंक द्वारा ही प्राप्त किए जाते हैं तथा उन्हीं द्वारा परियोजनायें स्वीकृत की जाती हैं।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण परियोजना के बारे में हाल ही में विश्व बैंक से समझौता किया गया है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक का निर्णय अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, अतः सही राशि या जिन शर्तों पर सरकार को इस परियोजना के अन्तर्गत सहायता मिलेगी उनके बारे में इस समय कुछ बताया नहीं जा सकता।

मत्स्यपालन और मत्स्य उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए संस्थाएं/संगठन

*397. श्री अमल दत्त : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य पालन और मत्स्य उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य में लगी केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्थाओं/संगठनों के क्या नाम हैं; और उनमें प्रत्येक के कृत्य क्या हैं; और

(ख) इन संस्थाओं/संगठनों के कार्यों को किस प्रकार समन्वित किया जाता है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) भारत सरकार के अंतर्गत कोई भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित संस्था/संगठन जल कृषि और मत्स्य पालन में अनुसंधान और विकास कार्य नहीं कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति

*398. श्री देबी घोषाल : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में कुछ कारखानों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 40-ख के उपबंधों का अनुपालन करने तथा सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों के क्या नाम हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार के उन उपक्रमों के क्या नाम हैं, जिन्हें सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहा गया है और उन उपक्रमों ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है; और

(घ) कुछ केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा अभी तक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं और उन उपक्रमों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/की जाएगी ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (घ) कारखाना अधिनियम,

1948 की धारा 40-ख के उपबंधों के अधीन पश्चिम बंगाल की सरकार ने दो अधिसूचनाएं जारी की थीं। पहली अधिसूचना 23-10-1978 को तथा दूसरी 2-2-1980 को जारी की गई थी, जिनमें उन सभी 183 कारखानों की सूची दी गई थी जिनमें सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करना अपेक्षित है। उपलब्ध सूचना से पता चलता है कि कानून के अधीन 183 कारखानों में 308 सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जानी है और स्थिति यह है कि केवल 35 कारखानों ने ही सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की है तथा उन कारखानों में नियुक्त किए गए सुरक्षा अधिकारियों की कुल संख्या 97 है। इन कारखानों के नामों के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जहां तक केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों का संबंध है, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने इस संबंध में सभी उपक्रमों द्वारा वैधानिक उपबंधों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। पश्चिम बंगाल में स्थित केन्द्रीय उपक्रमों के संबंध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में उन केन्द्रीय उपक्रमों की सूची, जिन्हें सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करने हैं और उनके द्वारा की गई कार्रवाई

क्रमांक	उपक्रम का नाम	टिप्पणियां
1	2	3
1.	बंगाल कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०, कलकत्ता	एक सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया।
2.	बंगाल इम्यूनिटी लि०, कलकत्ता	बचाव अधिकारी को सुरक्षा अधिकारी का अतिरिक्त उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
3.	भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	इंजीनियरों में से एक इंजीनियर को सुरक्षा अधिकारी के रूप में नामजद किया जाता है।
4.	ब्रेथ वेट एण्ड रूफ कम्पनी लि०, हावड़ा	सूचना उपलब्ध नहीं है।
5.	ब्रिज एण्ड रूड कम्पनी लि०, हावड़ा	सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है।
6.	बर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लि०, कलकत्ता	सूचना उपलब्ध नहीं है।
7.	सैंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-

1	2	3
8.	कोल इण्डिया लि०, कलकत्ता	सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
9.	साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, कलकत्ता	सुरक्षा अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है क्योंकि कोई भर्ती नहीं की जा रही है।
10.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता	सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।
11.	हिन्दुस्तान केबल्स लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
12.	हिन्दुस्तान कॉपर लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
13.	जेस्सप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता	सूचना उपलब्ध नहीं है।
14.	लीगन जूट मशीनरी कं० लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
15.	माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर	-यथोक्त-
16.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लि०, कलकत्ता	वरिष्ठ अभियन्ता सुरक्षा अधिकारी का काम देख रहा है।
17.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चर कारपोरेशन लि०, कलकत्ता	सूचना उपलब्ध नहीं है।
18.	रीहैबिलिटेशन इंडस्ट्री कारपोरेशन लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
19.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
20.	बालमेर लॉरी एण्ड कं० लि० कलकत्ता	-यथोक्त-
21.	बीको लॉरी लि०, कलकत्ता	-यथोक्त-
22.	नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन, कलकत्ता	अर्हित अभियन्ताओं को सुरक्षा अधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।
23.	इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० लिमिटेड, कलकत्ता।	सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

एकीकृत सोयाबीन विकास परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश को विश्व बैंक से सहायता

*399. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने एकीकृत सोयाबीन विकास परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और विश्व बैंक से इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह): (क) और (ख) जी, हां। उत्तर प्रदेश सरकार से 4631.57 लाख रुपए के परिव्यय से "उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में सोयाबीन का समेकित विकास नामक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे वित्तीय सहायता के लिए आई०एफ०ए०डी० को प्रस्तुत किया जाना है। इस प्रस्ताव में 84.15 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा भी शामिल है। अधिक ब्यौरे राज्य सरकार से मांगे गए हैं।

[अनुवाद]

जौ के उत्पादन में वृद्धि

*400. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में जौ की कम उपलब्धता और उसके मूल्यों में लगातार वृद्धि होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो कमी किस सीमा तक है और मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या इसका उत्पादन लगातार कम होना रोकने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या सरकार जौ के उत्पादकों को इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देने पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1984 की तुलना में वर्ष 1985 के दौरान जौ की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है।

(ख) वर्ष, 1984 और 1985 की थोक कीमतों (जनवरी से सितम्बर तक 9 महीनों का औसत) का सूचकांक और 1983-84 और 1984-85 के दौरान हुआ उत्पादन नीचे दिया गया है :—

	थोक की कीमतों का सूचकांक (आधार 1970-71=100) (9 महीनों का औसत)		उत्पादन (लाख मीटरी टन में)	
	1984	1985	1983-84	1984-95
जौ	263.3	287.2	1.83	1.54
खाद्यान्न	273.8	285.0	152.37	146.22

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मुख्यतया उत्पादकता में वृद्धि करके जौ के उत्पादन को 20.2 लाख मीटरी टन के आसपास स्थिर करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का अनबिका पड़ा भण्डार

402. श्री आई० रामा राय : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उत्पादित उर्वरक का काफी बड़ा भण्डार कारखानों में बेकार और अनबिका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या सरकार का उर्वरकों के आयात में कटौती करने का इरादा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन भण्डारों को समाप्त करने के लिए इनकी रियायती दर पर बिक्री करने और किसानों को उन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने का भी है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उर्वरकों की बिक्री के लिए विशेष कटौती की अनुमति देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। तथापि, किसानों को उर्वरक पहले ही रियायती दरों पर बेचा जा रहा है।

दिल्ली के लिए दूसरी बृहद योजना (मास्टर प्लान)

*403. श्री विजय एन० पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने, दिल्ली की पहली बृहद योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहने के कारणों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पहली बृहद योजना की कमियों से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में पर्याप्त नागरिक सुविधाएं प्रदान करने, पारिस्थितिकी सन्तुलन बनाए रखने और नागरिक जीवन के स्तर में आम सुधार सुनिश्चित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1962 में प्रवर्तित दिल्ली की बृहद योजना का कार्यान्वयन एक युक्तिसंगत सफलता रही है। कार्यान्वयन के दौरान योजना में सफल परिचालन तन्त्र तथा नगर के लिए व्यापक खुले स्थलों एवं विकास तथा भवन गतिविधि विनियमित करने के लिए लाभदायक आधार की व्यवस्था थी। भू-उपयोग मात्रा जैसे कतिपय प्रावधानों में योजना की कमजोरियां उजागर हुई।

(ग) और (घ) पहली बृहद योजना के कार्यान्वयन के दौरान पाई गई कमियों का ध्यान दिल्ली की प्रारूप संदर्श योजना-2001 बनाते समय रखा गया है। इसे आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करते हुए 6 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित किया गया है।

प्रारूप संदर्श योजना में पर्यावरण, पारिस्थितिकी, प्राकृतिक संरक्षण तथा स्वास्थ्य हेतु परिस्थितियों, नागरिकों की सुरक्षा तथा सुविधाओं आदि की समस्याओं का विचार रखा गया है तथा ये विचार प्रकृति के संरक्षण, पार्कों के निर्माण तथा नगरीय विरासत के संरक्षण के उद्देश्य सहित नगरीय अभिकल्पन विकसित करने तथा सामुदायिक जीवन की सम्पन्नता एवं विविधता सुनिश्चित करने के प्रस्तावित उपायों में परिलक्षित हुए हैं।

मूल्य अंकित किया जाना अनिवार्य बनाना

*404. श्री सनत कुमार मण्डल
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } क्या : खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री की वस्तुओं पर अनिवार्य रूप से मूल्य अंकित किये जाने की व्यवस्था का इस समय पालन नहीं किया जा रहा है तथा इस कारण दुकानदार न केवल अपनी मर्जी के अनुसार कीमतें

वसूल करता है अपितु कम भी तौलता है और इस तरह से सामान में मिलावट किए जाने की भी गुंजाइश रहती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यथासम्भव बिक्री की सभी मदों की मूल्य सूचियां टांगना अनिवार्य करने तथा उपभोक्ताओं को खुदरा दुकानदारों के शोषण से बचाने के लिए खुदरा दुकानदारों को उनके द्वारा बेचे गये प्रत्येक माल की नकदी पर्ची ग्राहक को देने के बारे में कहने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों ने, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत उन्हें प्रत्यायोजित की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने-अपने आदेशों में विनिर्दिष्ट आवश्यक वस्तुओं के बारे में मूल्य प्रदर्शन आदेश जारी किए हैं। कुल मिलाकर, इन आदेशों में व्यापारियों द्वारा कैशमीमो जारी किए जाने की व्यवस्था है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे मूल्य प्रदर्शन आदेशों को कार्यान्वित करें।

पश्चिम बंगाल में विश्व बैंक की सहायता से एक्वा-कल्चर का विकास

405. डा० फूलरेणु गुहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में "एक्वा-कल्चर" के विकास संबंधी किसी योजना के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) परियोजना के पूरा होने की निर्धारित तारीख क्या है ?

कृषि मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चार अन्य सहभागी राज्यों के साथ-साथ पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित के लिए परियोजना क्रियान्वित की जाएगी :—

(1) कार्प उत्पादन बढ़ाना;

(2) कार्प बीज उद्योग के भावी वाणिज्यिक विकास के लिए आधार प्रदान करना;

(3) आधुनिक मत्स्य हैचरियों के निर्माण के लिए राज्य मत्स्य बीज विकास निगम को ऋण देना;

(4) मत्स्य फार्मों के सुधार के लिए मत्स्य किसानों के लिए ऋण की व्यवस्था करना; और

(5) मत्स्य विस्तार को मजबूत बनाने, प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने और तकनीकी सहायता के लिए फंड प्रदान करना।

(ग) मूल अनुसूची के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन मार्च, 1985 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी और ऋण वितरण की अन्तिम तारीख सितम्बर 1985 थी। परन्तु विश्व बैंक के साथ संशोधित करार के अनुसार परियोजना के क्रियान्वयन की अवधि और ऋण वितरण का अंतिम तारीख क्रमश: मार्च, 1986 और सितम्बर, 1986 तक बढ़ाई गई है।

चीनी कारखानों के लिए प्रोत्साहन योजना

*408. श्री पी० एम० सईद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नये चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए और विद्यमान कारखानों के विस्तार के लिए भी कोई प्रोत्साहन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रोत्साहन योजना के परिणामस्वरूप भविष्य में चीनी के उत्पादन में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) जी, हां। दिसम्बर, 1975 में नए स्थापित हुए चीनी यूनिटों और पर्याप्त विस्तार कर रही चीनी मिलों को प्रोत्साहन प्रदान करने की एक योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना में नवम्बर, 1980 में संशोधन किया गया था। इन दो योजनाओं की मुख्य-मुख्य बातों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रोत्साहन योजना को लागू करने के फलस्वरूप भविष्य में चीनी के उत्पादन में वृद्धि होने के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। गन्ने की उपलब्धता, कृषि-मौसमी परिस्थितियां, आदि जैसे अन्य कारण भी हैं जिनका इस पर असर पड़ता है।

विवरण

1975 की योजना की मुख्य-मुख्य बातें

इस योजना का उद्देश्य वर्तमान सामान्य खुली बिक्री की चीनी के कोटे के अलावा चीनी के खुली बिक्री के अतिरिक्त कोटे की एक प्रणाली द्वारा तथा एक विशिष्ट समयावधि के लिए ऐसी मात्रा पर उत्पाद शुल्क में रियायत देकर ऊंची लागत की नई चीनी परियोजनाओं/मौजूदा विस्तार यूनिटों को क्रियान्वित करते समय चीनी फैक्ट्रियों को आर्थिक सक्षमता प्राप्त करने में सहायता देना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन लेने हेतु पात्र बनने के लिए, 1250 टी० सी० डी० वाले मानक यूनिट के संयंत्र और मशीनरी की एफ०ओ०आर० उपयुक्त लागत 200 लाख रुपये या इससे अधिक होनी चाहिए। उन यूनिटों के लिए, जिनका विस्तार किया जा रहा है, उनके मामले में उपयुक्त लागत एक करोड़ रुपये और उससे अधिक होगी। फैक्ट्रियों द्वारा प्रस्तुत किये गए दावों की समीक्षा करने के पश्चात् पात्रता के बारे में निर्णय किया जाएगा। नई चीनी यूनिटों के बारे में चीनी की निर्मुक्तियों के खुली बिक्री के अपेक्षाकृत अधिक कोटे के जरिए दिये जाने वाले प्रोत्साहन, फैक्ट्रियों द्वारा 200 लाख रुपये की सीमा से अधिक लगाई गई लागत पर निर्भर करते हुए भिन्न-भिन्न प्रतिशतताओं पर दिए जाएंगे।

नवम्बर, 1980 की संशोधित प्रोत्साहन योजना

16 अगस्त, 1978 से 17 दिसम्बर, 1979 तक की अवधि के दौरान, जब यह योजना बन्द हो गई थी, चीनी पर पूरी तरह से नियन्त्रण हट जाने के कारण 1975 की योजना को संशोधित करने की आवश्यकता पड़ी थी। 1980 की संशोधित योजना तत्वतः वही है जो 1975 की योजना थी। इस योजना की अतिरिक्त बातें इस प्रकार हैं :

(क) उपयुक्त समय के अन्दर चीनी के उत्पादन की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आशय पत्र अथवा लाइसेंस की तारीख, इसमें से जो भी पहले हो, से उत्पादन शुरू करने के लिए 39 महीनों की समय सीमा निर्धारित की गई थी, और

(ख) विस्तार परियोजनाओं के बारे में प्रोत्साहन की मात्रा को किए गये विस्तार की रेंज के कारण अतिरिक्त उत्पादन से सम्बद्ध किया गया था।

हाल ही में सरकार ने यह निर्णय किया है कि जो यूनिट 39 महीनों की निर्धारित अवधि के अन्दर उत्पादन शुरू नहीं करते हैं, उनके प्रोत्साहन को समंजित मात्रा के आधार पर कम कर दिया जाए।

[अनुवाद]

उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों के प्रचार माध्यम का मनमाना प्रयोग

4006. डा० बी० एल० शैलेश : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसी अवस्था पर उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापनों के प्रचार माध्यम के बढ़ते हुए गलत और मनमाने प्रयोग तथा इस बात की ओर ध्यान दिया है कि कुछ विज्ञापन बेहूदा हैं तथा भारतीय समाज में शालीनता के सुस्थापित नियमों के विपरीत होते हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में इस प्रवृत्ति को रोकने, विज्ञापन का स्तर ऊंचा उठाने और साथ ही उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठायें गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा बुक दिए गये विज्ञापन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से विनियमित होते हैं, जिसमें इस बारे में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हुए हैं कि प्रसारण/टेलीकास्ट के लिए क्या स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जाए। बुक किए गये विज्ञापनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सही हों तथ्यों को तोड़-मरोड़े नहीं, देश के कानूनों के अनुरूप हों तथा लोगों की नैतिकता शालीनता और धार्मिक भावनाओं को क्षुब्ध नहीं करें। विज्ञापन विषय वस्तु या प्रतिपादन में अशिष्ट, अश्लील, उत्तेजक और अप्रिय भी नहीं होने चाहिएं। व्यापारिक वस्तुओं की किस्म और मूल्य के बारे में गलत कथनों से विज्ञापनों द्वारा उपभोक्ता को गुमराह भी नहीं किया जाना चाहिए। सभी विज्ञापनों की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है और यदि कोई स्पाट संहिता के अनुरूप नहीं पाया जाता तो उसे अस्वीकार कर दिया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि० के बरौनी यूनिट में अनियमितताएं

4007. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिंदुस्तान उर्वरक निगम लिमिटेड के 92 करोड़ रुपये के बरौनी यूनिट में घटिया किस्म के कच्चे माल और उपकरणों की खरीद, नेफथा की चोरी, उर्वरकों की काला बाजार में बिक्री ओवर टाइम की अनुचित अदायगी आदि के मामलें में हुई अनियमितताएं सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कारंवाई की जा रही है; और

(ग) इस यूनिट में पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) केवल निम्नलिखित एककों को छोड़कर ऐसे किसी आरोप की पुष्टि नहीं हुई है, यह सूचित किया गया है कि कुछ कर्मचारियों ने अपने मोटर साइकिलों में भरने के लिए नेफ्था का दुरुपयोग किया। चूककर्ता कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। बरौनी एकक के प्रबन्धकों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी मजबूत किया है ताकि नेफ्था की चोरी की संभावनाओं से बचा जा सके। प्रयुक्त किए गए चूने की बोरियों की खरीद, जूट की बोरियों की कमी तथा रिक्त ड्रमों की बिक्री के सम्बन्ध में कुछ जांच-पड़ताल की गई थी सी०बी०आई० की जांच के परिणामस्वरूप प्रयुक्त चूने की बोरियों

की बिक्री, तथा जूट की बोरियों की कमी से सम्बन्धित श्रेणियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की गयी है। जहां तक रिक्त ड्रमों की बिक्री आदि में कथित अनियमितता के मामले का संबंध है, मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है।

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमति से बरौनी एकक के प्रदूषण शोधन तथा नियन्त्रण सुविधाएं स्थापित की हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि फैक्टरी सीमाओं से बाहर छोड़ा गया निस्सार निर्धारित मानकों के भीतर हैं और और पूर्णतः सुरक्षित है।

[अनुवाद]

कृषि उत्पादकता

4008. श्री [illegible] : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता कितनी रही है; और

(ख) क्या यह जरूरी है कि हम ऐसे बीजों का विकास करें जिन्हें कम नमी की जरूरत हो और जो अधिक कीट निरोधी हों; और

(ग) क्या हाल में दिल्ली वैज्ञानिकों की एक बैठक हुई थी जिसमें कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा हुई थी और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मुख्य फसलों की प्रति हेक्टेयर पैदावार निम्नवत् है :—

(पैदावार कि० ग्राम०/हेक्टेयर)

फसल	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4
1. चावल	1231	1457	1425
2. गेहूं	1816	1843	1873
3. मोटे धान्य	686	813	796
4. दलहन	519	548	536
5. खाद्यान्न	1035	1162	1154

1	2	3	4	5
6.	तिलहन	563	679	660
7.	गन्ना	56441	55978	58013
8.	कपास	163	141	193
9.	पटसन तथा मेस्ता	1265	1320	1241

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां। सितम्बर, 1985 में नई दिल्ली में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कई देशों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों ने भाग लिया और पौध आणविक जैविकी तथा जैव-प्रौद्योगिकी से पैदा होने वाले क्षेत्रों में अभी हाल में हुए विकास पर विचार-विमर्श किया।

किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजस्थान को धनराशि का आवंटन

4009. **श्री बनवारी लाल बैरवा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान किसानों तथा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए राजस्थान सरकार को योजनावार कितनी धनराशि दी है, और छठी पंचवर्षीय योजना में इस धनराशि के वितरण का आधार क्या था ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों आदि की स्थिति में सुधार लाने हेतु इस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय आवंटन तथा केन्द्रीय बंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

राज्यों में इसके वितरण की कसौटी के सम्बन्ध में, जैसाकि छठी पंचवर्षीय योजना में बताया गया है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु वर्ष 1980-81 के दौरान 5.00 लाख रुपये प्रति खण्ड तथा 1981-82 के दौरान 6.00 लाख रुपये प्रति खंड की दर पर तथा छठी योजना के अन्तिम तीन वर्षों के दौरान 8.00 लाख रुपये प्रति खण्ड प्रति खंड प्रति वर्ष की दर पर निधियां आबंटित की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम/ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटन की पद्धति में 75 प्रतिशत बल कृषि मजदूरों तथा सीमान्त किसानों की संख्या पर 25 प्रतिशत बल कृषि गरीबी के प्रभाव पर दिया गया है। सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटन चयनित खंड में 15.00 लाख रुपये प्रति खण्ड की दरपर तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन चयनित खण्डों में 10.00 लाख रुपये प्रति एक हजार वर्ग कि० मी० प्रति वर्ष की दर पर किया गया था। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम को छोड़ उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों पर किए गए व्यय राज्य तथा केन्द्र द्वारा बराबर आधार पर तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों में केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत वहन किया गया है। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम पूर्णतः केन्द्र द्वारा वित्त पोषित है।

विवरण

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	वर्ष	केन्द्रीय आवंटन	केन्द्रीय बंटन
समन्वित ग्रामीण विकास	1982-83	928.00	983.00
कार्यक्रम	1983-84	944.00	1053.00
	1984-85	944.00	974.00
राष्ट्रीय ग्रामीण रोज-	1982-83	492.00	457.55
गार कार्यक्रम	1983-84	480.00	488.65
	1984-85	550.00	775.00
ग्रामीण भूमिहीन रोज-	1983-84	240.00	1200.00
गार गारंटी कार्यक्रम	1984-85	240.00	1200.00
सूखा संभावित क्षेत्र	1982-83	290.00	96.67
कार्यक्रम	1983-84	135.00	64.86
	1984-85	135.00	134.72
मरुभूमि विकास	1982-83	785.50	461.83
कार्यक्रम	1983-84	785.50	652.62
	1984-85	785.50	756.26

तमिलनाडु सरकार को ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के निष्पादन के लिए बोनस

4010. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्याग्रस्त माने गये गांवों में जल सप्लाई के सम्बन्ध में अच्छा काम करने के लिए तमिलनाडु सरकार को पुरस्कार के रूप में केन्द्रीय सरकार से बोनस दिया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) चूंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना में समस्या वाले गांवों में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के अच्छे कार्य के आधार पर प्रोत्साहन बोनस देने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः इस वर्ष किसी भी राज्य को बोनस दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रेष्ठता के लिए दिए गए प्रमाण पत्र

4011. श्री मानिक रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर से एकत्र हुए मुद्रकों, प्रकाशकों और डिजाइनरों, जिन्होंने पुरस्कार जीते थे, उनको श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के प्रतीक स्वरूप कोरे प्रमाण-पत्र दिए गए थे; (न्यूजटाइम 19-9-85);

(ख) क्या सरकार द्वारा दिए गए तेजी से कार्य करने के निदेशों के कारण ऐसा हुआ; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में बेहतर परिणामों के लिए उक्त काम को कम्प्यूटर को सौंपेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। जिम्मेदारी निश्चित करने तथा उपचारी उपाय करने के लिए मामले में जांच पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

ग्रामीण उपभोक्ता खुदरा बाजार को वित्तीय सहायता

4012. श्री चिन्तामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में खोले गए ग्रामीण उपभोक्ता खुदरा बाजारों को केन्द्रीय क्षेत्र योजना के माध्यम से कम से कम पांच वर्ष के लिए जब तक वे व्यावहार्य न बनें, वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण उपभोक्ता बाजार को परिवहन के लिए राज्य-सहायता

भी देने का है ताकि वे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों के लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित दर पर सप्लाई कर सकें ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यह योजना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम कार्यान्वित की जा रही हैं। इस योजना के अन्तर्गत 5,000 रु० से 20,000 रुपये तक उपान्त धनराशि की सहायता प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों/बड़े आकार की बहु-उद्देशीय समितियों आदि (जिन्हें लिंक समितियों के रूप में जाना जाता है) को उनकी व्यापारिक क्षमता के आधार पर की जाती है। ऐसी समितियों को शाखाएं खोलने के लिए हर शाखा के लिए 5,000 रु० की दर से अतिरिक्त उपान्त धन-राशि की सहायता भी दी जाती है।

(घ) जी नहीं। प्राथमिक विपणन समितियों/थोक उपभोक्ता सहकारी भन्डारों/उपभोक्ता सहकारी समितियों के राज्य परिसंघों, जो ग्रामीण क्षेत्रों में लिंक समितियों को उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए लीड समितियों के रूप में कार्यरत हैं, को परिवहन हेतु वाहन खरीदने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। लीड समितियों को ऐसी सहायता वाहन की 75% तक की लागत को पूरा करने के लिए अधिकतम 2 लाख रुपये तक ऋण के रूप में दी जाती है। उत्तर-पूर्वी राज्यों और सिक्किम में स्थित समितियों के संबंध में लागत की 95% तक राशि ऋण के रूप में दी जाती है। अनुसूचित जातियों ओर अनुसूचित जनजातियों के लिए समितियों के सम्बन्ध में 25% तक की राज सहायता भी दी जाती है।

सुन्दरवन क्षेत्र में गैर कानूनी तौर पर मछली पकड़ना

4013. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में अक्तूबर, 1985 में आई बाढ़ और चक्रवात से वहां गैर-कानूनी तौर पर मछली पकड़ने वालों द्वारा जोकि नदी के खारे पानी को पास के धान के खेतों में डालकर और उनमें मछलियां पालकर अपना लाभप्रद व्यापार चलाते हैं, नदी के तटबंधों में वर्षा से की गई दरारों से उनके कमजोर पड़ जाने से तबाही और भी बढ़ गयी, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस प्रकार गैर-कानूनी मछली पकड़ने वालों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने का है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

श्रम मन्त्रालय में निर्देशन के लिए लंबित धनबाद क्षेत्र में औद्योगिक विवाद

4014. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1985 को मन्त्रालय में निर्देशन के लिए धनबाद क्षेत्र के कितने औद्योगिक विवाद लंबित थे;

(ख) कितने विवाद आदिवासी कामगरों से संबंधित हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार आदिवासी कामगारों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए उनसे संबंधित विवादों पर विशेष ध्यान देने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 1-10-1985 की स्थिति के अनुसार, औद्योगिक विवादों के बारे में धनबाद क्षेत्र के केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा भेजी गई 222 संराधन विफलता रिपोर्टें न्यायनिर्णयन के लिए निर्दिष्ट करने या न करने हेतु श्रम मन्त्रालय में लम्बित पड़ी थी।

(ख) और (ग) जनजाति श्रमिकों से संबंधित औद्योगिक विवादों के बारे में अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा श्याम नगर में केन्द्रीय गोदाम किराए पर लेना

4015. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम के श्याम नगर साउथ जूट मिल्स काम्प-लैक्स में दो गोदामों को किराए पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उनका कितना किराया दिया जा रहा है;

(ग) क्या उक्त गोदामों को उनके मालिकों ने बेचने की पेशकश की थी;

(घ) यदि हां, तो उक्त पेशकश के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या भारतीय खाद्य निगम भी उन गोदामों को खरीदने का इच्छुक है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने मै० श्याम नगर जूट फैक्ट्री कम्पनी से 4,67,833 वर्ग फुट के कुल क्षेत्र के गोदामों को किराए पर लिया है।

(ख) कारपोरेशन 4,01,458 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए 27 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति मास के हिसाब से, 41,108 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए 35 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति मास और 25,267 वर्ग फुट के क्षेत्र के लिए 40 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति मास के हिसाब से किराया दे रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) कारपोरेशन का इन गोदामों को खरीदने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) जी, नहीं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा झील कुरंजा में विकास शुल्क की वसूली

4016. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में झील-कुरंजा, दिल्ली में अनधिकृत कब्जा करने वालों को सब्जी मन्डी में जगह आबंटित करने के लिए विकास शुल्क के रूप में 500/— रुपये और तीन महीने के जमीन किराए के रूप में 81/—रुपये वसूल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत कब्जा करने वालों को सड़क से स्थानान्तरित कर सब्जी मंडी कब ले जाया जा रहा है; और

(ग) झील-कुरंजा में सार्वजनिक सड़क की सफाई करने के निर्णय को लागू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने झील-कुरंजा में अतिक्रमकों (सब्जी तथा फल विक्रेताओं) को सड़क के किनारे से हटाने तथा उन्हें वैकल्पिक स्थलों के आबंटन का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाटों की लागत तदर्थ आधार पर 1000/ रुपए निर्धारित की है। तथापि, अतिक्रमकों ने केवल 500/—रुपए जमा किए हैं। उनसे 500/—रुपये की वसूली अभी तक बाकी है। इसके अलावा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अतिक्रमकों से विद्यमान स्थलों के लिए 27 रुपये प्रतिमाह की दर से 3 महीनों के लिए 81/—रुपये किराया मांगा है।

न्यायालय से रोकादेश के कारण आरम्भ में अतिक्रमकों को स्थानान्तरित करने के निर्णय का कार्यान्वयन नहीं किया जा सका। न्यायालय द्वारा इस मामले पर निर्णय दिए जाने के बाद अतिक्रमकों के स्थानान्तरण की तारीख 28-10-85 निर्धारित की गई थी। परन्तु पुलिस की अनुपलब्धता के कारण उस तारीख को यह स्थानान्तरण नहीं किया जा सका। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस योजना के निकट भविष्य में कार्यान्वयन की सम्भावना है।

खाड़ी के देशों में श्रमिकों की मजदूरी के स्तर के लिए
एशियाई देशों के साथ समझौता

4017. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया, फिलीपीन्स, बंगलादेश आदि जैसे कुछ ऐशियाई देशों से खाड़ी के देशों को जनशक्ति के अत्याधिक निर्यात से खाड़ी के देशों में श्रमिकों का मजदूरी स्तर बहुत कम हो गया है जिससे वहां पर कार्यरत भारतीय श्रमिकों की कमाई को नुकसान पहुंच रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एशियाई देशों के साथ खाड़ी के देशों में एशियाई श्रमिकों के मजदूरी स्तर के बारे में एक सामान्य समझौता करने हेतु पहल करेगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल कीमतों में कमी होने तथा आर्थिक मन्दी के कारण, खाड़ी देशों ने विदेशी श्रमिकों को धीरे-धीरे निकालना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप, एशिया क्षेत्र के देशों, जो श्रमिक भेजते हैं, के बीच बेहद होड़ लगी है। अत: मजदूरी स्तर के बारे में कोई सामान्य समझौता होना व्यवहार्य नहीं है।

आंध्र प्रदेश में खारे पानी को नमक विहीन करने के लिए
संयंत्र की स्थापना

4018. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में खारे पानी को नमक विहीन करने के लिए एक संयंत्र लगाने का है;

(ख) क्या इसकी स्थापना का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जायेगा;

(ग) उक्त संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा;

(घ) उक्त परियोजना की लागत कितनी है और उससे प्रतिदिन कितना पेयजल उपलब्ध होगा; और

(ङ) परियोजना से पेयजल की सप्लाई कब से शुरू होगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ग) आंध्र प्रदेश

सरकार ने सूचित किया है कि सागर विकास विभाग की सहायता से पूर्वी गोदावरी जिले के जैल्लेकुपाडू गांव में एक नमक विहीन संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) 26 जनवरी, 1986 को इस संयंत्र से पेयजल की सप्लाई करने का कार्यक्रम है।

(घ) संयंत्र की क्षमता 50,000 लीटर प्रतिदिन है। इस परियोजना पर लगभग 8.75 लाख रुपये की लागत आने की आशा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवास कालोनियों में शापिंग सेंटरों का निर्माण

4019. श्री कमल नाथ : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण पट्टादाता के रूप में कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटियों द्वारा खरीदी और विकसित की गई भूमि पर बनी विभिन्न आवास कालोनियों में सुविधाजनक शापिंग सेंटरों का निर्माण कर रहा है और दुकानों की बिक्री से करोड़ों रुपये कमा रहा है; और

(ख) क्या सरकार, कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों, द्वारा व्यय की गई धनराशि में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना कोई योगदान किए पूरा बिक्री कार्य विनियोजित करने संबंधी वैधता की जांच करेगी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) समितियों के साथ किए गए करार के अनुसार, रिहायशी प्लाटों के अलावा विकसित भूमि विक्रय हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को लौटा दी जाती है और डी० डी० ए० (विकसित नजूल भूमि का विक्रय) नियम, 1981 के उपबन्धों के अनुसार इसकी बिक्री की जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के मृतक कर्मचारियों की बकाया राशि के निपटान में विलम्ब

4020. डा० चन्द्र शेखर वर्मा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम (दिल्ली क्षेत्र) के मृतक कर्मचारियों के संबंधियों के दावों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मृतक कर्मचारियों के संबंधियों को अंशदान भविष्य निधि, उपदान, सामूहिक बीमा,

बोनस और वेतन तथा भत्ता आदि की प्राह्य राशि का निबटान करने में विलम्ब के कारण अत्यन्त कठिनाई हो रही है;

(ग) गत तीन वर्षों में मृतक कर्मचारियों के ऐसे मामलों की संख्या कितनी है कितने मामलों में सम्बन्धियों के दावों का निबटान अब तक नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) मृतक कर्मचारियों के संबंधियों को इन कठिनाइयों से बचाने के लिए इन मामलों को शीघ्र निबटाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा चावल की खरीद

4021. श्री सी० सम्बु
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में अपने "2 रुपये प्रति किलो चावल कार्यक्रम" को पूरा करने के लिए विभिन्न सरकारों से रियायती दर पर ऋण देने और आन्ध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम द्वारा वसूली मूल्यों पर चावल खरीदने की अनुमति देने के अपने प्रस्ताव पर विचार करने का केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि अनुमति दी गई है, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी, हां। उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया था। केन्द्रीय सरकार की यह नीति है कि किसी राज्य में राज्य और केन्द्रीय पूल दोनों के लिए एक ही समय खाद्यान्नों की वसूली नहीं की जानी चाहिए। रियायती बैंक ऋण केवल तभी उपलब्ध होते हैं जब सरकार द्वारा निर्धारित किए गए समर्थन मूल्यों पर वसूली की जाती है।

बच्चों के लिए निर्मित फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार

4022. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने देश में बच्चों के लिए बनाई जाने वाली फिल्मों की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर जोर दिया है (17 नवम्बर, 1985 का हिन्दुस्तान);

(ख) क्या देहात के बच्चों को इन फिल्मों में शामिल करने और बच्चों के लिए और अधिक कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए भी कोई कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बाल चित्र समिति, भारत के पास "थियेटर रीचेज चिल्ड्रेन" स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों के लिए अपनी फिल्में ले जाने के लिए एक चलता-फिरता वाहन है। इसकी कुछ फिल्में ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के माध्यम से भी दिखाई जाती हैं।

ग्रामीण बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से निदेशित कार्यक्रमों को दिल्ली जैसे दूरदर्शन केन्द्रों तथा सभी साइट उत्तर-वर्ती/इन्सैट केन्द्रों द्वारा सप्ताह में एक बार टेलीकास्ट किया जाता है।

दूरदर्शन प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए अभिप्रेत स्मृद्ध किस्म के शैक्षणिक कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है जो किशोर दर्शकों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। बच्चों की रुचि के कार्यक्रमों उदाहरणार्थ पंचतन्त्र कार्टून कहानियों इन्द्रधनुष, अप्पू और पप्पू, पालतू जानवरों पर धारावाहिक, दादा-दादी की कहानियां, एक दो तीन चार, भी दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रमों में शामिल करने का प्रस्ताव है।

आन्ध्र प्रदेश के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना

4023. **श्री वी० शोमनाद्रीश्वर राव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का सातवीं योजना के दौरान कृष्णा जिले में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) आन्ध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र अमदालवलसा (श्रीकाकुलम); राजमुन्दरी (पूर्वी

गोदावरी) और रास्ताकुन्टावाई (विजयनगरम) में तीन कृषि विज्ञान केन्द्र स्थित हैं।

(ग) और (घ) सातवीं योजना के दौरान कृष्णा जिले में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना पर विचार किया जा सकता है, लेकिन यह संसाधनों की उपलब्धि पर निर्भर है।

उड़ीसा में खाद्य तेल और तिलहनों का उत्पादन

4024. श्री राधाकांत डिगाल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में सरसों, तिल और अन्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ीसा के पहाड़ी क्षेत्रों में जलवायु तिल खेती के लिए उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा में तिल, सरसों और अन्य तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तोरिया-सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी और रामतिल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उड़ीसा में वर्ष 1983-84 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें क्रियान्वित की गई थीं। 1984-85 से सम्भावित जिलों में मूंगफली, तोरिया-सरसों, रामतिल और अन्य तिलहनों की फसलों के विकास के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चल रही है। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अधीन अधिक मात्रा में तिलहनों की खेती शुरू करने के लिए किसानों को प्रेरित करने के वास्ते राजसहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय बीज निगम में लाभ/घाटा

4025. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक वर्ष में राष्ट्रीय बीज निगम का कितना तथा कितने मूल्य का बीज सड़ गया/खराब हो गया;

(ग) बीज खराब होने के क्या कारण हैं और क्या इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम को हुए लाभ/घाटे का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

वर्ष	लाभ/घाटा (—) (लाख रुपयों में)
1982-83	15.94
1983-84	(—) 24.15
1984-85	42.25

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम के बीज के सड़ने/खराब होने की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	सड़ गई कुल मात्रा (क्विटल में)	खराब बीज की मूल कीमत (लाख रुपये में)	लाभ और हानि खाते पर निवल प्रभाव (लाख रु० में)
1982-83	30,932	92.80	64.47
1983-84	22,768	119.15	96.09
1984-85	60,614	199.74	133.58

(ग) और (घ) बीज के सड़ने का मुख्य कारण यह है कि बीज के जीवित अवयव होने से इसकी गुणवत्ता समय बीतने के साथ स्वाभाविक ढंग से कम हो जाती है। भण्डारण, परिवहन और रखरखाव की परिस्थितियां भी अक्सर गुणवत्ता को कम करने में सहायक होती हैं। कभी-कभी खरीददार भी अपने द्वारा मांगी गई बीज की पूर्ण मात्रा नहीं ले जाते। इससे आगे ले जाये गये/पुनः मूल्यांकित भण्डार खरीदने के लिए खरीददारों में सामान्य अरुचि होने के कारण आगामी मौसम में ऐसे बचे हुए बीज को बेचने में कठिनाई आती है। इसके कारण से भी बीज प्रायः सड़ जाते हैं।

स्टाक के वास्तविक रूप से सड़ने से पूर्व बीज के सड़ने के कारणों की पूरी तरह से जांच की जाती है। निगम के किसी अधिकारी की लापरवाही के फलस्वरूप बीज सड़ने के किसी प्रमाण के मामले में निगम के सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामलों पर भी कार्यवाही की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में किसानों को मिनिकिट देना

4026. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बीजों और उर्वरकों के मिनिकिट वितरित करके तथा कुओं और नलकूपों के लिए राज सहायता उपलब्ध करा के कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पश्चिम बंगाल के लघु और सीमांत किसानों को सहायता देने की कोई योजना प्रायोजित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान इस प्रकार की केन्द्रीय सहायता से पश्चिम बंगाल के कितने लघु तथा सीमांत कृषक लाभान्वित हुए हैं;

(घ) 1980-85 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में इस प्रकार की योजनाओं के लिए कितनी सहायता दी गई और राज्य सरकार द्वारा इस सहायता का वास्तव में किस सीमा तक इस्तेमाल किया गया; और

(ङ) सातवीं योजना में इस प्रकार की सहायता के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देने की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सहित देश के सभी खण्डों (ब्लाकों) में शुरू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत, लघु सिंचाई के लिए 3.50 लाख रुपये और भूमि विकास और कर्मचारियों सहित तिलहनों एवं दालों के उत्पादन के लिए बीजों तथा उर्वरकों के मिनिकिटों के लिए 1.00 लाख रुपये प्रति खण्ड (ब्लाक) प्रति वर्ष के हिसाब से नियत किये गये थे। ये परिव्यय केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किये जाने थे।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के इन घटकों के अन्तर्गत लगभग कुल 7.77 लाख किसानों को लाभ पहुंचाया गया है।

(घ) लघु सिंचाई और मिनिकिटों, भूमि विकास आदि के लिये निर्मुक्त किये गये केन्द्रीय

अंश तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस्तेमाल की गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	निर्मुक्त किया गया केन्द्रीय अंश	इस्तेमाल की गई केन्द्रीय राशि
1983-84	418.55	283.79
1984-85	474.73	299.57

(ङ) यह योजना पांच लाख रुपये प्रति खण्ड के वार्षिक परिव्यय (3.50 लाख रुपये लघु सिंचाई के लिये, 0.50 लाख रुपये दालों, तिलहनों तथा मोटे अनाजों के बीजों के मिनिकिटों के लिये तथा 1.00 लाख रुपये भूमि विकास और कर्मचारियों के लिए) के साथ सातवीं योजना के दौरान जारी रखी जा रही है।

[हिन्दी]

गोरखपुर में उर्वरक कारखाने में किसानों को भूमि प्राप्त करने के बदले रोजगार देना

4027. **श्री जितेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर में उर्वरक कारखाना स्थापित करते समय यह आश्वासन दिया गया था कि जिन किसानों की भूमि इस कारखाने की स्थापना के लिए अधिग्रहीत कर ली गई है, उन्हें कारखाने में नियुक्तियों के मामले में प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने में अब तक श्रेणीवार ऐसे कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं तथा वे कारखाने के कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में कितने प्रतिशत हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि गोरखपुर में कारखाना स्थापित करने के लिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गई थी, उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि कारखाने में नियुक्ति के मामले में उनके परिवार के एक सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

(ख) 30 सितम्बर, 1985 तक बेदखल किये गये 486 व्यक्तियों को ग्रुप "घ" श्रेणी में नियोजन प्रदान किया गया था जो कारखाने में नियोजित किये गये कर्मचारियों की कुल संख्या का 21.26 प्रतिशत था।

[अनुवाद]

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

4028. श्री के० एस० राव : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में कितनी अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है और उनमें से कितनी कालोनियों को सीवर कनेक्शन, जल सप्लाई और विद्युत सप्लाई जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ख) क्या अभी भी कुछ ऐसी नियमित कालोनियां हैं जिनमें आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन्हें इस प्रकार की सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराये जाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अब तक नियमित की गई कुल 539 कालोनियों में से गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम द्वारा 170 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया गया है।

नियमित कालोनियों में बिजली, जलपूर्ति और मल-जल निर्यास की सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में स्थिति इस प्रकार है :—

बिजली

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि 414 नियमित कालोनियों में पूर्णतः बिजली की व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की 106 कालोनियों में आंशिक रूप से बिजली की व्यवस्था कर दी गई है।

जल पूर्ति तथा मल-जल निर्यास

दिल्ली जलपूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान ने बताया है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित की गई 402 कालोनियों में से क्रमशः 225 और 70 नियमित कालोनियों में जलपूर्ति तथा मल-जल निर्यास की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, 107 कालोनियों में जलपूर्ति एवं 37 कालोनियों में सीवरों की व्यवस्था करने की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है, 61 कालोनियों में जलपूर्ति योजनाएं एवं 21 कालोनियों में मल-जल निर्यास योजनाएं दिल्ली जलपूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान के पास निष्पादनाधीन हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के नियन्त्रणाधीन नियमित कालोनियों में जलपूर्ति एवं मल-जल निर्यास सुविधाओं के प्रावधान से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शेष नियमित कालोनियों में मूलभूत जन-सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई समय निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है क्योंकि यह सम्बन्धित प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित विकास प्रभारों का लाभ भोगियों द्वारा भुगतान करने पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

बिहार में वर्षा से फसलों को नुकसान

4029. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में धान तथा आलू की फसलों को कितना नुकसान हुआ है;

(ख) बिहार राज्य ने कितनी वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को कितनी वित्तीय सहायता दी जा रही है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने 1985-86 के दौरान बाढ़ की वजह से धान तथा आलू की फसलों को हुई क्षति के लिए कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है।

[अनुवाद]

उर्वरक विभाग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सैल की स्थापना

4030. **श्री जगन्नाथ प्रसाद :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक विभाग में अभी तक औपचारिक रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सैल नहीं खोला गया है, और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कल्याण का कार्य एक उच्च श्रेणी लिपिक को अंशकालिक रूप में सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो गृह मन्त्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) यदि सैल इस बीच खोल दिया गया है तो क्या उर्वरक विभाग द्वारा जारी किये गए कार्यालय आदेश की एक प्रतिलिपि, जिसमें इसके लिये कर्मचारियों की स्वीकृति संख्या का ब्यौरा दिया हो, सभा पटल पर रखी जायेगी ; और

(घ) उर्वरक विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा आरक्षण आदेशों का समुचित रूप में कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) नया उर्वरक विभाग 25 सितम्बर, 198९ से अस्तित्व में आया। नये उर्वरक विभाग के लिए एक अलग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति सेल खोला जाये अथवा कार्य की देखभाल मन्त्रालय में ही केन्द्रित की जाये—यह प्रश्न समीक्षाधीन है।

उपरोक्त समीक्षा होने तक भूतपूर्व रसायन एवं उर्वरक मन्त्रालय की संगठनात्मक संरचना उर्वरक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के लिए सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धी सरकार के निदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती रहेगी। तथापि यह सच नहीं है कि यह कार्य केवल एक उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा अंशकालिक रूप में किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

4031. श्री के० एन० प्रधान : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मध्य प्रदेश में कितने दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार है; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल में टेलीविजन कैमरा-दल की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है और यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक होने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री बी० एन० गाडगिल) : (क) छठी योजना की चली आ रही स्कीमों के रूप में जगदलपुर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर कार्यान्वित किया जा रहा है। सातवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वर्षवार उपलब्धता के अधीन रहते हुए मध्य प्रदेश में 23 नये दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) इस बारे में अनुरोधों पर विचार करते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान भोपाल में पूर्णरूपेण दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। समाचार योग्य घटनाओं को कवर करने के लिए इस केन्द्र को पर्याप्त संख्या में उपकरणों (ई० एन० जी० कैमरा, आदि) के सैट उपलब्ध किये जाएंगे। तथापि इस स्कीम का पूरा होना संसाधनों की वर्षवार उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस बीच, भोपाल में तैनात फिल्म डिवीजन के एक कैमरामैन को महत्वपूर्ण स्थानीय घटनाओं को कवर करने के लिए दूरदर्शन द्वारा फिल्म कैमरा उपलब्ध किया गया है।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को आबंटित अनुदान

4032. पी० षण्मुगम् : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान संघ राज्य क्षेत्र, पांडिचेरी में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को कितना केन्द्रीय अनुदान आबंटित किया गया है;

(ख) क्या अनुदान राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है और आबंटन का ब्योरा क्या है; और

(ग) इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, पांडिचेरी द्वारा निधियों के उपयोग की प्रगति

(लाख रुपये में)

(क) क्र० सं०	वर्ष	आबंटन	मुक्त की गई धनराशि	व्यय
1.	1982-83	32.00	27.00	18.68
2.	1983-84	32.00	32·00	35.54
3.	1984-85	32.00	50.54	49.70
योग :	1980-85	96.00	109.54	103.92

सहायता प्राप्त परिवार

(ख) क्र० सं०	वर्ष	लाभार्थियों की संख्या
1.	1982-83	1971
2.	1983-84	3820
3.	1984-85	8191

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आवास की समस्या

4033. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आवास की समस्या को हल करने के बारे में कोई निर्णय लिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में एक आवासीय बोर्ड गठित करने का विचार किया है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास राज्य का विषय है तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार योजनाएं बनाने तथा सामाजिक आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूर्ण अधिकार दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट विकास शीर्ष या योजना से सम्बद्ध किये बिना केन्द्रीय सरकार समेकित ऋण तथा समेकित अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देती है।

(ख) संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक आवास बोर्ड स्थापित करने की ओर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन तथा केन्द्रीय सरकार का ध्यान पहले ही लगा हुआ है।

नगर पालिकाओं तथा अन्य शहरी स्थानीय निकायों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जाना

4034. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की, नगरपालिकाओं तथा अन्य शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जल सप्लाई और जल-मल निकासी योजनाओं के लिए ऋण देने हेतु योजनाओं के अन्तर्गत कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुछ शहरी स्थानीय निकायों को लाभ पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है;

(घ) 1980-85 के दौरान दिए गए ऋणों का जोनवार/राज्यवार ब्यौरा क्या है और 31-3-85 को इन ऋणों की कितनी राशि बकाया थी; और

(ङ) पश्चिम बंगाल में नगर पालिकाओं द्वारा जीवन बीमा निगम से लिए संस्थागत वित्त/ऋण को अपनी जल तथा जल-मल निकासी योजनाओं में इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उसका परिणाम क्या निकला है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) जीवन बीमा निगम की ऋण निधियां योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों की योजना निधियों के भाग के रूप में जलपूर्ति तथा मल निर्यास सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए नियतित की जाती हैं। वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा जलपूर्ति तथा मल निर्यास क्षेत्र के लिए दिए गए/नियतित ऋण संलग्न विवरण में दिए गए हैं। ये ऋण जीवन बीमा निगम द्वारा विशिष्ट योजनाओं के आधार पर राज्य स्तर अभिकरणों/स्थानीय निकायों को दिये जाते हैं। जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए क्षेत्रवार ऋणों, 31-3-1985 तक बकाया राशियों और पश्चिम बंगाल में सांस्थानिक धन/ऋणों के परिचालन के लिए नगर निकायों द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में सूचना इस मन्त्रालय के पास सुलभता से उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

जलपूर्ति तथा मल निर्यास के लिए 1980-85 के दौरान दी गई जीवन बीमा निगम निधियां

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5	6	7
				(लाख रुपयों में)		
1.	आंध्र प्रदेश	—	231.00	17.00	50.00	233.00
2.	असम	34.00	67.00	19.00	60.00	109.00
3.	बिहार	—	—	—	—	—
4.	चंडीगढ़ (संघ राज्य)	200.00	107.00	—	—	—
5.	गुजरात	457.00	772.00	550.00	695.00	757.00
6.	हरियाणा	198.00	—	233.75	139.00	—
7.	हिमाचल प्रदेश	—	54.00	—	—	—
8.	जम्मू और कश्मीर	55.00	106.00	62.00	300.00	235.00
9.	कर्नाटक	684.00	929.00	791.00	100.00	320.00
10.	केरल	149.00	273.70	430.00	469.05	495.00
11.	मध्य प्रदेश	273.00	173.00	444.50	345.00	735.00

1	2	3	4	5	6	7
12.	महाराष्ट्र	978.00	1201.83	1293.66	14[illegible]1.75	1610.00
13.	मणिपुर	—	46.00	43.00	—	24.00
14.	मेघालय	—	—	250.00	—	—
15.	नागालैण्ड	—	53.00	53.00	—	—
16.	उड़ीसा	6.00	100.00	199.85	90.00	159.00
17.	पंजाब	581.25	193.70	499.34	549.70	253.00
18.	राजस्थान	135.00	183.40	174.00	223.00	208.00
19.	सिक्किम	—	—	—	—	—
20.	तमिलनाडु	505.00	408.00	750.70	1302.00	1238.00
21.	त्रिपुरा	—	—	—	42.00	67.00
22.	उत्तर प्रदेश	374.70	695.07	1267.36	8.55	17.500
23.	पश्चिमी बंगाल	55.00	72.00	—	—	—
योग :		4684.95	5665.70	7078.16	5855.05	6618.20

शालीमार बाग में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना डिस्पेंसरी के लिए स्थान का आवंटन

4035. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के महानिदेशक ने शालीमार बाग, दिल्ली में वहां के 2000 से अधिक लाभार्थियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना की एक नई डिस्पेंसरी के लिए उचित स्थान के आवंटन हेतु मार्च, 1984 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से अनुरोध किया था;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त स्थान का आवंटन करने पर सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अनुरोध नवम्बर, 1984 में प्राप्त हुआ था (न कि मार्च, 1984 में)।

(ख) जी, हां।

(ग) शालीमार बाग में औषधालय भवन बनाने के लिए सी० जी० एच० एस० को 2100 वर्ग मीटर माप का भू-खण्ड आवंटित किया गया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के कर्मचारियों को नामरूप भत्ता

4036. श्री अनिल बसु : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के प्रबन्धकों और फर्टिलाइजर वर्कर्स यूनियन, नामरूप के बीच हुए समझौते तथा निगम के प्रबन्धक मंडल द्वारा पारित किए गए निर्णय के परिणामस्वरूप, 1 जनवरी, 1983 से निगम के कर्मचारियों का नामरूप भत्ता बढ़ाकर 20 प्रतिशत कम देने की कोई योजना है;

(ख) क्या इन कर्मचारियों को असम आंदोलन की अवधि के दौरान भुगतान न किये गये वेतन का भी अब भुगतान किया जाएगा क्योंकि ये कर्मचारी किसी भी तरह उक्त आंदोलन से संबंधित नहीं थे और प्रबन्धक उस समय कर्मचारियों को उचित सुरक्षा प्रदान करने में असफल रहे थे;

(ग) यदि हां, तो ये दोनों भुगतान कब तक कर दिए जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० ने सूचित किया है कि नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट में कार्य करने वाले कर्मचारियों को दिये जा रहे नामरूप भत्ते की दर में वृद्धि करने के सम्बन्ध में प्रबन्धकों और श्रमिक यूनियन के बीच कोई समझौता नहीं हुआ है।

(ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० ने सूचित किया है कि इसके कर्मचारियों को अपने कार्य पर उपस्थित होने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार की सहायता से सभी आवश्यक पूर्वोपाय किये गये थे। असम आंदोलन के दौरान जो कर्मचारी अपने कार्य पर उपस्थित नहीं हुए थे, उन्हें कार्य नहीं वेतन नहीं के आधार पर वेतन का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, उनकी उपर्युक्त अनुपस्थिति को नियमित करने के लिए प्रबन्धकों ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि वे

उनको देय तथा स्वीकार्य प्रकार की छुट्टी की स्वीकृति के लिए आवेदन पत्र दें।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

न्यू माहे में मत्स्य संग्रह स्थल का निर्माण

4037. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने न्यू माहे में मत्स्य संग्रह स्थल के निर्माण हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या उक्त योजना को प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दे दी गई है;

(ग) 1985-86 में योजना के लिए वास्तव में कितना आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राज्य को वर्ष 1984-85 के दौरान 7.00 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की गई थी, जबकि 28.43 लाख रुपये के लिए 10-12-1984 को इस सम्बन्ध में प्रशासनिक मंजूरी जारी की गई थी। न्यू माहे में मछली उतारने की सुविधाओं के निर्माण पर राज्य सरकार से वित्तीय तथा वास्तविक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर वर्ष 1985-86 के लिए और अधिक धनराशि निर्मुक्त की जा सकती है।

कण्णानोर में आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

4038. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कण्णानोर में प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र का स्थान चुनने के लिए सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय द्वारा या मन्त्रालय की ओर से कोई दल भेजा गया है;

(ख) क्या मन्त्रालय को इस आशय की कोई पेशकश प्राप्त हुई है कि यदि प्रस्तावित आकाशवाणी केन्द्र कण्णानोर में कडालपी में स्थापित किया जाता है तो उसके लिए निःशुल्क भूमि दी जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) स्थान एक स्वैच्छिक पेशकश इस आश्वासन के साथ प्राप्त हुई है कि आकाशवाणी को उसका अधिग्रहण में पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। इस बात का उल्लेख नहीं है कि भूमि का अन्तरण निःशुल्क किया जाएगा। आकाशवाणी के प्राधिकारियों द्वारा अपने मूल्यांकन पूरा कर लेने के बाद ही स्थान की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लिया जाएगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटितियों के सम्बन्धियों को हस्तांतरण

4039. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये आवासीय फ्लैटों को आवंटित अपने ऐसे व्यक्तियों को, जिनके साथ उसका खून का रिश्ता है और अन्य व्यक्तियों को हस्तांतरित कर सकता/सकती है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कोई ऐसी शर्तें निर्धारित की हैं जिसके अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गए आवासीय फ्लैटों को उपर्युक्त व्यक्तियों को हस्तांतरित किया जा सकता है;

(ग) यदि हां, तो इन शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) विलम्ब और असुविधा से बचने के लिए आवंटियों को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ी है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. खून के रिश्ते के भीतर अन्तरण के लिए

(i) इस आशय का शपथ पत्र कि न तो अन्तरिती और ना ही उसका पति/उसकी पत्नी अथवा आश्रित बच्चों के पास संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में कोई रिहायशी/प्लाट/फ्लैट/मकान नहीं है।

(ii) अन्तरिती को इस बात का लिखित प्रमाण पत्र देना होता है कि अन्तरिती के साथ उसका खून का रिश्ता है।

2. खून के रिश्ते से बाहर अन्तरण के लिए

(i) इस आशय का शपथ पत्र कि अन्तरिती या उसकी पत्नी/पति या किसी नाबालिग अथवा आश्रित बच्चों या आश्रित माता-पिता या आश्रित नाबालिग बहिनों और भाइयों जो सामान्य रूप से उसके साथ रह रहे हों, के पास संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अथवा पट्टा

आधार पर या फ्री होल्ड आधार पर कोई अपना रिहायशी प्लाट अथवा मकान न हो।

(ii) इस आशय की वचनबद्धता की अन्तरिती दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिक्री की अनुमति दिये जाने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण/भारत के राष्ट्रपति/सहकारी समिति से कोई अन्य लीज होल्ड प्लाट/फ्लैट नहीं अर्जित करेगा/खरीदेगा।

((iii) इस आशय की वचनबद्धता कि अन्तरिती दिल्ली विकास प्राधिकरण को भूमि की लागत में 50 प्रतिशत अनर्जित वृद्धि को वास्तविक अन्तरण की अनुमति देने से पूर्व अदा करेगा।

(iv) इस आशय की वचनबद्धता कि आवंटी ने प्रश्नगत फ्लैट के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति अथवा जो अन्तरिती इस फ्लैट की दखल में हैं, के हित में बिक्री के माध्यम से कोई मुख्तियारनामा न लिखाया गया हो।

(ख) आवंटी द्वारा निर्धारित शपथ पत्र और अथवा वचनबद्धता इत्यादि सहित एक आवेदन पत्र दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा जाना होता है।

दिल्ली में आयोजित श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

4040. श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी माई मावणि
श्री कुंवर राम
श्री अमर राय प्रधान
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1985 के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में श्रम मन्त्रियों की त्रिपक्षीय बैठक/सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के नाम, दर्जा और अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) उसमें हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सम्मेलन में कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं और उन पर निर्णय लिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (च) प्रश्न के भाग (क) में, आशय शायद भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन से है जो एक त्रिपक्षीय निकाय है। यह सम्मेलन 25 और 26 नवम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुआ था।

नियोजक और श्रमिक संगठनों तथा उनक प्रतिनिधियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जिन्होंने प्रतिनिधियों और सलाहकारों के रूप में सम्मेलन में भाग लिया। इनके अतिरिक्त राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों/विभागों ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया।

इस सम्मेलन ने विभिन्न मसलों के बारे में मतैक्य का प्रयास किया लेकिन उस संबंध में यह निर्णय हुआ कि श्रमिक और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों से टिप्पणियां प्राप्त होने के पश्चात ही मसौदे को अन्तिम रूप दिया जाए। सभी संबंधित पक्षों से टिप्पणियां अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। मतैक्य के बारे में रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने के पश्चात ही, इसे कार्यान्वित करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी। इस सम्मेलन में कोई प्रस्ताव पास नहीं किए गए।

सम्मेलन के विस्तृत कार्य-वृत्त को तैयार किया जा रहा है।

विवरण

नई दिल्ली में 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में भाग लेने वालों की सूची

नियोजक संगठन

1. काउन्सिल आफ इंडियन एम्पलायर्स

1.	श्री योगेन्द्र के० मोदी, ए० आई० ओ० ई०	प्रतिनिधि
2.	श्री केशव मोहिन्द्रा, अध्यक्ष, ई० एफ० आई०	"
3.	श्री एम० के० गर्ग, सदस्य, एक्ज्यूकीटिव बोर्ड,	"
	एस० सी० ओ० पी० ई०	"
4.	श्री ए० एस० कसलीवाल, उपाध्यक्ष, ए० आई० ओ० ई०	"
5.	श्री डी० डी० पुरी, उपाध्यक्ष, ई० एफ० आई०	"
6.	श्री सी० राजागोपालन, निदेशक, ए० एम० सी० ओ० बैट्रीज लिमिटेड	"
7.	श्री आर० के० गुप्ता, निदेशक, कोल इंडिया लि०	"
8.	श्री आई० पी० आनन्द, थापर हाउस	"
9.	श्री ओ० पी० धनुका, सदस्य, आई० एस० एम० ए० कमेटी, बेलसुन्द, सूगर कं०	"

10.	डा० राम एस० तरनेजा, प्रबन्ध निदेशक बेन्नत कोलमेन एण्ड कं०	प्रतिनिधि
11.	श्री एस० पी० सिंह, निदेशक (कार्मिक) बी० एच० ई० एल०	"
12.	श्री बी० एल० साहनी, अध्यक्ष, दिल्ली फैक्ट्री आनर्स फेडरेशन	"
13.	श्री पी० बी० घोष, एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लि०	"
14.	श्री आर० डी० गुप्ता, निदेशक (कार्मिक) नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०	"
15.	श्री जी० एन० पालरीवाला, मदान इन्डस्ट्रीज लि०, मेरठ	"
16.	श्री एस० डी० सिंह, प्रबन्ध निदेशक, इन्डियन आक्सीजन लि०, कलकत्ता	"
17.	श्री वारिस आर० किदवई, महासचिव, एस० सी० ओ० पी० ई०	"
18.	श्री प्राण नाथ	"
19.	श्री विनीत वीरमानी, प्रबन्ध निदेशक, ज्वाला फ्लोर मिल्स, दिल्ली	सलाहकार
20.	श्री बी० एम० सेठी, सचिव, ए० आई० ओ० ई०	"
21.	श्री वी० बी० महात्मे, कार्यकारी सचिव, ई० एफ० आई०	"
22.	श्री निजामुद्दीन अहमद, सलाहकार, एसोसिएशन आफ इंडियन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, बम्बई	"
23.	श्री मोहन एल० भारद्वाज, डेवलेपमेंट आफिसर आई० एल० ओ०/एस० आई० डी० ए० प्रोजेक्ट फार स्माल इन्टरप्राइजेज डिवलेपमेंट, ए० आई० ओ० ई०	"

24.	श्री बी० पी० गुप्ता, इन्डस्ट्रीयल-रिलेशन्स आफिसर, पी० एच० डी० चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, नई दिल्ली	सलाहकार
25.	कु० एन० हुमसा, सहायक सचिव, ए० आई० ओ० ई०, नई दिल्ली	"
26.	श्री ओ० महीपथी, 1-1-774, गांधी नगर	"
27.	श्री एच० एस० मलिक, चेयरमैन के कार्यपालक सहायक, मोहिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा लि०, बम्बई	" "
28.	श्री एस० के० मन्जू, सहायक सचिव, ए० आई० ओ० ई०, नई दिल्ली	"
29.	श्री सी० पी० पावस्कार, श्रम सलाहकार, बम्बई चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज, बम्बई	"
30.	श्री बी० जे० पन्नप्पा, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, एस० सी० ओ० पी० ई०, नई दिल्ली	"
31.	श्री बी० सी० प्रभाकर, सचिव, के० ई० एस० ए०, बंगलौर	"
32.	श्री एल० एन० वाही, सचिव, आई० एस० एम० ए०, नई दिल्ली	"
33.	श्री आर० एम० भन्डारी, निदेशक, शाव वल्लासी एण्ड कं० कलकत्ता	"
34.	श्री के० वी० रामचन्द्रन, उपाध्यक्ष, ई० आई० डी० पैरी कं० लि०, कलकत्ता	"
35.	श्री एन० कान्नन, उप सचिव, ई० एफ० आई०, मद्रास	"
36.	श्री एस० के० चटर्जी, महासचिव, आई० जे० एम० ए०, कलकत्ता	"
37.	श्री आर० सी० गुप्ता, निदेशक (पी०), गैस आथरटी आफ इन्डिया, नई दिल्ली	"
38.	श्री सुनील टन्डन	"

39.	श्री आर० दत्ता	सलाहकार

2. आल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन

1.	श्री पी० एम० पिल्लई, अध्यक्ष, ए० आई० एम० ओ०, बम्बई	प्रतिनिधि
2.	श्री ए० विश्वानाथन, कार्यपालक निदेशक, सिम्पसोन ग्रुप आफ कम्पनीज, मद्रास	सलाहकार
3.	प्रोफेसर बी० बी० कामथ, खजांची, ए० आई० एम० ओ०, बम्बई	"

श्रमिक संगठन

1. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस

1.	श्री जी० रामानुजम, सभापति, आई० एन० टी० यू० सी०, मद्रास	प्रतिनिधि
2.	श्री कान्ति मेहता, महासचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, कलकत्ता	"
3.	श्री बी० जी० गोपाल, उपाध्यक्ष, आई० एन० टी० यू० सी०, जमशेदपुर	"
4.	श्री संजीवा रेड्डी, उप-सभापति, आई० एन० टी० यू० सी०, हैदराबाद	"
5.	श्री सुब्रतो मुखर्जी, एम० एल० ए०, उप-सभापति आई० एन० टी० यू० सी०, कलकत्ता	"
6.	श्री एन० एम० अय्यान्ध्या, सभापति, आई० एन० टी० यू० सी०, कर्नाटक	"
7.	श्री हरिभाऊ नायक, महासचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, बम्बई	"
8.	श्री राजा कुलकर्णी, सभापति, इन्डियन नेशनल केमिकल वर्कर्स फेडरेशन, बम्बई	सलाहकार
9.	श्री एस० एल० पासी, सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, दिल्ली	"

10.	कु० ई० डी० सोउजा, सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, बम्बई	सलाहकार
11.	श्री राम लाल ठाकुर, सचिव, आई० एन० टी० यू० सी०, नई दिल्ली	"
12.	श्री लक्ष्मीनारायण, एम० पी०, सभापति, आई० एन० टी० यू० सी०, नई दिल्ली	"
13.	श्री राम यश सिंह, सभापति, आई० एन० टी० यू० सी०, लखनऊ	"
14.	श्री केशव एच० कुलकर्णी, महासचिव, एन० एफ० आई० आर०, नई दिल्ली	"
15.	श्री एस० एन० राव, सम्पादक, द इण्डियन वर्कर्स, नई दिल्ली	"
16.	श्री रवि आर्य, एम० एल० ए०, आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, आई० एन टी० यू० सी०	"

2. भारतीय मजदूर संघ

1.	श्री मनहर भाई मेहता, सभापति	प्रतिनिधि
2.	श्री जी० सदन शंकर लेन, कौदीविली, बम्बई	"
3.	श्री जी० प्रभाकर जनरल सेक्रेटरी, फेलिकसंपाल बाजार, मंगलौर	"
4.	श्री राजकृष्णन भक्त, सचिव, बी० एम० एस०, नई दिल्ली	"
5.	श्री टी० सी० जुनाडे, सचिव, अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ, नागपुर	"
6.	श्री ओ० पी० आघी, आर्गनाइजिंग सेक्रेटरी, एल० एम० एस०, नई दिल्ली	"
7.	श्री राम प्रकाश मिश्रा, बी० एम० एस०, कानपुर	सलाहकार
8.	श्री डब्ल्यू० एस० मितकारी, टी-15, अतुल ग्रोव, नई दिल्ली	"
9.	श्री राज कुमार गुप्ता, एल० एम० एस०, नई दिल्ली	"

10.	श्री अमर नाथ डोगरा, उप-सभापति	सलाहकार
11.	श्री बी० एन० सेठया, वित्त सचिव	"

3. हिन्द मजदूर सभा

1.	श्री आर० के० समन्तराय, सभापति, एच० एम० एस०, राउरकेला	प्रतिनिधि
2.	श्री एस० आर० कुलकर्णी, कार्यकारी अध्यक्ष, एच० एम० एस० बम्बई	"
3.	श्री उमरावमल पुरोहित, महासचिव, एच० एम० एस०, बम्बई	"
4.	श्री थम्पन थोमस, एम० पी०, सचिव, एच० एम० एस०, कोचीन	सलाहकार
5.	श्री वीरेश्वर त्यागी, सचिव, एच० एम० एस०, मेरठ	"
6.	श्री वसन्त गुप्ता, सचिव, एच० एम० एस०, बम्बई	"

4. यूनाइटिड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस (एल० एस०)

1.	श्री प्रीतिश चन्दा, महासचिव	प्रतिनिधि
2.	श्री ज्ञान सिंह, उपाध्यक्ष	"
3.	श्री फतिक घोष, सचिव	सलाहकार
4.	श्री तपस लता, सचिव	"

5. नेशनल लेबर आर्गेनाइजेशन

1.	श्री एन० एम० बरोट, सभापति	प्रतिनिधि
2.	श्री डी० के० पटेल, महासचिव	सलाहकार

6. यूनाइटिड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस

1.	श्री अनिल दास चौधरी, सचिव	प्रतिनिधि
2.	श्री प्रोतुल चौधरी, सचिव	सलाहकार

7. ट्रेड यूनियन कोआरडीनेशन सेन्टर

1.	श्री रामकृष्ण मजूमदार, एम० पी० एण्ड उपाध्यक्ष, टी० यू० सी० सी०	प्रतिनिधि

2.	श्री राजेन्द्र कुमार शास्त्री, आफिस सेक्रेटरी	सलाहकार

8. आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस

1.	श्री इन्द्रजीत गुप्ता, एम० पी०, महासचिव	प्रतिनिधि
2.	श्रीमती पारवती कृष्णन, सचिव	सलाहकार

9. सेन्टर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन

1.	श्री एम० के० पांडे	प्रतिनिधि
2.	श्री पी० के० गांगुली	सलाहकार

[हिन्दी]

केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

4041. श्री आर० पी० सुमन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने केन्द्रीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं और इन में से प्रत्येक संस्थान में अब तक कुल कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को सेवा में लिया गया है और यदि किसी को भी नहीं लिया गया है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रोजगार देने में इन संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को प्राथमिकता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 5 उच्च प्रशिक्षण संस्थान, एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान एक राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान और दो क्षेत्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जहां अनुदेशकों संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। अभी तक इन संस्थानों से 28,540 प्रशिक्षणार्थी उत्तीर्ण हो चुके हैं।

(ख) इन संस्थानों में प्रशिक्षित किए गए अधिकांश प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी तथा निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाता है और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे संस्थानों में वापिस चले जाते हैं।

(ग) और (घ) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुदेशकों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उपर्युक्त संस्थानों में अनु-

देशकों संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करें यदि उन्होंने यह प्रशिक्षण पहले प्राप्त न किया हो।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय स्टेडियमों में शराब के विज्ञापन

4042. डा० जी० विजय रामाराव : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या शराब बनाने वाली कम्पनियां राष्ट्रीय स्टेडियमों में बैगपाइपर सोडा, डिप्लोमेट सोडा, मैक डोवल सोडा आदि के विज्ञापन बोर्ड आदि लगाकर विज्ञापन पर लगे प्रतिबंध को तोड़ रही हैं, जिन्हें अक्सर दूरदर्शन पर दिखाया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के चोरी छिपे विज्ञापनों पर शीघ्र पूर्ण प्रतिबन्ध लगायेगी;

(ग) क्या इस विषय पर सी० ई० आर० सी०, हैदराबाद से कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) स्टेडियमों तथा खेल मैदानों पर विज्ञापन और होर्डिंग खेलों के आयोजनों द्वारा लगाये जाते हैं। दूरदर्शन अपने स्पाट कवरेजों की गुणवत्ता का त्याग किये बिना इस प्रकार के विज्ञापनों से यथासंभव बचता है। तथापि, कभी-कभी इस प्रकार के विज्ञापनों से उनके ऐसे स्थानों, जिन पर दूरदर्शन का कोई नियन्त्रण नहीं है, पर रखे जाने के कारण बचना असंभव हो जाता है।

(ख) यदि इस प्रकार के विज्ञापनों को शराब पर विज्ञापन समझा जाता है तो उन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकारों का काम है। इसके अलावा, खेल/मैच की व्यवस्था करने वाले आयोजक भी इस प्रकार के विज्ञापनों की अनुमति न देने के बारे में निर्णय ले सकते हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

कमान क्षेत्र परियोजना में कांस का उन्मूलन

4043. श्री महेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमान क्षेत्र परियोजना में कांस (झाड़) की समस्या उत्तरोत्तर गम्भीर होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके उन्मूलन के लिए कोई योजना तैयार की है और यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और उसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उसके उन्मूलन के लिए राज्यों का 120 या अधिक अश्व शक्ति के हल युक्त जंजीर वाले ड्रेजर उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो कब तक ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आमतौर पर कांस नाम से ज्ञात और वनस्पति विज्ञान में सेकेरम स्पोन्टेनियम नाम से परिचित कांस खरपतवार की समस्या भारत में काफी समय से है। इसकी विकट समस्या के बारे में किसी कमान क्षेत्र विकास परियोजना ने कोई रिपोर्ट नहीं की है।

(ख) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुये प्रश्न नहीं उठता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कांस (सेकेरम स्पोन्टेनियम) सहित खरपतवार के नियंत्रण पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना कार्य को उपयुक्त ढंग से सुदृढ़ किया जा रहा है।

(ग) कमान क्षेत्र विकास योजनाओं में इसके उन्मूलन के लिए मशीनरी का उपयोग करने की कोई स्कीम नहीं है।

[अनुवाद]

चीनी के उत्पादन में वृद्धि

4044. **श्री आनन्द सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 में चीनी का उत्पादन गत वर्ष के इसी माह में हुए चीनी के उत्पादन की तुलना में काफी अधिक था, यदि हां, तो 1985-86 और 1984-85 के प्रथम चीनी माह के दौरान चीनी उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ख) नवम्बर, 1985 में चीनी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है तथा गत वर्ष के इसी माह में हुये चीनी के उत्पादन की तुलना में यह कितना है; और

(ग) 1985-86 के चीनी सीजन में चीनी के अनुमानित उत्पादन में गत वर्ष की इसी अवधि में हुये चीनी के उत्पादन की तुलना में कितनी वृद्धि होने की संभावना है तथा इस वर्ष चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गये हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) और (ख) जी, हां। 1984-85 मौसम के दौरान अक्तूबर और नवम्बर, 1984 के महीनों में हुए चीनी के

उत्पादन को तुलना में अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के महीनों के दौरान हुआ चीनी का उत्पादन इस प्रकार है : —

(लाख मीटरी टनों में)

मास	1985-86	1984-85
अक्तूबर	0.44	0.19
नवम्बर	5.89	4.48

(ग) चालू मौसम 1985-86 के दौरान चीनी का उत्पादन लगभग 65 लाख मीटरी टन होने का अनुमान है जबकि 1984-85 मौसम में 61.43 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था। चालू मौसम 1985-86 के दौरान चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विशिष्ट उपाय किए हैं, यथा (1) 1985-86 मौसम के लिए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य को 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 14.00 रुपये से बढ़ाकर 16.50 रुपये प्रति क्विंटल करना और गन्ने के संशोधित सांविधिक न्यूनतम मूल्य के आधार पर लेवी चीनी का निकासी मूल्य निर्धारित करना, (2) 1986-87 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर गन्ने के 17.00 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम सांविधिक मूल्य की अग्रिम रूप से घोषणा करना, (3) अक्तूबर और नवम्बर, 1985 के दौरान अधिक उत्पादन करने के लिए उत्पाद शुल्क में छूट देना; (4) खुली बिक्री की चीनी के अपेक्षाकृत अधिक कोटे द्वारा उत्पाद शुल्क की रियायती दर द्वारा नई चीनी फैक्ट्रियों/विस्तार परियोजनाओं को प्रोत्साहन देना; (5) 1-10-1955 से पूर्व स्थापित किए गए 1250 टी०सी०डी० से कम क्षमता वाले कमजोर यूनिटों के लिए 1985-86 के दौरान 26/-रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त लेवी मूल्य को जारी रखना, आदि।

खाद्य तेलों की खपत

4045. श्री मुरलीधर माने : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त में खाद्य तेलों की खपत के संबंध में कोई आंकलन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां।

(ख) कृषि मन्त्रालय के सातवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक तिलहनों के अनुमानित उत्पादन को ध्यान में रखते हुये, नागरिक पूर्ति विभाग में खाद्य तेलों के संबंध में गठित उप-दल ने खाद्य

तेलों की प्रति व्यक्ति खपत के बारे में निर्धारण किया है। उप दल के अनुसार सातवीं योजना की समाप्ति तक प्रति व्यक्ति, प्रति वर्ष लगभग 7.5 कि० ग्रा० खाद्य तेल की खपत होने का अनुमान है।

शेख सराय-चरण-दो नई दिल्ली में चार मंजिले कार्माशियल कम्प्लेक्स में बैंक के लिए स्थान

4046. श्री मुकुल वासनिक : क्या शहरी विकास मंत्री शेख सराय चरण-दो में चार—मंजिले कार्माशियल कम्पलैक्स में बैंक के लिए स्थान के बारे में 22 अप्रैल, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख सराय चरण-दो, नई दिल्ली में चार—मंजिले कम्पलैक्स में बैंक खोलने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) यदि बैंक के लिए रखा गया स्थान अभी तक खाली है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रयोजन के लिए भारी लागत से निर्मित स्थान के अप्रयुक्त रहने से होने वाली किराया राजस्व की हानि को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) बैंक के लिए विशेष रूप से निर्मित स्थान में बैंक न खोलने के कारण उस क्षेत्र के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 96-21 वर्ग मीटर माप का कार्यालय फ्लैट नं० 1 शेख सराय, चरण-II में स्थानीय विपणन केन्द्र में बैंक के लिए उद्दिष्ट है तथा किसी भी बैंक को आवंटित नहीं किया गया है क्योंकि किसी भी बैंक, जिसको भारतीय रिजर्व बैंक ने कोई शाखा खोलने के लिए लाइसेंस जारी किया हो, ने फ्लैट के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्पर्क नहीं किया है।

(ख) तथा (ग) इस क्षेत्र में शाखा चलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस धारक बैंकों से विज्ञापन के जरिये आवेदन पत्र आमन्त्रित करके इस स्थान को आवंटित करने के उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आकाशवाणी के रांची केन्द्र की क्षमता बढ़ाना

4047. श्री शिव प्रसाद साहु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी, रांची की क्षमता 10 मेगावाट से 100 मेगावाट तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव था और इस कार्य के अगस्त, 1985 तक पूरा होने की आशा थी; और

(ख) यह कार्य अभी तक पूरा न करने के क्या कारण हैं और किस समय तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना की स्कीम आकाशवाणी के रांची ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करने की थी। ट्रांसमीटर के लगाने का काम पूरा हो चुका है। उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से बिजली की सप्लाई का कनेक्शन प्राप्त न होने के कारण यह अभी चालू नहीं हुआ है। तथापि, इस ट्रांसमीटर को 1985-86 के दौरान चालू करने का लक्ष्य है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

4048. **श्री गौरी शंकर राजहंस** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार तथा राज्य की सेवाओं से दिल्ली विकास प्राधिकरण में कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर आए हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या क्या है जो एक से अधिक बार प्रतिनियुक्ति पर आये हैं; और वे कितनी अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं;

(ग) ऐसे मामलों के लिए प्रतिनियुक्ति के नियम क्या हैं;

(घ) क्या इन लोगों का बार-बार प्रतिनियुक्ति पर आना नियमों तथा दिशा-निदेशों के अनुसार हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 327 (1983 के दौरान 136, 1984 के दौरान 106 और 1985 के दौरान 85)।

(ख) छह, जिसके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

1.	श्री बी०के०मल्होत्रा आयुक्त (आवास)	(i) फरवरी, 68 से जुलाई 73 तक (ii) जनवरी, 77 से अक्टूबर, 80 तक (iii) 8-12-83 से अब तक

2.	श्री पी० कृष्णनन, मुख्य इन्जीनियर (कोटि नियंत्रण)	(i) जुलाई, 72 से अप्रैल, 77 तक (ii) 25-6-85से अब तक
3.	श्री एस० एम० अग्रवाल, मुख्य इंजीनियर (डब्ल्यू)	(i) अप्रैल, 77 से फरवरी, 79 तक (ii) जून, 83 से अब तक
4.	श्री एस० ए० अली, उच्च श्रेणी लिपिक (वित्त स्कंध)	(i) 12-1-70 से 28-9-75 तक (ii) 1-6-77 से अब तक स्थायी रूप से खपाने का उनका मामला उपाध्यक्ष के पास विचाराधीन है।
5.	श्री के० डी० मदान उच्च श्रेणी लिपिक (वित्त स्कंध)	(i) 9-7-68 से फरवरी, 73 तक (ii) 5-7-79 से 3-1-85 तक
6.	श्री एम० एल० बुद्धिराज, उच्च श्रेणी लिपिक/लेखाकार (वित्त स्कंध)	(i) फरवरी, 69 से नवम्बर, 71 तक (ii) 16-2-81 से 25-2-85 तक

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति के उन्हीं नियमों एवं अनुदेशों का पालन कर रहा है जैसा कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू हैं।

(घ) मार्ग निर्देशनों का कोई उल्लंघन नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल विकास बोर्ड का पुनर्गठन

4049. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल विकास बोर्ड का पुनर्गठन करने और उसे अधिक शक्तियां प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) नारियल विकास बोर्ड का पहले ही विधिवत गठन किया जा चुका है। इसको पहले ही पर्याप्त अधिकार दिये गये हैं ताकि यह अपना कार्य पूरा कर सके।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट आबंटन की योजना

4050. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को गाजियाबाद में फ्लैट आवंटित करने की एक नई योजना की हाल ही में घोषणा की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की तरह दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार भी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए निकट भविष्य में इसी प्रकार की योजना की घोषणा करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पुरानी दिल्ली को आधुनिक शहर में बदलना

4051. श्री अजीज कुरेशी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अतीत में पुरानी दिल्ली को एक आधुनिक शहर में बदलने हेतु "शाहजहां आबाद" नामक कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव की क्रियान्विति में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या उनका मन्त्रालय पुरानी दिल्ली और वहां के लोगों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देगा और इसे एक आधुनिक शहर का रूप देने के बारे में एक प्रभावी नई योजना तैयार करेगा अथवा "शाहजहां आबाद" प्रस्ताव का पुनरीक्षण करेगा;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके परम्परागत स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए पुरानी दिल्ली के सुनियोजित विकास का एक प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव दिल्ली की बृहत योजना में विस्तृत संशोधन के रूप में है जिसके अनुमोदन के लिए समय-समय पर यथा संशोधित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार कार्यवाही जारी है।

"स्थापन" "कर्मकार" और "वेतन" की समान परिभाषा तैयार करना

4052. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न श्रमिक अधिनियमों में "स्थापन" "कर्मकार" और "वेतन" की परिभाषा में व्यापक अंतर है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई एकरूपता लाने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) यह सही है कि विभिन्न श्रम अधिनियमों में "प्रतिष्ठान" "कर्मकार" और "वेतन" शब्दों की वर्तमान परिभाषाएं अलग-अलग हैं क्योंकि विभिन्न श्रम अधिनियमों के उद्देश्य अलग-अलग हैं।

(ख) यह एक सतत प्रक्रिया है और प्रत्येक मामले की आवश्यकताओं को देखते हुए, विभिन्न अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश

4053. श्री के० राममूर्ति : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन के लिए यदि कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

(ख) क्या विज्ञापन दाताओं द्वारा ऐसे दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कोई मामले सरकार के ध्यान में आए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उल्लंघन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन दूरदर्शन की "वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता" से विनियमित होते हैं। मोटे तौर पर इसमें यह व्यवस्था है कि विज्ञापन देश के कानूनों के अनुरूप होने चाहिए तथा उनको लोगों की नैतिकता, शालीनता और धार्मिक भावनाओं को क्षुब्ध न करना चाहिए।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, कुछ मामलों में दूरदर्शन द्वारा स्वयं कुछ कमियां देखी गई थीं और सुधार हेतु उनको तत्काल एजेंसियों के ध्यान में ला दिया गया था।

कृषकों के लिए भाण्डागार विस्तार सेवा योजना

4054. श्री मूल चन्द डागा : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं, जिन्होंने वर्ष 1978-79 में शुरू की गई कृषकों के लिए भाण्डागार विस्तार सेवा योजना का उपयोग किया है और 31 मार्च, 1985 तक के तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इनके कार्यकरण से सन्तुष्ट है, यदि नहीं, तो योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के अन्तर्गत किसानों को प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि के ऋण दिए गए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1979-80 में, निगम 11 भांडागारों से किसान विस्तार सेवा योजना चला रहा था। इस समय वह 75 भांडागारों से यह योजना चला रहा है इस योजना के अन्तर्गत लाभ उठाने वाले लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इनकी संख्या 1979-80 में 7,865 थी जोकि 1984-85 में बढ़कर 58,803 हो गई है। निगम को परामर्श दिया गया है कि वे इस योजना में यथा व्यवहार्य और विस्तार करने उसे लोकप्रिय बनाने के लिए आवश्यक पग उठाएं।

(ग) इस योजना के अन्तगत निगम द्वारा कोई ऋण नहीं दिया जाता है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	किसान विस्तार सेवा योजना के अधीन शिक्षित किए गए किसानों की संख्या					
		1979-80	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	1984-85
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	आंध्र प्रदेश	666	391	1228	772	1569	4739
2.	बिहार	39	33	—	—	12	258
3.	गुजरात	65	147	330	176	1712	2243

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	हरियाणा	458	1171	4089	1460	3854	5196
5.	कर्नाटक	—	—	—	—	54	123
6.	केरल	—	—	—	—	16	546
7.	मध्य प्रदेश	1	5	6	19	800	3061
8.	महाराष्ट्र	1028	775	—	62	957	13663
9.	पंजाब	4231	2362	8280	1153	2772	2573
10.	राजस्थान	96	250	385	180	1194	1228
11.	तमिलनाडु	174	183	376	6	497	2569
12.	त्रिपुरा	—	—	4	53	172	42
13.	उत्तर प्रदेश	594	1137	1133	1447	2688	21457
14.	पश्चिम बंगाल	513	361	—	15	966	1105
	जोड़	7865	6815	15831	5343	17263	58803

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रीतमपुरा में प्लाटों की नीलामी

4055. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 सितम्बर, 1985 के नवभारत टाइम्स में प्रीतमपुरा में प्लाटों की नीलामी के बारे में "अफसरों से मिलो, प्लाट सस्ते लो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह कहना सही नहीं है कि अधिकारियों के सम्पर्क स्थापित करके कोई सस्ती

दरों पर प्लाट प्राप्त कर सकता है। 8-2-1985 को हुई नीलामी में प्राप्त प्रीतमपुरा रिहायशी योजना में प्लाटों की उच्चतम बोलियां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में प्रचालित मार्किट दरों को दृष्टि में रखते हुए कम समझी गई थीं अतः इन बोलियों को रद्द कर दिया गया था। तथापि, कतिपय बोली दाताओं से उनकी बोली रद्द किए जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा इस मामले पर पुनर्विचार किया जा रहा है।

ओखला सब्जी मन्डी की योजना

4056. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 सितम्बर, 1985 के दैनिक नवभारत टाइम्स में "ओखला सब्जी मण्डी की योजना खटाई में" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ओखला सब्जी मण्डी में उपलब्ध दुकानें फल मण्डी, दरियागंज के व्यापारियों को आबंटित की जानी हैं इसलिए उनकी नीलामी नहीं की जा सकती है। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्किटिंग बोर्ड ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही के लिए फूल मण्डी, दरियागंज के वर्तमान दखलकारों की सत्यापित सूचियां भेजी हैं।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

मजदूरों द्वारा फफूंद लगे गेहूं को उतारने से इन्कार किया जाना

4057. श्री एच० एम० पटेल : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंगलौर पत्तन और रेलवे यार्ड पर परिवहन मजदूरों ने गेहूं के भंडार को उतारने से इंकार कर दिया है क्योंकि इसमें फफूंद पड़ गई है;

(ख) क्या मजदूरों ने यह आरोप लगाया है कि यदि इस प्रकार के भंडार को उपभोक्ताओं में वितरित करने की अनुमति दी गई तो यह निश्चय ही स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होगा;

(ग) क्या यह सच है कि गेहूं का यह भंडार पंजाब से आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के श्रमिकों ने मंगलौर माल शैड में अत्यधिक खपरा जन्तुबाधा होने के कारण भारतीय खाद्य निगम के गेहूं से लदे हुए कुछेक वैगनों से गेहूं का उतरान करने से इंकार कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं, । ऐसा स्टाक उपभोक्ताओं को नहीं दिया जाता है क्योंकि केवल खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमों के अनुरूप स्टाक ही उपभोक्ताओं को दिया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रेस परिषद द्वारा तैयार की गई प्रारूप आचार संहिता

4056. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेस परिषद ने प्रेस के सहयोग से अब तक कोई प्रारूप आचार संहिता तैयार की है?

(ख) क्या प्रेस परिषद ने किसी लज्जाजनक/अपमान जनक/अभिप्रेरित/उप्रेरित और गलत रिपोर्टों के लिए स्वयं ही कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 13(1) और 2(ख) के अन्तर्गत प्रेस परिषद को "उच्च व्यावसायिक स्तरों के अनुसार समाचारपत्रों, समाचार एजेंसियों और पत्रकारों के लिए आचार संहिता" बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। परिषद ने जो न्याय निर्णय दिए हैं, उनके आधार पर उसने एक केस—ला का एक संग्रह प्रकाशित किया है।

(ख) जी, हां।

(ग) ये केस निम्नलिखित हैं :—

(i) 6 अप्रैल, 1980 को "सण्डे स्टैंडर्ड" में "ट्रेजेडी दैट स्ट्रक बाम्बे कपल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार कहानी।

(ii) तीन समाचार पत्रों अर्थात "समाज", "प्रजातंत्र" और "मातृभूमि" के कार्यालयों पर हमला करने और लगभग 150 गुण्डों द्वारा पत्रकारों को अपमानित करने के बारे में मार्च, 1981 में समाचारपत्र की रिपोर्टें।

(iii) 29-4-1984 को सण्डे आब्जर्वर में "दि प्रेजीडेन्ट्स विजिट" शीर्षक से प्रकाशित एक लेख।

मछली पकड़ने की गतिविधियों का विनियमन

4059. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न तटवर्ती क्षेत्रों में पारम्परिक मछुआरों और यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं के बीच मछली पकड़ने के क्षेत्र, मछली पकड़ने के मौसम और समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी अन्य बातों को लेकर टकराव है; और

(ख) क्या सरकार का विचार देश में मछली पकड़ने को विनियमित करने के लिए कोई व्यापक कानून लाने का है जिससे कि पारम्परिक मछुआरों की समस्याओं को दूर किया जा सके ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय कानून लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत सरकार ने 1979 में सभी समुद्री राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समुद्री मत्स्यन विनियमन पर एक माडल विधेयक बनाने की सिफारिश की है, जिससे उन्हें पारंपरिक मछुआरों, यंत्रीकृत नौकाओं और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के प्रचालन क्षेत्र निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त होगा। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गोवा, दमन और दीप की सरकारों ने इस सम्बन्ध में उपयुक्त कानून पहले ही बना लिया हैं। केन्द्रीय सरकार ने शेष समुद्री राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे भी इसी प्रकार का कानून बनायें।

रबी की फसल का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए गुजरात कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशें

4060. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात कृषि मूल्य आयोग ने केन्द्र से सिफारिश की है कि वर्ष 1986-87 के विपणन मौसम के लिए रबी की फसल अर्थात गेहूं, चना, सरसों, जीरा आदि की प्रति क्विंटल उत्पादन लागत में 20% की वृद्धि करके इनका समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए;

(ख) क्या सरकार को राज्य सरकार/गुजरात कृषि मूल्य आयोग से ऐसी सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1986-87 के विपणन मौसम के लिए इन वस्तुओं का समर्थन मूल्य निर्धारित करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गुजरात सरकार ने वर्ष 1985-86 की फसलों के लिए गेहूं, चना, तोरिया समर्थन मूल्य के सम्बन्ध में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग को सुझाव दिया था। सुझाए गए मूल्य राज्य सरकार द्वारा बतायी गई, असिंचित गेहूं, जिसके लिए उत्पादन की लागत मांगे गए मूल्य की अपेक्षा अधिक है, को छोड़कर इन फसलों के उत्पादन की अनुमानित लागत की तुलना में 20% से अधिक हैं।

(ग) और (घ) गेहूं, चना तथा तोरिया और सरसों की 1985-86 की फसलों, जो 1986-87 में बेची जाएंगी, के सम्बन्ध में मूल्य नीति पर सरकार विचार कर रही है। सफेद जीरे के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

4061. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कुल कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं;

(ख) इन संस्थानों में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कितने व्यक्तियों को प्रति वर्ष प्रशिक्षित किया जा रहा है; और

(ग) क्या प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन व्यक्तियों को विभिन्न ट्रेडों में रोजगार उपलब्ध करने के लिए कोई अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) 31-7-1984 को 1447

(ख) 2.64 लाख।

(ग) उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे रोजगार प्राप्त करने के लिए रोजगार कार्यालय में अपने नाम दर्ज करायें। कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए अपने क्षेत्रों में उद्योगों से सम्पर्क करते हैं।

डेरी सहकारी समितियां

4062. **श्री श्रीहरि राव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 35,000 के लगभग डेरी सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी समितियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इससे दूध के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) दूध के उत्पादन में वृद्धि हो जाने पर भी उसका मूल्य बढ़ जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सितम्बर, 1985 तक देश में आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में 46081 (अन्तरिम) दुग्ध उत्पादकों की सहकारी समितियां संगठित की जा चुकी हैं, जिनमें से 39,488 आनन्द डेरी की तरह हैं। राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन समितियों में दुग्ध उत्पादन में की गई वृद्धि की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए कोई पृथक अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, अनुमान है कि देश में विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित और राज्य प्लान योजनाओं, जिनमें आपरेशन फ्लड कार्यक्रम भी शामिल है, के असर से दुग्ध उत्पादन 1968-70 में 216.00 लाख मीटरी टन से बढ़कर 1984-85 में 387.40 लाख मीटरी टन हो गया है।

(ग) पिछले वर्षों में सभी पदार्थों के मूल्य में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप (1) फार्म स्तर पर दुग्ध उत्पादन की लागत बढ़ गई है, (2) ग्रामीण दुग्ध ढुलाई में उपरिव्यय में वृद्धि हुई है, (3) ठण्डा करने वाले/परिसंस्कृत करने वाले संयंत्रों के संचालन खर्चों में वृद्धि हुई है और (4) विपणन और वितरण सम्बन्धी उपरिव्यय में भी वृद्धि हुई है। चूंकि दुग्ध उत्पादक भी अन्य वस्तुओं का उपभोक्ता होता है, इसलिये अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से दुग्ध उत्पादक को अधिक खर्च करना पड़ता है तथा इस युक्तिसंगत कारण से किसान दूध सहित कृषि ,उत्पादों के उच्चतर मूल्य की मांग करने पर विवश हो जाता है।

विवरण

30 सितम्बर, 1985 की स्थिति के अनुसार दुग्ध उत्पादक सहकारी सोसायटियों की राज्यवार संख्या का विवरण

राज्य	ग्रामीण डेयरी सहकारी संस्थायें संगठित आनन्द की तरह से	अन्य
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2879	8
असम	125	—
बिहार	830	—
गुजरात	8092	482
हरियाणा	2626	79
हिमाचल प्रदेश	96	31
जम्मू व कश्मीर	103	13

1	2	3
कर्नाटक	2535	25
केरल	484	452
मध्य प्रदेश	2012	—
महाराष्ट्र	3096	4580
उड़ीसा	302	2
पंजाब	3989	—
राजस्थान	3529	144
सिक्किम	112	—
तमिलनाडु	4522	447
त्रिपुरा	65	35
उत्तर प्रदेश	2902	295
पश्चिम बंगाल	1043	—
गोआ, दमन और दीव	58	6
अन्डमान व निकोबार	20	—
पाण्डिचेरी	58	4

गैस का रिसाव

4063. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री शरद दिघे
प्रो० पी० जे० कुरियन
डा० कृपा सिन्धु भोई
श्री अमर सिंह राठवा

: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन शहरों के नाम और संख्या कितनी है जिनमें पिछले दस महीनों के दौरान भोपाल की तरह गैस रिसी है;

(ख) इनसे कितने लोग मरे हैं और प्रभावित हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अन्जैया) : (क) से (ग) गैस रिसाव के कारण हुई औद्योगिक दुर्घटनाओं को मानिटर करना राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। केन्द्रीय सरकार दिशा-निर्देश जारी करती है और समुचित कार्रवाई के लिए उन सरकारों के लिए मॉडल नियमों तथा अनुसूचियों की सिफारिश करती है।

सरोजनी नगर, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में वाश बेसिन, सिंक, शीशा आदि लगाना

4064. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सरोजनी नगर, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों का कई वर्ष पहले दर्जा "ख" श्रेणी से बढ़ाकर "ग" श्रेणी कर दिया गया था परन्तु अन्य कालोनियों में "ग" श्रेणी के क्वार्टरों में प्रदान की जाने वाली वाश बेसिन, सिंक, शीशा आदि की सुविधाएं यहां के अलाटियों को अभी तक प्रदान नहीं की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये सुविधाएं प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरोजनी नगर के क्वार्टरों का टाइप "सी" क्वार्टरों के रूप में पुनः वर्गीकरण कुर्सी क्षेत्रफल को ध्यान में रखकर किया गया था। वाश बेसिन, सिंक, दर्पण आदि जैसी सुविधाएं पुराने क्वार्टरों में वित्तीय जटिलताओं के कारण मुहैया नहीं कराई गई हैं।

अहमदाबाद दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों का प्रसारण

4065. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में नया दूरदर्शन केन्द्र स्थापित होने के बाद कार्यक्रमों में कोई परिवर्तन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या अन्य केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तरह इस केन्द्र से गुजराती भाषा में कोई कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है;

(ग) क्या उन कार्यक्रमों के चयन के लिए कोई स्थानीय सलाहकार समिति है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी कौन-सी अड़चनें और कमियां हैं जिनके कारण अहमदाबाद दूरदर्शन के कार्यक्रम अपेक्षित स्तर के नहीं हो पाए हैं और इसके लिए क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) अहमदाबाद में उच्च शक्ति (10 कि० वा०) वाले ट्रांसमीटर के 25-7-85 को चालू हो जाने के बाद पिज स्थित 1 कि० वा० वाले ट्रांसमीटर से पहले प्रेषित किए जाने वाले कार्यक्रमों की विषयवस्तु या फारमेट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अहमदाबाद में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से पिज से पहले टेलीकास्ट होने वाले कृषि विकास कार्यक्रम, जो केवल खेड़ा जिले के लिए ही थे, अब खेड़ा जिले के परियोजना क्षेत्र सहित अधिक बड़े क्षेत्र में उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ) दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद अभी स्टुडियो ढांचे से सुसज्जित नहीं है। इस समय अन्तरिक्ष उपयोग केन्द्र द्वारा निर्मित कृषि विकास कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद के अन्तरिम ढांचे द्वारा तैयार किए गए क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन, सामयिक मामलों के कार्यक्रम और मनोरंजन कार्यक्रम भी गुजराती भाषा में उच्च शक्ति वाले नए ट्रांसमीटर पर प्रतिदिन प्रस्तुत किए जाते हैं। विकास कार्यक्रम अनन्य रूप से विकास और शिक्षा संचार यूनिट द्वारा ही विशेषज्ञों और राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/एजेंसियों की सलाह से बनाए जाते हैं। दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद में कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन केन्द्र के 1986-87 तक पूर्णरूपेण केन्द्र बन जाने के बाद ही किया जाएगा। पूर्णरूपेण स्टुडियो केन्द्र के चालू हो जाने पर उस केन्द्र द्वारा टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की विषयवस्तु, गुणवत्ता, अवधि, आदि में सुधार होने की आशा है।

[हिन्दी]

"इफको" को भारी जल की आवश्यकता

4067. **श्री रामपूजन पटेल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफको को फूलपुर, उत्तर प्रदेश में भारी जल की आवश्यकता है; और

(ख) यदि, हां, तो भारी जल की कितनी मात्रा की आवश्यकता है तथा उस पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को भेजे गये गेहूं की वापसी

4068. **श्री सुरेश कुरुप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों को भेजा गया गेहूं इसकी खराब किस्म के कारण वापस भेज दिया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए उचित सावधानी बरती जाएगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा घटिया दर्जे के फ्लैटों का निर्माण

4069. **श्रीमती प्रभावती गुप्ता** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने वाले फ्लैटों में सीमेंट के बजाय रेता की मात्रा अधिक होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

टेलीटेक्स सेवा

4070. **श्री बी० बी० देसाई**
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन की उपभोक्ता उन्मुख टेलीटेक्स सेवा का 14 नवम्बर, 1985 को उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त टेलीटेक्स सेवा का मुख्य प्रयोजन क्या है;

(ग) जनता और दूरदर्शन के लिए सहयोजना कहां तक लाभकारी होगी; और

(घ) दूरदर्शन द्वारा अपने कार्यकरण में और सुधार लाने के लिए अन्य किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) टेलीटेक्स्ट सेवा का उद्देश्य विस्तृत तथा अद्यतन सूचना (खेल समाचारों, वस्तुओं के मूल्य, शेयरों के मूल्य, एक्सचेंज की दरें, आदि जैसे वित्तीय समाचारों सहित), मौसम सम्बन्धी सूचना, रेलों तथा विमान उड़ानों के समय, पर्यटन रुचि की सूचना, आदि उपलब्ध करना है। इसे डिकोन्डरों की सहायता से रंगीन टी०वी० सेटों के पर्दे पर सामान्य टी०वी० तस्वीर के स्थान पर या उसे अध्यारोपित करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, दर्शक अपनी इच्छा पर बड़े पैमाने पर विविध अद्यतन सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली की टेलीटेक्स्ट सेवा फिलहाल परीक्षण स्वरूप की है। और सुधार दर्शकों की प्रतिक्रियाओं तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

जम्मू तथा काश्मीर में आटा मिलों की स्थापना

4071. **प्रो० सैफुद्दीन सोज** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में आटा मिल स्थापित करने की अनुमति दी थी;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान जम्मू तथा काश्मीर राज्य में कितने आटा मिल चलाये जाने की अनुमति दी थी; और

(ग) यह मिल कहां-कहां स्थापित हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) इस समय नई रोलर फ्लोर मिलें स्थापित करने की इजाजत नहीं दी जा रही है।

(ख) सामान्य नीति में ढील देकर जम्मू और कश्मीर में 30 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता का केवल एक यूनिट स्थापित करने की इजाजत दी गई है।

(ग) यह यूनिट कश्मीर घाटी में स्थित सोपोरे में लगाया जा रहा है।

हल्दिया फर्टिलाइजर काम्पलैक्स में दुर्घटनाएं

4072. श्री सतीश चन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ महीनों के दौरान हल्दिया फर्टिलाइजर काम्पलैक्स में हुई दुर्घटनाओं की जांच की गई है;

(ख) यदि हां तो जांच निष्कर्ष क्या है;

(ग) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें दुर्घटनाओं की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है;

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिनमें तोड़-फोड़ की संभावना है;

(ङ) काम्पलैक्स में किसी भी तोड़-फोड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह): (क), (ख) और (घ) यद्यपि गत चार महीनों के दौरान हल्दिया परिसर में कोई गम्भीर दुर्घटनाएं नहीं हुई तथापि चार घटनाएं ऐसी थीं जिन पर यदि संयंत्र प्रबंधकों द्वारा समय पर कार्यवाही न की जाती तो वे हानि पहुंचा सकती थी। प्रारंभिक जांच के अनुसार इन चार मामलों में तोड़-फोड़ किये जाने का संदेह है।

(ग) इन चारों मामलों की रिपोर्ट पुलिस तथा जांच ब्यूरो, गृह मंत्रालय को की गई थी, पुलिस अभी छानबीन कर रही है।

(ङ) स्थानीय पुलिस प्रशासन तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सहायता से संयंत्र में सामान्य रूप से तथा संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष रूप से पूर्ण सतर्कता को प्रगाढ़ कर दिया गया है। यूनियन, अधिकारी संघ, विभागीय अध्यक्षों, संचालन एवं रख रखाव कार्मिक को स्थिति की गंभीरता समझा दी गई है तथा उन्हें ऐसी किसी भी स्थिति को रोकने के लिए सतर्क निगाह रखने के लिए आगाह कर दिया गया है जिसके कारण परिसर में तोड़फोड़ किये जाने की संभावना है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य पूरा करने के लिए महाराष्ट्र को धनराशि का आबंटन

4073. श्री शरद दिघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा शत प्रतिशत प्रायोजित योजना ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जिसे 15 अगस्त, 1983 में आरम्भ किया गया था, के अंतर्गत वर्ष 1985-86 में बकाया कार्यों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कुल कितनी राशि मांगी थी;

(ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 20 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्यक्ष लाभ की योजनाओं के लिए 10 प्रतिशत नियत करने के बाद केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ग) आवश्यकता से कम धनराशि दिये जाने के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) से (ग) छठी पंच-वर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत समय-समय पर परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इनमें से लगभग 92.06 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली 20 परियोजनाओं को केन्द्रीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। तत्पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा कुछेक परियोजनाओं को वापिस ले लिया गया और अन्य परियोजनाओं को संशोधित किया गया। इसके परिणामस्वरूप छठी योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र के लिए ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 71.74 करोड़ रुपये की लागत वाली 18 परियोजनाएं अनुमोदित रही हैं।

इसके मुकाबले, छठी योजना अवधि के दौरान राज्य सरकार को 39.46 करोड़ रुपये की धनराशि मुक्त की गई थी। शेष परियोजनाओं की लागत लगभग 31.96 करोड़ रुपये बनती है।

चालू वर्ष में राज्य सरकार के लिए 38.77 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है। इसमें से 7.91 करोड़ रुपए की राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण हेतु तथा 6.17 करोड़ रुपये की धनराशि सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित की गई है। इसके अलावा, राज्य सरकार को मजदूरी के एक भाग के रूप में भुगतान करने के लिए अतिरिक्त स्रोत के रूप में 39950 मीटरी टन गेहूं की निःशुल्क अतिरिक्त मात्रा आबंटित की गई है, इन खाद्यान्नों की लागत लगभग 5.99 करोड़ रुपये है जिसे राज्य को अतिरिक्त सहायता के रूप में उपलब्ध कराया गया है।

राज्य को आबंटन कृषि मजदूरों, सीमांत किसानों की संख्या और निर्धनता की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित फार्मूला के आधार पर किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं सामान्यतया आबंटन का 150 प्रतिशत होती है ताकि निष्पादन के लिए हमेशा पर्याप्त परियोजनाएं उपलब्ध रहें। कुछ स्वीकृत परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरा होने में दो वर्ष का समय लगता है। इस बात को देखते हुए राज्य आबंटन तथा परियोजनाओं की स्वीकृत राशि एक दूसरे के बराबर होने की आशा नहीं की जा सकती।

सराय सोहल गांव को पालम क्षेत्र से स्थानांतरित करना

4074. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र में सराय सोहल गांव पालम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों ओर चारदीवारी हो जाने के कारण घिर गया है;

(ख) क्या इस गांव में कोई उपयुक्त पहुंच सड़क, सड़कों पर रोशनी, जलपूर्ति और बिजली की पूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं का अभाव है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस गांव में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की आशा है; और

(घ) क्या इस गांव को भी मंगलापुरी गांव की तरह वर्तमान स्थान से किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह गांव अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण की भूमि तथा आंशिक रूप में चार दिवारी/बाड़ से घिरा हुआ है।

(ख) से (घ) इस क्षेत्र के लिए एक सम्पर्क मार्ग पहले ही विद्यमान है। इस गांव के लिए जल पूर्ति का पारम्परिक स्रोत एक खुदा कुंआ है। इसमें छावनी बोर्ड के टैंकर से सप्लाई करके वृद्धि की जाती है। क्योंकि दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के भावी विस्तार के लिए गांव को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इसलिए विद्युत सप्लाई सहित अन्य नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा रही हैं।

पेय जल की आवश्यकता

4075. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 के अन्त तक देश में बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों की पेयजल आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए, कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) क्या 1995 तक देश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल और घरेलू जल की आवश्यकताओं तथा जल की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कोई दीर्घकालीन कदम उठाये हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल पूर्ति तथा स्वच्छता दशक (1981-1990) के लिए राष्ट्रीय वृहद योजना के अनुसार, मार्च, 1991 तक 100 प्र० श० शहरी जनसंख्या को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। इस संदर्भ में संसाधनों की आवश्यकताओं और स्रोतों के विकास की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया था। घरेलू एवं गैर-घरेलू आवश्यकताओं, सांस्थानिक आवश्यकताओं, औद्योगिक आवश्यकताओं आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए पेय जल के निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर जलपूर्ति योजनाओं को राज्य स्तर के अभिकरणों/स्थानीय निकायों द्वारा बनाया जाना अपेक्षित होता है।

रामनाथपुरम जिले (तमिलनाडु) में मूकेयूर मत्स्य पत्तन परियोजना

4076. डा० वी० राजेश्वरन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में मूकेयूर मत्स्य पत्तन परियोजना को कार्यान्वित करने का है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार मूकेयूर मत्स्यन पत्तन परियोजना को कार्यान्वित करने के बारे में नियमों में ढील देने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) इस माह के दौरान प्राप्त की गई प्राथमिक रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार

4077. श्री चम्पन थामस : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन यूनिटों और क्षेत्रों में कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू करने का प्रस्ताव है जिनमें अभी तक यह योजना लागू नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों तथा यूनिटों को गत दो वर्षों के दौरान इस योजन के अन्तर्गत लाया गया है; और

(ग) क्या लघु उद्योग क्षेत्र के मजदूरों को श्रमिक अंशदान के भुगतान में कटौती करने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को चरणों में क्षेत्रवार लागू किया जा रहा है। नए औद्योगिक केन्द्रों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिन पर पिछले दो वर्षों के दौरान अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम उन कारखानों पर, जो मूलतः बिजली से चलने वाले और जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, लागू होता था, राज्य सरकार द्वारा प्रतिष्ठानों की निम्नलिखित गई श्रेणियों पर अब धीरे-धीरे लागू किया जा रहा है :—

(i) बिजली का प्रयोग करने वाले छोटे कारखाने जिनमें 10 से 19 व्यक्ति नियोजित हैं और बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखाने जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं; और

(ii) दुकानों, होटलों, रेस्टोरेन्ट, सिनेमा (जिनमें प्रीव्यू थियेटर शामिल है) सड़क मोटर परिवहन और समाचार पत्र प्रतिष्ठान, जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं।

पिछले दो वर्षों के दौरान, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, उड़ीसा और पंजाब राज्य सरकारों ने इस अधिनियम के उपबंधों को अपने राज्य में कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उपरिलिखित प्रतिष्ठानों की नई श्रेणियों तक लागू किया है, जबकि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने अपने राज्य में कतिपय विशिष्ट क्षेत्रों में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रमशः सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों और दुकानों पर लागू किया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

नये औद्योगिक केन्द्रों की सूची जहां 1983-84 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू किया गया।

क्रमांक	राज्य/औद्योगिक केन्द्र का नाम जहां पर यह अधिनियम लागू किया गया।
1	2
1.	**आंध्र प्रदेश**
	कोथागुडम (पालोन्चा और रामावरम सहित)
	येर्रागुन्ता नाल्ली (टाडी पत्री सहित)
	सिरपुरकागजनगर के वाह्यांचल में लांजागुडा और वांजारी।
	हैदराबाद के वाह्यांचल में काट्टेदन औद्योगिक क्षेत्र।
	निर्मल,
	वेन्दरा
2.	**बिहार**
	झरिया
	तिपुवाना
	फतुआ
	बंकाघाट

1	2
3.	गुजरात
	वानी
	विसनगर
	सुरेन्द्र नगर
	विसनगर टाउन की राजस्व सीमाएं
	नवसारी
4.	हरियाणा
	पंचकुला
	हांसी
	कुण्डली के निकटस्थ क्षेत्र
	लिवासपुर
	धारूहेरा
	किल्लाजफरगढ़
5.	कर्नाटक
	बेलगाम उपनगर
	नन्जानगुड उपनगर
	रामानगरम
	तेलगुप्पा
6.	केरल
	वामनापुरम
	कोलाजी और कुन्नूर
7.	मध्य प्रदेश
	नीमच
	मन्डीदीप
	देवास औद्योगिक क्षेत्र के निकटस्थ क्षेत्र

1	2
	औद्योगिक क्षेत्र रायपुर
	बन्मोर, जिला मुरैना के निकटस्थ क्षेत्र
8.	उड़ीसा
	भाद्रक (रांदिया)
	तठीकाटा
	भगतपुर
	चरम्पा (भाद्रक)
	नुआपटना
9.	पंजाब
	चम्पेरखेरी
	मुकेरियां
	कोटकापुरा
	सैलाखुर्द
	संगरूर
	खन्ना के निकटस्थ क्षेत्र
	बटाला के निकटस्थ क्षेत्र
10.	राजस्थान
	पाली की बढ़ाई गई नगरपालिका सीमाए
11.	तमिलनाडु
	वीरावनाल्लूर
	मानमादुराई
	आरूमुगावेरी
	सालेम उपनगर (सालेम-II पुनःनाम दिया गया है)
	अरियूर होसुर

1	2
	पिंजी (रानीपेट उपनगर)
	वीरानल्ही
	पाथियानाल्लूर और अलामाथी (रैड हिल्स)
	थिरुनिनरावुर
	थिरुवल्लूर और काकालूर
	वालाजापेट
	तिरुमालावमपालयम
12.	उत्तर प्रदेश
	हल्दवानी
	जिला हरदोई में सन्डीला
13.	पश्चिम बंगाल
	बंकुरा
14.	महाराष्ट्र
	सांगली और मिराज के आसपास के क्षेत्र ।

अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन सुविधा प्राप्त क्षेत्र

4078. श्री वांगफा लोवांग : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में बहुत कम क्षेत्र को दूरदर्शन सुविधा प्राप्त है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकतम क्षेत्र में दूरदर्शन सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय ईटानगर का अल्प शक्ति (100 वाट) वाला ट्रांसमीटर अरुणाचल प्रदेश में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करता है ।

(ख) मार्च, 1984 में अनुमोदित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए दूरदर्शन के विस्तार की योजना में ईटानगर के मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर 1 किलोवाट वाला ट्रांसमीटर लगाने तथा तेजु और पासीघाट में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रावधान है। इन स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, दूरदर्शन की सातवीं योजना में 11 स्थानों अर्थात् बोम्डीला, नामसाई, रोइंग, अलांग, चंगलोंग, दापोरिजो, खोन्सा, तवांग, जिरो, सेप्पा और अनिमी में 2 × 10 वाट रिले ट्रांसमीटरों की स्थापना शामिल है। इन स्कीमों का कार्यान्वयन संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

छोटे किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरणों की सप्लाई

4079. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यों को छोटे किसानों को रियायती दरों पर कृषि उपकरण सप्लाई करने हेतु वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

"कृषक कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा उन्नत कृषि उपस्करों और हाथ के औजारो को लोक प्रिय बनाने" की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए 219.60 लाख रुपये (केन्द्रीय शेयर) की व्यवस्था की गई है। धन राशि का राज्यवार नियतन व निम्नवत है :—

लाख रुपये

क्रम संख्या	राज्य	रकम
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	17.444
2.	असम	9.774
3.	बिहार	18.119

1	2	3
4.	कर्नाटक	13.208
5.	मध्य प्रदेश	35.399
6.	महाराष्ट्र	26.823
7.	उड़ीसा	22.388
8.	तमिलनाडु	15.127
9.	उत्तर प्रदेश	24.705
10.	गुजरात	6.725
11.	हरियाणा	1.494
12.	हिमाचल प्रदेश	1.494
13.	जम्मू व कश्मीर	1.494
14.	केरल	4.484
15.	मेघालय	0.600
16.	मणिपुर	0.600
17.	नागालैंड	0.450
18.	पंजाब	0.748
19.	राजस्थान	5.980
20.	सिक्किम	0.300
21.	त्रिपुरा	0.600
22.	पश्चिम बंगाल	9.045
संघ राज्य क्षेत्र :		
1.	गोवा	0.310
2.	पांडिचेरी	0.150

1	2	3
3.	मिजोरम	0 620
4.	अरूणाचल प्रदेश	0.920
	योग :	219.000
	मुख्यालय में कर्मचारियों का वेतन	0.600
	कुल योग :	219.600

गुजरात में सुरेन्द्र नगर के निकट दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

4080. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 किलोवाट क्षमता तक के दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना के लिए चालू वर्ष के दौरान कितना धन आबंटित किया गया है; और

(ख) क्या गुजरात राज्य में सुरेन्द्रनगर के निकट ऐसा एक उपकेन्द्र स्थापित करने के प्रस्ताव को प्राथमिकता दी गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन के सातवीं योजना के 700 करोड़ रुपए के परिव्यय में 1 किलोवाट तक की शक्ति के नए दूरदर्शन ट्रांसमीटरों और सहयोगी अनुरक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिए 53.05 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान सुरेन्द्रनगर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, उसका कार्यान्वयन धनराशि की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पान का उत्पादन

4081. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पान का कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष के दौरान कितना उत्पादन होने का अनुमान है;

(ख) क्या पान उत्पादकों को उनके उत्पादन का लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार के लाभप्रद मूल्य निर्धारित होने तक पान पत्ता उत्पादकों को राज सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पान (बोटलवाइन) के सम्बन्ध में क्षेत्र और उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, पान का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य ये हैं :—कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा।

(ख) से (ङ) कुछ राज्य सरकारें पान के उत्पादन और विपणन के लिए सहायता उपलब्ध करा रही हैं ताकि उत्पादकों को लाभकारी मूल्य मिल सकें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अधिकाधिक उत्पादन के लिए पान के पत्तों के रोगों पर नियन्त्रण करने की एक योजना क्रियान्वित कर रही है ताकि उत्पादकों को अधिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

जबलपुर में 10 किलोवाट का ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करना

4082. **श्री अजय मुशरान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जबलपुर में 1 किलोवाट के स्थान पर 10 किलोवाट का टी० वी० ट्रांसमीटर केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसे किस तिथि तक स्थापित किया जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने सातवीं योजना में इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) जबलपुर में इस समय 100 वाट की अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर है। इसकी शक्ति बढ़ाकर उच्च शक्ति करना सातवीं योजना अवधि के लिए विचाराधीन स्कीमों में से एक है।

[हिन्दी]

सुपर बाजार में बेची जाने वाली चीनी में कीड़े

4083. श्री सरफराज अहमद : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 नवम्बर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" (नई दिल्ली) में "सुपर बाजार की चीनी में कीड़े" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए जिम्मेवार सुपर बाजार के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भविष्य में सुपर बाजार में वस्तुओं की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) प्रश्न के उल्लिखित समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आरोप लगाया गया है कि सुपर बाजार से खरीदे गए एक कि० ग्रा० के पैकेट में और मूंग की दाल के एक कि० ग्रा० के एक पैकेट में भी कीड़े पाये गए। तथापि, सुपर बाजार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा कोई कीड़े वाली चीनी नहीं बेची गई है और किसी भी ग्राहक से मूंग की दाल में कीड़े होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः इस संबंध में सुपर बाजार के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) सुपर-बाजार में बेची जाने वाली सभी खाद्य वस्तुओं की, बिक्री करने से पूर्व, सुपर-बाजार की गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला में उनके अच्छी क्वालिटी के होने के बारे में जांच की जाती है। "खाद्य अपमिश्रण निवारण" की अपेक्षाओं के अनुरूप न होने पर स्टाक को बेचा नहीं जाता है। सुपर-बाजार द्वारा सभी शाखाओं को, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि पैक किए गए और बिक्री के लिए रखे गए चीनी और अन्य अनाज, कीड़ों और किसी भी अन्य बाहरी तत्व अथवा अशुद्धताओं से मुक्त हों।

[अनुवाद]

ऊटी में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

4084. श्री आर० प्रभु : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऊटी में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का है; और

(ख) तमिलनाडु के किन-किन जिलों में अभी तक दूरदर्शन की सुविधा नहीं है और सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में उन जिलों में किस प्रकार इसकी व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) तमिलनाडु के सभी 16 जिले पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से दूरदर्शन संजाल द्वारा कवर होते हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता के अधीन रहते हुए रामेश्वरम में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा धर्मपुरी, नागरकोइल और कुड्डालोर में 3 अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करके राज्य में दूरदर्शन सेवा में और सुधार करने का प्रस्ताव है।

अन्धविश्वासों के उन्मूलन के लिए कार्यक्रमों का निर्माण

4085. श्री शांता राम नायक : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन को ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करने के लिए कोई निदेश दिए गए हैं जिनका लोगों के मन में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अन्धविश्वास की धारणाओं को दूर करने का प्रभाव पड़े ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन को इस प्रकार के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। तथापि, जब भी संभव होता है, दूरदर्शन अपने विभिन्न कार्यक्रमों में दर्शकों के मन में व्याप्त अन्धविश्वास की धारणाओं को दूर करने और उनमें वैज्ञानिक स्वभाव बढ़ाने का अवश्य प्रयास करता है। इन संदेशों को मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों, औद्योगिक श्रमिकों और युवकों के लिए अभिप्रेत विशेष दर्शकगण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिबिम्बित किया जाता है।

समाचारपत्रों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए भुगतान

4086. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटे समाचारपत्रों ने शिकायत की है कि विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के लिए उन्हें जो भुगतान किया जाता है वह अक्सर, दिल्ली में जन सम्पर्क बनाए रखने तथा ब्लाकों के निर्माण आदि जैसे बाहरी खर्चों में ही खर्च हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता लगाने के लिए उनके साथ कोई चर्चा की गई है कि इस खर्च से कैसे बचा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इन चर्चाओं का क्या परिणाम निकला है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता । तथापि, सरकार ने स्वयं 1-9-1985 से विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों की दरें 30 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

कलकत्ता दूरदर्शन केंद्र की प्रसारण क्षमता

4087. श्री सत्य गोपाल मिश्र : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता दूरदर्शन की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ताकि कलकत्ता दूरदर्शन द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों को पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा बिहार उत्तर प्रदेश, असम और उड़ीसा के बंगला भाषी क्षेत्रों के सभी रिले केन्द्रों के माध्यम से रिले किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) आसनसोल का दूरदर्शन ट्रांसमीटर कलकत्ता और आसनसोल के बीच माइक्रोवेव लिंक के माध्यम से दूरदर्शन केन्द्र कलकत्ता के कार्यक्रमों को रिले करता है । कलकत्ता और बरहामपुर (मुर्शिदाबाद) के बीच इसी प्रकार का लिंक कार्यान्वित किया जा रहा है । इस लिंक का सिलीगुड़ी में विस्तार करने तथा कुर्सियांग के दूरदर्शन ट्रांसमीटर से बंगला कार्यक्रम टेलीकास्ट करने हेतु सिलीगुड़ी में कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं की स्थापना करने के लिए प्रावधान दूरदर्शन की सातवीं योजना में शामिल है । दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता को उपरि उल्लिखित केन्द्रों के अलावा किसी भी अन्य केन्द्र से जोड़ने की कोई स्कीम नहीं है ।

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की खरीद

4088. श्री मोहन लाल झिकराम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो धान की वसूली के लिए कब तक व्यवस्था हो जाएगी;

(ग) क्या इस समय किसानों के श्रम और उच्च लागत को देखते हुए धान की वसूली के लिए निर्धारित किया गया समर्थन मूल्य उचित है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम ने चालू मौसम में मध्य प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा उनको आवंटित किए गए क्षेत्रों में धान की समर्थन खरीददारी करने के लिए 40 क्रय केन्द्र खोले हैं। ये केन्द्र निम्नलिखित जिलों में स्थित हैं :

रायपुर, भोपाल, राजगढ़, सिहोर, रायसिन, विदिशा, गुना, शिवपुरी, रीवा, सिधी, पन्ना, छत्तरपुर, सागर, दमोह, नरसिंहपुर और छिन्दवाड़ा।

(ग) और (घ) भारत सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों और इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद धान के समर्थन मूल्य निर्धारित करती है।

खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी

4089. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक राज्यों में खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो दोषी राज्यों के नाम क्या हैं और इसे सम्बद्ध न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे राज्यों में खेतीहर मजदूरों को मुद्रा स्फीति के माध्यम से उनकी आमदनी में होने वाले भारी घाटे के विरुद्ध सुरक्षा की क्या व्यवस्था है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों और चण्डीगढ़ प्रशासन ने कृषि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से सम्बद्ध किया है। सिक्किम राज्य में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को अभी तक लागू नहीं किया गया है, अरूणाचल प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी को केवल कार्यपालिक आदेशों के अधीन निर्धारित किया है। लक्षद्वीप प्रशासन तथा मिजोरम सरकार ने कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करना आवश्यक नहीं समझा है क्योंकि ऐसे श्रमिकों की संख्या बिलकुल नगण्य है। शेष राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर रहे हैं और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन्हें समय-समय पर संशोधित करते हैं ताकि निर्वाह-व्यय में हुई वृद्धि के कारण उनकी वास्तविक आय में हुई कमी की प्रतिपूर्ति की जा सके।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रम प्रणाली

4091. **श्री अजय विश्वास** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अभी भी ठेका श्रम प्रणाली विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जहां अभी तक यह प्रणाली विद्यमान है;

(ग) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका श्रम प्रणाली को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुदेश दिए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन अनुदेशों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रम पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है। उक्त अधिनियम में, कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने और अन्य मामलों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने की व्यवस्था है। केन्द्रीय सरकार ने कुछ उद्योगों में कुछ कार्यों/संक्रियाओं में ठेका श्रमिकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

ठेका श्रमिकों का नियोजन तब तक अवैध नहीं है जब तक कि समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ऐसे नियोजन को प्रतिषिद्ध कर दिया गया हो। उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है जहां ठेका श्रम पद्धति विद्यमान है। राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में समुचित सरकारें हैं।

(ग) सरकार, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों के अधीन की गई व्यवस्था में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त और विनियमित करने के लिए वचनबद्ध है।

(घ) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन ठेका श्रम के नियोजन और विनियमन के मामले में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में कोई भेदभाव नहीं बरता जाता है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

उन कार्यों/संक्रियाओं/काम की श्रेणियों को दर्शाने वाला विवरण जिनमें केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है।

क्रमांक	उद्योग का नाम	कार्य/संक्रिया का स्वरूप	प्रतिषिद्ध करने की तारीख
1	2	3	4
1.	कोयला खानें	(i) कोयला निकालना या कोयला निकालना व बेचना (ii) कोयला लादना और उतारना (iii) सोफ्ट कोक का विनिर्माण (iv) अधिभार हटाना और भूमि काटना और (v) भूमि के नीचे स्टोन ड्रिफ्टों की ड्राइविंग और विविध प्रकार के पत्थर की कटाई	1-2-75
2.	भवन	उन भवनों की सफाई, डस्टिंग तथा चौकीदारी जो उन प्रतिष्ठानों के स्वाभित्व या आधिपत्य में है जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार संबंधित सरकार है।	1-3-77
3.	लोह अयस्क खानें	(i) अधिभार हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) फ्लोट संक्रियाएं (iv) क्राशिंग प्लांटो, स्क्रीनिंग प्लांटों और/या कन्वेयर बैल्टों में कूड़ा करकट हटाने की संक्रियाएं और (v) वैगन लेवलिंग संक्रियाएं	10-5-80 28-5-1982
4.	चूना पत्थर डोलोमाइट तथा मैंगनीज खानें	(i) अधिभार हटाना और (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	22-6-1980

1	2	3	4
5.	कोल वाशरीज	(i) कच्चे माल की उतराई (ii) मैंगनेटाइट की चार्जिंग और (iii) प्लांट क्लीनिंग जिसमें स्लिपंज, छीजन हटाने, कूड़ा करकट साफ करने, मैंगनेटाइट हटाने आदि सहित प्लांट की सफाई शामिल है।	25-7-83
6.	क्रोमाइट खानें	(i) अधिभार उत्खनन और उसे हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) अयस्क निकालना और (iv) अधिभारों को डम्पस तक और अयस्क को संग्रहण स्थलों तक ले जाना।	8-12-84
7.	मैंगनेसाइट खाने	(i) अधिभार हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग और (iii) खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84
8.	जिप्सम खानें	(i) अधिभार हटाना और (ii) खनन/खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84
9.	अभ्रक खानें	(i) अभ्रक निकालना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) खानों से पानी निकालना (iv) कूड़ा करकट हटाना; और (v) अभ्रक का संसाधन करना	8-12-84

राज्यों में सूरजमुखी की खेती

4092. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने और अधिक एकड़ भूमि पर सूरजमुखी की खेती करने के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत किन-किन राज्यों में सूरजमुखी की खेती की जाती है;

(ग) क्या सरकार का सूरजमुखी उत्पादक राज्यों में और अधिक एकड़ भूमि पर खेती करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं तथा कर्नाटक में सातवीं योजना में सूरजमुखी की खेती के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आन्ध्र प्रदेश राज्यों में सूरजमुखी की खेती की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। सूरजमुखी विकास की एक विशेष परियोजना केन्द्र द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के तहत कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों में 1984-85 से चल रही है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के गहन तिलहन विकास कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में सूरजमुखी विकास के लिए गहन नीति भी लागू की गई है। इस परियोजना के तहत, सूरजमुखी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन तथा सुविधाएं दी जाती हैं। सातवीं योजना के अन्त तक, अखिल भारतीय आधार पर सूरजमुखी की खेती के तहत 9.00 लाख हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र लाने का प्रस्ताव है। क्षेत्र के रूप में राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा

4093. **श्री आर० एम० भोये** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों ने सरकार से श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में प्रतिमा स्थापित करने का आग्रह किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस बारे में कब तक निर्णय होने की संभावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी हां। सरकार ने दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थल पर स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है। मकेट को बनाने के लिए मूर्तिकारों की एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा की गई है। प्रविष्टियों को भेजने की अन्तिम तारीख 31-1-1986 है।

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

4094. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध ने कोई मूल्यांकन किया है कि बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में आज तक कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के क्या कारण हैं और सरकार ने मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) 9-3-1985 तथा 23-11-1985 को समाप्त सप्ताहों के बीच चुनी हुई आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। विवरण में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, जबकि कुछ अन्यों के सूचकांक में कमी आई है अथवा वे स्थिर रहे हैं। कुछ वस्तुओं की कीमतों में हुई वृद्धि, मुख्यतया मौसम-जन्य कारण ढुलाई—लागत में हुई वृद्धि तथा कुछ वस्तुओं के समर्थन/अधिप्राप्ति/निर्गम मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण हुई कही जा सकती है।

सरकार की नीति में मुख्य बल देश में विभिन्न आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने पर है। घरेलू उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात भी किया जाता है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को विनियमित किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है तथा इसका विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा इसी तरह के कानूनों के विभिन्न उपबन्धों को कड़ाई से लागू करें।

इन उपायों के परिणामस्वरूप, कीमतें आमतौर पर उचित सीमाओं के भीतर बनी रहीं। केन्द्रीय बजट पेश करने से पूर्व के सप्ताह तथा 23-11-1985 को समाप्त सप्ताह के बीच थोक मूल्य सूचकांक में केवल 4.6% की वृद्धि हुई है।

विवरण

1985-86 के लिए पेश किए गए बजट के समय से चुनी हुई वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आए उतार-चढ़ाव का प्रतिशत (9-3-1985 तथा 23-11-1985 को समाप्त सप्ताहों के बीच)

वस्तुएं	थोक मूल्य सूचकांक को समाप्त सप्ताह में		प्रतिशत उतार-चढ़ाव 23-11-1985 9-3-1985
	9-3-1985	23-11-85	
1	2	3	4
चावल	266.4	286.4	+7.5
गेहूं	212.6	229.9	+8.1
ज्वार	228.6	239.7	+4.9
बाजरा	219.8	274.0	+24.7
चना	532.5	618.1	+16.1
अरहर	274.9	325.2	+18.3
मूंग	492.9	417.5	—15.3
मसूर	348.7	500.5	+43.5
उड़द	405.3	390.2	—3.7
आलू	90.2	20[illegible].6	+124.6
प्याज	286.5	439.0	+53.2
दूध	265.9	284.3	+6.9
मछली	526.6	453.1	—14.0
गोश्त	469.5	525.9	+12.0
लाल मिर्च	256.2	250.6	+2.2

1	2	3	4
चाय	451.1	379.0	—16.0
कोक	575.2	575.2	स्थिर
मिट्टी का तेल	346.2	382.7	+10.5
आटा	215.6	213.3	—1.1
चीनी	243.2	284.6	+17.0
गुड़	345.9	442.7	+28.0
वनस्पति	275.3	315.0	+14.4
मूंगफली का तेल	310.6	313.4	+0.9
सरसों का तेल	242.5	238.1	—1.8
नारियल का तेल	391.8	251.1	—35.9
बिजली का तेल	283.7	272.7	—3.9
नमक	237.2	238.8	+0.7
सूती कपड़ा (मिल का)	264.4	269.7	+2.0
साबुन	323.6	321.3	—0.7
दियासलाइयां	129.0	129.0	स्थिर
सभी वस्तुएं	340.6	356.2	+4.6

राज्यों में प्याज का उत्पादन

4095. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान प्याज का वर्षवार उत्पादन बढ़ा है;

(ख) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने प्याज की कुछ नई किस्मों का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्याज उगाने वाले मुख्य राज्यों में से अधिकांश में, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को छोड़कर जहां यह घटती-बढ़ती रही है, प्याज के उत्पादन में सामान्यतः वृद्धि हुई है। तथापि, पिछले तीन वर्षों यथा 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्याज का अखिल भारतीय उत्पादन क्रमशः 24.3, 26.6 और 28 7 लाख मीटरी टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंधान के प्रयासों के फलस्वरूप लाल तथा सफेद दोनों तरह की प्याज की कई तरह की उन्नत किस्में विकसित की गई हैं। इनमें लाल ग्रुप की एन-2-4-1 की और सफेद ग्रुप की एन०-257-9-1 की दो उन्नत किस्में शामिल हैं। विकसित की गई अन्य उन्नत किस्मों में अर्का निकेतन, अर्का कल्याण, अर्का प्रगति और "उदयपुर सेलेक्शन" शामिल हैं, वैज्ञानिकों द्वारा पहले विकसित की गई किस्में जो लोकप्रिय हो गई हैं, उनमें पंजाब सेलेक्शन पूसा रत्नार और पूसा रेड (लाल ग्रुप में) और पूसा व्हाईट ग्लोब, पूसा व्हाईट फ्लैट और एस-48 (सफेद ग्रुप में) शामिल हैं।

इन्दौर दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार

4096. श्री दिलीप सिंह भूरिया : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में दूरदर्शन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान दूरदर्शन पारेषण केन्द्रों के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) क्या निकट भविष्य में इन्दौर दूरदर्शन केन्द्र के प्रसारण क्षेत्र का विस्तार किये जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) इन्दौर का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर काम कर रहा है और इसकी सेवा परिधि में और वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान

4097. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य में पर्याप्त संख्या में सहकारी प्रशिक्षण संस्थान नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्रशिक्षण सहकारी विकास कार्यक्रमों का एक महत्वपूर्ण भाग है। छठी योजना अर्थात् 1984-85 के अन्त में कनिष्ठ श्रेणी के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कर्नाटक में प्रतिवर्ष 1200 की कुल प्रशिक्षण क्षमता वाले 6 सहकारी प्रशिक्षण संस्थान थे। राज्य में इस गतिविधि की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए 7वीं योजना (1985-90) के दौरान 3 और संस्थान स्थापित करने के प्रस्ताव किए गए हैं, वर्ष 1985-86 में इस प्रकार का एक और संस्थान अब स्थापित हो चुका है, जिससे राज्य में सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 7 हो गई है। सहकारी प्रशिक्षण संस्थान एक राज्य प्लान स्कीम है।

कर्नाटक के माध्यमिक तथा वरिष्ठ श्रेणियों के सहकारी कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए, केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अन्तर्गत वित्त पोषित तथा राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, बंगलौर और बैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबन्ध संस्थान पुणे में भी व्यवस्था की गई है।

यमुना पार, दिल्ली में ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों द्वारा आबंटित भू-खण्डों की गैर-कानूनी बिक्री

4098. श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अपनी ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटियों द्वारा दिल्ली में विशेषकर स्वास्थ्य विहार, निर्माण विहार और योजना विहार (यमुना-पार) में आबंटित भू-खण्डों की अवैध बिक्री की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, जहां तक स्वास्थ्य विहार और योजना विहार में समितियों को आबंटित भूमि का संबंध है, प्लाटों की अवैध बिक्री के बारे में कोई शिकायत उनके ध्यान में नहीं आई है। तथापि, निर्माण विहार के मामले में, निर्माण, आवास तथा पूर्ति सहकारी गृह निर्माण समिति के अवैतनिक सचिव ने बताया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनके 30 सदस्यों ने उन्हें आबंटित प्लाटों की बेनामी सौदेबाजी की है।

(ख) यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो उप-पट्टा विलेखों को सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जाएगी।

कर्मचारी भविष्य निधि संघ के सदस्यों का सत्यापन

). श्री हरिहर सोरन : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि कर्मचारी संघ, नई दिल्ली, जनवरी, 1986 के शुरू में अपनी मान्यता के दो वर्ष की अवधि पूरी कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सभी पंजीकृत मजदूर संघों/संगठनों, जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अनुशासन संहिता के अनुसार कार्य कर रहे हैं, को नई सदस्यता सुनिश्चित करने अथवा मान्यता देने के लिए सदस्यों की नये सिरे से जांच करने के आदेश देगी ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) जी, हां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रादेशिक और उप-प्रादेशिक कार्यालयों में काम करने वाली यूनियनों की सदस्यता के सत्यापन के परिणामों की, कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की जा रही है कि प्रत्येक क्षेत्र में सत्यापन के पश्चात निर्धारित की गई सर्वाधिक बहुमत वाली केवल एक ही यूनियन को मान्यता प्रदान की जाएगी। उक्त समीक्षा को ध्यान में रखते हुए, यूनियनों को मान्यता प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

पंजाब में धान की वसूली

4100. श्री शमिन्दर सिंह : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985-86 के दौरान पंजाब में अब तक कुल कितना धान का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल कितना धान वसूल किया गया;

(ग) पक्के भाण्डागारों में कितना धान तथा खुले भाण्डागारों में कितना धान रखा गया और भाण्डागारों की उचित प्रबन्ध व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं;

(घ) 1984-85 के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा कुल कितना धान खरीदा गया; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान यदि कम वसूली हुई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) केन्द्रीय सरकार ने पंजाब में 1985-86 के दौरान धान की पैदावार के बारे में अभी कोई अन्दाजा नहीं लगाया है।

(ख) पंजाब में 12-12-1985 को 34.37 लाख मीटरी टन।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) और (ङ) 1984-85 के दौरान, भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब में 18.88 लाख मीटरी टन धान की खरीदारी की थी। चालू मौसम में, भारतीय खाद्य निगम ने 12-12-85 तक

18.69 लाख मीटरी टन धान की खरीदारी की थी। पिछले वर्ष उसी तारीख तक कुल 18.76 लाख मीटरी टन की खरीदारी की गई थी। इन दो वर्षों में की गई वसूलियों की मात्रा में कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है।

उच्च शक्ति ट्रांसमिशन रिले केन्द्र की स्थापना

4101. **श्री डी० एन० रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति टी० टी० डी० तिरुपति जैसे संगठनों द्वारा उनकी लागत पर उच्च शक्ति के ट्रांसमिशन रिले केन्द्र इस शर्त पर स्थापित करने की अनुमति देने का है कि इसके पूरा होने पर इसे भारत सरकार द्वारा अधिगृहीत किया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई आवेदन विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) भारत सरकार ने अगस्त, 1985 में राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं गैर-सरकारी संस्थानों, आदि को अपने-अपने क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने की लागत वहन करने की इन शर्तों पर अनुमति देने का निर्णय लिया था कि इस प्रकार के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का स्वामित्व दूरदर्शन में निहित होगा जो इन ट्रांसमीटरों का संचालन तथा अनुरक्षण करेगा और उनसे प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण भी करेगा।

(ख) उक्त स्कीम के अन्तर्गत दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। मंदिर परिसर में एक अति अल्प शक्ति (5 वाट) वाले ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए टी० टी० डी० तिरुपति के अनुरोध मार्च, 1985 में अर्थात उपरि उल्लिखित निर्णय लेने से पहले प्राप्त हुआ था और उसे स्वीकार नहीं किया गया था। टी० टी० डी०, तिरुपति तथा इस नई स्कीम के अन्तर्गत आवेदकों को अब पत्र जारी किए गए हैं जिनमें स्कीम की मुख्य शर्तें, लागत का ब्यौरा आदि सूचित किया गया है ताकि उनसे पक्की पेशकश प्राप्त हो सके।

कारखाना अधिनियम का उल्लंघन करने पर सजा

4103. **प्रो० एम० आर० हाल्दर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कारखाना अधिनियम के सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी उपबंधों का बार-बार उल्लंघन किये जाने पर कड़ी सजा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) यह पहलू कारखाना अधि-

नियम, 1948 में प्रस्तावित संशोधन के अधीन आता है, जिसकी जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

बिहार में वनस्पति और चीनी का आवंटन

4104. श्री कुंवर राम : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार की वनस्पति तथा चीनी की मासिक मांग कितनी है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में वनस्पति और चीनी आवंटित की गई ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख) बिहार में वनस्पति की खपत लगभग 6700 मी० टन प्रति माह है जिससे राज्य में इसकी मांग का पता चलता है। सरकार द्वारा राज्यों को वनस्पति का आवंटन नहीं किया जाता है।

चीनी के मामले में दोहरे मूल्य हैं और इसलिए चीनी का राज्यवार मासिक कोटा, राज्य सरकारों की आवश्यकता अथवा उनसे प्राप्त मांग के आधार पर आवंटित नहीं किया जाता है। ये कोटे आवंटन के लिए उपलब्ध कुल लेवी चीनी में से निश्चित एक समान मानदंडों के आधार पर, सभी राज्य सरकारों को आवंटित किये जाते हैं। बिहार सरकार को अक्तूबर, 1983 से आवंटित किये गए लेवी चीनी के मासिक कोटे की मात्रा 31,573 मी० टन है, जो 1-10-1983 को अनुमानित जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलभ्यता पर आधारित है। तथापि, बिहार सरकार को चालू वर्ष के दौरान त्योहार के प्रयोजन के लिए जून, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1985 माह के लिए 5047 मी० टन अतिरिक्त मात्रा भी आवंटित की गई थी। इस मात्रा में राज्य में तैनात किये गये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल/सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को आवंटित की गई 10 से 12 मी० टन प्रतिमाह की मात्रा शामिल नहीं है।

[अनुवाद]

असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों की कार्यकरण की स्थिति

4105. श्रीमती ऊषा चौधरी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कृषि, तम्बाकू, बीड़ी, दस्तकारी और विक्रय व्यवसाय जैसे असंगठित क्षेत्र में महिला कामगारों के रहन-सहन और कार्यकरण की स्थिति असंतोषजनक है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) सरकार असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की दशाओं में सुधार करने के लिए संयुक्त प्रयास करती रहती है। कुल मिलाकर, असंगठित क्षेत्र में रोजगार राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। सरकार ने नीचे लिखे रोजगारों में असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों (महिला श्रमिकों सहित) के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) श्रम मंत्रालय में एक बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि स्थापित की गई है जिससे बीड़ी श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए आवास, जल आपूर्ति, चिकित्सा देख-रेख, मनोरंजन तथा शैक्षणिक सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

(ii) असंगठित श्रमिकों के विभिन्न वर्गों जैसे मछुआरों, चमड़ा उद्योग के श्रमिकों, भवन तथा निर्माण उद्योग के श्रमिकों और हथकरघा और बिजलीकरघा श्रमिकों के लिए कल्याण निधियों को स्थापित करने की सम्भावनाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के स्वरूप की जांच करने के लिए सरकार ने चार त्रिपक्षीय अध्ययन ग्रुपों का गठन किया है।

(iii) कुछ राज्य सरकारों ने असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कल्याण निधि और कृषि श्रमिकों के लिए पेंशन योजनाओं का गठन किया है।

(iv) कृषि श्रमिकों सहित महिला श्रमिकों के बारे में परियोजनाओं को शुरू करने हेतु श्रम मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

(v) यंत्रीकरण शुरू करने के कारण तम्बाकू उद्योग में महिला श्रमिकों के विस्थापन को रोकने के लिए, गुजरात और कर्नाटक राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

सातवीं योजना में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर

4106. श्रीमती ऊषा चौधरी
श्री राज कुमार राय
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न शहरों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न श्रेणियों के कुल कितने स्टाफ क्वार्टर उपलब्ध हैं;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ क्वार्टरों का कितना पिछला बकाया शेष है, सातवीं योजना में सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास की व्यवस्था हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा योजना के अन्त तक उन्हें कितनी सुविधाएं दी जा सकेंगी; और

(ग) प्रत्येक श्रेणी में प्राथमिकता की किस तारीख तक आवास आबंटित किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछला बकाया शेष संलग्न विवरण-II में दिया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग द्वारा 135 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है और इस राशि से विभिन्न टाइपों के लगभग 15,000 क्वार्टरों का निर्माण किए जाने की सम्भावना है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

30-9-1985 की स्थिति के अनुसार विभिन्न शहरों में सामान्य पूल वास की स्थिति इस प्रकार है।

शहर	टाइप								
	ए	बी	सी	डी	ई	ई-I	ई-II	ई-III	योग
कलकत्ता	540	1144	874	149	139	110	2	—	2958
बम्बई	1532	3896	1748	539	190	90	—	—	7995
मद्रास	300	719	274	272	54	16	—	—	1625
शिमला	297	276	102	29	22	7	6	—	739
नागपुर	160	619	165	94	37	14	2	—	1091
फरीदाबाद	330	664	200	140	52	16	—	—	1402
गाजियाबाद	64	304	132	—	—	—	—	—	500
चण्डीगढ़	344	497	400	32	4	2	—	—	1279
बंगलौर	128	276	180	42	18	—	—	—	644
इन्दौर	102	38	14	8	13	—	—	—	175
दिल्ली (22-11-1985 को)	13530	19691	19330	5289	1820	504	112	60	60336

विवरण-II

30-9-1985 की स्थिति के अनुसार विभिन्न शहरों में अलग-अलग श्रेणियों के स्टाफ क्वार्टरों का पिछला बकाया शेष

शहर	ए	बी	सी	डी	ई	ई-I	ईII	ई-III	योग
कलकत्ता	14603	32799	7872	2510	688	290	10	—	58772
बम्बई	7908	12804	6652	2361	580	120	—	—	30425
मद्रास	2979	7137	4723	427	102	50	—	—	15418
शिमला	541	1206	531	77	18	9	—	—	2382
नागपुर	1856	2721	1484	203	114	16	—	—	6394
फरीदाबाद	1993	430	251	6	9	3	—	—	8[illegible]2
गाजियाबाद	184	161	85	21	7	1	—	—	459
चण्डीगढ़	1976	3883	2110	328	46	18	—	—	8361
बंगलौर	1397	4387	2300	348	145	—	—	—	8577
इन्दौर	77	185	119	16	9	—	—	—	386
दिल्ली* (30-11-1985 को)	3892	19690	12530	3026	2186	717	—	—	42041

*यह 1970 तक अग्रता की तारीख सहित 1984 में आमन्त्रित आवेदन पत्रों पर आधारित हैं।

विवरण-III

30-9-1985 की स्थिति के अनुसार विभिन्न शहरों में स्थिति इस प्रकार है :—

शहर	टाईप							
	ए	बी	सी	डी	ई	ई-I	ई-II	ई-III
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कलकत्ता	27-9-54	4-6-54	1-8-56	1-8-56	5-1-74	1-3-81	1-11-74	—
बम्बई	15-11-59	18-10-57	7-9-56	2-1-61	14-2-83	1-8-74	—	—
मद्रास	19-11-53	1-11-63	5-1-56	29-5-64	1-5-78	1-4-70	—	—
शिमला	13-12-66	20-3-55	4-8-56	14-12-59	आज तक	आज तक	आज तक	—
नागपुर	31-8-58	24-7-57	7-1-56	7-2-57	12-7-77	31-7-79	—वही—	—
फरीदाबाद	1-1-72	11-8-71	6-1-61	9-11-72	1-10-82	1-9-81	—	—
गाजियाबाद	22-10-65	28-5-69	22-11-69	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	31-12-63	5-2-62	5-10-52	1-3-49	31-1-75	21-5-78	—	—

	2	3	4	5	6	7	8	9
बंगलौर	6/55	3/54	1/53	7/54	1/68	—	—	—
इन्दौर	25-6-65	19-3-49	31-7-50	14-3-49	1-6-81	—	—	—
दिल्ली	23-6-65	31-8-56	23-1-62	30-10-55	1-1-71	25-1-74	***	***
(30-11-1985 का)								

***इन टाइपों (ई-II और ई-III) में बंगले टाइप के वास की भारी कमी के कारण, प्रत्येक के मामलों के गुणावगुण को मद्दे नजर रखते हुए केन्द्र में भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व अध्यक्ष, संसद सदस्यों के नाते भूतपूर्व राज्यपाल, राज्यों के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीगण, न्यायाधीश, आयोगों के अध्यक्ष, अपर सचिव, सचिव और समान रैंक के अधिकारियों आदि को वास का आवंटन किया जाता है।

भूतपूर्व सैनिकों को "मदर डेरी" बूथों का आवंटन

4107. **श्री वी० वेबराजन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदर डेरी भूतपूर्व सैनिकों को अपने दुग्ध बूथ ठेके पर देती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये बूथ केवल भूतपूर्व सैनिकों को ही भुगतान पर आवंटित किये जाते हैं, इन्हें स्थायी आधार पर आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सभी इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को मदर डेरी के बूथ आवंटित करने का है;

(घ) क्या कहीं से भी शिकायत आने पर आवंटन रद्द किया जाता है;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार झूठी शिकायत पर बूथ का आवंटन रद्द करने से पहले इसकी जांच करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मदर डेरी निर्धारित अवधि के लिए करार द्वारा ग्राहियों के रूप में भूतपूर्व सैनिकों को भारी मात्रा में दूध बेचने वाले बूथ आबंटित करती है, जिसके संतोषजनक ढंग से कार्य करने पर उनकी अवधि पुनः बढ़ाई जाती है।

(ख) इस समय दूध के बूथ स्थायी आधार पर आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये बूथ अदायगी के आधार पर आवंटित नहीं किए जाते हैं। ग्राही करार के कार्यान्वयन के समय जमानत जमा कराता है।

(ग) चूंकि भारी मात्रा में दूध बेचने वाले बूथों की संख्या सीमित है, अतः दूध के बूथ लेने वाले सभी इच्छुक भूतपूर्व सैनिकों को मदर डेरी के बूथों का आवंटन करना सम्भव नहीं होगा।

(घ) अगर शिकायत की जांच करने पर यह पाया जाता है कि करार की शर्तों का उल्लंघन किया गया है और यह चूक स्वरूप में भयंकर है अथवा यह चूक दोहरायी जाती है तो करार समाप्त कर दिया जाता है।

(ङ) और (च) जहां तक मदर डेरी को मालूम है किसी झूठी शिकायत के आधार पर कोई करार समाप्त नहीं किया गया है।

"स्ट्रेटजीज फार एलीवेटिंग पावर्टी इन रूरल एशिया" शीर्षक से अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट

4108. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्रीमती डी० के० भण्डारी } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "स्ट्रेटजीज फार एलीवेटिंग पावर्टी इन रूरल ऐशिया" शीर्षक की हाल की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के गरीबी हटाओ कार्यक्रम के प्रभावहीन होने के कारण भूमि सीमा कानूनों को लागू न करने और इन कार्यक्रमों में ग्रामीण गरीबों का सक्रिय रूप से शामिल करने में असफल रहना है;

(ग) क्या सरकार इन निष्कर्षों से मोटे तौर पर सहमत है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) जी, हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा अप्रैल, 1985 में प्रकाशित स्ट्रेटजीज फार एलीवेटिंग पावर्टी इन रूरल एशिया शीर्षक में यह उल्लेख किया गया था, यह इस बात का प्रमाण है कि अधिकांश एशियाई देशों में भूमि सुधार का इतिहास फार्म के औसत आकार की अपेक्षा काफी अधिकतम सीमा, इच्छा की कमी तथा ऐसे नरम भूमि सुधार उपायों को भी कार्यान्वित करने में सरकारों के प्रशासनिक तन्त्र द्वारा दिलचस्पी की कमी तथा भू-स्वामियों द्वारा विरोध को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप भूमिहीनों तथा कम भूमि वाले किसानों को बहुत ही कम भूमि का पुनः वितरण हुआ है और ग्रामीण निर्धनों के जीवन स्तर पर बहुत ही कम प्रभाव पड़ा है। काश्तकारी सुधार के बारे में किए गए प्रयासों में भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित अनेक समस्याएं भी आई हैं और इसके परिणामस्वरूप काश्तकार किसानों की आय तथा उत्पादकता के स्तरों में सुधार लाने में बहुत ही कम योगदान मिला है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है कि "भूमि सुधार उपायों की कड़ाई से अनुपालना करके तथा ऋण संस्थाओं को पुनर्गठित करके निर्धन लोगों के लिए आवश्यक परिसम्पत्तियां तथा संसाधन जुटाए जा सकते हैं और साथ ही सामाजिक ढांचे में और अधिक उपयुक्त ढंग से सुधार लाया जा सकता है। दूसरे निर्धन व्यक्तियों को भी निम्न स्तर पर चयनित संस्थाओं तथा उनके अपने संगठनों के माध्यम से अधिक से अधिक शामिल करके सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है।" इसमें समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को भूमि सुधार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की सहयोगी गतिविधि मानने की आवश्यकता

तथा इसके लिए निर्धन लोगों की सामूहिक पहल तथा प्रयासों और स्वैच्छिक एजेंसियों की भूमिका को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया है ।

(घ) मई, 1985 में हुए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में राज्यों से यह सिफारिश की गई है कि वे सभी असुरक्षित और अनौपचारिक काश्तकारों एवं बटाईदारों को रिकार्ड पर लाने के लिए पंचायतों, स्वैच्छिक संगठनों तथा स्थानीय जनता की सहायता से एक अभियान चलाएं, चाहे राज्य में काश्तकारी को मान्यता प्राप्त हो या इसका उन्मूलन कर दिया गया हो; पट्टों और काश्तकारी को अनुमति प्रदान करने की अनावश्यक छूटों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए निजी खेती की और कड़ाई से परिभाषा बनाई जानी चाहिए; तथा जहां कहीं काश्तकारों को स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने का कानून नहीं है, वहां केवल विशिष्ट अपंग श्रेणियों की काश्तकारियों को छोड़कर बर्गादारों सहित सभी काश्तकारों के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए। जहां तक भूमि की अधिकतम सीमा का प्रश्न है, राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कमियों को दूर करने और कानून से टालमटोल करने और उनसे बचने के लिए मुकदमेबाजी में फंसे मामलों का शीघ्र निर्णय कराने और सार्वजनिक निवेश से नवसिंचित क्षेत्रों को उपयुक्त अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत लाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन तथा उपाय करें। राज्यों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे भूमि की अधिकतम सीमा के कार्य क्षेत्र में धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थाओं की भूमि को शामिल करते हुए परिवार हेतु अधिकतम भूमि सीमाएं तय करने के लिए 24-1-1971 से परिवार की परिभाषा में वयस्क पुत्रों को शामिल करने का विचार करें तथा अधिकतम भूमि सीमा को दो फसलें देने वाली सिंचित भूमि के लिए 5 हेक्टेयर, एक फसल देने वाली सिंचित भूमि के लिए 7.5 हेक्टेयर और अन्य प्रकार की जमीनों के लिए 12 हेक्टेयर तक कम करने पर विचार करें। इस बात पर भी पुनः जोर दिया गया था कि भूमि-सुधार उपायों तथा अधिकतम सीमा से फालतू भूमि के प्राप्तकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के साथ मिलाया जाये।

लाभार्थियों में अधिकाधिक जागृति लाने और उनको शामिल करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना तैयार की गई है, जो आयोजकों को प्रशिक्षण देने और लाभार्थियों में जागरुकता उत्पन्न करने, योजनाओं के बारे में उनके ज्ञान में वृद्धि करने, दल-निर्माण और सामूहिक कार्यों के लाभों के बारे में जागृति उत्पन्न करने तथा दल-उन्मुख कार्यों एवं आत्मनिर्भरता के लिए उनके संगठन को बढ़ावा देने के लिए उनके शिविर लगाने हेतु स्वैच्छिक और गैर-सरकारी एजेंसियों के जरिये क्रियान्वित की जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली में अनुसूचित जातियों को दुकानों का आवंटन

4109. श्री बनवारी लाल बैरवा : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने दिल्ली में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक "शापिंग सेंटर" में वर्ष-वार कितनी दुकानें आवंटित की हैं ?

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को सरकार द्वारा अनिवार्य छूट दिए जाने के बावजूद भी वे इन दुकानों को खरीदने में असमर्थ हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए आरक्षित दुकानें केवल उन्हें ही आवंटित की जाएं और दुकानें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आवंटित की हैं तथा इन दुकानों की कुल लागत का केवल दसवां हिस्सा ही वसूल किया गया है और लागत आसान किस्तों में ली जायेगी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में प्रत्येक विपणन केन्द्र में गत तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस फीस आधार पर निम्नलिखित दुकानें आवंटित की गई हैं :—

वर्ष	मार्कीट का नाम	सामान्य	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण
1982	आई० एन० ए०	—	1 (अनुसूचित जाति)
	मेहरचन्द	2	—
	रिंग रोड	2	1 (अनुसूचित जाति)
	लांसर रोड	1	—
1983	कस्तूरबा नगर	1	—
	आई० एन० ए० मोहन सिंह	1	—
	आई० एन० ए०	1	—
	लांसर रोड	1	—
1984	रिंग रोड	—	1 (अनुसूचित जाति
	श्री निवासपुरी	1	—

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान बिक्री द्वारा किसी दुकान की नीलामी नहीं की गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों का कार्य निष्पादन

4110. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों का कार्य निष्पादन उनकी प्रतिष्ठापित क्षमता से काफी कम है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उर्वरक संयंत्र की 1 जून, 1985 की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी थी तथा उत्पादन कितना हुआ और इसमें कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों को सहकारिता क्षेत्र को सौंपने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन एककों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में राज्य मन्त्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उर्वरक एककों का उत्पादन निष्पादन काफी संतोषजनक है तथापि कुछ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों, विशेषत: जिनका स्वामित्व फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन आफ इंडिया तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन द्वारा किया जाता है, का उत्पादन मानदण्डों से नीचे है।

(ख) दिनांक 1 जून, 1985 को प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्र का स्थापित क्षमता तथा वर्ष 1984-85 के दौरान उनका उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

कुछ संयंत्रों में अन्तर्निहित डिजाइन दोष तथा उपकरण असंतुलन तथा पावर नियंत्रण इन एककों में असंतोषजनक निष्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों के निष्पादन में सुधार लाने के लिए नवीकरण/कठिनाईयों को दूर करना/आधुनिकीकरण, कैप्टिव पावर सुविधाओं की स्थापना, संतुलित उपकरणों को जोड़ना जैसे उपचारी उपाय या तो शुरू किये जा चुके हैं या उनकी योजना बनाई गई है।

विवरण

1984-85 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों की संयंत्रवार क्षमता तथा उत्पादन

संयंत्र का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (1-6 85 के अनुसार)	1984-85 के दौरान
1	2	3
	क० नाइट्रोजन	(आंकड़े 000 टन में)
फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ-इंडिया		
गोरखपुर	131	82.4
सिन्दरा	219	125.2
रामागुण्डम	228	93.4
तालचर	228	55.1
हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन		
नामरूप —1	45	21.6
नामरूप —2	152	66.7
बरौनी	152	37.7
दुर्गापुर	152	57.5
राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स		
ट्राम्बे	90	84.3
ट्रम्बे—4	75	55.6
ट्राम्बे —5	152	125.0
थाल	683	*245.7 अप्रैल-नवम्बर, 1985

*(थाल संयंत्र ने व्यापारिक उत्पादन मार्च, 1985 चरण 1 तथा जून, 1985 चरण 2 में आरम्भ किया।

1	2	3
नेशनल फर्टिलाइजर लि०		
नंगल—1	80	52.9
नंगल—2	152	137.8
पानीपत	235	157.1
भटिण्डा	235	143.6
फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकौर लि०		
उद्योगमण्डल	78	51.2
कोचीन—1	152	107.9
कोचीन—2	87 (पुनरीक्षणाधीन)	65.6
मद्रास फर्टिलाइजर लि०		
मद्रास	176	151.4
स्टील एथोर्टी आफ इंडिया लि०		
राउरकेला (फर्टिलाइजर संयंत्र)	120	49.8
नवेली लिगनाइट कारपोरेशन		
नवेली (फर्टिलाइजर प्लांट)	70	58.9
	पी० 2 ओ० 5	
राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स		
ट्राम्बे	· 45	41.1
ट्राम्बे-4	75	55.6
मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०		
मद्रास	112	112.4

1	2	3
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०		
उद्योगमण्डल	37	29.0
कोचीन – 2	127	85.3
	(समीक्षाधीन)	

निर्माण विहार सोसाइटी को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों का आबंटन

4111. श्री कमल नाथ : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माण विहार की सोसाइटी की बस्ती की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित कनविनियेन्ट शापिंग सेंटर में कुछ दुकानों का बैंक के एक्सटेंशन काउंटर, छोटे कैम्प डाकघर तथा सुपर बाजार के लिए उस सोसायटी को अलाट करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार दुकानों के आबंटन के लिए संबंधित विभागों को दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्पर्क स्थापित करने के लिए समिति की वेलफेयर एसोसियेशन से अनुरोध किया गया था। किसी भी विभाग से इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए आबंटन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। दुकानें भी अभी तक कब्जे के लिए तैयार नहीं हैं।

तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य

4112. श्री मानिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसंधान और विकास के प्रयासों के असफल होने के कारण तिलहनों का उत्पादन लक्ष्य कम हो गया है;

(ख) क्या तिलहनों का उत्पादन पिछले 10-15 वर्षों के दौरान अनिश्चित रहा है; और

(ग) क्या अमरीका और कनाडा से सहायता प्राप्त कोआपरेटिव लीग आफ यू० एस० ए० (क्लुसा) तिलहन परियोजना के उद्देश्यों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा पूरा किया गया है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तिलहनों के

उत्पादन लक्ष्य कभी भी तिलहनों के अनुसंधान और विकास प्रयासों की विफलता के कारण कम नहीं हुए हैं। वास्तव में, हाल ही में योजना आयोग की सलाह पर और वनस्पति तेलों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा सम्भव सीमा तक इसके आयात को कम से कम करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1989-90) तक तिलहन उत्पादन का लक्ष्य संशोधित किया गया है और 170 लाख मीटरी टन से बढ़ाकर 180 लाख मीटरी टन किया गया है। इसी प्रकार सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समानुपातिक रूप से तिलहनों के लक्ष्य बढ़ाए गए हैं।

(ख) पिछली तीन योजना अवधियों में तिलहनों का औसत उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ा है जैसा कि नीचे दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है :—

योजना	औसत उत्पाद (लाख मीटरी टन में)
चौथी योजना (1969-74)	86.4
पांचवीं योजना (1974-79)	95.9
छठी योजना (1980-85)	114.5

(ग) जी, हां।

उर्वरक बेचने वाली सहकारी समितियों की वितरण सीमा

4113. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सहकारी समितियों की संख्या कितनी है जिन्होंने वर्ष 1984 में प्रत्येक राज्य, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में किसानों को उर्वरक बेचा है; और

(ख) जनवरी, 1982 से दिसम्बर, 1984 के संशोधन से पूर्व की वितरण सीमा और संशोधित वितरण सीमा क्या थी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 30-6-1984 को विभिन्न राज्यों में उर्वरकों के वितरण करने के 55-636 लाइसेंस शुदा सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्र थे। इनमें उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के 6956 बिक्री केन्द्र भी शामिल हैं। राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण—1 में दी गई है।

(ख) उर्वरकों का वितरण करने वाली संस्थागत एजेंसियों और गैर-सरकारी व्यापार को 15 अगस्त, 1981 से अनुमत वितरण सीमा और बाद में 20 मई, 1983 से संशोधित सीमा संलग्न विवरण—2 में दिखाई गई है।

विवरण — 1

30-6-1984 को उर्वरकों का वितरण करने के लिए लाइसेंस शुदा सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्यवार संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1138
2.	असम	220
3.	बिहार	1092
4.	गुजरात	6694
5.	हरियाणा	1626
6.	हिमाचल प्रदेश	1996
7.	जम्मू व कश्मीर	1685
8.	कर्नाटक	4650
9.	केरल	1964
10.	मध्य प्रदेश	4622
11.	महाराष्ट्र	3440
12	मणिपुर	174
13.	मेघालय	26
14.	नागालैंड	शून्य
15.	उड़ीसा	2567
16.	पंजाब	2908

1	2	3
17.	राजस्थान	5255
18.	सिक्किम	शून्य
19.	तमिलनाडु	4880
20.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
21.	उत्तर प्रदेश	6956
22.	पश्चिमी बंगाल	3263
23.	संघ शासित क्षेत्र	500
		55636

विवरण—2

उर्वरकों की प्रमुख किस्मों पर 15 अगस्त, 1981 से प्रभावी वितरण सीमा को दर्शाने वाला विवरण

(रुपए प्रति मीटरी टन)

	से प्रभावी			
	15-8-81		20-5-83	
उत्पादन	संस्थागत एजेंसियां	गैर-सरकारी व्यापार	संस्थागत एजेंसियां	गैर-सरकारी व्यापार
1 2	3	4		5
यूरिया (46% एन०)	140	120	150	130
ए० एस० (21% एन०)	90	80	90	80
सी० ए० एन० (26% एन०	90	80	90	80
सी० ए० एन० (25% एन०)	85	75	85	75

1	2	3	4	5
डी० ए० पी० (18% एन० तथा 46% पी०)	165	145	210	190
एम० ओ० पी० (60% के०$_2$ ओ०)	110	90	115	95
मिश्रित उर्वरक				
एन० पी० के० (20:20:0)	140	120	160	140
एन० पी० के० (15:15:15)	140	120	155	135

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता

4114. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1985-86 में देश में पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध किया;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त वर्ष में अधिक उत्पादन करने और उत्तर प्रदेश में खेतों में रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण प्रयोग के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा स्वीकृत कम लागत की आवासीय परियोजनाएं

4115. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा कम लागत की आवास परियोजनाओं की स्वीकृति दी गई है;

(ख) देश के विभिन्न भू-जलवायु वाले क्षेत्रों में 72 चुने हुए गांवों को शामिल करते हुए परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं किस समय तक पूरी की जाएंगी और दखलदारों को सौंपी जाएंगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने अपनी प्रयोगात्मक आवास योजना के अन्तर्गत 43 परियोजनाएं आरम्भ की हैं।

(ख) राष्ट्रीय (भवन) संगठन ने अपनी प्रदर्शन ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत अभी तक 81 परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 1946-85]

(ग) 81 परियोजनाओं में से 50 परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है और अन्य परियोजनाएं निष्पादन के विभिन्न सोपानों में हैं। पूर्ण किए गए मकान लाभभोगियों को देने के लिए राज्य सरकारों को सौंप दिए जाते हैं।

दूरदर्शन के संबंध में जोशी समिति की रिपोर्ट

4116. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर जोशी समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या समिति ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यक्रमों के न्यायसंगत समन्वय मे ही राष्ट्रीय एकता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और सभी रिले केन्द्रों को कार्यक्रम बनाने की सुविधा देने का निर्णय किया है; और

(ङ) ये सुविधाएं किन-किन रिले केन्द्रों पर उपलब्ध कराई गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करने के लिए प्रो० पी०सी० जोशी की अध्यक्षता में बने कार्य दल की रिपोर्ट, जिसमें इस दल की सिफारिशें हैं, की जांच इस मंत्रालय की माध्यम सलाहकार समिति द्वारा की गई है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट इस मंत्रालय को हाल ही में प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की अभी जांच की जानी है।

चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने के लिए प्रौद्योगिकी

4117. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चावल की भूसी से खाद्य तेल निकालने के लिए औद्योगिक विकसित करने हेतु कुछ कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस प्रकार की प्रौद्योगिकी एशिया में कुछ दूसरे देशों में उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और क्या सरकार का विचार इस मामले में ऐसे किसी देश के साथ सहयोग करने का है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (ग) जी हां ।

सरकार ने चावल की भूसी से खाद्य तेल का उत्पादन करने के लिए जापान के सहयोग से उपकरण निर्मित करने के लिए एक भारतीय फर्म से, प्राप्त एक प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार यह फर्म इस प्रकार के संयंत्रों को उपलब्ध करने की दिशा में काफी उन्नत अवस्था में है। एक तकनीकी दल द्वारा, भूसी निकालने वाली (हलर) चावल मिलों को उन्नत करने/परिष्कृत करने के लिए प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन हेतु एक अध्ययन भी किया जा रहा है, ताकि तेल बनाने के लिए उपयुक्त, अच्छी किस्म की चावल की भूसी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके। जापान के अतिरिक्त, एशिया के कुछ अन्य देश, जिनके पास इन प्रौद्योगिकी के होने की सूचना है, चीन तथा बर्मा हैं। इन देशों में से कुछ में उपलब्ध प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने का प्रस्ताव है।

मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास द्वारा तमिलनाडु में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन

4118. श्री पी० मानिक रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास ने तमिलनाडु में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का स्वतंत्र और व्यावसायिक मूल्यांकन एवं विश्लेषण किया है और यदि हां, तो उसके निष्कर्षों की मुख्य बातें क्या हैं (25 अक्तूबर, 1985 का न्यूज टाइम्स);

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार के स्वतंत्र सर्वेक्षण किए गये हैं और यदि हां, तो उनके निष्कर्षों का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कोई राज्य स्वतंत्र विश्लेषण कराने में अनिच्छुक है; और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों को कितनी केन्द्रीय धनराशि और सहायता दी गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) मद्रास विकास अध्ययन संस्थान, मद्रास द्वारा वर्ष 1980 में तमिलनाडु के रामनाथपुरम् तथा धर्मपुरी जिलों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों का एक मूल्यांकन अध्ययन आयोजित किया गया था।

नमूना अध्ययन में 8 खण्डों के 64 गांवों के 598 लाभार्थियों तथा 692 गैर-लाभार्थियों को शामिल किया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में किए गए अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं :

(1) यद्यपि कार्यक्रम का कार्यान्वियन पूर्णतया प्रभावकारी रहा है, फिर भी निधियों के वार्षिक आबंटन की दृष्टि से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम काफी कमजोर है।

(2) उपदानों के वास्तविक प्रावधान में कृषि मजदूरों की तुलना में लघु तथा सीमांत किसानों का अपेक्षाकृत अधिक ध्यान रखा गया है।

(3) देश भर में इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन एक समान नहीं था;

(4) रामनाथपुरम् के नमूने में बड़े और बेहतर स्थिति के किसान लाभार्थियों के 9.3 प्रतिशत बनते हैं। धर्मपुरी के नमूने में तुलनात्मक आंकड़े 17.3 प्रतिशत थे;

(5) कुछ लघु किसानों का गलती से सीमांत किसानों के रूप में चयन किया गया था। रामनाथपुरम के नमूनों में ऐसे मामले 5.7 प्रतिशत और धर्मपुरी के नमूनों में 7.5 प्रतिशत बनते हैं;

(6) सरकार की स्वीकृति काफी देर से उपलब्ध होने के कारण ऋण योजना को उसके बाद ही अन्तिम रूप दिया गया था। ऋण योजना तथा वास्तव में क्रियान्वित ऋण पैटर्न में काफी भिन्नता थी; तथा

(7) लाभ प्राप्त करने हेतु आरम्भिक लागतों, उपलब्ध सहायता की अपर्याप्तता तथा आधारभूत ढांचे की पर्याप्तता और प्रभावकारिता में कमियां होने के कारण निर्धनतम लाभार्थियों की ऋणग्रस्तता से वास्तविक रूप में वृद्धि हुई।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बारे में किए गए चार मुख्य मूल्यांकन अध्ययनों के मुख्य निष्कर्षों का सार संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) अब यह निर्णय लिया गया है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन किया जाए जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों के परामर्श से चुने हुए ख्याति प्राप्त अनुसंधान अथवा शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से क्षेत्रीय कार्य किया जाएगा। समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन से कार्यक्रम

का निरन्तर आधार पर ऐसे संस्थाओं के सहयोग से स्वतंत्र मूल्यांकन करने में सहायता मिलेगी। राज्यों के परामर्श से इस आधार पर कार्यक्रम का मूल्यांकन आरम्भ कर दिया गया है।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के प्रमुख मूल्यांकन अध्ययनों के निष्कर्ष

	परिधि	आई०एफ०एम०आर० क	आर०बी०आई० ख	नाबार्ड ग	पी०ई०ओ० घ
1.	(क) राज्यों की संख्या	2	16	15	16
	(ख) जिलों की संख्या	5	16	30	33
	(ग) खंडों की संख्या	17	16	60	66
	(घ) नमूने का आकार	1859	730	1498	1170
2.	जिन नमूना परिवारों को बढ़ती हुई आय प्राप्त हुई उनका प्रतिशत	90*	'51	82**	88
3.	जिन नमूना परिवारों ने गरीबी की रेखा पार कर ली, उनका प्रतिशत	असूचित	17***	47 ल	49.4
4.	जिन नमूना परिवारों द्वारा ऋण आयदगी की गई है, उनका प्रतिशत	79.6 लल	असूचित	69	9%
5.	जिन अपात्र परिवारों को सहायता प्राप्त हुई उनका प्रतिशत	ललल	16	15	25.8

"क" वित्तीय व्यवस्था तथा अनुसंधान संस्थान, मद्रास।

"ख" भारतीय रिजर्व बैंक।

"ग" राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)

"घ" कार्यक्रम का मूल्यांकन संगठन, योजना आयोग।

* आई०आर०डी० सहायता से खुश थे।

** इस कार्यक्रम से लाभार्थियों की आय को 1982-83 की कीमतों के अनुसार 82 प्रतिशत बढ़ाने में मदद मिली है।

*** फरवरी, 1984 को कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता सूचक अंक के आधार पर आय को निकालने के बाद।

ल चालू कीमतों पर 22 प्रतिशत।

लल ऋण वापिस करने में कोई कठिनाई नहीं हुई।

ललल केवल जिला-वार आंकड़े दिए गए हैं।

शहरी गरीबों के लिए मकान निर्माण हेतु विदेशी ऋण

4119. श्री लक्ष्मण मलिक : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ देश भारत को शहरी गरीबों के लिए मकान निर्माण हेतु ऋण के रूप में सहायता देकर अपना सहयोग दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश-वार मंजूर हुए ऋण का ब्यौरा क्या है और निर्माण कार्य के लिए चुने गये शहरों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उड़ीसा राज्य में चुने गये शहरों के नाम क्या हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों/विदेशी अभिकरणों से विगत पांच वर्षों के दौरान प्राप्त की गई ऋण सहायता के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(i) नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए ब्रिटेन (आर०टी०ए०) से सहायता।

आर०टी०ए० प्रोजेक्ट नामक परियोजना दो चरणों में है। ब्रिटेन सरकार ने चरण-I और II के तहत क्रमश: 14.75 मिलियन पौण्ड और 24 मिलियन पौण्ड का वित्तीय अनुदान दिया है। ये निधियां ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की आवास योजनाओं के लिए हैं।

(ii) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त योजनाएं

(एक) मध्य प्रदेश नगर विकास परियोजना

विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में एकीकृत नगर विकास परियोजना के लिए 24.1 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण मंजूर किया है, जिसमें आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा सह-वित्त की व्यवस्था की जा रही है।

इस परियोजना से मध्य प्रदेश के लगभग 3.5 लाख शहरी निर्धनों को उन्नत सेवाएं एवं आश्रय उपलब्ध होंगे।

(दो) कलकत्ता नगर विकास परियोजना-III

परियोजना की कुल लागत 288 करोड़ रुपये है और इसमें जलपूर्ति, जल-निर्यास, सफाई, आश्रय क्षेत्र का विकास आदि का प्रावधान शामिल है।

(तीन) मद्रास नगर विकास परियोजना--III

परियोजना की कुल लागत 42.00 मिलियन अमरीकी डालर है और इससे स्थल तथा सेवाओं का विकास और लगभग 15,000 निम्न आय वाले परिवारों को आश्रय ऋण सहित अन्य सुविधाएं, मलिन बस्ती सुधार, ठोस अपशिष्ट प्रबंध आदि की व्यवस्था होगी।

(चार) कानपुर नगर विकास परियोजना

परियोजना की कुल लागत 20.77 करोड़ रुपये है। इस परियोजना में स्थल तथा सेवाओं के अन्तर्गत 14800 रिहायशी प्लाटों का विकास एवं 2000 परिवारों की मलिन बस्ती का सुधार करने की व्यवस्था है।

(पांच) बम्बई नगर विकास परियोजना

कुल परियोजना लागत 105 मिलियन अमरिकी डालर है और इससे स्थल तथा आवासों (85000 स्थलों) का विकास होगा और मलिन बस्तियों (1,00,000 परिवारों) का उन्नयन होगा।

(iii) जर्मन संघीय गणराज्य

शहरी क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए सहायता

हाल ही में हस्ताक्षरित एक करार के अन्तर्गत, के० एफ० डब्ल्यू० (जर्मन संघीय गणराज्य का एक तकनीकी वित्तीय अभिकरण) ग्रामीण क्षेत्रों से हुडको परियोजनाओं तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग आवास कार्यक्रम के लिए 20 मिलियन डी० एम० की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा।

(ग) उड़ीसा राज्य के अथागढ़, गोडागोपीनाथ तथा बानूसलूंडी शहर/कस्बे आर०टी०ए० ऋण योजना के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

बिहार में बीड़ी कर्मकारों के लिए अस्पताल

4120. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के नालन्दा जिले में स्थित बिहार शरीफ में बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में से पचास बिस्तर वाले एक अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या अब इस अस्पताल को बिहार शरीफ से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने के प्रयास किये जा रहे हैं;

(ग) क्या बिहार शरीफ में पन्द्रह हजार बीड़ी कर्मकार काम करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस अस्पताल को बिहार शरीफ से स्थानान्तरित करने के क्या कारण है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा दी गई धनराशि

4121. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में बड़े बीड़ी उद्योगपतियों द्वारा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि में वर्ष-वार कितना अंशदान किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में बीड़ी कर्मकारों के कल्याण पर इस निधि में से वर्ष-वार कितनी राशि खर्च की गई;

(ग) क्या बीड़ी कर्मकारों की स्वास्थ्य तथा शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस निधि में पर्याप्त धनराशि नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस निधि में धनराशि बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, बीड़ी उत्पादक राज्यों में, बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 के अधीन एकत्रित किए गए उपकर की राशि संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ख) सभी बीड़ी उत्पादक राज्यों के संबंध में व्यय के आंकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। इन्हें प्रादेशिक कल्याण आयुक्तों द्वारा क्षेत्र-वार रखा जाता है। तथापि, विगत तीन वर्षों के दौरान बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर हुआ कुल व्यय, वर्ष-वार नीचे दिया गया है :—

वर्ष	व्यय
1982-83	1,44,55,328 रु०
1983-84	1,80,35,861 रु०
1984-85	2,04,91,721 रु०

(ग) जी, नहीं।

(घ) निधि का पूर्णतः उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यकलापों की संख्या में वृद्धि करने की योजना बनाई जा रही है।

विवरण

बीड़ियों पर लगाए गए उपकर को एकत्र करना

(रुपये लाखों में)

क्रमांक	राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	असम	0.45	0.47	0.45
2.	बिहार	15.19	18.87	20.28
3.	पश्चिम बंगाल	21.67	22.29	11.93
4.	उड़ीसा	3.37	3.29	3.40
5.	उत्तर प्रदेश	9.80	21.48	25.40
6.	आंध्र प्रदेश	51.00	55.36	68.35

1	2	3	4	5
7.	केरल	13.30	14.65	15·65
8.	कर्नाटक	48.79	52.88	70·03
9.	तमिलनाडु	41.54	45.14	48.96
10.	राजस्थान	4.09	3.64	4.51
11.	गुजरात	1.33	1.01	1.05
12.	महाराष्ट्र	38.87	32.02	35.58
13.	मध्य प्रदेश	70.53	74.75	98.73
		319.91	345.85	404.32

[अनुवाद]

दिल्ली में ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा प्रस्तुत नक्शों/प्लान की स्वीकृति

4122. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोआपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों द्वारा जिन्हें दिल्ली में निर्मित क्षेत्र में भूमि आबंटित की गई है, प्रस्तुत किए गए नक्शों/प्लान को स्वीकृत करने में विलम्ब से बचने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या यह विलम्ब दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली शहरी कला आयोग में समन्वय न होने के कारण है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यह सुनिश्चित है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं दिल्ली नगर कला आयोग दोनों ही अपने पृथक-पृथक उत्तरदायित्वों की सीमा तक बिना किसी विलम्ब के सहकारी ग्रुप आवास समितियों द्वारा प्रस्तुत किए गए नक्शों तथा प्लानों को अनुमोदित/पास करते हैं। दोनों अभिकरणों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा संभावित विलम्ब को समाप्त करने के लिए दिल्ली नगर कला आयोग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा सरकार के प्रतिनिधियों के बीच बारम्बार विचार विमर्श होता है।

"आपरेशन फ्लड प्रोजेक्ट" के और "नान-आपरेशन फ्लड प्रोजेक्टों" के अन्तर्गत निष्पादित कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं

4123. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान "आपरेशन फ्लड" और "नान-आपरेशन फ्लड" परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्यवार कितने कृत्रिम गर्भाधान निष्पादित किये गये और कितने प्रतिशत गर्भाधान सफल रहे और गायों और भैंसों पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ख) वर्तमान कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यवार कितने प्रतिशत दुधारू पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड के तहत गत तीन वर्षों अर्थात् 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान किये गये कृत्रिम गर्भाधान तथा पैदा हुए मादा बछड़ों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-1 में दी गई है। इन सेवाओं के लिए गायों और भैंसों पर किये गये व्यय से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वास्तव में राज्यों में कार्यक्रम क्रियान्वित करने वाली एजेंसियां भारतीय डेरी निगम/राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को इन सेवाओं के प्रचालन सम्बन्धी ब्यौरे प्रस्तुत नहीं करती। गैर-आपरेशन फ्लड के क्षेत्रों में किये गये कृत्रिम गर्भाधान तथा पैदा हुए मादा बछड़ों की संख्या सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान सघन पशु विकास परियोजनाओं, मुख्य ग्राम खण्डों, शहरी कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों, पशु चिकित्सा अस्पतालों/औषधालयों आदि जैसे विभिन्न राज्य पशु विकास कार्यक्रमों के तहत किये जाते हैं।

(ख) आपरेशन फ्लड-2 के तहत राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा किये गये (समिति ग्राम गणना) अध्ययनों पर आधारित सहकारिता क्षेत्र तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के तहत लिये गये दुधारू पशुओं का राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

वर्ष 1982-83, 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान आपरेशन फ्लड के तहत राज्यवार कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं

राज्य	वर्ष 1982-83 के दौरान किए गए कृत्रिम गर्भाधान	1982-83 के दौरान पैदा हुई मादा बछड़ों का सं०	1983-84 के दौरान किए गए कृत्रिम गर्भाधान	1983-84 में पैदा हुए मादा बछड़े	1984-85 के दौरान किए गए कृत्रिम गर्भाधान	1984-85 के दौरान पैदा हुए मादा बछड़ों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	9382	708	12257	2364	9408	759
असम	351	84	333	—	1195	29
बिहार	—	—	—	—	1188	शून्य
गुजरात	349051	60506	477988	67929	584448	67583
हरियाणा	3252	166	11624	716	13318	959

1	2	3	4	5	6	7
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	शून्य	शून्य
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	शून्य	शून्य
कर्नाटक	—	—	113898	10678	143631	12576
केरल	—	—	—	—	57598	5581
मध्य प्रदेश	3451	73	22342	1293	24326	1752
महाराष्ट्र	17722	2071	28680	2744	37597	3586
उड़ीसा	2343	242	4332	385	8645	1018
पंजाब	15041	364	21250	1005	43040	2619
राजस्थान	903	66	53510	5528	69702	7920
सिक्किम	550	30	524	16	713	119
तमिलनाडु	177853	16369	203371	22172	270994	30951
त्रिपुरा	—	—	128	—	504	2
उत्तर प्रदेश	3203	385	11193	397	25701	751

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिम बंगाल	19562	3725	31919	6272	35926	6270
अन्दमान निकोबार	—	—	154	—	278	28
गोवा, दमन एवं द्वीव	—	—	19	—	275	5
पांडिचेरी	—	—	—	—	968	शून्य
आई० डी० ए०—सहायता प्राप्त परियोजनाएं						
कर्नाटक	86165	19949				
मध्य प्रदेश	18013	898				
राजस्थान	58622	4798				

विवरण-2

अगस्त, 1985 के सहकारिता के क्षेत्र तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा केन्द्रों के तहत लिए गए दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या प्रदर्शित करने वाला विवरण :—

राज्य	अगस्त, 1985 को सहकारिता क्षेत्र के तहत लिए गए दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या	अगस्त, 1985 को कृत्रिम गर्भाधान सेवाओं के तहत लिए गए दुधारू पशुओं की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	491	25
बिहार*	54	5
गुजरात*	1387	363
हरियाणा	176	22
कर्नाटक*	1085	410
केरल	79	31
मध्य प्रदेश	291	135
उड़ीसा	25	16
पंजाब	512	103
महाराष्ट्र*	1066	64
राजस्थान	692	112
तमिलनाडु	980	346
उत्तर प्रदेश*	256	52
पश्चिम बंगाल*	65	47
गोवा, दमन तथा द्वीव	12	1

1	2	3
पांडिचेरी	15	4
असम**	3	1
सिक्किम**	16	7
हिमाचल प्रदेश**	23	—
जम्मू व कश्मीर**	23	—
अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह**	3	—
त्रिपुरा	11	2

टिप्पणी :

* इन राज्यों के संघों/दुग्धशालाओं के मामले में समिति ग्राम संगणना नहीं की गई थी। उन दुग्धशालाओं/संघों जहां समिति ग्राम संगणना की गई थी, के सदस्यों के औसतन दुधारू पशुओं को ध्यान में रखते हुए सहकारिता तथा कृत्रिम गर्भाधान क्षेत्र के तहत दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या परिकलित की गई है।

** ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समिति ग्राम गणना के तहत नहीं लिए गए थे और इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारिता तथा कृत्रिम गर्भाधान के तहत दुधारू पशुओं की अनुमानित संख्या, शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहां समिति गांव की गणना की गई थी, सभी दुग्धशालाओं की औसतों का उपयोग करते हुए निकाली गई है।

आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत पशुओं को दी गई स्वास्थ्य सेवाएं

4124. डा० जी० विजय रामाराव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत राज्यवार कितने पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई तथा इस पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कुल कितना व्यय हुआ;

(ख) उक्त प्रत्येक राज्य में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना से कुल कितने दुधारू पशु बाहर रहे और ऐसे कितने पशु इस परियोजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए; और

(ग) देश में 1969 और 1984 में प्रति व्यक्ति दूध का कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत और आपरेशन फ्लड के बाहर अलग से दुधारू पशुओं की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है। तथापि, 13वीं पशु संगणना, 1982 (अनन्तिम) के आधार पर दुधारू पशुओं (संकर प्रजनन और देशी गायों और दुधारू भैंसों) की कुल संख्या और आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान पशु स्वास्थ्य के अन्तर्गत कवर किए गए पशुओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1969 में देश में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। तथापि, वर्ष 1971-72 और 1983-84 के लिए भारत में प्रति दुधारू गो-जातीय पशु का वार्षिक दुग्ध उत्पादन अनुमानतः क्रमशः 286 किलोग्राम और 437 किलोग्राम था।

विवरण

अनन्तिम

राज्य	पशु स्वास्थ्य						
	चलते-फिरते चिकित्सालयों में उपचारित मामले (हजार में)						दुधारू पशुओं की कुल संख्या (हजार में)
	1982-83		1983-84		1984-85		
	नियमित	आपात	नियमित	आपात	नियमित	आपात	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	95.78	2.44	105.121	3.456	90.673	2.360	7218
असम	1.30	—	2.210	शून्य	0.535	शून्य	2320
बिहार	—	—	शून्य	शून्य	0.176	0.075	6052
गुजरात	335.57	188.77	348.888	233.794	406.471	362.933	उ०न०
हरियाणा	19.85	3.51	27.236	0.823	35.211	0.576	2140
केरल	13.44	1.66	44.611	1.086	63.283	1.805	1557
मध्य प्रदेश	26.55	3.78	205.816	15.501	221.782	13.339	10889
महाराष्ट्र	70.94	7.80	125·210	8.223	140.181	11.094	उ०न०

1	2	3	4	5	6	7	8
उड़ीसा	14.12	—	15.436	0.031	29.278	0.005	3926
पंजाब	216.03	1.83	316.721	0.708	398.033	0.814	उ०न०
राजस्थान	11.56	1.63	191.158	3.983	289.105	6.237	उ०न०
सिक्किम	0.58	3.60	0.002	0.762	शून्य	0.268	46
तमिलनाडु	327.03	37.68	364.782	18.820	439.835	20.384	4571
त्रिपुरा	3.63	—	3.446	0.011	3.097	0.021	190
उत्तर प्रदेश	49.57	11.05	44.683	1.512	11[illegible].725	7.311	10152
पश्चिम बंगाल	37.98	3.92	48.229	4.365	26.585	3.160	—
गोव, दमन एवं दीव	—	—	1.999	0.038	4.637	0.177	51
पांडिचेरी	1.17	—	शून्य	शून्य	5.065	शून्य	41
कर्नाटक	298.75*	23.39*	327.025	17·738	371.455	39.260	4913
मध्य प्रदेश	122.49*	9.39*	—	—	—	—	—
राजस्थान	138.98*	6.81*	—	—	—	—	—

*अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त परियोजना।

नारियल उत्पादकों को सिंचाई सुविधाएं

4125. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल उत्पादकों को किसी सहायता के अन्तर्गत सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में वर्ष 1984-85 में कितनी सहायता दी गई और कितने किसानों ने यह सहायता प्राप्त की ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। "नारियल उत्पादकों को सिंचाई संबंधी सुविधाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराना" नाम परियोजना के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड द्वारा नारियल के उत्पादकों को सिंचाई संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

(ख) और (ग) उपरोक्त परियोजना के अन्तर्गत पम्पसेटों पर 1000 रुपये प्रति पम्पसेट की दर से राजसहायता उपलब्ध कराई गई है जिसे नारियल विकास बोर्ड और राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाना है। यह योजना केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा और बिहार के राज्यों में क्रियान्वयन के लिए मंजूर की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में सिंचाई सुविधाओं के विकास के लिए सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

1984-85 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

नारियल विकास बोर्ड द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि 1984-85 के दौरान लाभानुभोगी किसानों की कुल संख्या 1023 थी।

विवरण

नारियल, उत्पादकों को सिंचाई सम्बन्धी सुविधाओं के लिए 1984-85 के दौरान उपलब्ध कराई गई सहायता

(1)	केरल में वितरित किए गए 1000 पम्पसेट	5.00 लाख रुपये
(2)	आन्ध्र प्रदेश में 23 सिंचाई स्रोतों का विकास	0.46 लाख रुपये
(3)	तमिलनाडु में संकर फार्म में बेहतर सिंचाई	1.564 लाख रुपये
	कुल :	7.025 लाख रुपये

दूध का उत्पादन

4126. श्री मानिक रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1970 की तुलना में देश में दूध का राज्यवार प्रति व्यक्ति उत्पादन और उसकी खपत कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य में आपरेशन फ्लड एक और दो के अन्तर्गत दूध सुखाने की अधिष्ठापित क्षमता (अधिष्ठापित करने के वर्ष का उल्लेख करते हुए) क्या है;

(ग) एक किलो दूध चूर्ण (पाउडर) की उत्पादन औसतन लागत क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान दूध सुखाने के संयंत्रों पर कुल कितना राशि निवेश किया गया है और इन संयंत्रों में दूध का कुल कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1977-78 सबसे पुराना वर्ष है जिसके सम्बन्ध में यादृच्छिक नमूना सर्वेक्षणों तथा सरकारी अनुमानों पर आधारित दुग्ध उत्पादन के राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध हैं। इसलिए, वर्ष 1977-78 और 1982-83 के लिए दुग्ध उत्पादन तथा दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता के राज्यवार आंकड़े संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(ख) आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत दूध को सुखाने की क्षमता का मार्च, 1981 तथा मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। आपरेशन फ्लड की डेयरियों द्वारा सितम्बर, 1985 के दौरान उत्पादित दुग्ध चूर्ण से सम्बन्धित आंकड़े संलग्न विवरण-3 में दिये गये हैं।

(ग) एक किलोग्राम दुग्ध चूर्ण के उत्पादन की लागत विभिन्न पहलुओं पर निर्भर करती है—जैसे—दूध का मूल्य, चूर्ण संयंत्र की किस्म और क्षमता, संयंत्र की क्षमता का उपयोग, निर्मित चूर्ण की किस्म, बिजली, ईंधन आदि की लागत और ये पहलू हर राज्य में भिन्न होते हैं। सुखाने की लागत 4 रुपये से 6 रुपये प्रति किलोग्राम दुग्ध चूर्ण तक भिन्न-भिन्न होती है।

(घ) चूंकि फीडर संतुलन डेयरियों पर लगे धन में दुग्ध सुखाने के संयंत्रों की लागत भी शामिल होती है इसलिए दुग्ध सुखाने के संयंत्रों पर लगी धनराशि अलग से बताना सम्भव नहीं है। आपरेशन फ्लड डेयरियों द्वारा पिछले 3 वर्षों में शिशु दुग्ध आहार सहित दुग्ध चूर्ण के अनुमानित उत्पादन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1982-83	—	52,920
1983-84	—	58,025
1984-85	—	70,873

विवरण-1

1977-78 और 1982-83 वर्षों में दुग्ध उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति उपलब्धता का राज्यवार विवरण

क्र० सं०	राज्य	1977-78		1982-83	
		दुग्ध उत्पादन ("000 मी० टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि०ग्रा०)	दुग्ध उत्पादन ("000 मी० टन)	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (कि० ग्रा०)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1830	37.9	2303	44.1
2.	असम	419	23.2	482	23.0
3.	बिहार	1828	28.8	2133	30.7
4.	गुजरात	2188	72.0	2529	75.0
5.	हरियाणा	1727	151.2	2262*	177.5
6.	हिमाचल प्रदेश	279	71.3	358	83.2
7.	जम्मू और कश्मीर	211	39.0	270	44.1
8.	कर्नाटक	1271	38.5	1655	45.7
9.	केरल	778	32.2	1078	40.8
10.	मध्य प्रदेश	2000	41.0	2510	46.3
11.	महाराष्ट्र	1400	24.7	2009	32.5
12.	मणिपुर	53	40.9	63	41.8
13.	मेघालय	50	42.0	60	44.3
14.	नागालैंड	2.8	4.4	4	5.4
15.	उड़ीसा	212	8.5	322*	11.7

1	2	3	4	5	6
16.	पंजाब	2709	180.9	3599	220.7
17.	राजस्थान	2879	95.1	3400	99.2
18.	सिक्किम	1.4	5.9	19	74.1
19.	तमिलनाडु	1681	37.4	1788	37.1
20.	त्रिपुरा	14	7.5	18	8 3
21.	उत्तर प्रदेश	5447	55.4	6666	62.0
22.	पश्चिम बंगाल	1128	22.0	2013	35.3

*अनन्तिम

विवरण-2

मार्च, 1981 और मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत उपलब्ध दूध सुखाने की क्षमता का राज्यवार विवरण

मीटरी टन प्रतिदिन

	राज्य	मार्च, 1984	मार्च, 1985
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.5	96.0
2.	बिहार	5.0	5.0
3.	गुजरात	142.5	213.5
4.	हरियाणा	5.0	10.0
5.	कर्नाटक	—	5.0
6.	मध्य प्रदेश	—	10.0
7.	महाराष्ट्र	5.0	28.0
8.	पंजाब	10.0	36.0
9.	राजस्थान	5.0	35.0
10.	तमिलनाडु	20.0	39.5
11.	उत्तर प्रदेश	15.0	19.5
12.	पश्चिम बंगाल	10.0	10.0

विवरण-3

आपरेशन फ्लड डेयरियों द्वारा सितम्बर, 1985 के दौरान किए गए शिशु दुग्ध आहार सहित दुग्ध-चूर्ण के उत्पादन का विवरण

(आंकड़े मीटरी टनों में)

	राज्य	सितम्बर, 1985
1.	आन्ध्र प्रदेश	240
2.	गुजरात	3366
3.	हरियाणा	63
4.	महाराष्ट्र	93
5.	कर्नाटक	23
6.	मध्य प्रदेश	60
7.	पंजाब	309
8.	राजस्थान	399
9.	तमिलनाडु	—
10.	उत्तर प्रदेश	187
11.	पश्चिम बंगाल	—
	योग :	4740

दूध के उत्पादन का सही अनुमान लगाने का तरीका

4127. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री एल० के० झा की अध्यक्षता में नियुक्त की गई आपरेशन फ्लड को मूल्यांकन समिति ने असंतुलन और दुग्ध उत्पादन लक्ष्यों में कमी को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण

सिफारिश करने के अतिरिक्त दिसम्बर, 1984 में दिए गये अपने प्रतिवेदन में अनेक उपयोगी बातें कही हैं और सुझाव दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार दूध का उत्पादन बढ़ाने और दूध के उत्पादन का सही अनुमान लगाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था करने का है;

(घ) क्या सरकार समाज के तिरस्कृत और अन्य कमजोर वर्गों के लिए रियायती दर पर दूध सप्लाई करने की व्यवस्था भी करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की ओर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है और राज्यवार अन्तर का उल्लेख भी किया। समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रियता से ध्यान दे रही है।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) समाज के चुनिन्दा लक्ष्य समूहों को राजसहायता प्राप्त दुग्ध सप्लाई की आवश्यकता और व्यवहारिकता पर विचार करना मूल रूप से राज्य सरकारों का कार्य है।

आपरेशन फ्लड एक तथा दो के अन्तर्गत स्थापित संतुलित पशु चारा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता

4128. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपरेशन फ्लड एक तथा दो के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में स्थापित संतुलित पशु चारा संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है, वे किस वर्ष में स्थापित किए गये थे तथा गत तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा औसतन प्रतिदिन कितने चारे का उत्पादन किया गया है;

(ख) आपरेशन फ्लड से भिन्न संतुलित पशु चारा संयंत्रों की राज्य-वार क्षमता कितनी है और इन संयंत्रों द्वारा औसतन प्रतिदिन कितने चारे का उत्पादन किया जाता है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में दुधारू पशुओं की कुल संख्या की तुलना में इष्टतम आवश्यकताओं को देखते हुए पशु चारे की राज्य-वार उपलब्धता से संतुष्ट है; और

(घ) क्या उत्तम किस्म के पशु चारे का बड़ी मात्रा में निर्यात किए जाने के कारण दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार पशु चारा संयंत्रों की क्षमता और आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान पशु-चारे के वार्षिक उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गैर आपरेशन फ्लड संतुलित पशु चारा संयंत्र के संबंध में सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

(ग) राज्यों में दुधारू पशुओं की कुल संख्या की तुलना में अनुकूलतम आवश्यकताओं को देखते हुए पशु चारे की राज्यवार उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) पशु चारे का बड़े पैमाने पर कोई निर्यात नहीं हो रहा है।

विवरण

पशु चारा संयंत्रों की क्षमता तथा 1982-83, 1983-84 एवं 1984-85
के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत चारा उत्पादन के
वार्षिक उत्पादन का विवरण

राज्य	पशु चारा संयंत्र की क्षमता मार्च, 1985 (मीटरी टन प्रतिदिन)	पशु चारे का वार्षिक उत्पादन (मी० टन०) (1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	294	4,064	6,948	13.072
बिहार	100	5,997	6,758	6,389
गुजरात	1350	1,85,043	2,23,179	2,56,473
कर्नाटक	200	—	584	10,934
केरल	100	—	—	2,494
मध्य प्रदेश	2 0	—	2,352	10,164
महाराष्ट्र	200	13,351	20,945	23,671
पंजाब	100	—	उ० न०	18,846

1	2	3	4	5
राजस्थान	340	—	उ० न०	21,372
तमिलनाडु	100	251	5,911	4,516
उत्तर प्रदेश	200	941	6,314	8,327
पश्चिम बंगाल	100	6,338	9,660	7,912
पांडिचेरी	5	400	411	318

उ० न०=उपलब्ध नहीं।

बंगलौर दूरदर्शन के लिए फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों का चयन

4129. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रसारण के लिए फिल्मी गीतों, नृत्यों और अन्य कार्यक्रमों के चयन हेतु बंगलौर दूरदर्शन केन्द्र को परामर्श देने के लिए कोई तंत्र नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर दूरदर्शन के लिए फिल्मी गीतों, नाटकों और अन्य कार्यक्रमों के चयन हेतु विभिन्न क्षेत्रों से गैर-सरकारी व्यक्तियों और प्रतिनिधियों की एक परामर्शदात्री समिति नियुक्त करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर से टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्मों का चयन महानिदेशक, दूरदर्शन द्वारा विधिवत नियुक्त एक क्षेत्रीय स्क्रीनिंग समिति द्वारा किया जाता है जिसमें निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र बंगलौर, केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, बंगलौर, प्रादेशिक अधिकारी, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, बंगलौर, फिल्म प्रभाग का प्रतिनिधि, सहायक केन्द्र निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर और प्रोड्यूसर इन्चार्ज शामिल हैं। गीतों नृत्यों और अन्य कार्यक्रमों का चयन संबंधित निर्माताओं द्वारा उनकी उपलब्धता तथा प्रस्तुत किए जाने के लिए उनकी उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए किए जाता है।

फलों का उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर जोर

4130. **श्री मुरलीधर माने** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार फलों का उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने पर अधिक जोर दे रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) चालू वित्त वर्ष में इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यक्रम है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) केला तथा पपीता को छोड़कर फलों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते हैं। प्रगति नीचे दी गई है :—

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

फसल का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
केला	4579.3	4?21.3	3986.7
पपीता	288.1	42.6	309.7

(ग) और (घ) 1985-86 के लिए फलों की निम्नलिखित योजनाएं मंजूर की गई हैं :—

योजना का नाम	धन राशि लाख रु० में
(1) बढ़िया किस्म के सेवों के उत्पाद के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी	13.69
(2) संघ राज्य क्षेत्रों में केला तथा अन्नानास संबंधी पैकेज कार्यक्रम	7.61
(3) भारतीय फार्मों का राज्य फार्म निगम स्थित क्षेत्र-संतति उद्यान एवं पौधशालाएं	33.50

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के क्षेत्र के तहत भी फल विकास के कार्यक्रम हैं।

इस प्रयोजन के लिए ताजे फलों के आयात की अनुमति केवल भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी संघ के जरिये आर्थिक कार्य विभाग द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा की सीमा के भीतर दी जाती है।

राज्यों में वर्ष 1985-86 के दौरान कपास उत्पादन का लक्ष्य

4131. **श्री मुरलीधर माने**
श्री विनेश सिंह
श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कपास उत्पादक के राज्यों में वर्ष 1985-86 के लिये कपास उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) इस वर्ष उन राज्यों में कपास उत्पादन के आसार कैसे हैं; और

(ग) कपास उत्पादकों को उनके उत्पादन के लिए समर्थन मूल्य देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं या उठाने का विचार है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कपास उगाने वाले प्रमुख राज्यों में 1985-86 के दौरान कपास उत्पादन सम्बन्धी प्रस्तावित लक्ष्य निम्नवत् हैं :—

राज्य	कपास उत्पादन सम्बन्धी प्रस्तावित लक्ष्य लाख गांठें प्रत्येक 170 कि० ग्रा० का
पंजाब	13.0
हरियाणा	7.0
राजस्थान	5.0
मध्य प्रदेश	4.50
गुजरात	19.00
महाराष्ट्र	16.00
आन्ध्र प्रदेश	6.50
कर्नाटक	8.00
तमिलनाडु	3.50
अखिल भारत	83.00

(ख) राज्यों से फसल वर्ष 1985-86 के लिये कपास उत्पादन के पक्के अनुमान अभी देय नहीं हुये हैं। दक्षिण तथा मध्यवर्ती राज्यों में कपास चुनने का कार्य अभी चल रहा है। वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1985-86 के दौरान कपास का अखिल भारतीय उत्पादन 1984-85 के 85 लाख गांठों के उत्पादन के करीब हो सकता है।

(ग) भारत सरकार ने भारतीय कपास निगम को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया है कि बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से कम न होने पाये।

प्रारूप बाल श्रम विधेयक

4132. डा० गोरी शंकर राजहंस : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के एक स्वयं सेवी संगठन ने बाल श्रम विधेयक का प्रारूप तैयार किया है और केन्द्रीय सरकार से इसे स्वीकार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रारूप विधेयक का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रारूप विधेयक की व्यापक जांच की है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारूप विधेयक में कामकाजी बालकों को कतिपय बेसिक सुविधाओं और विशेष लाभों का प्रस्ताव है; जैसे :

(1) औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा।

(2) व्यावसायिक प्रशिक्षण।

(3) कैरियर प्लांनिंग और विकास।

(4) पोषण आहार और स्वास्थ्य देख-रेख।

(5) सामान्य कल्याण

विधेयक में निम्न की भी व्यवस्था है :—

(1) बाल श्रम यूनियनें।

(2) अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को गठित करना।

(3) नियोजकों पर लगाये गये उपकर के माध्यम से एकत्र की गई बाल श्रम विकास निधि।

(4) दंड और प्रक्रिया।

(ग) और (घ) सम्बन्धित मन्त्रालयों और बाल श्रमिकों के क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करके प्रारूप विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों और बाजार मूल्यों में अन्तर

4133. श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आवश्यक वस्तुओं के नियंत्रित मूल्यों और बाजार मूल्यों में काफी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तुलनात्मक मूल्य क्या थे; और

(घ) इस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली जिन वस्तुओं पर दोहरी मूल्य प्रणाली लागू है, उनके मामले में सरकार द्वारा नियत मूल्यों तथा बाजार मूल्यों के बीच कुछ अन्तर है।

(ख) इन दोनों मूल्यों के बीच अन्तर होने का मुख्य कारण सरकार की इन वस्तुओं को आम लोगों, विशेषकर समाज के कमजोर तथा दुर्बल वर्गों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने की नीति है। कुछ सीमा तक यह अन्तर प्रत्येक वस्तु की मांग तथा उसकी आपूर्ति से भी प्रभावित होता है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार की नीति में मुख्य बल उत्पादन बढ़ाकर आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता में सुधार लाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अधिक क्षेत्र तथा वस्तुएं लाने, जहां आवश्यक हो वहां आयात करने, निर्यात का विनियमन करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम और इसी प्रकार के कानूनों के विभिन्न उपबंधों को लागू करने पर दिया जा रहा है। राज्य सरकारों पर समय-समय पर इस बात के लिए जोर दिया जाता है कि वे उन व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें, जो वस्तुओं को सरकार द्वारा नियत मूल्यों से अधिक पर बेच रहे हैं।

विवरण

दिल्ली में चुनी वस्तुओं के खुदरा विक्रय मूल्य

(मूल्य रुपयों में)

वस्तु	मात्रक (यूनिट)	दिल्ली में खुदरा विक्रय मूल्य रुपयों में							
		नवम्बर, 1982 का अन्तिम सप्ताह		नवम्बर, 1983 का अन्तिम सप्ताह		नवम्बर, 1984 का अन्तिम सप्ताह		नवम्बर, 1985 का अन्तिम सप्ताह	
		उ० द० दुकान नियंत्रित मूल्य	बाजार मूल्य	उ० द० दुकान नियंत्रित मूल्य	बाजार मूल्य	उ० द० दुकान नियंत्रित मूल्य	बाजार मूल्य	उ० द० दुकान नियंत्रित मूल्य	बाजार मूल्य
1	2	3	[illegible]	[illegible]	6	7	8	9	10
गेहूं	कि० ग्रा०	1.66	2.10	1.78	2.15	1.78	2.00	1.78	2.25
चावल	कि० ग्रा०	2.21*	3.20@	2.21*	4.00@	2.41*	3.50	2.50*	4.30
चीनी	कि० ग्रा०	3.75	4.85	3.75	5.10	4.00	5.65	4.40	7.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आयातित खाद्य तेल	कि० ग्रा०	9.05	14.00£	9.05	18.00$	10.13	17.00£	11·18	13.40£
मिट्टी का तेल	लीटर	1.81	—	1.88	—	1.92	—	2.11	—
साफ्ट कोक	40 कि०ग्रा०	20.35	—	22.16	—	23.70	—	26.80	—
लांग क्लाथ	मीटर	3.90	14.00& (19-11-82)	3.90	14.00& (18-11-83)	3.90	14.25& (16-11-84)	3.90	14.25 (15-11-85)

*सुपरफाइन

@परमल

£सरसों के तेल का मूल्य

&डी० सी० एम० लांग क्लाथ का मूल्य कंट्रोल की किस्म तथा डी० सी० एम० के कपड़े में अन्तर, कुछ सीमा तक क्वालिटी में अन्तर होने के कारण हो सकता है।

उपभोक्ताओं की समस्या के लिए पृथक विभाग

4134. श्री पी० आर० कुमारमंगलम
डा० चिंता मोहन
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उपभोक्ता कानून, उपभोक्ताओं को पर्याप्त कानूनी संरक्षण प्रदान नहीं करता और यदि हां, तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का विचार, निर्माताओं द्वारा बिक्री के समय दी जाने वाली विभिन्न "गारंटियों" और "वारंटियों" की पूर्ति के लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों सहित उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी और आधारभूत संगठन की व्यवस्था करने का है;

(ग) क्या सरकार का उपभोक्ताओं और उनके प्रतिनिधि संगठनों से निपटने के लिए एक विंडो सर्विस के आधार पर सभी उपभोक्ता समस्याओं के समन्वय के लिये एक नोडल विभाग बनाने का भी विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) उपभोक्ता के हित की रक्षा के लिए कई एक उपभोक्ता कानून लागू हैं, जैसे : आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980, बाट तथा माप मानक अधिनियम, 1976, बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम 1977, औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 आदि। इन कानूनों का उद्देश्य उपभोक्ता को विभिन्न अनुचित व्यापार पद्धतियों, अपमिश्रण, चोरबाजारी आदि के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान करना है। उपभोक्ता कानूनों से सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग उपभोक्ता को बेहतर संरक्षण प्रदान करने के लिये इन कानूनों की पुनरीक्षा करते हैं।

(ख) और (ग) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) अधिनियम, 1984, उपभोक्ता को अनुचित व्यापार पद्धतियों, जैसे भ्रामक विज्ञापन, गारंटियों व वारंटियों, सौदेबाजी द्वारा बिक्री, प्रलोभन, आदि के प्रति कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ऐसी अनुचित व्यापार पद्धतियों के बारे में उपभोक्ता की शिकायतों पर कार्यवाही करता है। इसके अलावा, सरकार ने उपभोक्ता की समस्याओं से निपटने के लिए कई एक उपाय किये हैं। उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित योजनाओं के लिये स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता देने के अलावा, सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण के उपायों के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद गठित की है। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए अपमिश्रण तथा बाट व माप के बारे में विवरणिकाएं निकाली गई हैं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त करने के लिए

एक कक्ष स्थापित करें और उन शिकायतों पर कार्यवाही करें। दिल्ली प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिए हाल में एक उपभोक्ता कार्य निदेशालय स्थापित किया है। स्वैच्छिक उपभोक्ता आन्दोलन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, सरकार जनवरी, 1986 में एक अखिल भारतीय स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन सेमिनार आयोजित करेगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए दिल्ली विकास प्राधिकरण के मामले

4135. श्री सी० जंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुल कितने मामले भेजे गये यह मामले किस तारीख को ब्यूरो को भेजे गये और उनमें से कितने मामलों की जांच पूरी हो चुकी है और कितनों में जांच अभी बाकी है;

(ख) जिन मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिशें स्वीकार की गई हैं उनमें कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित किया गया है, उन्हें किस तरह का दण्ड दिया गया है और प्रत्येक मामले में की गई सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई है जिनके मामले केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गये थे और उनके विरुद्ध आरोप भी सिद्ध हुए थे ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने 1982-85 के दौरान सी० बी० आई० को 12 मामले भेजे थे जिनके बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसे किसी अधिकारी को पदोन्नत नहीं किया गया है जिसके विरुद्ध सी० बी० आई० की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासनिक प्राधिकारी ने विभागीय तौर पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया हो।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(सतर्कता शाखा)

19-11-1985 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो, दिल्ली को सौंपे गए मामलों की सूची।

क्रम सं०	विषय	केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर कार्यरत उ० श्रे० लि० श्री एम० सी० महाजन के विरुद्ध मामला।	2-3-1983	केन्द्रीय जांच ब्यूरों ने मामले को इस टिप्पणी के साथ 21-4-84 को लौटा दिया था कि यह उसके द्वारा जांच का मामला नहीं पाया गया। इस मामले को दिल्ली पुलिस आयुक्त (नियंत्रण) को 7-5-1984 को जांच के लिए भेज दिया गया।
2.	नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में काल्पनिक आधार पर फैक्टरी प्लाट का आबंटन	19-11-1983	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को इस टिप्पणी के साथ 15-7-85 को लौटा दिया गया कि उनके स्रोत सीमति हैं और इस मामले पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जांच की जाये। इस मामले की पुलिस अधीक्षक/केन्द्रीय जांच ब्यूरो के साथ 6-11-1985 को पुनः उठाया गया है।
3.	गांव हसनपुर में डी० डी०ए०	22-11-1983	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को इस टिप्पणी के साथ 21-4-84 को

1	2	3	4
	की भूमि की अवैध बिक्री, श्री जी० बी० रावत, कार्यपालक इंजीनियर और अन्य के विरुद्ध मामला		लौटा दिया कि यह केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के लायक नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विकास भवन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। मामले की मौजूदा स्थिति बताने के लिये दिल्ली पुलिस आयुक्त (एस० पी०) विशेष कक्ष विकास भवन को स्मरण करा दिया गया है। खसरा नं० 95/1 हसनपुर में अपर्याप्त तारों की बाड लगाने और उस पर अनधिकृत निर्माण के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अपनी जांच के दौरान किए गए निष्कर्षों पर की गई कार्रवाई से अवगत कराने के लिए आयुक्त (भूमि) को भी स्मरण करा दिया गया है।
4.	काउण्टर नं० 3 विकास मीनार के नीलामी हाल में भ्रष्टाचार।	26-3-84	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भवन अनुभाग के कैश काउण्टर पर अचानक जांच की थी और उन्हें कोई गंभीर अनियमितता नहीं पाई गई तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार इस मामले को 10-5-84 को समाप्त कर दिया गया।
5.	खसरा नं० 398/152, देव नगर, 20-3-1984 करोल बाग में जाली एन० डी० सी०	20-3-1984	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने मामले को इस टिप्पणी के साथ 21-4-84 को लौटा दिया था कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है दिल्ली विकास प्राधिकरण जैसा उचित समझे अपने तरीके से इसे निपटा सकता है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा मामले को 20-7-84 को समाप्त कर दिया गया।
6.	पी० ई०—11/84—डी० एल० आई०	21-1-84	केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट उनके दिनांक 9-8-85 के पत्र के साथ साथ प्राप्त हो गई है जिसके द्वारा सहायक इंजीनियर श्री एस० पी०

1	2	3	4
	अन्तर्राज्यीय बस अड्डे का फिनाइल मामला।		कालरा सहायक इंजीनियर श्री आर० एल०गुप्ता और दिल्ली विकास प्राधिकरण के सहायक निदेशक श्री सन्त राम (अब उप निदेशक के पद पर पदोन्नत) के विरुद्ध भारी दण्ड के लिए सिफारिश की गई थीइस मामले पर आगे विचार करने के लिए कुछ कर्मचारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो कोभेज कर उनसे कागजात एकत्र किये जा रहे हैं।
7.	प्लाट सं० सी०—24 फ्रेन्डस कालोनी के बारे में 3, बटाला स्ट्रीट, कलकत्ता—70077 के निवासी श्री शंकर दास की शिकायत		इस मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों की विशेष यूनिट जांच कर रही है।
8.	यमुना विहार क्षेत्र को साफ करने पर लगाए गए मजदूरों का विवाद।	6-11-84	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला 19-7-85 को वापस भेज दिया क्योंकि उन्होंने इसे जांच के योग्य नहीं समझा। अधीक्षक इंजीनियर (सतर्कता) इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं।
9.	सरकारी सामग्री की चोरी तथा मैसर्स सुन्दर लाल खत्री एण्ड सन्स द्वारा दी गई झूठी बैंक गारन्टी।	26-7-85	केन्द्रीय जाच ब्यूरो ने यह मामला इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया है कि क्योंकि मामला पहले ही स्थानीय पुलिस के साथ दर्ज कर दिया गया है इसलिये इस पर आगे की कार्यवाही के लिए पुलिस के साथ कार्यवाही की जाये।
10.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के	17-7-85	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला इस टिप्पणी के साथ वापस कर

1	2	3	4
	भवन विकास सदन में आग लगना।		दिया है कि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच परिधि के भीतर नहीं आता है। इस मामले को 22-8-85 को पुलिस उपायुक्त (अपराध तथा रेलवे) को जांच के लिए भेज दिया गया है। अब इस मामले की जांच पुलिस उपायुक्त/दक्षिण दिल्ली जिला, डिफेन्स कालोनी कर रहे हैं।
11.	लाल जी नगर (तेखण्ड) में अनधिकृत निर्माण।	17-7-85	केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला इस टिप्पणी के साथ वापस कर दिया है कि इस मामले में मूल रूप से प्रशासनिक समस्या है और इस पर विभागीय रूप से कार्यवाही की जा सकती है। इस पर फिर से केन्द्रीय जांच ब्यूरो को लिख दिया गया है।
12.	किशनगढ़ का मामला		केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने यह मामला दायर कर दिया है और यह जांचाधीन है।

रेलवे तथा अन्य विभागों में ठेका प्रणाली

4136. श्री विजय कुमार यादव : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे तथा सरकार के अन्य विभागों में ठेका प्रणाली अभी भी विद्यमान है;

(ख) यदि हां, तो ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस प्रणाली को पूर्णतया समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में ठेका श्रम पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इस अधिनियम में, कुछ परिस्थितियों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को समाप्त करने और अन्य मामलों में ठेका श्रमिकों के नियोजन को विनियमित करने की व्यवस्था है।

केन्द्रीय सरकार ने कुछ उद्योगों के कुछ कार्यों/संक्रियाओं में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया है। इनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ठेका श्रम पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

उन कार्यों/संक्रियाओं/काम की श्रेणियों को दर्शाने वाला विवरण, जिनमें केन्द्रीय क्षेत्र में ठेका श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध किया गया है।

क्रमांक	उद्योग का नाम	कार्य/संहिता का स्वरूप	प्रतिषिद्ध करने की तारीख
1	2	3	4
1.	कोयला	(i) कोयला निकालना या कोयला निकालना व बेचना (ii) कोयला लादना और उतारना (iii) सोफ्ट कोक का विनिर्माण, और (iv) अधिभार हटाना और भूमि काटना (v) भूमि के नीचे स्टोन ड्रिफ्टों की ड्राईविंग और विविध प्रकार के पत्थर की कटाई	1-2-1975

1	2	3	4
2.	भवन	उन भवनों की सफाई, डस्टिंग तथा चौकीदारी जो उन प्रतिष्ठानों के स्वामित्व या आधिपत्य में हैं जिनके बारे में केन्द्रीय सरकार संबंधित सरकार है।	1-3-1977
3.	लौह अयस्क खानें	(i) अधिभार हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	10-5-1985
		(iii) फ्लोट संक्रियाएं (iv) क्रशिंग प्लांटो, स्क्रीनिंग प्लांटों और/या कन्भेयर बैल्टों में कूड़ा करकट हटाने की संक्रियाएं और (v) वैगन लेवलिंग संक्रियाएं	28-5-1985
4.	चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा मैंगनीज खानें	(i) अधिभार हटाना और (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग	22-6-1980
5.	कोल वाशरीज	(i) कच्चे माल की उतराई (ii) मैंगनेटाइट की चार्जिंग और (iii) प्लांट क्लीनिंग जिसमें स्लिपेज, छीजन हटाने, कूड़ा करकट साफ करने, मैंगनेटाइट हटाने आदि सहित प्लांट की सफाई शामिल है।	25-7-83
6.	क्रोमाइट खानें	(i) अधिभार उत्खन्न और उसे हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) अयस्क निकालना (iv) अधिभारों को डम्पस तक और अयस्क को संग्रहण स्थलों तक ले जाना	8-12-84
7.	मैंगनेसाइट खानें	(i) अधिभार हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग और (iii) खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84
8.	जिप्सम खानें	(i) अधिभार हटाना (ii) खनन/खनिज पदार्थ निकालना	8-12-84

1	2	3	4
9.	अभ्रक खानें	(i) अभ्रक निकालना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग (iii) खानों से पानी निकालना (iv) कूड़ा करकट हटाना और (v) अभ्रक का संसाधन करना	8-12-84

[अनुवाद]

वर्ष 1985-86 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन

4137. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 के दौरान आरम्भ किए गए अथवा किए जाने वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन ग्रामीण क्षेत्रों का राज्य वार ब्यौरा क्या है जहां 1 अप्रैल, 1985 से अब तक ऐसी योजनाएं आरम्भ कर दी गई हैं?

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं पर निगरानी रखने के लिए किसी तन्त्र की स्थापना की है; और

(घ) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1985 से पहले और उसके बाद आरम्भ किए गए कार्यक्रमों पर वर्ष 1985-86 के पहले छः महीने में ऐसी योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) इस मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अर्थात समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम उपयुक्त संशोधन करके पिछले अनुभवों के आधार पर सातवीं योजना में भी जारी रखे जाएंगे ।

(ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम देश के सभी खंडों में कार्यान्वित किए जाएंगे । सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल राज्य वार जिलों तथा खंडों को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है ।

(ग) जी हां, इस विभाग में आवधिक प्रगति रिपोर्टें मंगाकर, पुनरीक्षण बैठकें आयोजित करके तथा इस विभाग के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे करके कार्यक्रमों की मानिटरिंग की एक व्यापक पद्धति है ।

(घ) एक विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

वर्ष 1985-86 के दौरान सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल किए गए जिलों तथा खण्डों की राज्य वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण

	राज्य	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम		मरुभूमि विकास कार्यक्रम	
		जिलों की संख्या	खंडों की संख्या	जिलों की संख्या	खंडों की संख्या
	1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	8	69		
2.	बिहार	5	54		
3.	गुजरात	8	43	2	9
4.	हरियाणा	1	9	4	26
5.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2	2
6.	जम्मू और काश्मीर	2	13	2	10
7.	कर्नाटक	11	71		
8.	मध्य प्रदेश	6	49		
9.	महाराष्ट्र	12	74		
10.	उड़ीसा	4	39		
11.	राजस्थान	8	30	11	84
12.	तमिलनाडु	6	43		
13.	उत्तर प्रदेश	16	87		
14.	पश्चिम बंगाल	3	34		
	योग :	90	615	21	131

विवरण-II

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमि-हीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के पहले 6 महीनों के दौरान उपलब्धियों की प्रगति को दर्शाने वाला विवरण

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	7.71 लाख लाभार्थी	
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	964.81 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजन	
3. ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	826.98 लाख श्रम दिनों का रोजगार सृजन	
4. सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम	सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम	मरुभूमि विकास कार्यक्रम
	उपलब्धियां	
1. भूमि तथा जल संरक्षण (शामिल क्षेत्र हेक्टेयर)	22500	—
2. वृक्षारोपण के अन्तर्गत क्षेत्र (रोपा गया क्षेत्र हेक्टेयर)	29000	15000
3. सृजित सिंचाई क्षमता (क्षेत्र हेक्टेयर में)	27000	—
4. पशुओं का उपचार (संख्या)	लगभग 6 लाख	1.33 लाख

कर्मचारी भविष्य निधि के दावों के निपटान के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना

4138. श्री रामामूर्ति : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रियायत प्राप्त एककों और गैर रियायती प्राप्त एककों के 31 मार्च, 1984 को कर्मचारी भविष्य निधि बकाया का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन दावों के निपटान संबंधी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सभी खाता धारियों को एकाउन्ट स्लिप दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार 31 मार्च, 1984 को छूट प्राप्त और छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों की ओर क्रमश: 45.75 करोड़ और 41.62 करोड़ रुपये की भविष्य निधि की राशि बकाया थी।

(ख) दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल करने के लिए किए गए या किए जाने वाले कुछ प्रस्तावित उपायों को नीचे बताया गया है :—

(i) सभी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत दावों के निपटान के फार्मों को सरल बनाया गया है और उन्हें मिलाकर एक फार्म कर दिया गया है। इससे सदस्यों को सभी तीनों योजनाओं के अन्तर्गत अपने दावों को एक साथ पेश करने में मदद मिलेगी।

(ii) दावों की जांच करने और उनके दावों के निपटान की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

(iii) दावों के शीघ्र जांच पड़ताल के लिए मानक कार्य शीट्स और चैक लिस्टों को तैयार किया गया है;

(iv) नियोजकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वे सदस्यों द्वारा नौकरी छोड़ने के समय आवेदन पत्रों को भरवाएं ताकि उन्हें नियोजकों द्वारा विधिवत प्रमाणित करके भविष्य निधि कार्यालय को भेजा जा सके;

(v) इस संगठन में लेखा कार्य को क्रमिक ढंग से कम्प्यूटराइज करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) 31 मार्च, 1985 को, कुल 189.4 लाख लेखा स्लिपों में से, 87.1 लाख लेखा स्लिपें जारी की जानी हैं। आवेदन पत्रों के लंबित पड़े रहने के मुख्य कारण नियोजकों से सांविधिक विवरणियों का प्राप्त न होना, अंशदान की अदायगी न करना आदि हैं। भविष्य निधि प्राधिकरण अपेक्षित विवरणियों को प्राप्त करने और बकाया राशि को वसूल करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं ताकि लेखा स्लिपों को शीघ्र जारी किया जा सके।

फलों और सब्जियों के परिरक्षण के लिए गृहणियों को प्रशिक्षण

4139. श्री नित्यानन्द मिश्र
श्री सोमनाथ रथ } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृहणियों को फलों और सब्जियों के परिरक्षण में प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा कम्युनिटी केनिंग एण्ड प्रिजर्वेशन सेन्टर स्थापित करने हेतु व्यवस्था की गई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाये गये हैं; और

(ग) अन्य राज्यों में इस संबंध में उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ग) मंत्रालय ने महिलाओं सहित जन-साधारण को पोषाहार और फलों तथा सब्जियों का परिरक्षण करने के लिए शिक्षित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में 33 सामुदायिक डिब्बाबन्दी और परिरक्षण केन्द्र तथा 30 चलते-फिरते विस्तार यूनिट स्थापित किए हैं। 4 अतिरिक्त चलते-फिरते विस्तार यूनिटों और 3 विधायन केन्द्रों को स्थापित करने के बारे में कार्रवाई की जा रही है। एक विवरण संलग्न है जिसमें इन यूनिटों के राज्यवार स्थान दिए गए हैं।

(ख) उड़ीसा में एक सामुदायिक डिब्बाबंदी और परिरक्षण केन्द्र तथा एक चलता-फिरता विस्तार यूनिट है।

विवरण

सामुदायिक डिब्बा बंदी तथा परिरक्षण केन्द्रों/चलते-फिरते खाद्य तथा पोषाहार विस्तार यूनिटों/खाद्य विधायन केन्द्रों के स्थान बताने वाला विवरण

सामुदायिक डिब्बा बंदी तथा परिरक्षण केन्द्र

राज्य/संघ शासित प्रदेश		स्थान	
1		2	
1.	आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद
		2.	विजयवाड़ा
		3.	विशाखापत्तनम
2.	असम	4.	गुवाहाटी
3.	बिहार	5.	पटना
		6.	रांची

1		2	
4.	चंडीगढ़	7.	चंडीगढ़
5.	दिल्ली	8.	मायापुरी, नई दिल्ली
		9.	किदवई नगर, नई दिल्ली
		10.	सी०सी०कालोनी दिल्ली
		11.	जड़ोधा कलां, दिल्ली
6.	गोवा, दमन और द्वीव	12.	पणजी
7.	गुजरात	13.	बुल्सर
8.	हरियाणा	14.	हिसार
9.	हिमाचल प्रदेश	15.	शिमला
10.	कर्नाटक	16.	बंगलौर
11.	केरल	17.	त्रिवेन्द्रम
		18.	एर्णाकुलम
12.	मध्य प्रदेश	19.	भोपाल
		20.	रायपुर
		21.	जबलपुर
13.	महाराष्ट्र	22.	बम्बई
		23.	पुणे
		24.	नागपुर
14.	मणिपुर	25.	इम्फाल
15.	मेघालय	26.	शिलांग
16.	उड़ीसा	27.	भुवनेश्वर
17.	पंजाब	28.	लुधियाना

1		2	
18.	राजस्थान	29.	जयपुर
		30.	उदयपुर
19.	तमिलनाडु	31.	मद्रास
		32.	मदुरै
20.	पश्चिम बंगाल	33.	कलकत्ता
चलते-फिरते तथा खाद्य पोषाहार विस्तार यूनिटें			
1.	आंध्र प्रदेश	1.	हैदराबाद
		2.	विशाखापत्तनम
2.	अण्डमान निकोबार*	3.	पोर्ट ब्लेयर*
3.	अरूणाचल प्रदेश*	4.	ईटानगर*
4.	असम	5.	गुवाहाटी
5.	बिहार	6.	पटना
		7.	रांची
6.	चण्डीगढ़	8.	चण्डीगढ़
7.	दादर तथा नगर हवेली*	9.	सिल्वासा*
8.	दिल्ली	10.	दिल्ली-I
		11.	दिल्ली-II
9.	गुजरात	12.	अहमदाबाद
10.	गोआ, दमन और द्वीव	13.	पणजी
11.	हिमाचल प्रदेश	14.	मंडी
12.	जम्मू तथा काश्मीर	15.	जम्मू

1		2	
13.	कर्नाटक	16.	बंगलोर
		17.	*मंगलौर*
14.	केरल	18.	त्रिवेन्द्रम
		19.	एर्णाकुलम
15.	मध्य प्रदेश	20.	भोपाल
		21.	रायपुर
16.	महाराष्ट्र	22.	बम्बई
		23.	पुणे
17.	मणिपुर	24.	इम्फाल
18.	मेघालय	25.	शिलांग
19.	उड़ीसा	26.	भुवनेश्वर
20.	पांडिचेरी	27.	पांडिचेरी
21.	राजस्थान	28.	उदयपुर
22.	सिक्किम	29.	गंगटोक
23.	तमिलनाडु	30.	मद्रास
		31.	मदुरै
24.	उत्तर प्रदेश	32.	इलाहाबाद
25.	पश्चिम बंगाल	33.	बरेली
		34.	कलकत्ता

* यूनिटों की स्थापना की जा रही है।

खाद्य विधायन केन्द्र जिनकी स्थापना की जा रही है।

1.	हरियाणा	1.	महेन्द्रगढ़
2.	केरल	2.	बलुसेरी
3.	त्रिपुरा	3.	कुमारघाट

टेलीविजन पर राष्ट्रीय कार्यक्रम

4140. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय द्वारा स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराओं और प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए टेलीविजन को देश के विभिन्न भागों में सामाजिक परिवर्तन का उत्प्रेरक बनाने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस समय जबकि देश की 70 प्रतिशत जनता तक टेलीविजन कार्यक्रम पहुंचते हैं फिर भी राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों में भाषा सम्बन्धी अवरोधों सहित स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा जाता; और

(ग) यदि हां, तो इसकी समय सीमा में क्या सुधारात्मक उपाय किये जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन का प्रयास अपने कार्यक्रमों में शिक्षा, सूचना और मनोरंजन का यथासम्भव सर्वोत्तम मिश्रण प्रस्तुत करने का है। सामाजिक प्रासंगिकता के विभिन्न विषयों को शामिल करने वाले विकास कार्यक्रम कुल टेलीकास्ट समय के लगभग 30 प्रतिशत तथा समाचार और अन्य सूचनात्मक कार्यक्रम 25 प्रतिशत होते हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय कार्यक्रम में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा दिए गए कार्यक्रम अवश्य शामिल होते हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के जीवन और संस्कृति का एकीकृत चित्र प्रस्तुत करना है। सातवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता के अधीन रहते हुए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (लक्षद्वीप और दादर और नागर हवेली को छोड़कर) की राजधानियों में कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य की राजधानी में उपग्रह/माइक्रोवेव लिंक भी उपलब्ध करने की परिकल्पना है ताकि स्थानीय रूप से निर्मित कार्यक्रम राज्य विशेष के रिले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किये जा सकें।

सिंगापुर से भारतीय श्रमिकों का प्रत्यावर्तन

4141. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर में भारतीय उच्च आयोग ने अभी हाल ही में सिंगापुर में पिछले चार सप्ताहों से रुके कुछ ऐसे भारतीयों को भारत वापस भेजा है जो रोजगार दिलाने वाले एक बेईमान एजेंट के शिकार हो गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन बेईमान एजेंटों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए उनके विरुद्ध क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय उच्च आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि पंजाब का एक भर्ती एजेन्ट छह श्रमिकों को काम दिलाने का झूठा वायदा करके 6-10-1985 को सिंगापुर लाया। वहां पहुंचने पर उन्हें एक निजी गेस्ट हाउस में रखा गया और तीन दिन बाद उक्त एजेन्ट उनके ट्रेवलर्स चैक, पासपोर्ट और वापसी टिकट लेकर फरार हो गया। जब यह बात उच्च आयोग के नोटिस में लाई गई, तो इन व्यक्तियों को सलाह दी गई कि वे इस मामले की में पुलिस और उत्प्रवासी प्राधिकारियों को रिपोर्ट करें। पुलिस उक्त एजेन्ट को न ढूंढ़ सकी। उच्च आयोग ने उक्त छह श्रमिकों को 8-11-85 को स्वदेश भेजने का प्रबन्ध किया। उक्त एजेन्ट के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए पासपोर्ट के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनायें स्थापित क्षमता

4142. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं की स्थापना करने तथा खोज करने के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है और तत्सम्बन्धी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि परियोजनाएं समय पर पूरी हो?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) गैस पर आधारित सभी उर्वरक परियोजनाओं को जीरो तारीख से 36-39 महीनों के भीतर पूर्ण किया जाना अपेक्षित है। परियोजना-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस सभी परियोजनाओं के सम्बन्ध में आशय-पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं और परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

(ख) गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने तथा पुनरीक्षण करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की गयी है। इसके अतिरिक्त गैस पर आधारित उर्वरक परियोजनाओं से निपटने के लिए उर्वरक विभाग में एक विशेष कक्ष स्थापित किया गया है। ये व्यवस्थाएं यह सुनिश्चित करती है कि शीघ्र कार्यान्वयन के रास्ते में यदि कोई समस्याएं आनी हैं तो उनका तत्काल निपटान किया जाए।

विवरण

क्रमांक	स्थान	चालू होने की सम्भावित तारीख
1	2	3
1.	विजयपुर, गुना, जिला, म०प्र०	सितम्बर, 1987
2.	आवंला, बरेली, जिला, उ०प्र०	जनवरी, 1988

1	2	3
3.	जगदीशपुर, सुल्तानपुर, जिला, उ०प्र०	जून, 1988
4.	बबराला, बदायूं, जिला, उ०प्र०	जुलाई, 1989
5.	शाहजहांपुर, जिला, उ०प्र०	दिसम्बर, 1989

तरल उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

4143. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में तरल् उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों की तुलना में तरल उर्वरक संयंत्रों के क्या लाभ हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) सूचना मिली है कि तरल उर्वरक उत्पादन की लागत तथा प्रयोग, मिट्टी में उर्वरक पोषकों के और अधिक समान वितरण और माइक्रो-पोषकों तथा बूटीमार के साथ मिश्रित होने की सम्भावना आदि के क्षेत्रों में लाभ प्रदान करते हैं। यह भी सूचना मिली है कि उनमें पूर्णता यंत्रीकृत कुशल प्रयोग एवं वितरण सम्भव है। तथापि, केवल तरल उर्वरकों के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जा सकता है, यदि भारतीय अवस्थाओं में बड़ी मात्रा में तरल उर्वरक का उत्पादन वितरण/प्रयोग टकनीकी आर्थिक रूप से व्यवहार्य सिद्ध होता है।

प्रति व्यक्ति खाद्य उत्पादन

4144. श्री अनिल बसु
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहले की योजना अवधियों की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या पहले की योजना अवधियों की तुलना में छठी योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति खपत कम हो गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सातवीं योजना अवधि के दौरान खाद्यान्नों के प्रति व्यक्ति उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) चौथी पांचवीं

और छठी योजना अवधि के अन्त तक खाद्यान्नों का प्रति व्यक्ति उत्पादन नीचे दिया गया है :—

योजना	वर्ष	प्रति व्यक्ति उत्पादन ग्राम प्रतिदिन
चौथी	1973-74	286.0
पांचवीं	1978-79	547.4
छठी	1984-85 (अनन्तिम)	531.0

(ख) 1974- 1979 और 1984 में खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

योजना	कैलेंडर वर्ष	प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धि (ग्राम प्रति दिन)
चौथी	1974	451.2
पांचवीं	1979	476.5
छठी	1984 (अनन्तिम)	483.1

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए अनुमानित जनसंख्या और खाद्यान्न उत्पादन तथा लक्षित उत्पादन प्राप्त करने सम्बन्धी नीति भी योजना आयोग द्वारा प्रकाशित दस्तावेज "सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90" में दी गई है।

शहरी परिवहन परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण आर्थिक सहायता

4145. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों में जन परिवहन सेवाओं की किस्म और संख्या में सुधार करने के लिए तैयार की गई शहरी परिवहन परियोजनाओं हेतु अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक द्वारा ऋण/आर्थिक सहायता को मंजूरी दिये जाने की सरकार को कोई जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक ऐसे कितने ऋणों/आर्थिक सहायता का उपयोग किया गया है; और

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ऐसी परियोजनाओं के अन्तर्गत मूल लक्ष्यों को अब तक किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान, अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण/विश्व बैंक ने वित्तीय सहायता हेतु कोई नई शहरी परिवहन परियोजना स्वीकृत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

तटवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक टी० वी० सैट

4146. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों, विशेषतया मछुआरों में जागृति और शिक्षा में सुधार करने के लिए तटवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक सैटों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : तटवर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक अवलोकन के लिए टेलीविजन सैट उपलब्ध करने का केन्द्रीय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने संसाधनों में से टी०वी० सैट उपलब्ध करके अपने-अपने क्षेत्रों में सामुदायिक अवलोकन स्कीम का विस्तार करें।

दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित बदरपुर खानों में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मौतें

4147. श्री मूलचन्द डागा : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली हरियाणा सीमा पर स्थित बदरपुर खानों में दुर्घटनाओं के फलस्वरूप कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) उसके क्या कारण थे और तत्सम्बन्धी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने मामलों में हरियाणा सरकार ने हस्तक्षेप किया है और हरियाणा सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि के दौरान क्षेत्र में कितनी मौतों की सूचना दी गई;

(घ) दोनों सरकारों द्वारा इस क्षेत्र में क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष मुआवजे के रूप में कितनी धनराशि दी है; और

(च) क्या उपर्युक्त खानें सरकार के प्रबन्ध के अधीन है अथवा पट्टे पर दी गई हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली हरियाणा सीमा पर बदरपुर खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों और इन

दुर्घटनाओं के कारण निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं :—

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	दुर्घटना के कारण
1983	8	14	वाटर ड्रम से चोट लगी/ साइडों का गिरना
1984	1	1	व्यक्तियों का गिरना
1985 (30-11-85 तक)	—	—	—

(ग) हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद में तीन बजरी/सिलिका रेत खानों के पट्टे समय से पूर्व समाप्त कर दिए।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने भाटी खानों की पुरानी पिटों से खनन संक्रियायें बन्द कर दी और नए क्षेत्रों में खनन संक्रियाएं सीधे दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड के नियंत्रण में शुरू की गई।

(ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजा देय है, जिसे राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लागू किया जाता है।

(च) भाटी क्षेत्र में बजरी खानों का प्रबन्ध दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है जो कि दिल्ली प्रशासन के नियन्त्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। फरीदाबाद में गैर-सरकारी पक्षों को हरियाणा सरकार द्वारा पट्टा दिया गया है और अक्तूबर, 1985 में दो खनन पट्टे हरियाणा खनिज लिमिटेड को दिए गए जो गुड़गांव जिले में एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

आसनसोल दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र के आसपास का विकास

4148. **श्री सतीश चन्द्र सिंह** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का आसनसोल-दुर्गापुर औद्योगिक क्षेत्र जहां बहुत से सरकारी उपक्रम हैं, के आसपास के क्षेत्र का विकास करने का कोई कार्यक्रम/योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) छठी योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) फिलहाल इस क्षेत्र का विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नई दिल्ली नगर पालिका कर्मचारियों को पालिका आवास

4149. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालिका आवास आपात और अनिवार्य ड्यूटी वाले कर्मचारियों को बिना बारी के आधार पर आबंटित किये जाते हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के नियन्त्रण कक्ष (जल सप्लाई) में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाएं भी आपात/अनिवार्य मानी जाती हैं;

(ग) यदि हां, तो नियन्त्रण कक्ष (जल सप्लाई) के उन कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिनको बिना बारी के आधार पर पालिका आवास आबंटित किये गये हैं;

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका के उन कर्मचारियों का ब्योरा क्या है जिन्हें पिछले दो वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर आवास आबंटित किया गया है; और

(ङ) कितने आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जैसे कि नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है, पालिका आवास का बिना बारी का आबंटन प्रत्येक के गुणावगुण के आधार पर उन कर्मचारियों को किया जा सकता है जो सेवा की अत्यावश्यकताओं में आपातकालीन तथा आवश्यक कार्य कर रहे हों, यद्यपि पालिका ने अभी तक इस प्रयोजन के लिए अभी तक आवश्यक कार्य पदों का चयन नहीं किया है। सेवाओं की अत्यावश्यकता के आधार पर केवल नियंत्रण कक्ष (जलपूर्ति) के कार्य सहायक को टाइप-II के आवास का आबंटन किया गया बताया गया है।

(घ) दिसम्बर, 1983 से नवम्बर, 1985 की अवधि के दौरान सेवा की अत्यावश्यकता के आधार पर संलग्न विवरण में दिये गये ब्योरे के अनुसार, कुल मिलाकर 53 कर्मचारियों को बिना बारी के आधार पर क्वार्टरों का आबंटन किया गया है।

(ङ) फिलहाल कोई आवेदन लम्बित नहीं पड़ा है।

विवरण

जिन कर्मचारियों को दिसम्बर, 83 से नवम्बर, 85 तक की अवधि तक तात्कालिक सेवा प्रकृति के लिए क्वार्टर आवंटित किए गए, उनकी सूची

क्रम सं०	नाम तथा पद नाम		आवंटित वास	कार्यालय आदेश संख्या तथा तारीख
1	2		3	4
1.	श्री प्रतीम सिंह	चौकीदार	एफ-1 प्राइमरी स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	341 दिनांक 12-12-83
2.	होती लाल	-वही-	नए क्वार्टर प्राइमरी स्कूल, नारोजी नगर	-वही-
3.	श्री केसरी	-वही-	नए क्वार्टर प्राइमरी स्कूल, मोती बाग	-वही-
4.	श्री महमूद हुसैन	-वही-	एफ-4, प्राइमरी स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	-वही-
5.	श्री जयपाल	-वही-	जी-3, -वही-	-वही-
6.	श्री ओम प्रकाश	-वही-	न०पा०क०सी०सें० स्कूल गोल मार्केट के प्रथम तल का क्वार्टर	-वही-
7.	श्री गुरिन्दर सिंह	-वही-	नए क्वार्टर प्रा० स्कूल, x1/मोती बाग	-वही-
8.	श्री रती राम	-वही-	जी-4, प्रा० स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	-वही-
9.	श्री रामानुज	-वही-	जी-1, प्रा० स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर	-वही-
10.	श्री राधे लाल	-वही-	पटौदी हाउस प्रा० स्कूल में एक पुराना कमरा रोकने की स्वीकृति	-वही-
11.	श्री बलबीर सिंह	-वही-	एफ-3, प्रा० स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	-वही

1	2		3	4
12.	श्रीमती उमा बाला सिन्हा किचन क्लीनर		एच-5, एन०डी०एम०सी० अस्पताल मोती बाग	370 दिनांक 24-1-84
13.	श्री ओम पाल सिंह	वार्ड ब्वाय	एच-7, मोती बाग	-वही-
14.	डा० के०एस० सक्सेना, रेडियोलाजिस्ट		फ्लैट नं० 6, मोती बाग	372 पी दिनांक 28-1-84
15.	डा० (श्रीमती) पूर्णिमा राय	चक्षु विशेषज्ञ	फ्लैट नं० 6, मोती बाग (iv)	-वही-
16.	श्रीमती सुषमा वर्गीस,	नर्स	डी-359, मोती बाग	410, दिनांक 13-3-84
17.	श्री अजैब सिंह,	चौकीदार	क्वा० नं० 3, प्रा० स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	429 दिनांक 23-4-84
18.	श्री होती लाल	-वही-	क्वार्टर नं० एफ-4, -वही-	-वही-
19.	श्री महावीर	-वही-	क्वा० नं० एफ-[illegible], -वही-	-वही-
20.	श्री बलबीर सिंह	-वही-	प्रा० स्कूल, I v मोती बाग में नए क्वार्टर	-वही-
21.	श्री याद राम,	चौकीदार	एन०डी०एम०सी० नवयुग सरोजनी नगर में एक क्वार्टर	448 दिनांक 9-5-84
22.	श्री [illegible] सिंह,	माली	क्वार्टर-2, -वही-	-वही-
23.	श्री हयात सिंह,	हेल्पर	क्वा० 4, -वही-	-वही-
24.	श्री ए०वी० रो[illegible],	चपरासी	क्वा० नं० 5, -वही-	-वही-
25.	श्री भुवन चन्द,	ड्राइवर	क्वा० नं० 3, -वही-	-वही-
26.	श्रीमती गायत्री शर्मा	(नर्स)	आर-14 (11) हैल्थ सेंटर, आर०के० पुरम	482 दिनांक 23-6-84
27.	श्री सुभाष चन्द (वायरमैन प्रथम तल)		बी-13, आर०के० पुरम	496 दिनांक 25-7-84

1	2	3	4
28.	श्री छंगा सिंह, चौकीदार एम०बी० अस्पताल	185, बापू धाम	526 दिनांक 26-9-84
29.	डा० (श्रीमती) अहूजा ई०एन०टी० (विशेषज्ञ)	एफ-2 (iii) मोती बाग अस्पताल	558, दिनांक 5-11-84
30.	श्रीमती गुरशरन कौर, नर्स	क्वा० नं० 20, सी०डब्लू०सी० लोधी कालोनी	563 दिनांक 27-11-84
31.	श्री राजिन्दर कुमार (केयर टेकर)	किदवई नगर बरातघर में क्वार्टर	578 दिनांक 21.12-84
32.	डा० एन० पमनानी (सी० रेजीडेंस)	मोती बाग अस्पताल (iii) का क्वा० नं० 1 का कमरा नं० 1	55 दिनांक 22-4-85
33.	श्री वीरेन्दर कुमार (ए०एस०ई०एक्स०ओ०)	फ्लैट नं० 1, इलैक्ट० एस०/स्टेशन-iii (टा० iv)	60 दिनांक 26-4-85
34.	कु० सुषमा देवी, नर्स ग्रेड-I	कमरा नं० अविवाहित नर्स होस्टल मोती बाग अस्पताल	74 दिनांक 17-6-85
35.	कुलवन्त सिंह (एम्बुलेंस वैन ड्राइवर)	जी-43, हरिजन बस्ती	79 दिनांक 24-6-85
36.	डा० (श्रीमती) विजय भारती	फ्लैट नं० 2, (iv) मोती बाग अस्पताल	80 दिनांक 24-6-85
37.	पदन सिंह, खलासी	क्वा० नं० 7, कम्पोस्ट प्लैट ओखला	69 दिनांक 30-5-85
38.	श्री बुलक सिंह, क्लीनर	क्वा० नं० 3, -वही-	-वही-
39.	श्री रमेश चन्द, लाइन मैन	क्वा० नं० 4, -वही-	-वही-
40.	श्री धन सिंह, खलासी	क्वा० नं० 9, -वही-	-वही-
41.	श्री देवी प्रसाद, चौकीदार	क्वा० नं० 5, -वही-	-वही-

1	2	3	4
42.	श्री चन्द्र भान, चौकीदार	क्वा० नं० 6, -वही-	-वही-
43.	श्री दयादीन, चौकीदार	क्वा० नं० 11 -वही-	-वही-
44.	श्री पदम सिंह, चौकीदार	क्वा० नं० 8, -वही-	84 दिनांक 26-6-85
45.	श्री विजय सिंह, खलासी	क्वा० नं० 10, वही-	-वही-
46.	श्री हरीश, आटो फिल्टर कम्पोस्ट प्लांट	क्वा० नं० 4, -वही-	92 दिनांक 18-7-85
47.	डा० (श्रीमती) रीनापहवा एम० एण्ड सी०डब्ल०सी० के प्रभारी	टाइप 4, क्वा० नं० 1, कामुनिटी हाल पी०आर० रोड	94 दिनांक 23-7-84
48.	श्री जानकी प्रकाश एम० एण्ड सी०डब्लू०सी० एल०एच०वी०	टाइप-4, क्वा० नं० 2, एम० एण्ड सी०डब्लू०सी० कामुनिटी हाल, आर०के० रोड	-वही-
49.	श्रीमती ए०डब्लू० सिंह, सी०डब्लू०सी० लोधी रोड, नर्स	क्वा० नं० 16, एम० एण्ड सी० डब्लू०सी० लोधी कालोनी (II)	99 दिनांक 31-7-85
50.	श्री दिलवर, खांन स्कूल चौकीदार	क्वा० नं० जी-2, एन०पी०प्रा० स्कूल, लक्ष्मी बाई नगर	151 दिनांक 24-10-85
51.	डा० (श्रीमती) स्नेह वर्मा जी०डी०एम०ओ० (ii) एन०डी०एम०सी० अस्पताल	एफ-2, (iii) मोती बाग अस्पताल	151 दिनांक 6-11-85
52.	श्री लखी राम, स्टाफ कार ड्राइवर,	36, सी०डब्लू०सी० लोधी कालोनी	163 दिनांक 14-11.85
53.	श्री हरी सिंह, चौकीदार एन०पी० प्रा० स्कूल, विनय मार्ग	क्वा० नं० 2, डुप्लेक्स लेन स्कूल	169 दिनांक 22-11-85

उड़ीसा में चावल की गहन खेती कार्यक्रम

4150. श्री जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में चावल की गहन खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ब्लाक शामिल किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य में सभी ब्लाकों को इसमें शामिल करने का कोई कार्यक्रम है, यदि हां, तो कब तक;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत राज्य में किसानों को क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों को उस कार्यक्रम का पूर्ण लाभ पहुंचाने हेतु राज्य सरकारों को उचित अंशदान को समाप्त करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उड़ीसा में केन्द्र द्वारा प्रायोजित चावल उत्पादन के विशेष कार्यक्रम के तहत सभी 63 ब्लाक शामिल किए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत किसानों को दी गई सहायता नीचे दी गई है :—

1. धान के बीज के मिनिकिट निःशुल्क दिए गए।

2. उर्वरक पर 25 प्रतिशत राज सहायता।

3. शाक नाशक दवाओं सहित कीटनाशक दवाओं पर 50 प्रतिशत राज-सहायता।

4. पौधे संरक्षण उपस्कर पर 50 प्रतिशत राज-सहायता।

5. उन्नत बैल चालित तथा हस्त चालित फार्म उपस्करों पर 50 प्रतिशत राज-सहायता।

6. किसानों तथा फार्म के श्रमिकों को उन्नत चावल उत्पादन प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण।

(घ) जी, नहीं।

मत्स्य बीज विकास निगम को सहायता

4151. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां मत्स्य बीज विकास निगम स्थापित किए गए हैं;

(ख) उन राज्यों को इन निगमों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने इन निगमों को आर्थिक सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक बीज निगम को विश्व बैंक द्वारा दी गई आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ग) विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों में डिम्पोना विकास निगम स्थापित किए गए हैं और विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य मात्स्यकी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में डिम्पोना विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) और (घ) 15-4-1985 तक विश्व बैंक से सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा संवितरित पुनर्वित्त की राशि निम्नवत् है :—

(लाख रुपए)

राज्य	डिम्पोना विकास निगम द्वारा हेचरी निर्माण कार्यक्रम	राज्य सरकार द्वारा पोखर विकास कार्यक्रम
मध्य प्रदेश	3.55	2.20
उत्तर प्रदेश	4.30	4.54
बिहार	3.17	6.65
प० बंगाल	3.77	12.92
उड़ीसा	9.80	15.60

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का पुनर्वास

4152. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान देश में समाज के कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आर्थिक दृष्टि से बसाने का विचार है;

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में ऐसे कितने लोगों को उपरोक्त कार्यक्रम के अंतर्गत लाये जाने का विचार है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) वर्ष 1985-86 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू में पूरक सहायता हेतु 4 मिलियन लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था। जिनमें 3 मिलियन पुराने लाभार्थी और एक मिलियन नए लाभार्थी शामिल हैं। पूरक सहायता के लिए अपेक्षित घर-घर जाकर सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर इसे अब संशोधित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उड़ीसा के लिए मूलतः 2.46 लाख का लक्ष्य रखा गया था —1.84 लाख पुराने और 0.62 लाख नये। इसे संशोधित किये जाने की संभावना है।

उपभोक्ता सहकारी बिक्री केन्द्र

4153. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने उपभोक्ता सहकारी बिक्री केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में ऐसे बिक्रय केन्द्रों की संख्या बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो सातवीं योजना के अन्त तक देश में ऐसे कितने बिक्री केन्द्र खोलने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) छठी योजना की समाप्ति पर देश में 32,500 उपभोक्ता सहकारी खुदरा बिक्री केन्द्र थे। इसके अलावा, 40,100 प्राथमिक कृषि समितियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोले हैं।

(ख) से (घ) सातवीं योजना के दौरान शहरी क्षेत्र में उपभोक्ता सहकारी समितियों द्वारा 1200 खुदरा बिक्री केन्द्र, जिनमें 100 बहुविभागी भण्डार, 250 बड़े आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 850 छोटे आकार के खुदरा बिक्री केन्द्र शामिल हैं, खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने के लिए 22,500 प्राथमिक कृषि समितियों की सहायता करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में आवासीय यूनिटों का पिछला बकाया

4154. श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आवासीय यूनिटों का इस समय कितना पिछला बकाया है; और

(ख) नगर में नए आवासों की वार्षिक जरूरत कितनी होगी ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) संदर्श योजना प्रारूप में दिल्ली आवास की वर्तमान कमी लगभग 3 लाख एकक बताई गई है।

(ख) नये आवास एककों की कुल आवश्यकता दो दशकों अर्थात 1981 से 2001 तक 16.2 लाख एकक बताई गई है। संदर्श योजना प्रारूप में 1986-91 के दौरान वार्षिक आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग 75,000 एकक बताई गई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

4155. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्माणाधीन क्वार्टरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए मकानों का और निर्माण करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सामान्य पूल से आवास के आबंटन द्वारा कितने प्रतिशत कर्मचारियों को मकान देने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) 4474

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं योजना के दौरान दिल्ली में लगभग 2500 क्वार्टरों का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) इससे लाभान्वित होने वाले सम्भावित कर्मचारियों का प्रतिशत लगभग 48 होगा।

भारतीय गन्ना विकास परिषद्

4156. **श्री जी० भूपति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय गन्ना विकास परिषद की पिछली बैठक किस तारीख को हुई थी और परिषद

का अभी तक पुनर्गठन न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) गन्ना विकास निदेशालय का वर्तमान ढांचा, कृत्य क्या है और और यह कहां पर स्थित है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) भारतीय गन्ना विकास परिषद की पिछली बैठक 14 अक्तूबर, 1980 को हुई थी। सभी सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय गन्ना विकास परिषद के पुनर्गठन के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। राज्य सरकारों तथा अन्य सम्बन्धित विभागों और संगठनों को परिषद का पुनर्गठन करने के लिए उनकी सिफारिश प्राप्त करने की दृष्टि से, लिखा गया है और मामले का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) गन्ना विकास का निदेशालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद में स्थित है। इसका नेतृत्व निदेशक द्वारा किया जाता है, जो तकनीकी अधिकारी हैं और उसकी सहायता तीन तकनीकी अधिकारियों और 35 अन्य सहायता करने वाले कर्मचारियों द्वारा की जाती है, गन्ना विकास निदेशालय के महत्वपूर्ण कार्य नीचे दिए गए हैं :—

(1) विकास के दौरान राज्य सरकारों तथा अन्य राज्य स्तर की एजेन्सियों के साथ सम्पर्क बनाए रखना।

(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि महाविद्यालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों द्वारा शुरू किए गए अनुसंधान कार्य के साथ तालमेल रखकर अनुसंधान तथा विकास के बीच समन्वय करना।

(3) फसल क्षेत्र, उत्पादन, मूल्य, विपणन, व्यापार, खपत सम्बन्धी आंकड़ों और विकास के अन्य सम्बन्धित घटकों तथा समस्याओं सम्बन्धी अध्ययनों का संकलन तथा विश्लेषण करना।

(4) उपरोक्त विभिन्न घटकों के साथ-साथ कृषि जलवायवीय परिस्थितियों में बदलाव तथा अन्य संबद्ध घटकों के संबंध में फसल अनुमानों तथा सम्भाव्यता के बारे में कृषि और सहकारिता विभाग को जानकारी प्रदान करना।

(5) प्रकाशनों के माध्यम से तकनीकी ज्ञान तथा जानकारी का प्रचार करना, जिसमें विशिष्ट पत्रिकाएं/पुस्तिकाएं और अन्य प्रचार साहित्य शामिल हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की विदेश यात्रा

4107. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त/सितम्बर, 1985 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकांश अधिकारी विदेशी दौरों पर गए थे जिसके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण का कामकाज वास्तविक रूप से ठप्प पड़ गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दौरों की मंजूरी किस स्तर पर दी गई थी;

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के केवल उपाध्यक्ष, इंजीनियर सदस्य तथा मुख्य इंजीनियर विदेश गए थे। उन्होंने डेनमार्क तथा यूरोप के अन्य देशों का दौरा प्रीफैब निर्माण के बारे में आधुनिक तकनीकी तथा सहयोग की संभाव्यताओं का अध्ययन करने के लिए किया था।

(ग) उनका दौरा दिल्ली के उप राज्यपाल जो कि प्राधिकरण का अध्यक्ष भी है ने अनुमोदित किया था।

छठी तथा सातवीं योजना के दौरान अधिक पैदावार वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

4158. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजनावधि के दौरान अधिक पैदावार वाली फसलों के अन्तर्गत क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजनावधि के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इस बारे में क्या लक्ष्य प्राप्त किए गए;

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान अधिक पैदावार वाली फसलों के अंतर्गत क्षेत्रों में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सी योजनाएं बताई गई हैं और कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) छठी योजना के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा इस सम्बन्ध में प्राप्त वर्षवार लक्ष्य निम्न-वत् हैं :—

अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत राज्यवार कुल क्षेत्र

(लाख हेक्टेयर में)

1	2 राज्य	3 1980-81	4 1981-82	5 1982-83	6 1983-84	7 1984-85 प्रत्याशित लक्ष्य
1.	आंध्र प्रदेश	34.78	39.98	40.73	42.29	44.72
2.	असम	6.89	9.98	10.60	11.15	11.76
3.	बिहार	32.80	37.00	38.75	45.00	50.00
4.	गुजरात	21.71	21.41	21.94	24.10	24.40
5.	हरियाणा	21.37	23.88	25.49	26.61	26.95
6.	हिमाचल प्रदेश	4.14	4.45	4.47	4.60	4.88
7.	जम्मू व कश्मीर	4.32	4.64	4.64	4.79	5.05
8.	कर्नाटक	17.06	19.50	18.79	20.67	20.80
9.	केरल	3.96	4.31	4.65	2.00	2.20
10.	मध्य प्रदेश	31.15	31.97	38.51	40.71	50.50
11.	महाराष्ट्र	43.78	45.43	47.33	65 23	54.58
12.	मणिपुर	0.55	0.79	0.79	0.88	0.92
13.	मेघालय	0.30	0.33	0.33	0.40	0.46
14.	नागालैंड	0.16	0.19	0.22	0.2	0.24
15.	उड़ीसा	13.45	13.98	18.24	16.87	18.20
16.	पंजाब	40.13	42.49	44.36	46.78	48.85

1	2	3	4	5	6	7
17.	राजस्थान	19.07	22.23	25.59	28.91	25.53
18.	सिक्किम	0.33	0.33	0.32	0.36	0.37
19.	तमिलनाडु	23.67	28.30	16 40	28.70	31.50
20.	त्रिपुरा	1.37	1.58	1.55	1.54	1.50
21.	उत्तर प्रदेश	88.45	89.92	90.32	101.45	106.35
22.	पश्चिम बंगाल	21.35	22.22	20.21	23.39	22.85
	कुल राज्य	430.79	464.91	474.22	535.85	552.61

(ग) 7वीं योजना अवधि के अन्त तक अधिक उपज देने वाली धान्य की किस्मों के तहत 700 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाने का विचार है।

(घ) अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात् (1) चावल की सामुदायिक पौधशालाओं की स्थापना; (2) चावल के मिनिकिट प्रदर्शनों का कार्यक्रम; (3) आदिवासी/पिछड़े इलाकों में मक्का का प्रदर्शन (4) गेहूं की किवू संवेदी किस्मों का प्रतिस्थापन; और (5) विस्तार कार्यकर्ताओं का राज्य स्तर पर प्रशिक्षण को मदद मिलती है। सातवीं योजना अवधि के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 15 करोड़ रुपए का अस्थायी नियतन किया गया है।

कृषि वित्त पोषण प्रणाली में सुधार

4159. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि वित्त पोषण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों में क्या विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कृषि वित्त पोषण की वर्तमान प्रणाली में सुधार करने के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं :—

1. प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का तेजी से विकास करने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं। जून, 1985 के अन्त में इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा 16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 4399 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का चयन किया गया है।

2. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने भारत में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का समेकित विकास करने के लिए एक मार्गदर्शी परियोजना तैयार की है। परियोजना में विपणन, परिसंस्करण, विपणन, भण्डारण आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए समितियों को सहायता देने की व्यवस्था की गई है।

3. उन बैंकों के सम्बन्ध में, जिनके ऋण और संदिग्ध ऋण, संचित हानियां और 3 वर्ष से अधिक को अन्य अतिदेयताएं उनकी अपनी निधि को 50 प्रतिशत से बढ़ गई हैं, राज्य सहकारी बैंकों/केन्द्रीय सहकारी बैंकों की पुनर्स्थापना का एक कार्यक्रम शुरू किया गया। कई बैंकों द्वारा पुनर्स्थापना कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मूल्यांकन अध्ययन भी किए गए जिससे कि कठिनाइयों का पता लगाया जा सके तथा उपचारात्मक उपाय सुझाए जा सकें।

4. कई राज्य भूमि विकास बैंकों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विशेषज्ञों के जरिए संगठनात्मक तथा प्रबन्ध सम्बन्धी अध्ययन आयोजित किए गए और उनके कार्यों में सुधार करने के लिए राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें की गईं। कमजोर एककों के रूप में अभिज्ञात किए गए प्राथमिक भूमि विकास बैंकों के लिए पुनर्स्थापना कार्यक्रम तैयार करने के लिए राज्य भूमि विकास बैंकों को भी मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गए। भूमि विकास संरचना को पेश आने वाली वित्तीय तथा कानूनी प्रकृति की संरचना को मूल कठिनाइयों का अध्ययन करने के लिए जिससे उनकी स्थिति में सुधार लाने के उपचारात्मक उपाए सुझाने की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कार्यकारी दल का भी गठन किया गया है।

5. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने पुन: वित्त पोषण के पात्र अनिच्छुक चूककर्ताओं का पता लगाने और अतिदेयों की बाधाओं को दूर करके राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से पुनर्वित्त के लिए बैंकों को पात्र बनाने के लिए एक पैकेज कार्यक्रम की स्वीकृति दी है।

6. भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक और प्रचालनात्मक पहलुओं पर विशेषज्ञ को राय के लिए एक सलाहकार समिति गठित की।

7. बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सलाह दी गई है कि कृषि के लिए दी जाने वाली उनकी प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता (संबंधित कार्यकलापों सहित) मार्च, 1987 तक उनके कुल ऋण को 16 प्रतिशत के स्तर तक पहुंच जानी चाहिए।

8. अन्य उपायों में, वाणिज्यिक बैंकों में कृषि अधिकारियों की व्यवस्था करना, ऋण के आवेदन फार्मों का सरलीकरण करना, क्षेत्रीय भाषाओं में ऋण के आवेदन फार्मों की व्यवस्था करना, जामन तथा मार्जन संबंधी मानदण्डों में ढील देना और रियायती ब्याज दर की व्यवस्था करना शामिल है।

9. सूखा, बाढ़ आदि के फलस्वरूप फसल बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए देश में खरीफ 1985 से फसल बीमा पर एक वृहत् योजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पेयजल की सप्लाई के लिए उत्तर प्रदेश को धनराशि का आवंटन

4160. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेयजल सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश को 175 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है।

छोटे और मझौले नगरों के विकास तथा कम लागत की सफाई योजनाओं के लिए आवंटन

4161. श्री हरीश रावत : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान छोटे और मझौले नगरों के विकास तथा कम लागत की सफाई योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि दी गई और सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इस योजनावधि में कुछ नये नगरों को इस योजना के अन्तर्गत लिया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ बागेश्वर और जनजाति प्रधान टाउन एरिया धरचूला को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया जायेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह): (क) छठी पंचवर्षीय योजना के

दौरान छोटे तथा मध्यम वर्गों के शहरों के विकास और कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई राशि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम सं०	राज्य	छोटे तथा मध्यम वर्जे के शहरों के एकीकृत विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	कम लागत की स्वच्छता योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता
		(लाख रुपयों में)	
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	397.80	5.83
2.	असम	197.50	—
3.	बिहार	298.00	34.21
4.	गुजरात	407.85	20.82
5.	हरियाणा	143.00	—
6.	हिमाचल प्रदेश	34.78	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	18.76	—
8.	कर्नाटक	252.00	73.25
9.	केरल	270.30	41.25
10.	मध्य प्रदेश	258.09	39.251
11.	महाराष्ट्र	641.16	57.351
12.	मणिपुर	9.10	—
13.	मेघालय	18.90	—
14.	नागालैंड	25.00	—
15.	उड़ीसा	212.50	—
16.	पंजाब	308.25	84.00
17.	राजस्थान	394.00	92.00
18.	सिक्किम	5.50	—

1	2	3	4
19.	तमिलनाडु	832.80	67.28
20.	त्रिपुरा	17.40	—
21.	उत्तर प्रदेश	458.60	8.53
22.	पश्चिम बंगाल	375.45	149.87
संघ राज्य क्षेत्र			
1.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	25.08	—
2.	दादर तथा नागर हवेली	25.00	—
3.	गोवा, दमन तथा द्वीव	30.50	—
4.	मिजोरम	22.50	--
5.	पाण्डिचेरी	4.00	—
	योग :	5683.74	673.641

7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों के एकीकृत विकास के लिए 88 करोड़ रुपये की राशि उद्दिष्ट की गई है।

(ख) सातवीं योजना के दौरान एक लाख से कम आबादी वाले 102 नए नगरों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) नगरों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। केन्द्रीय सरकार को इन तीन नगरों की परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए समेकित बागवानी विकास परियोजना

4162. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानी के विकास के लिए 5738 करोड़ रुपये

की अनुमानित लागत को एक समंकित बागवानी विकास परियोजना विश्व बैंक की मंजूरी के लिए भेजी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना विश्व बैंक को कब प्रस्तुत की गई थी और इस परियोजना के बारे में विश्व बैंक के विशेषज्ञों की क्या राय है; और

(ग) इस परियोजना के लिए विश्व बैंक से कब तक सहायता मिलने की सम्भावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में 57.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बागवानी विकास की एक परियोजना सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

(ख) और (ग) यह परियोजना सहायता हेतु विश्व बैंक को 30-5-84 को प्रस्तुत की गई थी। हाल ही में विश्व बैंक के एक मिशन ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और यह निष्कर्ष निकाला है कि वर्तमान अनुदेश के आधार पर उनके लिए औपचारिक रूप से परियोजना का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं होगा।

[अनुवाद]

पटसन का उत्पादन

4163. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 में पटसन के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 1985-86 में पटसन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) फसल वर्ष 1984-85 के दौरान देश में पटसन का उत्पादन 66.8 लाख गांठ था, जो 1983-84 के 63.2 लाख गांठों के उत्पादन स्तर की तुलना में अधिक है।

(ग) 1985-86 के दौरान देश में पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए गहन पटसन विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित, योजना पटसन का उत्पादन करने वाले सात प्रमुख राज्यों में चल रही है। इस योजना में पटसन के उत्पादकों के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की व्यवस्था की गई है :—

(1) उन्नत प्रमाणीकृत बीज;

(2) खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग;

(3) ड्रिल तथा गोड़क (व्हील हो) का प्रयोग;

(4) वैज्ञानिक कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन;

(5) गलाने वाले जलाशयों का निर्माण;

(6) मिनिकिटों की व्यवस्था करना;

(7) पटसन का श्रेणीकरण आदि में प्रशिक्षण देने के लिए वजीफा।

कासरगोड जिले (केरल) के राम नगर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

4164. **श्री आई० रामाराय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार की केरल के कासरगोड जिले में रामनगर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक चालू किये जाने की सम्भावना हैं?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान कासरगोड में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। तथापि, इस स्कीम का कार्यान्वयन संसाधनों की वर्ष-वार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में गिरावट

4165. **डा० फूल रेणु गुहा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति कृषि भूमि में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में वर्तमान स्थिति क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) चूंकि भूमि एक स्थिर प्राकृतिक स्रोत है, अतः कुल तथा कृषि के लिए उपलब्ध दोनों ही मामलों में इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता के जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ, आगामी वर्षों में गिरने की सम्भावना है।

1981-82 से 1984-85 की अवधि के दारान प्रति व्यक्ति भूमि की कुल उपलब्धता और कृषि के लिए उपलब्ध भूमि निम्नानुसार है :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति कुल भूमि	(क्षेत्र हैक्टेयर में) प्रति व्यक्ति कृष्य भूमि
1981-82	0.47	0.26
1982-8 3	0.46	0.26
1983-84	0.45	0.25
1984-85	0.44	0.25

चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म का समाप्त होना

4166. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में शुरू किए जाने के बाद पहले पैदा होने वाली काफी किस्में समाप्त हो रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन किस्मों के अनुरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा चावल के सभी स्थानीय जर्मप्लाज्म (जमित्रद्रव्य) को एकत्र, सुरक्षित रखने तथा सारणी तैयार करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक तथा राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ने देश में चावल के जनित्रद्रव्य को एकत्रित करने के लिए पौध अनुसंधान तथा एकत्रीकरण अभियान आयोजित किया है। अभी तक एकत्रित की गई करीब 16,000 किस्मों को कटक में रखा गया है। इसी संख्या में इन्हें मध्य प्रदेश में भी रखा गया है। केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तथा राष्ट्रीय पौध आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो चावल के जनित्रद्रव्य के परिरक्षण के लिए मध्य अवधि तथा लम्बी अवधि वाली भण्डारण सुविधाओं को बढ़ा रहा है।

धूम्रपान के हानिकर प्रभाव के सम्बन्ध में वृत्तचित्र

4167. श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा

करेंगे कि क्या सरकार का विचार धूम्रपान की हानियों के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए वृत्तचित्र बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : फिल्म प्रभाग ने धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के विषय पर वृत्तचित्र पहले ही निर्मित/अधिग्रहीत किए हैं। ये वृत्त-चित्र फिल्म प्रभाग के अखिल भारतीय सर्किट में भी रिलीज किए गए हैं।

विदेशों में गए बेरोजगार भारतीय श्रमिक

4168. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने बेरोजगार भारतीय श्रमिकों को विदेशों में जाने की अनुमति दी गई; और

(ख) क्या अप्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए और अनिवार्य बीमा योजना लागू करने के लिए तथा कल्याण निधियों का सृजन करने हेतु व्यापक विधान लागू लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान उन भारतीय श्रमिकों की संख्या निम्नानुसार है जिन्हें रोजगार के लिए विदेशों में जाने की अनुमति दी गई :—

1982	2,39,545
1983	2,24,995
1984	2,05,922

इस सम्बन्ध में कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि क्या ये श्रमिक विदेशों में जाने से पहले बेरोजगार थे।

(ख) प्रवासी श्रमिकों के लिए अनिवार्य बीमा शुरू करने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। कल्याण निधि का सृजन करने या परिकल्पिक प्रकार के व्यापक विधान को लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कर्नाटक में नए रेडियो स्टेशन की स्थापना

4169. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में कितने नए रेडियो स्टेशनों की स्थापना करने का प्रस्ताव है और वे किस-किस स्थान पर खोले जाएंगे; और

(ख) क्या राज्य सरकार भूमि और अन्य आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु सहमत हो गयी है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में निम्नलिखित सात स्थानों पर नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

1. मरकारा
2. हस्सन
3. होस्पेट
4. कारवार
5. बिजापुर
6. चित्रदुर्ग
7. रायचुर

(ख) राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह सातवीं योजना के दौरान इन रेडियो स्टेशनों को स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध कराए।

पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय

4170. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने पशु-चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या कर्नाटक में कोई ऐसा विश्वविद्यालय है; और

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक पशु-चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापित करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय देश में कोई पशु-चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय कार्य नहीं कर रहा है। तथापि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एक संस्थान यानी भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

बंगलौर दूरदर्शन के लिए "ओ० बी० वैन"

4171. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी "ओ०बी० वैन" काम कर रही हैं और वे कहां-कहां हैं; और

(ख) क्या सरकार का बंगलौर दूरदर्शन के लिए रंगीन प्रसारण की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए एक "ओ०बी० वैन" मन्जूर करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन के पास इस समय 6 ओ०बी० वैन हैं जो दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जालंधर, मद्रास तथा श्रीनगर में कार्य कर रही हैं।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान, धन की वास्तविक उपलब्धता के अधीन रहते हुए एक रंगीन ओ० बी० वैन दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर में उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी

4172. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1985 में वित्त मंत्री के साथ हुई बैठकों में से एक बैठक में अनेक ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने यह सुझाव दिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के एककों को अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए ताकि ज्यादा खपत वाली मदों को उनमें शामिल किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र में नियोजन क्षमता और अधिक उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को केवल निर्णय लेने और इसके कार्यान्वियन की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी द्वारा प्राप्त किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त मुद्दों/सुझावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा निकट भविष्य में किसी 'अधिनियमन" के द्वारा, यदि कोई हो, आवश्यक रूप से निर्णय लेने और इसके कार्यान्वियन की प्रक्रिया में श्रमिकों की भागीदारी आरम्भ करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ग) कुछ ट्रेड यूनियन नेताओं के

साथ 19 सितम्बर, 1985 को एक बैठक आयोजित की गई, ताकि दीर्घकालीन वित्तीय नीति तैयार करने के बारे में उनके विचार मालूम किए जा सकें। विचार विमर्श के दौरान, ट्रेड यूनियन नेताओं द्वारा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र यूनिटों का संचालन और निर्णय करने में श्रमिक सहभागिता भी शामिल थी, कई सुझाव दिए गए।

सार्वजनिक क्षेत्र पहले से ही आम उपभोग किए जाने वाले सामान जैसे कपड़ा, घड़ियां, दवाइयां, वनस्पति, खाद्य तेलों आदि के उत्पादन में लगा हुआ है। "प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता और सांविधिक उपबंधों का प्रश्न" से संबंधित मामले पर नई दिल्ली में 25-26 नवम्बर, 1985 को हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 28वें अधिवेशन में चर्चा की गई। इस प्रश्न पर स्थाई श्रम समिति द्वारा विचार किया जाएगा कि इस योजना को क्या स्वैच्छिक आधार पर या विधान द्वारा लागू किया जाये।

चीनी, वनस्पति और आयातित खाद्य तेलों के मूल्यों में वृद्धि

4173. श्री अमर राय प्रधान : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी, वनस्पति और आयातित खाद्य तेलों के मूल्य पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मूल्यों की तुलना में बहुत बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजनावार, ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

चीनी और वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के केन्द्रीय निर्गम मूल्य

		चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1974-75)	पांचवी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1979-80)	छठी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1984-85)
थोक मूल्य सूचकांक				
(आधार : 1970-71=100)				
	चीनी	169.7	177.3	243.8
	वनस्पति	171.5	195.9	274.7

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों* के केन्द्रीय निर्गम मूल्य रु० प्रति मी०टन	चौथी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1974-75)	पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1979-80)	छठी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष (1984-85)
रेपसीड तेल (परिष्कृत)	लागू नहीं होता	8000.00 (टीनों में)	9500.00 (टीन में)
आर०बी०डी० ताड़ का तेल (थोक में)	लागू नहीं होता	6400.00	8000.00
आर०बी०डी० ताड़ का तेल (टीनों में)	लागू नहीं होता	7750.00	9500.00
आर०बी०डी० पामोलीन (थोक में)	लागू नहीं होता	6400.00	8000.00
आर०बी०डी० पामोलीन (टीनों में)	लागू नहीं होता	7750.00	9500.00
परिष्कृत सोयाबीन का तेल (थोक में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	8000.00
परिष्कृत सोयाबीन का तेल (टीनों में)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	9500.00

*आयातित खाद्य तेलों के लिए कोई थोक मूल्य सूचकांक नहीं है।

दूरदर्शन रिले केन्द्रों को शक्तिशाली बनाना

4174. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में किन-किन स्थानों पर एक किलोवाट क्षमता के दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए हैं;

(ख) क्या उन्हें 10 किलोवाट क्षमता का बनाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनकी क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) उच्च शक्ति (1 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर इस समय रायपुर, मुजफ्फरपुर, गुलबर्गा, सम्बलपुर, और पुणे (0.6 किलोवाट) में तथा द्वितीय चैनल सेवा के लिए दिल्ली और बम्बई में काम कर रहे हैं। इसके अलावा, पणजी, विजयवाड़ा और कुर्सियांग में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर, इन स्थानों पर टी०वी० टावर के लगने तक, 1 किलोवाट की कम शक्ति पर कार्य कर रहे हैं।

(ख) और (ग) पणजी, विजयवाड़ा और कुर्सियांग के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की शक्ति, छठी योजना की चली आ रही स्कीमों के अंग के रूप में, 1986 के मध्य तक बढ़ा कर 10 किलोवाट कर देने की उम्मीद है। धन राशि की वर्षवार उपलब्धता के अधीन रहते हुए, सातवीं योजना अवधि के दौरान रायपुर, पुणे (0.6 किलोवाट), बम्बई (द्वितीय चैनल) और दिल्ली (द्वितीय चैनल) के मौजूदा ट्रांसमीटरों के स्थान पर 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

बच्चों के लिए फिल्में

4175. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने चतुर्थ अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करते समय फिल्म निर्माताओं को सुझाव दिया है कि वे बच्चों के लिए अच्छी फिल्में बनायें;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) इस समय हिन्दी में कितनी बाल फिल्में उपलब्ध हैं और कितनी फिल्में निर्माणाधीन हैं तथा इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) जो बाल फिल्में निजी क्षेत्र में बनाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता मे सुधार करने के लिए सरकार ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। तथापि, उच्च गुणवत्ता वाली बाल फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए, सरकार हर वर्ष राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वोत्तम बाल फिल्म के लिए पुरस्कार देती है। बाल चित्र समिति, भारत नामक एक पंजीकृत समिति भी है जिसे सरकार से सहायक अनुदान मिलता है। यह समिति बाल फिल्मों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। उच्च गुणवत्ता वाली फिल्मों का निर्माण करना इसका सतत प्रयास रहा है। उच्च गुणवत्ता वाली बाल फिल्में सुनिश्चित करने के लिए इसने जो उपाय किए हैं/करने का प्रस्ताव है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) बाल फिल्मों के निर्माण में प्रख्यात बाहरी निर्माताओं को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(2) बाल फिल्मों के निर्माताओं को विश्व भर में बाल फिल्मों के निर्माण में नवीनतम रुझानों से अवगत कराने के लिए हर एकान्तर वर्ष में भारत का अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह आयोजित किया जाता है; और

(3) बंगलौर में एक बाल फिल्म परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है जो बाल फिल्मों के निर्माण के लिए अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करेगा।

(घ) बाल चित्र समिति, भारत ने हिन्दी में 79 फीचर फिल्में और 72 लघु फिल्में बनाई हैं। एक लघु फिल्म निर्माणाधीन है। वर्ष 1985-86 के दौरान 3 फीचर फिल्में बनाने का कार्य हाथ में लेने का प्रस्ताव है। निजी क्षेत्र में उपलब्ध या निर्माणाधीन हिन्दी की बाल फिल्मों के बारे में सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

मध्य प्रदेश में स्वीकृत बीजों के प्रयोग के लिए अनुदान

4176. श्री अजय मुशरान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि लागत और मूल्य आयोग ने मध्य प्रदेश में स्वीकृत बीजों का प्रयोग बढ़ाने के लिए अनुदान देने हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार मध्य प्रदेश में किसानों को धान तथा गेहूं के स्वीकृत बीजों की खरीद के लिए 25 प्रतिशत अनुदान देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने 1984-85 के लिए रबी फसलों पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि

मध्य प्रदेश में गेहूं के प्रमाणित बीजों का वितरण करने हेतु 150 रुपये प्रति क्विंटल तक की राज सहायता दी जाये।

(ख) मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों का वितरण करने हेतु राज सहायता सम्बन्धी सिफारिश के बारे में कृषि लागत तथा मूल्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि मध्य प्रदेश में काश्त-कारी की कुल लागत में बीज की लागत की प्रतिशतता पंजाब तथा हरियाणा राज्यों में खेती की कुल लागत में बीज की लागत की प्रतिशतता की अपेक्षा अधिक है।

मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में गेहूं की खेती की लागत के ब्यौरे आयोग से प्राप्त किए गए थे और 1981 82 तथा 1982-83 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा में खेती की लागत का विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में गेहूं की खेती की लागत में बीज की लागत उतनी थी जितनी कि हरियाणा में थी और पंजाब के मामले में यह मामूली कम थी, परन्तु काफी भिन्न नहीं थी। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मामले में उर्वरक का प्रयोग बहुत कम पाया गया था और मुख्यतः इसी कारण से मध्य प्रदेश में प्रति हैक्टेयर बीज उपयोग सम्बन्धी व्यय खेती की कुल लागत की प्रतिशतता की तुलना में अधिक प्रतीत होती है। तद्नुसार यह निष्कर्ष निकाला गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं की उत्पादकता कृषि आदानों के वैज्ञानिक प्रयोग में पर्याप्त वृद्धि करके बढ़ाई जा सकती है। चूंकि इस लक्ष्य को बीजों की लागत में रियायत देने से प्राप्त नहीं किया जा सकता, अतः यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश में गेहूं के बीजों पर राज सहायता न दी जाए।

फिर भी, राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि राज्य में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट गेहूं का एक सघन विकास कार्यक्रम बनायें।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को देखते हुए, सरकार मध्य प्रदेश में किसानों को गेहूं के बीजों की खरीद के लिए अनुदान देने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

जहां तक धान का सम्बन्ध है, पूर्वी मध्य प्रदेश के 40 चुनींदा खंडों में धान के बीजों के वितरण तथा धान के बीजों के मिनिकिटों के निःशुल्क वितरण पर राज सहायता देने के लिए 126 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है। इसमें केन्द्र तथा राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में भागी-दारी होती है। यह, चावल मिनिकिटों एवं सामुदायिक पौधशाला कार्यक्रम की केन्द्र-द्वारा प्रायोजित योजना के तहत चावल मिनिकिटों का निःशुल्क वितरण करने के लिए दी जा रही शतप्रतिशत सहायता के अतिरिक्त है। इस कार्यक्रम के तहत, मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1985-86 के लिए 39.90 लाख रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है।

दालों तथा तिलहनों के उत्पादन वृद्धि के लिए राज्यों को लघु-थैलियों (मिनिकिट्स) की सप्लाई

4177. श्री अजय मुशरान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय दालों तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकारों को लघु-थैलियों (मिनिकिट्स) की व्यवस्था करता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश को दी गई दालों और तिलहनों के बीजों की लघु-थैलियों का फसल-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक वर्ष लघु-थैलियों की संख्या में कमी करती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान दलहन और तिलहनों सम्बन्धी केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वितरित तिलहनों तथा दलहनों के मिनिकिटों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	मध्य प्रदेश को सप्लाई किए गए मिनिकिटों की संख्या	
	दलहन	तिलहन
1982-83	10939	4,45,035
1983-84	61406	5,05,471
1984-85	139621	11,23,963

कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को सहायता देने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अधीन 1983-84 और 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसानों को तिलहनों और दलहनों के उत्पादन के लिए बीज और उर्वरक के मिनिकिट भी नीचे दिए गए वितरण के अनुसार सप्लाई किए गए :—

वर्ष	मध्य प्रदेश में छोटे और सीमान्त किसानों को सप्लाई किए गए मिनिकिटों की संख्या	
	दलहन	तिलहन
1983-84	84371	98088
1984-85	89178	90133

(ग) और (घ) 1982-83 से 1984-85 तक तीन वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश में दलहनों और तिलहनों के बीज के मिनिकिटों के वितरण में कोई कमी नहीं की गई है।

जबलपुर के विकास के लिए सातवीं योजना में प्रावधान

4178. श्री अजय मुशरान : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने मध्य प्रदेश में कुछ शहरों के विकास के लिए 47 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो शहरों का चयन करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने में क्या मानदण्ड अपनाया गया है तथा जबलपुर शहर को इस योजना में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार जबलपुर के विकास के लिए सातवीं योजना में प्रावधान करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) विश्व बैंक ने 47.7 करोड़ रुपये की लागत पर मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना को अनुमोदित कर दिया है।

(ख) राज्यों में वास्तविक पूंजी निवेश के लिए विश्व बैंक द्वारा वे क्षेत्र चुने गए हैं जिनमें अपने संसाधन आधार पर तथा अपने वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास पैटर्न के आधार पर शहरी वृद्धि के लिए अधिकतम क्षमता हो।

(ग) तथा (घ) केन्द्र ने जबलपुर के विकास के लिए कोई विशेष निधियां उद्दिष्ट नहीं की है। तथापि मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी। जबलपुर के विकास के लिए राज्य सरकार अपनी निधियों से पूंजी निवेश कर सकती है।

[अनुवाद]

दिल्ली में आराम बाग के क्वार्टरों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रयोग की गई सामग्री

4179. श्रीमती प्रभावती गुप्त : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आराम बाग के क्वार्टरों के निर्माण में प्रयोग की गई सामग्री बहुत घटिया है;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार व्यक्तियों, यदि कोई है तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई जांच करने का है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्माण विहार और मधुबन में प्लाटों का अधिग्रहण

4191. **श्री कमल नाथ :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना-पार क्षेत्र में निर्माण विहार और मधुवन में कितने उप-पट्टेदार प्लाटों की उप-पट्टेदारी प्रेजीडेंट को सौंप दी है और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाटों का अधिग्रहण कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली आफिसर्स को-ओपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी जिसे मधुवन में भूमि आबंटित की गई है, के मामले में एक उप-पट्टाधारी ने अपने प्लाट को वापस कर दिया है तथा उसे प्रतीक्षा सूची के अगले पात्र सदस्य को पुनः आबंटित कर दिया गया है। अभी तक निर्माण विहार में किसी ने भी अपना प्लाट वापस नहीं किया है।

लक्ष्मी नगर और शकरपुर के निवासियों से वसूल किए गए सेवा प्रभार

4181. **श्री कमल नाथ :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली में लक्ष्मी नगर तथा शकरपुर जैसे नियमित किए जाने वाले क्षेत्रों में वर्षा जल निकासी नालों तथा पक्की सड़कों का निर्माण करने वाले प्राधिकरण के नाम क्या हैं; और

(ख) क्या उन क्षेत्रों के निवासियों से इन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए कोई सेवा शुल्क वसूल किया गया है; यदि हां, तो प्रति वर्ग मीटर किस दर से धनराशि वसूल की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण।

(ख) इन कालोनियों के निवासियों को अस्थाई रूप में 95/—रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर विकास प्रभार जमा कराने के लिए मांग नोटिस जारी किए गए हैं, परन्तु प्रारम्भ में उनके द्वारा 16 रुपए प्रति वर्ग मीटर (नालियों के लिए 10/- रुपये तथा जलपूर्ति के लिए 6/—रुपये) की दर पर राशि जमा करना अपेक्षित है।

[हिन्दी]

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में मासिक रिपोर्ट

4182. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के बारे में मासिक रिपोर्ट तार के द्वारा भेजी जाती हैं और यदि हां, तो इन रिपोर्टों में किन मुद्दों पर प्रकाश डाला जाता है;

(ख) नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों से इन निदेशों का पालन न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) क्या राजस्थान ने सदैव इन निदेशों का पालन किया है और क्या इस सम्बन्ध में वर्ष 1984-85 का ब्यौरा राजस्थान सरकार ने भेज दिया है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित-जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों सहित लाभार्थियों के बारे में हर महीने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से तार द्वारा सूचना प्राप्त की जा रही है, ताकि उन्हें योजना आयोग को 20—सूत्री कार्यक्रम के सम्बन्ध में उनकी मासिक रिपोर्ट के लिए भेजा जा सके ।

(ख) मासिक प्रगति रिपोर्ट सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से हमेशा नियमित रूप से प्राप्त होती हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) 1984-85 में राजस्थान में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 89,231 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के परिवारों को सहायता प्रदान की गई है ।

[अनुवाद]

देश में गिरते हुए शहरी स्तर को रोकना

4183. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में मानव बस्तियों, आयोजना और प्रबन्ध के प्रति समेकित दृष्टिकोण अपनाकर शहरों में गिर रहे स्तर को रोकने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में शहरों के गिरते हुए स्तर को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या तरीके अपनाए जाएंगे और ये तरीके कब से अपनाए जाएंगे ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मानव बस्तियों में शहरों में गिर रहे स्तर के लिए समेकित दृष्टिकोण अपनाने तथा प्रभावशाली साधनों की आवश्यकता से सरकार अवगत है। शहरी गरीबों के रहन-सहन में सुधार के लिए छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास, शहरी मलिन बस्तियों के पर्यावरण में सुधार तथा शहरी मूलभूत सुविधाओं जैसी कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। शहरी विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा मानव बस्तियों में रहन-सहन के पर्यावरण में सुधार तथा मलिन बस्तियों के स्तर को ऊंचा करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के पूर्ण होने की निश्चित तारीख बता पाना सम्भव नहीं होगा।

औद्योगिक एककों में सुरक्षा नियंत्रण उपाय

4184. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं कि सुरक्षा नियन्त्रण सम्बन्धी पूर्ण जिम्मेदारी नियोक्ताओं की होनी चाहिए;

(ख) क्या सरकार ने देश में सभी राज्य सरकारों और औद्योगिक यूनिटों को इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और सरकार का आदेशों का अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री टी० अंजया) : (क) उद्योग में बड़े जोखिम को रोकने के उपायों पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को सलाह देने के लिए, सरकारों, नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों द्वारा नामित किए गए विशिष्ट परामर्शदाताओं की एक त्रिपक्षीय बैठक जेनेवा में 15 से 21 अक्तूबर, 1985 को हुई। इस बैठक में श्रमिकों और जनता के संरक्षण के लिए नियंत्रण पद्धतियों का विकास करने के बारे में नियोजकों के दायित्व के प्रश्न पर विचार किया गया और यह आम राय थी कि उद्योग में बड़े जोखिमों का नियंत्रण करने और बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तरदायित्व नियोजकों का होना चाहिए। तथापि, उक्त समिति की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है।

(ख) और (ग) सरकार ने सुरक्षा और स्वास्थ्य, दुर्घटना न्यूनीकरण कार्रवाई योजना तैयार की है जिसमें दुघटनाओं और संकटों को रोकने के लिए नियोजकों, श्रमिकों और सरकारों का उत्तर-दायित्व विनिर्दिष्ट किया गया और इसे नियोजकों, श्रमिक संगठनों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुपालन के लिए भेजा गया है। नियोजकों के उत्तरदायित्वों को कारखाना अधि-नियम, 1948 में भी निर्धारित किया गया है और इन उपबंधों के अनुपालन न करने के मामले में, राज्य सरकारों को इस अधिनियम के अधीन शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अच्छे मकानों का निर्माण

4185. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या शहरी विकास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अच्छे मकानों के निर्माण के बारे में 29 जुलाई 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 942 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संरचनात्मक इंजीनियरों के साथ परामर्श करके नई डिजाइन योजना, जो सरकार के विचाराधीन थी, को इस बीच अन्तिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में अच्छे मकानों का निर्माण करने हेतु आगे क्या कदम उठाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) (i) विभिन्न आय वर्गों अर्थात आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग, जनता, निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और स्ववित्तपोषित योजना के अन्य वर्गों के लिए गैर-सरकारी वास्तुकों तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वास्तुकों दोनों के ही कुछ नये डिजाइनों को अन्तिम रूप दिया गया है।

(ii) मकानों के डिजाइन साधारण, लचीले तथा संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ हैं। मकानों के ब्लाकों के यथोचित ग्रुप बनाकर सेवाओं में मितव्ययिता की जा रही है। विन्यास नक्शे में एक्टिव तथा पैसिव दोनों ही प्रकार के मनोरंजन के लिए खुले स्थान की व्यवस्था की जा रही है।

"पार्लियामेंट न्यूज" और "संसद समाचार" बुलेटिनों का प्रसारण

4186. **श्री शांताराम नायक** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "पार्लियामेंट न्यूज" और "संसद समाचार" बुलेटिनों का सभी दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) हिन्दी में "संसद समाचार" और अंग्रेजी में "पार्लियामेंट न्यूज" को 10-10 मिनट की अवधि के लिए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किया जाता है जिन्हें दिल्ली से जुड़े सभी रिले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले किया जाता है। रात 7.30 बजे के "संसद समाचार" को महाराष्ट्र के कुछ रिले ट्रांसमीटरों द्वारा रिले नहीं किया जाता है, क्योंकि इन ट्रांसमीटरों द्वारा उस समय क्षेत्र के विशिष्ट कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं। इसके अलावा, संसद की कार्यवाहियों का साप्ताहिक सारांश मुख्य केन्द्रों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषाओं में टेलीकास्ट किया जाता है। इसके लिए स्क्रिप्ट दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली द्वारा दूरदर्शन के सभी मुख्य केन्द्रों को भेजी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कार्यक्रम में टेलीकास्ट किए जाने वाले समाचार बुलेटिनों में भी संसद से सम्बन्धित समाचार होते हैं जिनकी अवधि इन दोनों राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के कुल समय का 10% बैठती है। ये कदम दूरदर्शन को देश भर के दर्शकों को संसद समाचारों के बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध करने में समर्थकारी बनाते हैं।

विजयवाड़ा में दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना

4187. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विजयवाड़ा में एक दूरदर्शन रेडियो कि स्थापना करने सम्बन्धी अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव वापस लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार निर्णय पर पुनः विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

मिट्टी उर्वरता में सुधार करने के लिए कार्बनिक (आर्गेनिक) उर्वरकों के प्रयोग पर अनुसंधान

4188. श्रीमती किशोरी सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कार्बनिक (आर्गेनिक) उर्वरकों और मिट्टी की उर्वरक शक्ति में सुधार करने में उनके उपयोग के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में चलाई गई अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाओं का ब्योरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को रासायनिक उर्वरकों के मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर हानिकर प्रभाव की जानकारी है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान् । भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1940 के दशक और उसके बाद बायो गैस संयंत्र के माध्यम से फसल अवशेषों तथा पशु छीजनों को कम्पोस्ट और सड़े हुए कीचड़ में बदलने पर अनुसंधान किया जा रहा है । विभिन्न कृषि जलवायवीय क्षेत्रों के लिए फसल पद्धति में हरी खाद के प्रभाव का ब्यौरा भी तैयार किया गया । जीवाण्विक उर्वरकों, नीले हरे शैवाल ऐजोल्ला के उन्नयन हेतु अद्यतन अनुसंधान पर भी जोर दिया जा रहा है । अद्यतन अनुसंधान में जीवाण्विक उर्वरकों, नीले-हरे शैवाल ऐजोल्ला के उन्नयन पर जोर दिया जा रहा है ।

(ख) समन्वित शस्य परीक्षण परियोजनाओं और दीर्घकालिक उर्वरक योजना के द्वारा मृदा की उर्वरता बढ़ाने में कार्बनिक खादों के प्रयोग का ब्यौरा विभिन्न क्षेत्र परीक्षण कार्यक्रमों में तैयार किया गया है । देश के विभिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियों में फसल के उत्पादन पर कार्बनिक खादों के प्रत्यक्ष, अविशिष्ट और संचयी प्रभावों का भी निर्धारण किया गया है ।

कार्बनिक अवशेषों के शीघ्र अपघटन के लिए समन्वित अणुजीवी विघटन एवं फार्म तथा शहर के छीजनों के पुनर्चक्रण से सम्बन्धित समन्वित परियोजना में कारगर अणुजीवी प्रजातियों की परख की गयी है । इन समन्वित परियोजनाओं के अनुसंधान परिणामों को भा०कृ०अ०प० के प्रकाशनों जैसे—"हैंडबुक ऑफ मैन्यूर्स एण्ड फर्टिलाइजर्स" तथा भा०कृ०अ०प० "टेक्निकल बुलेटिन" और "ऑर्गेनिक मैन्यूर्स" में प्रकाशित किया गया है । समन्वित बायोगैस प्रौद्योगिकी परियोजना में बायोगैस उत्पादन की क्षमता और बायोगैस संयंत्रों की कारगरता में सुधार लाने के लिए अन्वेषण किया जाता है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) उपरोक्त परियोजनाओं पर आधारित अनुसंधान परिणामों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मिट्टी की उर्वरता पर रासायनिक उर्वरकों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।

"स्कैंडल इन दि नेम आफ टेली-फिल्म" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार

4189. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवम्बर, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "स्कैंडल इन दि नेम आफ टेली-फिल्म" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या चुनी गई फिल्में घटिया किस्म की थीं और उनमें सामाजिक प्रासंगिकता नहीं थी;

(ग) क्या एक रुका हुआ फैसला जैसी टेली-फिल्म प्राचीन कृतियों की हू-बहू नकल है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है कि टेली-फिल्मों की सामाजिक प्रासंगिकता हो, और वे उच्च स्तर की हों तथा प्रतिष्ठित निर्देशकों द्वारा बनाई गई हो ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। तथापि, हम स्तम्भ लेख द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हैं।

(ग) "एक रुका हुआ फैसला" दूरदर्शन द्वारा प्रथम प्रदर्शित फीचर फिल्म है जो "टवेल्व एंग्रीमैन" नामक एक अन्य फिल्म से कुछ मिलती जुलती है।

(घ) टेली-फिल्मों के लिए प्रस्तावों को स्वीकृत करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जाती है कि वे उच्च सामाजिक प्रासंगिकता/मनोरंजन मूल्य की हों तथा निर्माता/निर्देशक अपने-अपने क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति हों।

सातवीं योजना में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

4190. श्री अनिल बसु
श्री सत्य गोपाल मिश्र } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना अवधि के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना का कार्य आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि इसका ठेका किसी विदेशी फर्म को दिया गया है तो उसको भुगतान के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी;

(ग) इन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक संयंत्र के लिए इन्हें कितनी विदेशी मुद्रा देनी होगी;

(घ) क्या इस कार्य के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हां, तो विदेशी फर्मों को ठेका देने के क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) उन नये उर्वरक संयंत्रों की संख्या, जिन पर सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्य प्रारम्भ हो जाना चाहिए, को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है। तथापि, प्रति दिन 1350 टन अमोनिया की क्षमता वाले गैस पर आधारित

6 नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयंत्र पहले ही प्रारम्भ किये जा चुके हैं जो सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यान्वित हो जायेंगे।

(ख) और (ग) इन छ: परियोजनाओं में से उनके संबंध में अपेक्षित ब्यौरे, जिनके लिये ठेकों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है/ठेके दिये गये हैं, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) उपरोक्त (क) में वर्णित परियोजनाओं की किस्म और आकार के लिए प्रौद्योगिकी हेतु प्रक्रिया लाइसेंस और मूल डिजाइन विदेशी प्रक्रिया प्रौद्योगिकी मालिकों से प्राप्त करते हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

मालिक/कम्पनी और परियोजना का नाम	विदेशी ठेकेदार/ परामर्श दाता का नाम	विदेशी मुद्रा में देय धनराशि के ब्यौरे
1	2	3
नैशनल फर्टिलाइजर्स लि०, विजयपुर (गुना) प्रोजैक्ट	1. मै० हाल्डोर टोपसो आफ डेनमार्क	अमोनिया प्लांट फीस देय —8.68 मिलियन अमरीकी डालर
		यूरिया प्लांट
	2. मै० सनम प्रगति, इटली	फीस देय— —4.33 मिलियन अमरीकी डालर
	3. मै० यूनियन कार्बाइड यू०एस०ए०	सी ओ2 रिमूवल के लिये बेनफिल्ड प्रक्रिया फीस देय— 343,638 अमरीकी डालर
इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोपरेटिव लि०, ओनला प्रोजैक्ट	मै० सनम प्रगति, इटली	अमोनिया संयंत्र डैनिश क्रोनर 4,592,295 जमा 8,421,488 अमरीकी डालर
		यूरिया प्लांट 4,729,950 अमरीकी डालर

1	2	3
इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स कोपरेटिव लि० जगदीशपुर प्रोजेक्ट	1. सनम प्रगति, इटली	सप्लाई कांट्रैक्ट निर्धारित एकमुश्त : 84,000,000 अमरीकी डालर जपनीज येन 2766,000,000
	(x ये अनुमानित राशियां हैं जो वास्तविक के अनुसार परिवर्तित हो सकती हैं)	x अतिरिक्त पुर्जों के लिए अनंतिमराशि 4,000,000 अमरीकी डालर जपनीज येन 144,000,000 x वेन्डर्स के पर्यवेक्षण के लिए अन्तिम राशि 3,000,000 अमरीकी डालर जपनीज येन 104,400,000 सर्विस कांट्रैक्ट एक मुश्त 19,621,000 अमरीकी डालर x अनन्तिम राशि : 1,451,000 अमरीकी डालर
	2. मै० हालडोर टोपसो आफ डेनमार्क	एक मुश्त भुगतान : डेनिश क्रोनर 4,668,557

काम के बदले अनाज कार्यक्रम

4191. श्री अनिल बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अनेक लोगों का मत है कि गरीबी से ग्रस्त लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए वर्तमान राष्ट्रीय ग्रामीण कार्यक्रम के साथ-साथ अथवा उसके स्थान पर काम के बदले अनाज कार्यक्रम बड़े पैमाने पर आरम्भ किया जाना चाहिए; और

(ख) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की मौजूदा व्यावसायिक सीमाओं को ध्यान में

रखते हुए, जैसाकि अनेक राज्यों ने महसूस किया है, सरकार को काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुन: आरम्भ करने के कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिसको 1977-80 के वर्षों में कार्यान्वित किया गया था, को पुनर्गठित तथा संशोधित करके अक्तूबर, 1980 से इसका नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम रखा गया। सरकार के पास उपलब्ध खाद्यान्नों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 1985-86 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की योजना स्कीमों के अन्तर्गत एक मिलियन मीटरी टन अतिरिक्त गेहूं आबंटित किए जाएं ताकि इन रोजगार कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके। इस अतिरिक्त एक मिलियन मीटरी टन गेहूं का उपयोग करके लगभग 50 मिलियन श्रमदिनों का अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की आशा है। वर्ष 1986-87 के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 2 मिलियन मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन रोजगार कार्यक्रमों के कार्यक्षेत्र का लगभग 100 मिलियन श्रमदिनों तक विस्तार किया जा सके।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

4192. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा विदेशों में शुरू की गई प्रत्येक परियोजना के पूरा होने की अथवा पूरे होने की सम्भावना की मूल, बढ़ाई गई तथा वास्तविक तारीख क्या है;

(ख) प्रगति कितने प्रतिशत हुई है और प्रत्येक परियोजना के मामले में विलम्ब के क्या क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक विदेशी ग्राहक द्वारा प्रत्येक परियोजना पर कितना जुर्माना किया गया तथा राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा जुर्माने की कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) प्रत्येक विदेशी परियोजना में अस्थायी अथवा वास्तविक कितना लाभ/हानि हुई और यदि कोई घाटा हुआ है, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) ऐसी कौन-सी विदेशी परियोजनाएं हैं जिनकी निकट भविष्य में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को मिलने की आशा है; और

(च) लीबिया में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा अन्तिम बोली कब दी गई थी?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) विदेशी ग्राहकों द्वारा कोई जुर्माना नहीं किया गया है और इस तरह से राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा उसका भुगतान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) अपेक्षित सूचना क्रमश: संलग्न विवरण 2 और 3 में दी गई है।

(च) लीबिया में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा अन्तिम बोली 6 अगस्त, 1985 को दी गई थी।

विवरण 1

क्र०सं०	परियोजना का नाम	ठेके की लागत/ संशोधित लागत (लाख रु०)	पूर्ण होने की मूल तारीख	पूर्ण होने की बढ़ाई गई तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तारीख	पूर्ण होने की सम्भावित तारीख	प्रगति की प्रतिशतता	विलम्ब के कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	क. लीबिया							
1.	न्यू घाट एयर पोर्ट के लिए रनवे, टैक्सी वे तथा एप्रैन का निर्माण	3200.00	30-6-78	10-8-79	30-9-83	पूर्ण हो गया	100 प्र०श०	1. द्रवता समस्या तथा स्थानीय मार्केट में निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण
2.	निम्नलिखित का निर्माण (i) बेनीवालिद में 1000 मकान (ii) घाट में 305 मकान	6715.00	1-9-79	30-9-83	30-9-83	-वही-	-वही-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	न्यू घाट एयर पोर्ट से घाट टाउन तक 22 किलोमीटर ए०पी०पी० रोड का निर्माण	691.91	10-8-[illegible]9		8/83	-वही-	-वही-	2. इस प्रयोजना के साज-सज्जा के लिए डिजाइन नक्शे तथा सामग्रियों की विशिष्टता के अनु-मोदन में विलम्ब तथा विशेष मदों की कमी के कारण
4.	बराक में एयर पोर्ट का निर्माण	2070.00	25-10-80		31-8-82	-वही-	-वही-	
5.	न्यू घाट एयर पोर्ट में टर्मिनल भवन का निर्माण	307.00	30-6-79		23-1-83	-वही-	-वही-	
6.	कमी वेसी आदेश के अनुसार अवार्ड किए गए घाट में 100 मकानों का निर्माण	670.00	15-8-81	31-3-83	31-3-83	-वही-	-वही-	
7.	टर्निग पैड्स, 3 बिस्तर वाले कमरों का वास तथा न्यू घाट एयर पोर्ट में एयर फोर्स कैम्प सहित कमी वेसी आदेश संख्या 2, 3 तथा 4	920.00	30-6-79		30-9-83	-वही-	-वही-	

1	2	3	4	5	6	7		8	9
8.	बैनिवालिद में 10 स्कूल भवनों का निर्माण	999.00	20-12-80	28-2-84	28-2-84	-वही-	-वही-	3.	स्थल सौंपने में विलम्ब तथा स्थल सौंपने के बाद ग्राहकों द्वारा अघि-कार के कारण
9.	बैनिवालिद में सामाजिक सुरक्षा के निर्माण का डिजाइन	396.50	6-9-81	30-9-83	30-8-83	-वही-	-वही-		
10.	घाट मे सामाजिक सुरक्षा का डिजाइन तथा निर्माण	322.90	5-12-81	30-4-83	18-1-83	-वही-	-वही-		
11.	बैनिवालिद में उपयोगिता सेवा का निर्माण	954.50	7-10-80	30-9-83	30-9-83	-वही-	-वही-		
12.	घाट में दो स्कूल भवनों तथा होस्टल का निर्माण	554.20	15-3-81	31-12-83	31-12-83	पूर्ण हो गया	100 प्र०श०	4.	संचलन अग्रिम के भुगतान में विलम्ब तथा बिलों के भुगतान में बिलम्ब के कारण
13.	न्यू घाट एयर पोर्ट में गौण रनवे पर अस्थाई सुविधाओं का निर्माण	49.50	15-6-83		30-9-83	-वही-	-वही-		
14.	घाट में मकबरे का निर्माण	69.00	30-9-80	13-4-81	13-4-81	-वही-	-वही-	5.	मानवशक्ति के आयात के लिए जटिल प्रक्रिया के कारण स्थलों पर पत्थर,

1	2	3	4		6	7	8	9
								की परतें, बकाया की वसूली न होना तथा स्थानीय तौर पर सामग्री की अनुपलब्धता
15.	बैनिवालिद में पथ प्रकाश कार्य (ठेका सं० 4/81 से 8/81)	445.00	30-9-82	31-12-83	10-5-84	-वही-	-वही-	
16.	स्वारेज में पथ प्रकाश का कार्य (ठेका सं० 15/81 से 20/81 तथा 3/82 से 5/82)	1050.00	31-1-83	11-7-84	30-6-84	-वही-	-वही-	
17.	घाट में मैडिकल स्टोर	266.00		अभी कार्य आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि ग्राहकों से अभी संचलन अग्रिम की वसूली नहीं हुई है।				
18.	बरकत में स्वास्थ्य केन्द्र	196.00						
19.	स्कूल तथा स्टोर्स	2729.00						
20.	फिबेंट मे 30 मकान	475.56						
21.	अलसेओन में स्वास्थ्य केन्द्र	196.00						
22.	घाट में सुपर मार्किट	348.72						
23.	घाट में नर्स प्रशिक्षण केन्द्र, होस्टल तथा 60 डाक्टरों के लिए निवास	1910.00						
24.	बारगेन इद्रि (बराक के समीप अलसेटी) में सड़कों का निर्माण तथा पथ प्रकाश	695.70	10-9-83	31-12-85		30-4-85	80 प्र०श०	निधियों की अत्यधिक कमी तथा कोलतार अनुपलब्धता

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	घाट में 120 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	3061.00	22-2-80	31-3-86		31-5-86	89 प्र०श०	(i) भुगतान की प्राप्ति में विलम्ब
26.	तुनिया में 12 मकानों का निर्माण	156.00	24-2-84	30-6-86		29-5-86	91 प्र०श०	(ii) स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री की कमी
27.	कलाला में 12 मकानों का निर्माण	156.00	24-2-84	31-12-85		6-6-86	91 प्र०श०	
28.	घाट में 34 मकानों का निर्माण	867.00	23-5-84	31-12-85		9-1-87	8 प्र०श०	(iii) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण सामग्री की आयात में कठिनाई
29.	घाट में डाकघर तथा टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण	220.00	20-11-85			3-10.86	18 प्र०श०	
30.	स्कूलों के लिए सहायक कार्य		1-3-85			31-3-86	21.6 प्र०श०	(iv) जी०पी०सी० (जनरल पिप्लस कमेटी ने अभी अधिकतर चालू परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।
31.	फिवेट में डिस्पेंसरी का निर्माण	164.00	31-12-84	31-12-84		31-3-86	94 प्र०श०	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.	बरकत में स्टेडियम का निर्माण	1167.00	13-7-86			18-4-86	16 प्र०श०	कोई विलम्ब नहीं
33.	टाउन घाट में सड़कों की योजना तथा विकास	12.00	2-10-78		2-10-78	पूर्ण हुआ		
34.	घाट में उपयोगिता सेवाओं के 304 मकानों की योजना तथा विकास	7.50	15-2-79		15-2-79	-वही-		
ख. ईराक								
1.	बगदाद में सेतु सुतेत सीवरेज परियोजना में पूर्वबलित कंक्रीट का डिजाइन तथा निर्माण	420.00	31-12-78		15-8-80	-वही-	100 प्र०श०	(i) युद्ध के कारण यह कार्य छिन-भिन्न हो गया
2.	बगदाद विश्वविद्यालय (आई) के लिए संरचनात्मक कार्यों का निर्माण	655.50	30-4-81	24-10-81	31-3-82	-वही-	-वही-	
3.	बगदाद में एयर पोर्ट सड़क के ऊपर दो फ्लाईओवरों का निर्माण	600.00	10-2-81	26-11-82	26-11-82	पूर्ण हो गया	100 प्र०श०	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	बगदाद में मंत्री परिषद भवन के लिए सड़क कार्यों का निर्माण	172.00	31-5-82	31-5-82		31-12-85	99 प्र०श०	(ii) ग्राहकों से कतिपय स्पष्टीकरणों के कारण कार्य में विलम्ब हुआ
5.	बगदाद विश्वविद्यालय (II) की साज-सज्जा मदें	88.00	28-2-82	16-8-85		31-12-85	99 प्र०श०	
6.	किरकूक में नियन्त्रण भवन सहित लवण जल स्टोरेज जलाशय का निर्माण	538.80	27-6-83	31-1-86		31-1-86	97 प्र०श०	
7.	किरकूक में जलशोधन संयंत्र का निर्माण	524.10	20-6-83	30-4-84	30-4-84	पूर्ण हो गया	100 प्र०श०	
8.	मोसूल में 4 तारा अन्तर्राष्ट्रीय होटल का निर्माण	2275.00	14-4-82	25-5-85		30-12-85	98 प्र०श०	(iii) भुगतान में विलम्ब
9.	डोकन में 100 बिस्तरों वाले यात्री होटल का निर्माण	689.00	14-2-82	14-1-85		31-12-85	97 प्र०श०	
10.	बगदाद, अलकोयम अकासत रेलवे परियोजना के भवनों के लिए साज-सज्जा मद	625[illegible].60	28-4-84	20-8-85		31-3-86	77 प्र०श०	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	कुवासा में पैंसजर भवन ईजन सैड, सिक लाईन भवन का निर्माण	408.00	30-1-86	31-1-86		31-7-86	14 प्र०श०	
ब. नेपाल								
1.	काठमांडू नेपाल में बीर अस्पताल के विस्तार का निर्माण	407.50	4-2-87	4-2-87	26-11-85	पूर्ण हो गया	100 प्र०श०	कोई विलम्ब नहीं
2.	काठमांडू भारतीय पैंबिलियन का निर्माण	40.00	28-2-85	28-2-85	28-2-85	-वही-	-वही-	-वही-
ध. उत्तरी यमन								
1.	धाम्मरसन्ना में 774 मकानों का निर्माण	1355.00	4/86			4/86	18 प्र०श०	श्रमिकों के प्रवेश विसा को जारी करने तथा निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण विलम्ब

विवरण 2

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि० द्वारा चलाई गई विभिन्न विदेशी परियोजनाओं पर 31-3-85 की स्थिति के अनुसार लाभ तथा हानि का विवरण

क्र०सं०	ईकाई	+/— लाभ/हानि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
1	2	3	4
I.	लीबिया		
1.	आवास तथा अस्पताल (लीबिया में केन्द्रीय कार्यालय के खर्चों सहित)	(+) 1283.95	लीबिया की परियोजनाओं के मामले में अलग करार के अन्तर्गत आने वाली परन्तु किसी केन्द्र विशेष अथवा एक ही परियोजना प्रबंधक के प्रशासनिक प्रभार के अधीन कई छोटे-मोटे निर्माण कार्यों का लेखा-जोखा मुख्य निर्माण कार्य के साथ मिला दिया गया है और समेकित तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखे के अन्तर्गत आ आ गए हैं।
2.	बराक हवाई अड्डा	(+) 231.59	
3.	हूनी और बारगेन	(—) 62.18	
4.	घाट हवाई अड्डा	(—) 620.08	
	योग :	(+) 833.28 (क)	

हानि के कारण

1. डिजाइनों तथा विशिष्टियों के बारे में ग्राहकों द्वारा निर्णय देने में विलम्ब।

2. निर्माण कार्य पर उपयोग में लाई जाने वाली स्थानीय सामग्रियां स्थानीय बाजार में उपलब्ध नहीं थीं और जब कभी उपलब्ध थीं तो वे आशा से कहीं अधिक कीमतों पर उपलब्ध थीं।

3. निर्माण कार्य की प्रगति को किए गए कार्य के भुगतान में विलम्ब के कारण काफी धक्का लगा।

4. प्रतिकूल निधि चलन स्थिति के ऊपर काबू पाने के लिए यूरो डालर ऋण ब्याज की ऊंची दर पर लेना पड़ा।

5. ग्राहकों ने पूरे किए गए निर्माण कार्यों को अन्तिम रूप से अपने पास लेने में विलम्ब किया जिसके परिणामस्वरूप निर्माण कार्यों पर मान और शक्ति व्यर्थ गई।

6. उपर्युक्त कारणों से अतिरिक्त खर्चों में वृद्धि हुई।

क्र०सं०	इकाई	+/−	लाभ/हानि (लाख रुपयों में)	टिप्पणियां
II.	ईराक			
1.	सुताईत मल निकासी	(—)	19.60 x	
2.	ऊपरी पुल	(--)	187.88 xx	
3.	विश्वविद्यालय-I	(—)	110.27 xxx	
4.	विश्वविद्यालय-II	(+)	52.00	
5.	मोसूल होटल	(—)	77.45 xxxx	
6.	डोकन होटल	(—)	98.84 xxxxx	
7.	मंत्री परिषद् भवन	(—)	25.32 xxxxxx	
8.	जलशोधन संयंत्र	(+)	272.42	
9.	ब्राइन भण्डार टैंक	(+)	201.30	
10.	कन्ट्रोल बिल्डिंग	(+)	0.34	
11.	रेलवे निर्माण कार्य	(+)	959.59	
12.	कुबाईसा	(+)	7.53	
	योग :	(+)	982.82	
	केन्द्रीय कार्यालय (ईराक) का व्यय घटाकर	(—)	395.13	
	कुल :	(+)	587.69 (ख)	

हानि के कारण

x ग्राहकों द्वारा नक्शों के अनुमोदन में विलम्ब जिसके परिणामस्वरूप मजदूर बेकार रहे तथा अतिरिक्त खर्च हुए।

xx युद्ध के कारण कार्यों का ठप्प हो जाना।

xxx युद्ध के कारण कार्यों का ठप्प हो जाना।

xxxx तथा (i) युद्ध का छिड़ना

xxxxx (ii) भुगतान में विलम्ब

(iii) ड्राइंग/निणयों में विलम्ब और आई०टी०डी०सी० द्वारा निष्पादन

(iv) परामर्शियों द्वारा गलत अनुमान लगाना, ब्लफ मात्रा उचित नहीं थी।

xxxxxx • (i) पूर्ण स्थल उपलब्ध नहीं था।

(ii) हैली फैड का स्थल संशोधित किया गया था।

(iii) ग्राहकों द्वारा कार्यों का लटकाये रखना, निर्णयों में विलम्ब

(iv) किए गए वास्तविक कार्य का भुगतान में विलम्ब

क्र०सं०	इकाई		+/— लाभ/हानि (लाख रुपयों में)		टिप्पणियां
III.	सन्ना				
1.	घुमेर आवास परियोजनाएं	(—)	46.11		
	केन्द्रीय कार्यालय (सन्ना) के खर्चों को घटाकर	(—)	12.01		
	योग :	(—)	58.12	(ग)	

अब यह परियोजना कुछ महीनों से प्रगति पर है दिखाया गया यह घाटा उपकरण तथा कार्मिक परिचालन की पूरी लागत को लगाकर है। जैसे ही कार्य प्रगति पर चलेगा और कुल कार्य में वृद्धि हो जाएगी यह अस्थाई घाटा पूरा हो जाएगा।

iv.	नेपाल				
1.	बीर अस्पताल	(+)	16.76		
2.	भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण	(+)	3.61		
	योग :	(+)	20.37	(घ)	

कुल योग : (क ख ग घ)	(+)	138.322
विदेशी परियोजनाओं के संबंध में किया गया मुख्यालय व्यय घटाकर	(−)	232.75
		———
विदेशी परियोजनाओं के संबंध में सम्पूर्ण लाभ	(+)	1150.47
		———

विवरण-3

विदेश में नई परियोजनाएं जो निकट भविष्य में राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को एवार्ड किये जाने की सम्भावना है

ईराक

1. अल-नूमानियन जल पूर्ति परियोजना
2. कम्प्यूटर केन्द्र भवन
3. रलवे जलपूर्ति परियोजना
4. किरकुक तथा मोसुल में मिलिट्री अस्पताल

लीबिया

1. उपयोगी सेवाएं—अल-अबलार
2. जाविया में 471 मकानों का नवीकरण तथा अनुरक्षण

उत्तरी यमन

1. हाजा अस्पताल

नेपाल

1. पोखड़ा में मेडिकल निरीक्षण एकक का निर्माण
2. धरन में मेडिकल निरीक्षण एकक का निर्माण
3. काठमाण्डू में प्लेनेटेरियम का निर्माण

4. नेपाल में कोहलापुर महाकाली हाईवे का निर्माण

5. सोनोथिमी, काठमाण्डु, नेपाल में महिला तकनीकी संस्थान की योजना, डिजाइन तथा निर्माण।

लोक गीतों के लिए निर्धारित समय

4193. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान आकाशवाणी, दूरदर्शन और गीत और नाटक प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, मराठी और मगधी लोकगीतों के कार्यक्रमों को कितना समय दिया गया था;

(ख) लोकगीतों के कार्यक्रमों का चयन करने के लिए क्या मानदण्ड हैं;

(ग) पंजाबी और राजस्थानी की तुलना में मैथिली, भोजपुरी और मगधी लोकगीतों को महत्व और समय न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) मैथिली, मगधी और भोजपुरी को समुचित महत्व और समय देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वर्ष 1984 के दौरान आकाशवाणी ने राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय और सुगम संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थानी में एक घन्टे का लोकगीत कार्यक्रम प्रसारित किया था। दूरदर्शन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा। जहां तक गीत और नाटक प्रभाग का संबंध है, राष्ट्रीय स्तर पर पंजाबी, राजस्थानी, भोजपुरी, मैथिली और मगधी लोकगीतों के कार्यक्रमों के लिए कोई स्कीम अथवा फार्मेट नहीं है।

(ख) से (घ) अखिल भारतीय स्तर पर श्रोताओं/दर्शकों की व्यापक पसन्द के लोक गीतों का चयन इस तरीके से किया जाता है जिससे कि सभी राज्यों और संशोधित क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व मिले। लोक संगीत के कार्यक्रमों की विशिष्ट आवश्यकताएं पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु स्थिति की अवधिक रूप से पुनरीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

लघु समाचार पत्रों और पत्र-पत्रिकाओं के संघों को सहायता

4194. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु पत्र-पत्रिकाओं के संघों और महासंघों का विवरण क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें सहायता देने का कोई आश्वासन दिया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इन आश्वासनों को पूरा किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रेस के प्रति सरकार नीति उच्च पत्रकारिता के स्तरों के अनुरूप इसकी स्वतन्त्रता के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता है। सरकार लघु समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संघों तथा महासंघों की कोई सूची नहीं रखती है।

(ख) और (ग) लघु समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के किसी भी संघ या महासंघ को सहायता का कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया गया है। तथापि, उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर विधिवत् विचार किया जाता है। लघु तथा मझोले समाचारपत्रों के संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार उनको अनेक रियायतें तथा सुविधाएं प्रदान करती है। इस प्रकार के समाचारपत्रों को दी जाने वाली सुविधाओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) समाचारपत्रों के पंजीयक द्वारा दी जाने वाला सुविधाएं :—

वर्ष 1985-86 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति अभी तैयार की जानी है। तथापि, 1984-85 की नीति के अन्तर्गत इनको निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध थीं :—

(1) उन समाचारपत्रों को अखबारी कागज शीटों में सप्लाई किया जाता है जो शीटफैड मशीन पर मुद्रित होते हैं। यदि शीटें उपलब्ध नहीं होती तो रीलों को शीटों में बदलने के लिए उनको उनकी हकदारी का 5 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाता है;

(2) 300 मी० टन से कम की हकदारी वाले समाचारपत्रों को आयातित या स्वदेशी अखबारी कागज भागों में या एक ही बार प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है;

(3) 50 टन तक की हकदारी वाले समाचारपत्रों के लिए प्राधिकरण का वैध अवधि छः महीने है, जबकि अन्यों के मामले में यह 3 महीने हैं। इस रियायत से अधिकाश लघु समाचारपत्र सुविधाजनक तथा चरणबद्ध ढंग से अखबारी कागज ले सकते हैं;

(4) अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदन करते समय 2000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों द्वारा सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र दिया जाना अपेक्षित नहीं है;

(5) 5000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले लघु समाचारपत्रों को, अखबारी कागज की

हकदारी की गणना करते समय, निःशुल्क वितरित, बिना बिक्री वापस या मुद्रित परंतु न तो बिक्री और न ही निःशुल्क वितरित की गई प्रतियों का 10 से 20 प्रतिशत तक के बीच एलाउन्स दिया जाता है तथा 5000 प्रतियों और 10,000 प्रतियों के बीच की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों को 10 से 15 प्रतिशत तक एलाउंस दिया जाता है। अन्य के मामले में यह प्रतिशतता केवल 5 से 10 तक है;

(6) सरकार आयातित किस्म के अखबारी कागज पर 825.00 रुपये प्रति मी० टन की दर से सीमाशुल्क ले रही थी। जबकि लघु समाचारपत्रों को सीमाशुल्क से पूरी तरह छूट दी गई और मझोले समाचारपत्रों को केवल 275 रु० प्रति मी० टन की ही दर से सीमा शुल्क देना था। तथापि, उच्चतम न्यायालय के अंतरिम निर्णय के परिणामस्वरूप, बड़े समाचारपत्रों से इस समय अन्तिम आधार पर 550/-प्रति मीट्रिक टन की दर से सीमाशुल्क लिया जा रहा है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :—

भारत सरकार की मौजूदा विज्ञापन नीति के अन्तर्गत, भाषायी समाचारपत्रों आदि को सामान्य रूप से तथा "लघु" तथा "मझोले" समाचारपत्रों को विशेष रूप से निम्नलिखित सुविधाएं दी गई हैं :—

(1) बिक्रीत प्रसार संख्या की सामान्य पत्रिका प्रति अंक 1000 प्रतियां हैं। तथापि, निम्नलिखित मामलों में छूट अनुज्ञेय हैं :—

(क) विशिष्ट/वैज्ञानिक पत्रिकाएं, जिनकी बिक्रीत प्रसार संख्या कम से कम 500 प्रतियां प्रति अंक हो;

(ख) संस्कृत के समाचारपत्र/पत्रिकाएं, और पिछड़े, सीमावर्ती या दूरवर्ती क्षेत्रों में अथवा आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले या मुख्य रूप से आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रिकाएं, जिनकी न्यूनतम बिक्रीत प्रसार संख्या 500 प्रतियां प्रति अंक हो।

(2) मुद्रण स्थान के मामले में भी आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत समाचारपत्रों/पत्रिकाओं का छूट अनुज्ञेय है।

(3) 2,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्रों/पत्रिकाओं को सनदी लेखाकार, आदि से प्रसार संख्या का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा से छूट है।

(4) विज्ञापन दरों को नियत करने के मामले में दरों की समानता है अर्थात् अंग्रेजी समाचारपत्रों तथा भाषायी समाचारपत्रों के बीच कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। तथापि, 10,000 प्रतियों तक की प्रसार संख्या वाले भाषायी पत्र/पत्रिकाओं को अंग्रेजी की

इसी प्रकार के पत्र/पत्रिकाओं से उच्च बुनियादी दर मिलती है। विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल बड़ी संख्या में लघु पत्र/पत्रिकाएं इस श्रेणी में आती हैं।

(ग) **पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :—**

पत्र सूचना कार्यालय लघु और मझोले समाचारपत्रों को देश के विभिन्न भागों में विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार से, प्रायोजित यात्राओं में इन समाचारपत्रों को विशेष प्रतिनिधित्व देने के अलावा, समाचारों, फोटो, आदि जारी करने से संबंधित अनेक सेवाएं समय-समय पर उपलब्ध करता है। "लघु" तथा "मझोले" समाचारपत्रों को अधिक सुविधा देने के लिए प्रत्यायन नियमों को भी उदार बनाया गया है।

[अनुवाद]

आकाशवाणी के पास अप्रयुक्त फ्रीक्वेन्सि

4195. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के पास अप्रयुक्त फ्रीक्वेन्सि उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्तर्राष्ट्रीय रेडियो फ्रीक्वेन्सि आबंटन विनियम के अनुसार एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रयोग न की जाने वाली फ्रीक्वेन्सि सामान्य मूल में चली जाती है;

(ग) क्या इन फ्रीक्वेन्सियों का उपयोग करने की कोई योजनाएं हैं;

(घ) क्या आकाशवाणी अपनी प्रसारण फ्रीक्वेन्सियों का दुरुपयोग किये जाने तथा उनमें असामान्य व्यवधान पैदा किये जाने को रोकने के लिए अपनी फ्रीक्वेन्सियों पर निरन्तर नजर रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इसके दौरान पड़ोसी देशों के रेडियो स्टेशन द्वारा व्यवधान पैदा किए जाने तथा हमारी फ्रीक्वेन्सियों का दुरुपयोग किए जाने का पता चला है?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। मीडियम वेव बैंड में अप्रयुक्त आवृत्तियां उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस प्रकार की आवृत्तियों के सन्तोषजनक कवरेज की प्रभावशीलता, संसाधनों की उप-

उपलब्धता और अन्य तकनीकी बातों पर निर्भर करते हुए शेष नियोजित आवृत्तियों का यथासंभव उपयोग किया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) कतिपय आवृत्तियों पर पड़ोसी देशों के रेडियो स्टेशनों से हस्तक्षेप होना पाया गया है। तकनीकी रूप से रात के समय मीडियम वेव पर प्रेषण दूर तक पहुंचने में सक्षम होता है, क्योंकि रेडियो तरंगे जमीन के ऊपरी वातावरण से जमीन की ओर परावृत्त होती हैं। अतः हस्तक्षेप उसी अथवा साथ की आवृत्तियों पर संचालित दूर के केन्द्रों में होता है। यह क्रिया अन्य पड़ोसी देशों के केन्द्रों में भी होती होगी।

बिना जुताई के खेती "नो टिल एग्रीकल्चर" पर अनुसंधान

4196. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना जुताई के खेती (नो टिल एग्रीकल्चर) के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान किया गया है;

(ख) क्या यह भारत के लिए उपयुक्त पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान।

बिना जुताई वाली खेती (नो टिल एग्रीकल्चर) पर अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर में किया गया है।

प्रयोगात्मक परिणामों से सभी जलवायवीय क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता के बारे में ठीक-ठीक पता नहीं लगता। फिर भी, इसमें खेती की तैयारी में समय और खेती में ऊर्जा की मांग के कम होने की आशा है बशर्ते कि, पानी और पोषक तत्वों की सप्लाई उपयुक्त रूप से हो तथा प्रभावी खरपतवार नियन्त्रण हो।

भा० कृ०अ०स० के कृषि अभियांत्रिकी प्रभाग से मिले परिणामों से पैदावार में वृद्धि या कमी की निश्चित प्रवृत्ति का पता नहीं लगता तथापि बिना जुताई वाले विभिन्न चक्रों में किए गए अन्य तीन अध्ययनों से पता लगा कि इससे उतनी ही पैदावार होती है जितनी परम्परागत जुताई से होती है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में किसानों के खेतों पर हुए विभिन्न परीक्षणों के परिणाम परम्परागत जुताई से बिना जुताई वाली खेती की अपेक्षा अधिक उपज लाभ नहीं दर्शाते हैं।

यह माना जाता है कि बिना जुताई वाली खेती अपेक्षाकृत हल्की मिट्टियों में और कम घने खरपतवार वाले खेतों में सफल हो सकती है।

बड़े पैमाने पर चलने वाले दीर्घकालिक क्षेत्र परीक्षणों के द्वारा सफलतापूर्वक इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि बिना जुताई वाली खेती से पर्याप्त मात्रा में फसल की पैदावार को कम किए बिना ऊर्जा की बचत हो सकेगी। बारानी क्षेत्रों में भी बिना जुताई वाली खेती की उपयुक्तता को भी निर्धारित किया जाना है।

समाचार बुलेटिनों का प्रसारण

4197. डा० चिन्ता मोहन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समाचार बुलेटिनों को रात्रि 8.30 बजे के लगभग, जब सबसे अधिक लोग रेडियो सुनते हैं, सारे देश में प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या क्षेत्रीय भाषाओं, जैसे तेलुगु में समाचार बुलेटिन 7.30 बजे के लगभग प्रसारित किए जाते हैं;

(घ) यदि हां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में सभी भाषाओं में सभी समाचार बुलेटिनों के एक ही समय पर अथवा थोड़े अन्तराल पर प्रसारण पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) समाचार बुलेटिनों के लिए शाम 6.00 बजे से रात के लगभग 8.30 बजे तक की अवधि को मुख्य श्रवण समय माना जाता है। रात 8.30 बजे के लगभग कोई समाचार बुलेटिन प्रसारित नहीं किया जाता है। हिन्दी के केन्द्रीय बुलेटिन को रात 8.45 बजे तथा अंग्रेजी के रात 9.00 बजे प्रसारित किया जाता है।

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं के केन्द्रीय बुलेटिन शाम 6.10 बजे और रात 9.30 बजे के बीच चक्रिक क्रम में प्रसारित किए जाते हैं। आकाशवाणी, दिल्ली से तेलुगु का केन्द्रीय बुलेटिन शाम 7.05 बजे से शाम 7.15 बजे तक प्रसारित किया जाता है।

(घ) दिल्ली से विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित केन्द्रीय बुलेटिन केवल सम्बन्धित क्षेत्रों द्वारा रिले किए जाने के लिए हैं। हिन्दी और अंग्रेजी के केन्द्रीय बुलेटिन अखिल भारतीय रिले के लिए हैं। समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित किए गये हैं। इसलिए कोई असमानता नहीं है।

(ङ) हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा, जिन क्षेत्रीय भाषाओं में केन्द्रीय बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं, उनकी कुल संख्या 17 है। क्योंकि आकाशवाणी के पास सभी बुलेटिनों को एक साथ प्रेषित करने के लिए अधिक चैनल नहीं हैं, अतः सभी भाषाओं के सभी समाचार बुलेटिनों को एक ही समय पर प्रेषित करना संभव नहीं है। अतः शाम को मुख्य श्रवण समय के दौरान सभी भाषायी बुलेटिनों को एक दूसरे के आस-पास प्रेषित किया जाता है।

[हिन्दी]

चन्द्र विहार (मंडावली फाजलपुर) कालोनी, दिल्ली को नियमित करना

4198. श्री कमला प्रसाद रावत }
मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की चन्द्र विहार (मंडावली फाजलपुर) कालोनी को नियमित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह कालोनी अन्तिम (कट-आफ) तारीख 30-6-1977 के बाद बनी है और इसलिए अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण की सरकारी नीति के अनुसार नियमितिकरण के लिए पात्र नहीं है। सरकारी नीति में 30-6-77 तथा 16-2-77 तक निर्मित क्रमशः रिहायशी और वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

तिलहनों और दालों के उत्पादन के लिए बारानी खेती

4199. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ राज्यों में तिलहनों और दालों के उत्पादन के लिए बारानी खेती की संभावना का पता लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के अन्तर्गत किन-किन राज्यों को शामिल करने का विचार है;

(ग) कर्नाटक राज्य में उक्त प्रयोजन के लिए किन-किन स्थानों को चुना गया है; और

(घ) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) तिलहन तथा दलहन उगाने वाले प्रायः सभी मुख्य राज्यों में तिलहनों तथा दलहनों का उत्पादन अधिकांशतः बारानी खेती की परिस्थितियों के अन्तर्गत किया जाता है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए देश में सभी मुख्य तिलहन उत्पादक राज्यों में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। इसी प्रकार, दलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दलहन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना और दलहनों मिनिकिट प्रदर्शन की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना दलहन उगाने वाले सभी मुख्य राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।

(ग) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अन्तर्गत तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य में राज्य के अन्य जिलों के सम्भावित क्षेत्रों के अलावा रायचूर, धरवार, बेलगांव, बीजापुर, गुलबर्गा, कोलार, तुमकुर और बिदर जिले अभिज्ञान किए गए हैं। दलहन विकास कार्यक्रम कर्नाटक राज्य के प्रायः सभी जिलों में चल रहा है। तथापि, दलहन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कर्नाटक राज्य में गहन दलहन उत्पादन के लिए चुने गये जिले गुलबर्गा, मैसूर और तुमकुर हैं।

(घ) राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना और दलहन विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकता के स्तर में वृद्धि करके और विभिन्न तिलहन और दलहन फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार करके उत्पादन को बढ़ाना शामिल है।

फिस सीड डिवलपमेंट कार्पोरेशन के लिए कर्नाटक राज्य को केन्द्रीय सहायता

4200. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में फिस सीड डिवलपमेंट कार्पोरेशन स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य में ऐसा निगम स्थापित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो कर्नाटक स्टेट फिस सीड डिवलपमेंट कार्पोरेशन द्वारा मत्स्य बीज (फिस सीड) के उत्पादन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) कर्नाटक फिस सीड डिवलपमेंट कार्पोरेशन को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में डिम्बोना विकास निगम स्थापित किए गये हैं और विश्व बैंक कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश राज्य मात्स्यकी विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश में डिम्पोना विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि

4201. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे पहले के वर्ष 1983-84 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्पादन में वृद्धि को देखते हुए उर्वरकों के आयात में कमी करने का है;

(घ) यदि हां, तो 1985-86 में उर्वरकों के आयात में कितनी कमी किये जाने का विचार है; और

(ङ) देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उर्वरकों के उत्पादन में 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान वृद्धि नाइट्रोजन में 12.4 प्रतिशत तथा पी ? ओ5 में 20.6 प्रतिशत थी।

(ग) आयात की मात्रा की योजना सम्भावित मांग, स्वदेशी उत्पादन, शेष भंडार आदि को ध्यान में रखते हुए वर्षानुवर्ष के आधार पर बनाई जाती है।

(घ) 1985-86 में उर्वरकों के आयात के ब्यौरे बताना लोक हित में नहीं होगा।

(ङ) देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया गया है इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, पहले ही संचालन में/स्थापनाधीन उर्वरक क्षमता में काफी वृद्धि करने के लिए अनेक नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इन उपायों से उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन में काफी वृद्धि करने में सहायता मिलेगी।

महाराष्ट्र में आकाशवाणी के नए केन्द्र

4202. श्री आर० एम० भोये : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आकाशवाणी के नए केन्द्र स्थापित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से स्थलों का चयन किया गया है और इनका चयन करने के क्या मानदण्ड है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एम० गाडगिल) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

7वीं योजना अवधि के दौरान महाराष्ट्र में आकाशवाणी द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर नए एफ० एम० रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है :—

क्रम सं०	स्थान	ट्रांसमीटर की शक्ति		
1.	कोल्हापुर	2 × 3 किलो वाट एफ० एम० ट्रांसमीटर एम० पी० स्टुडियो		
2.	नासिक	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	(स्थानीय)	,,
3.	अहमदनगर	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
4.	धुले	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
5.	बीर	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
6.	चन्द्रपुर	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
7.	नान्देड	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
8.	अकोला	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
9.	ओस्मानाबाद	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
10.	यवतमाल	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,
11.	सतारा	2 × 3 किलोवाट एफ० एम०	,,	,,

2. नया रेडियो स्टेशन स्थापित करने का निर्णय कई बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिनमें से मुख्य हैं उन क्षेत्रों, जो किसी भी अन्य मौजूदा रेडियो स्टेशन के सिगनलों से कवर नहीं होते, में सेवा उपलब्ध करने की आवश्यकता, आदिवासी और सामावर्ती क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताएं भाषायी और सांस्कृतिक आवश्यकताएं, तकनीकी संभाव्यता आदि। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता भी एक महत्वपूर्ण बात है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की क्रियान्विति

4203. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि विकेन्द्रीकरण की कमी और प्रक्रिया सम्बन्धी अन्य बाधाओं के कारण ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं की क्रियान्विति में विलम्ब हो रहा है; और

(ख) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं की त्वरित क्रियान्विति के लिए प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि कुछेक राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजनाओं को स्वीकृत करने की शक्तियां जो इस समय केन्द्रीय समिति के पास निहित हैं, वे राज्य सरकार को दे दी जाएं। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के कार्यान्वियन हेतु अनुदेशों के अनुरूप सही तरीके से तैयार किए गए परियोजना प्रस्तावों को बिना किसी विलम्ब के स्वीकृति दे दी जाती है। केन्द्रीय समिति की बैठकें परियोजना स्वीकृति करने हेतु अक्सर होती रहती हैं। परियोजनाएं जब ठीक तरीके से तैयार नहीं की जाती हैं तथा पूरे ब्यौरे नहीं होते तभी यह आवश्यक हो जाता है कि राज्य सरकारों से परियोजनाओं में संशोधन करने और आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने को कहा जाता है। अतः वर्तमान पद्धति से ज्यादा बढ़िया परियोजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। चूंकि केन्द्रीय समिति किसी राज्य के लिए आबंटन के 150 प्रतिशत तक परियोजनाएं मंजूर करती है इसलिए साधारणतया राज्य सरकार के पास पूरा करने हेतु काफी परियोजनाएं होती हैं। अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वियन की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय समिति कार्यक्रम के कार्यान्वियन की पुनरीक्षा करती है और कार्यक्रम के कार्यान्वियन में सुधार लाने हेतु राज्यों को आवश्यक सहायता दी जाती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल दूरसंचार के विकास का प्रस्ताव

4204. श्री बी० बी० देसाई : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन उपक्षेत्रों के विकास के लिये 867 करोड़ रुपये की योजना है;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने सातवीं योजना में दूरसंचार राष्ट्रीय राजमार्गों और रेल के बारे में कतिपय योजनाएं आरम्भ करने के सुझाव दिए हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य क्षेत्र में निवेश का 50 प्रतिशत तक वित्त पोषण कर रही है;

(घ) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए अंतरिम भूमि उपयोग योजना तैयार करने का निर्णय भी लिया हैं;

(ङ) क्या उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शेष क्षेत्र में सुविधाएं और सेवाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है;

(च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल, दूर संचार के विकास के लिए क्या प्रस्ताव है और उन पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी; और

(छ) इन योजनाओं के कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रों के 3 उप क्षेत्र के विकासार्थ दूरसंचार, राजपथ तथा रेलवे से सम्बन्धित प्रस्तावों सहित 867 करोड़ रुपये के व्यय के प्रस्ताव हैं।

(ग) जी, हां। अनुमोदित योजनाओं पर।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) और (छ) एकीकृत पूंजी निवेश योजनाएं प्रक्रियाधीन हैं तथा इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि यह योजना कब आरम्भ की जाएगी।

वनस्पति मिलों द्वारा संविदाओं को मानने से मनाही

4205. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक वनस्पति मिलों ने वनस्पति के मूल्यों में भारी वृद्धि को देखते हुए अपनी अपरिवर्तनीय संविदाओं को मानने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन संविदाओं पर वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि से पहले हस्ताक्षर किए गए थे;

(ग) संविदाओं की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) उनके द्वारा इन्कार किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वनस्पति उद्योग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित तेल के निर्गम मूल्य में अत्यधिक वृद्धि और वनस्पति निर्माण के लिए आयातित तेल के प्रयोग में कटौती के कारण मुद्रा स्फीती की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला है;

(च) यदि हां, तो किस हद तक;

(छ) क्या वनस्पति मिलों की एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए वनस्पति पर उत्पादन शुल्क हटाया जाए;

(ज) क्या सरकार उक्त उत्पादन शुल्क हटाने के लिए सहमत हो गई है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) से (घ) वनस्पति पर कोई भी अहस्तान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदा अनुमत नहीं है और इसीलिए वनस्पति फैक्टरियों को सुपुर्दगी के आधार पर माल बेचना पड़ता है। कुछ वनस्पति फैक्टरियां तैयार सुपुर्दगी (संविदा की तारीख को शामिल करते हुए 11 दिन) के लिए सौदाबाजी करती है। तथापि, इस प्रकार की संविदाएं चालू व्यापारिक व्यवहार के अनुसार मौखिक रूप में होती हैं। यदि ये सौदे लिखित रूप में किए जाते हैं तो संविदाओं पर सुपुर्दगी की मात्रा, कीमत तथा तारीख का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर किए जाते हैं। वनस्पति फैक्टरियां किए गए सौदे के अनुसार स्वीकृत मूल्यों पर टिकी रहती हैं चाहे बाजार में कैसा भी उतार चढ़ाव आये। तथापि, एक सौदे के चलते रहने पर यदि सरकार द्वारा कीमतों में संशोधन किया जाता है तो ये फैक्टरियां व्यापारिक व्यवहार के अनुरूप सौदों के बारे में पुनः बातचीत करती हैं। पुनः बातचीत के बाद वनस्पति फैक्टरियों ने 15 कि० ग्रा० के प्रति टीन पर 15-11-1985 से की गई कुल 20.50 रु० की वृद्धि के स्थान पर थोक विक्रेताओं के लिए प्रति टीन 10-15 रु० की वृद्धि स्वीकृत की।

(ङ) और (च) वनस्पति उद्योग तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित तेलों की कीमतों में हुई वृद्धि तथा वनस्पति घी बनाने में आयातित तेल का इस्तेमाल घटाए जाने के परिणामस्वरूप वनस्पति घी की कीमतों में कुछ हद तक अनुवर्ती बढ़ोत्तरी हुई है।

(छ) जी, हां।

(ज) और (झ) सरकार इस मामले पर ध्यान दे रही है।

वर्ष 1984 और 1985 में खोले गए दूरदर्शन रिले केन्द्र

4206. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 में, विशेषकर अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1984 में, कितने

दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले गए हैं;

(ख) वर्ष 1985 में कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले गए;

(ग) क्या यह दूरदर्शन केन्द्र महीनावार अथवा वर्षवार निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खोले गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल):(क) वर्ष 1984 के दौरान देश में स्थापित किए गए 125 दूरदर्शन रिले केन्द्रों में से, अगस्त से नवम्बर, 1984 तक की अवधि के दौरान स्थापित किए गये ट्रांसमीटरों की मास-वार संख्या इस प्रकार है :—

अगस्त, 1984	33
सितम्बर, 1984	31
अक्तूबर, 1984	19
नवम्बर, 1984	3

(ख) वर्ष 1985 के दौरान अब तक आठ नए दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ) इन दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना छठी योजना की स्कीमों तथा जुलाई 1983 में अनुमोदित दूरदर्शन विस्तार की विशेष योजना के अंग के रूप में की गई थी।

दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन

4207. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन और वाणिज्यिक विज्ञापन देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) वाणिज्यिक विज्ञापन की दरें क्या हैं; और

(ग) क्या हथकरघा और लघु उद्योगों और खादी ग्रामोद्योग को दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन देने पर कोई रियायत देने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल):(क) दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन दूरदर्शन की वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता से विनियमित होते हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) लघु उद्योग के रूप में प्रमाणित विज्ञापन तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सामान्य दरों की 15% रियायत के लिए पात्र हैं।

विवरण

दर ढांचा (1-11-1985 से कार्यान्वित) दर्शाने वाला विवरण

प्रस्तावित पंजीकरण	दिल्ली और रिले ट्रांसमीटर	बम्बई और रिले ट्रांसमीटर	कलकत्ता/मद्रास/बंगलौर/त्रिवेन्द्रम/हैदराबाद/लखनऊ और रिले ट्रांसमीटर	नागपुर/जलन्धर और रिले ट्रांसमीटर	श्रीनगर	राष्ट्रीय संजाल
1	2	3	4	5	6	7
10 सेकेंड का स्पाट						
सुपर "ए" स्पेशल	25,000	15,000	6,000	5,000	2,500	45,000*
सुपर "ए"	20,000	12,000	5,000	4,000	2,000	40,000
"ए"	10,000	7,000	4,000	3,000	1,500	25,000
"बी"	5,000	4,000	2,000	2,000	1,000	15,000

1	2	3	4	5	6	7
एक्स*1						20,000
दूरदर्शन के प्रायोजित कार्यक्रम*2						
सुपर "ए" स्पेशल	40,000	30,000	15,000	10,000	10,000	1,50,000
सुपर "ए"	35,000	25,000	12,000	7,500	7,500	1,25,000
"ए"	20,000	12,000	7,000	4,000	4,000	74,000
"बी"	15,000	8,000	5,000	3,000	3,000	50,000
प्रायोजकों द्वारा निर्मित प्रायोजित कार्यक्रम						
30 मिनट के कार्यक्रम (2 मिनट के निशुल्क समय के साथ)	20,000	12,000	5,000	5,000	5,000	70,000*3
15 मिनट के कार्यक्रम (1 मिनट के निःशुल्क समय के साथ)	12,000	8,000	3,000	3,000	3,000	40,000*4
प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रम*						
30 मिनट के कार्यक्रम (40 सेकेंड के निःशुल्क समय के साथ)	70,000	40,000	20,000	14,000	14,000	2,00,000

1	2	3	4	5	6	7
15 मिनट के कार्यक्रम (20 सेकेंड के निशुल्क समय के साथ)	35,000	20,000	10,000	7,000	7,000	1,00,00
प्रायोजकों द्वारा दूरदर्शन के लिए बनाई गई प्रायोजित टेली फिल्में						
90 मिनट की फिल्म						1,00,000 (4 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)
60 मिनट की फिल्म						70,000 (3 मिनट के नि:शुल्क समय के साथ)

* राष्ट्रीय संजाल पर "नियत समय स्पाट" बुकिंगों के लिए भी यही दर होंगी बशर्ते कि प्रतिमास कम से कम 10 बुकिंग हों।

*1 "x" श्रेणी के स्पाट सुपर "ए" कार्यक्रमों के पहले और बाद के अन्तराल को पूरा करने लिए समय स्पाट के बारे में गारंटी के बिना किंतु प्रतिम ास 4=5 एक्सपोजरों के साथ दिये जायेंगे।

*2 30 मिनट के कार्मक्रम के लिए $1\frac{1}{2}$ मिनट का और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 45 सेकेंड का निःशुल्क विज्ञापन समय दिया जायेए।

*3 इन कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क विज्ञापन समय इस प्रकार दिया जायेगा।

1. एनीमेशन और वन्य जीवन पर फिल्में: 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 2 मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 1 मिनट।

2. टेली फीचर फिल्में: 90 मिनट के कार्यक्रम के लिए 4 मिनट और 60 मिनट के कार्यक्रम के लिए 3 मिनट।

3. नाटक और नृत्य रास: 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए $1\frac{1}{2}$ मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिए 45 सेकेंड।

4. अन्य: 30 मिनट के कार्यक्रम के लिये 1 मिनट और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिये 30 सेकेंड।

5. जब नाटकों और नृत्य रास को रात 10.00 बजे के बाद टेलीकास्ट किया जायेगा तब 30 मिनट के कार्यक्रम के लिए 2 मिनट का और 15 मिनट के कार्यक्रम के लिये एक मिनट का निःशुल्क विज्ञापन समय दिया जायेगा।

सभी मामलों में निःशुल्क विज्ञापन के अतिरिक्त अधिक से अधिक 10 सेकेंड के नामोल्लेख की अनुमति होगी।

*4 प्रायोजकों द्वारा आयातित प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क विज्ञापन समय के अतिरिक्त, शुरू में 10 सेकेंड और अन्त में 10 सेकेंड के नामोल्लेख की अनुमति होगी।

नोट :—

(1) सुपर "ए" विशेष श्रेणी में विश्व कप क्रिकेट और फुटबाल, ओलम्पिक खेल, एशियाई खेल, विम्बल्डन टेनिस, आदि शामिम होंगे।

(2) सभी श्रेणियों के कार्यक्रमों के लिए द्वितीय चेनल के लिए दरें वही होंगी जो समूह "घ" (अर्थात नागपुर/जलन्धर) के लिए हैं।

(3) सभी श्रेणियों के सादे और रंगीन कार्यक्रमों के लिये समान दरें प्रस्तावित की जा रही हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रमों में नृत्यों का प्रदर्शन

4208. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 में नृत्य और लोकसंगीत के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आंध्र प्रदेश से कितने कलाकारों को आमन्त्रित किया गया;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि आंध्र प्रदेश में "आंध्र नाट्यम" और "पेरिनी तांडवम" नामक नृत्य की दो प्राचीन विधाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या नृत्य की इन विधाओं को दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों में दिखाने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन केन्द्र दिल्ली ने 1985 में आंध्र प्रदेश के लोक संगीत के 21 कलाकारों को अपने कार्यात्मक क्षेत्र से आमन्त्रित किया है।

(ख) और (ग) जी, हां। आंध्र प्रदेश के नृत्य "आंध्र नाट्यम" और "पेरिनी तांडवम" के कार्यक्रम दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद द्वारा टेलीकास्ट किये गये हैं। इन कार्यक्रमों को कार्यक्रम आवश्यताओं पर निर्भर करते हुए दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के कार्यक्रमों में भी शामिल किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों का विकास

4209. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में स्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के विकास के लिए छठी योजना में केन्द्रीय क्षेत्र में कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था;

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान वास्तव में कितना व्यय किया गया;

(ग) निर्धारित लक्ष्य क्या थे और वास्तव में क्या उपलब्धि हुई; और

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल में ऐसी कालोनियों के विकास के लिए

कितना परिव्यय और क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) छठी योजना को अन्तिम रूप देने के समय, लागत अनुमानो आदि के ब्यौरों के अभाव में, 0.05 करोड़ रुपये का केवल आंशिक प्रावधान इस आशय से किया गया था कि निधियों की आवश्यकता को वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 522 लाख रुपये की कुल राशि जारी की गई थी।

(ग) और (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इन्दौर में दूरदर्शन पारेषण केन्द्र की पारेषण क्षमता

4210. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में इन्दौर दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र की पारेषण क्षमता क्या है अर्थात् इस केन्द्र के कार्यक्रम कितने क्षेत्र में देखे जा सकते हैं;

(ख) क्या यह केन्द्र इस समय अपनी पूरी क्षमता से कार्य कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन गाडगिल) : (क) इन्दौर का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 10 किलोवाट की अपनी पूरी शक्ति पर काम कर रहा है इसकी सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर है जो स्थानीय भू-भागीय स्थितियों के अधीन है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन विकास के बारे में भारत और नार्वे के बीच समझौता

4211. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-नार्वे समझौते के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में मत्स्य पालन की कोई परियोजना शुरू की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने नार्वे/स्वीडन से विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दो परियोजनाएं भेजी हैं :

(1) बील मात्स्यिकी का विकास;

(2) पश्चिम बंगाल में लघु समुद्री मात्स्यकी का विकास तथा परम्परागत मछुवारों का कल्याण ।

सरकार को इन परियोजनाओं पर अभी विचार करना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

दिल्ली प्रशासन द्वारा नियमित कालोनियों को हटाया जाना

4212. श्री भरत सिंह : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिल्ली प्रशासन ने नियमित कालोनियों को हटाने के लिए हाल ही में एक नोटिस जारी किया है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली के लाखों नागरिक बढ़ती आवास समस्या के कारण बहुत चिंतित हैं;

(ख) नियमित की गई इन कालोनियों को दिल्ली प्रशासन द्वारा हटाये जाने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को नियमित की गई कालोनियों को न हटाने और उनका विकास करने के निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली प्रशासन ने नियमित कालोनियों को हटाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जनता टी० हाऊस, आई०एन० ए० कैफेटेरिया, नई दिल्ली का सुपर बाजार को आबंटित किया जाना

4213. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जनता टी हाऊस, आई० एन० ए० कैफेटेरिया की इमारत उनके मंत्रालय और संपदा निदेशालय की संपत्ति है और क्या सम्पदा निदेशालय ने सुपर बाजार को यह इमारत आवश्यक वस्तुएं आसानी से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने की नीति के अंतर्गत स्वयं आबंटित की थी;

(ख) क्या सुपर बाजार के वरिष्ठ प्रबन्धकों ने निदेशालय के नियमों का उल्लंघन करते हुए इसका कब्जा लाइसेंस के आधार पर प्राइवेट दुकानदारों को दे दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। आई० एन० ए० मार्किट नई दिल्ली में सुपर बाजार चलाने के लिए 1966 में दि कोआपरेटिव स्टोर्स लि० को 148 दुकानें आबंटित की गई थीं।

(ख) से (घ) सुपर बाजार के प्राधिकारियों द्वारा कुछ दुकानें उप किरायेदारी पर दी गयीं थीं जिन्हें निर्देश दिया गया है कि वे उन दुकानों को सम्पदा निदेशालय को सौंप दें जो उनके वास्तविक उपयोग में नहीं हैं। यह मामला निर्णयाधीन है।

[अनुवाद]

दिल्ली में पार्कों/उद्यानों का रखरखाव

4214. श्री सी० माधव रेड्डी : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि राजधानी में विभिन्न पार्कों/उद्यानों की उपेक्षा हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे कई पार्कों पर दूधियों आदि ने अवैध कब्जा कर लिया है और क्षेत्र की परिस्थिति को बिगाड़ दिया है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने पार्कों का पता लगाया गया और उनके रखरखाव

तथा अनधिकृत कब्जेदारों से उन्हें खाली कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या कालोनियों में पार्क/उद्यानों आदि उपलब्ध कराने के लिए कोई मानदण्ड है; और

(ङ) यदि हां, तो उपेक्षा के क्या कारण हैं और क्या पार्कों/उद्यानों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। उपेक्षा तथा दुरुपयोग की कुछ शिकायतें हुई हैं। बेहतर अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपचारी कदम भी उठाये गये हैं।

(घ) दिल्ली बृहद योजना में कतिपय मानदण्ड निर्धारित हैं।

(ङ) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बेहतर अनुरक्षण एवं बेहतर प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपचारी कदम उठाए गए हैं।

दक्षिण दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का अधिग्रहण

4215. श्री पूर्णचन्द्र मलिक
डा० सुधीर राय
श्री अजीत कुमार साहा
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत दक्षिण दिल्ली क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि के एक टुकड़े का अधिग्रहण नहीं किया है हालांकि यह उन 11 गांवों के बीच में पड़ता है जिनका अधिग्रहण किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना के क्षेत्राधिकार से भूमि की निम्नलिखित श्रेणियों को अलग रखा गया है :—

(i) आबादी देह;

(ii) श्मशान भूमि

(iii) 5-11-80 से पहले दिल्ली नगर निगम द्वारा जिस भूमि के भवन नक्शों का अनुमोदन किया गया तथा भूमि अर्जन समाहर्ता के सन्तोष के लिए दिखाया गया।

(iv) सरकारी भूमि; तथा

(v) अधिनियम की धारा 4 एवं 6 के अन्तर्गत पहले ही अधिसूचित की गई भूमि।

दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि छत्तरपुर गांव के कुछ खसरा नम्बरों में भी लिपिकीय त्रुटि के कारण अनजाने में छूट गए थे।

(ग) और (घ) जो भूमि अनजाने में रह गई है उसे भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत अधिगृहीत किया जा रहा है।

[हिन्दी]

मिलों में तालेबन्दी की घोषणा

4216. श्री सरफराज अहमद : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले एक वर्ष के दौरान कितने मिल मालिकों द्वारा कारखानों में तालेबन्दी की घोषणा की गई थी और कारखाना वार कितने श्रमिक बेरोजगार हुए;

(ख) क्या तालाबंदी सरकार की आज्ञा से घोषित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) तालाबंदियों के बारे में सूचना उद्योग-वार और कैलेन्डर-वार रखी जाती है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1985 (जनवरी-अगस्त) के दौरान 15 सूती कपड़ा मिलों, जिनमें 23,765 श्रमिक अन्तर्ग्रस्त थे और 15 जूट, सन तथा मेस्ता टैक्सटाइल मिलों, जिनमें 50,505 श्रमिक अंतर्ग्रस्त थे, में तालबंदी थी। इस संबंध में मिल वार सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन ऐसा कोई उपबंध नहीं है कि तालाबन्दी घोषित करने से पहले सरकार की अनुमति ली जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना के लिए वित्तीय सहायता

4217. श्री विजय एन० पाटिल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार कर लिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की भविष्य की योजनाओं के लिए कौन वित्तीय सहायता देगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण की भविष्य की किसी आवासीय योजना की बढ़ी लागत को भविष्य में कौन पूरा करेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) एक स्वायत्त शासी संगठन होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण को जैसा कि दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में दिया गया है, अपनी निधियों का स्वयं रखरखाव करना होता है। किसी सीमा तक विकास योजनाएं प्लान योजनाएं हैं, सरकार द्वारा दी गई प्लान निधियों से इनकी वित्त व्यवस्था की जाएगी।

(ग) मकानों आदि की संपूर्णता की लागत के आधार पर आवास योजनाओं की लागत की वृद्धि को आबंटियों को हस्तांतरित कर दिया जाता है।

सातवीं योजना में दिल्ली विकास प्राधिकरण को वित्तीय आबंटन

4218. श्री विजय एन० पाटिल : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण को सातवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय सरकार अथवा दिल्ली प्रशासन से कोई ठोस वित्तीय आबंटन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) मलिन बस्ती योजनाओं सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण की प्लान योजनाओं के कार्यान्वयनार्थ 158.57 करोड़ रु० का वित्तीय नियतन दिल्ली प्रशासन द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में किया गया है। इस प्रकार की योजनाओं/नियतनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	दिल्ली विकास प्राधिकरण की मुख्य योजनाएं	आंकड़े करोड़ रुपये में
1	2	3
1.	नियमित अनधिकृत कालोनियों का विकास	25.00
2	शहरी गांवों का विकास	10.50

1	2	3
3.	अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना	10.00
4.	नरेला नगर क्षेत्र का विकास	6.00
5.	यमुना नदी का नहरीकरण (केवल अध्ययन)	0.24
6.	अभिनव तथा अनुसंधान एवं योजना प्रबोधन,	0.26
7.	भूमि का अर्जन तथा विकास	10.00
8.	जन परिवहन अध्ययन	0.25
9.	सामर्थ्य से सम्बद्ध आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए आवास	26.80
10.	रैन बसेरे	3.00
11.	कम लागत की दुकानें/स्टालों का निर्माण	0.20
12.	शाहजहांनाबाद का पुनर्विकास	5.00
13.	झुग्गी समूहों में पर्यावरणीय सुधार	10.00
14.	पुनर्निविष्ट मलिन बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार	20.00
15.	मलिन बस्ती क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलना	2.00
16.	मलिन कटरों में संरचनात्मक सुधार	2.60
17.	सामर्थ्य के सम्बद्ध अनधिवासियों सहित निम्नतर स्तर के समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को स्वयं सहायता आवास के लिए विकसित प्लाटों की व्यवस्था करना	26.00
18.	प्रचार कार्यक्रम	0.40
19.	अनुसंधान एवं अभिनव	0.25
20.	स्वम स्कन्ध में योजना, सर्वेक्षण तथा प्रबोधन मंडल	0.07
		158.57 करोड़ रु०

दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में प्रिंटिंग प्रेस

4219. **श्रीमती प्रभावती गुप्त** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेस दिन-रात चल रहे हैं;

(ख) ऐसे प्रिंटिंग प्रेसों को संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन प्रिंटिंग प्रेसों को रिहायशी क्षेत्रों से किन्हीं वाणिज्यिक/औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में दिन में बड़ी संख्या में प्रिंटिंग प्रेसें चल रही हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य

4220. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्यों को अगले वर्ष के लिए कच्चे पटसन के न्यूनतम मूल्य की सिफारिश करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में उनके मंत्रालय का क्या विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर समुचित विचार करने के पश्चात् वर्षानुवर्ष कच्चे पटसन के सांविधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। दूसरी ओर कृषि लागत और मूल्य आयोग अपने प्रस्ताव तैयार करते समय पटसन उगाने वाले राज्यों की सरकारों के विचारों सहित सम्बद्ध पहलुओं को ध्यान में रखता है। आगामी वर्ष (1986-87) के लिए सांविधिक न्यूनतम मूल्यों के संबंध में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कच्चे पटसन की मूल्य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन पर सरकारी बैठकों से संबंधित बैनर/नाम पट्ट अंग्रेजी में दिखाना

4221. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित सम्मेलनों, बैठकों आदि से संबंधित बेनर नाम पट्ट आदि दूरदर्शन पर प्रायः अंग्रेजी में ही प्रदर्शित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) सम्मेलनं, बैठकों, आदि में प्रयुक्त बैनर/नाम पट्ट इन बैठकों के आयोजकों द्वारा रखे जाते हैं। इन सम्मेलनों/बैठकों को कवर करने के लिए नियुक्त दूरदर्शन कैमरा दल इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस सामग्री के रखे जाने पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम की भाण्डागारों की आवश्यकता

4223. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम द्वारा भाण्डागारों का निर्माण करके तथा किराये पर लेकर स्थान की व्यवस्था करने के वर्षवार ब्यौरे का उल्लेख करते हुए गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की भाण्डागारों की आवश्यकता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) वह स्थान कौन सा है जिसका निर्माण करने का विचार था परन्तु किराये पर लेने की व्यवस्था की गई;

(ग) क्या भाण्डागारों का निर्माण सस्ता पड़ता है अथवा उन्हें किराए पर लेना तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) हानि की राशि का उल्लेख करते हुए गत तीन वर्षों के दौरान कितने भाण्डागारों को बन्द करना पड़ा तथा इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) गोदामों को किराये पर लेने की तुलना में गोदामों का निर्माण करने की तुलनात्मक अर्थव्यवस्था के बारे में कोई सामान्य वक्तव्य देना कठिन होगा क्योंकि निगम द्वारा निर्मित गोदामों की विनिर्दिष्टियों की सही-सही तुलना किराये पर लिये गये गोदामों की विनिर्दिष्टियों से नहीं की जा

सकती है । एजेन्सी प्रति एजेन्सी किराये में अन्तर होने के कारण और अधिक कठिनाई होती है।

विवरण

निम्न तारीख को स्थिति	प्राप्त किए जाने वाले क्षमता उपयोग के आधार पर भारतीय खाद्य निगम के पास रखे खाद्यान्नों के स्टाक के लिए भंडारण क्षमता की आवश्यकता	भारतीय खाद्य निगम के पास रुकी हुई भण्डारण क्षमता अपनी	किराये की	(मिलियन मीटरी टनों में)
1-7-1983	13.41	8.41	8 10	16.51
1-7-1984	19.24	8.71	9.94	18.65
1-7-1985	21.61	9.10	10.71	19.81

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पीने के पानी की सप्लाई के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

4224. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री एच० ए० डोरा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में 25 से 200 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले अनेक गांवों वाले देश के रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां पीने का पानी या तो खारा है या उपलब्ध ही नहीं है, उक्त समस्या का स्थायी हल ढूंढने में सफल होगी; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) सातवीं पंचवर्षीय

योजना में ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए निधियों का प्रावधान निम्नलिखित है :—

1.	राज्य/संघशासित क्षेत्र की योजना	(करोड़ रुपये में)
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति	2253.25
2.	केन्द्रीय योजना	
	केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वतरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम	1201.22
	योग :	3454.47

सातवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों के राज्यवार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह होगा कि पहले वाले सर्वेक्षण की वर्तमान कसौटियों अथवा बाद के सर्वेक्षण के आधार पर पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों को शामिल किया जाए और आंशिक रूप से शामिल किए गए गांवों/बस्तियों जिनमें मरुस्थल इलाकों में स्थित गांव/बस्तियां शामिल हैं, को इसमें पूर्णतया शामिल किया जाए जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बस्तियों का विशेष ध्यान रखा जाए ।

विवरण

ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए राज्य योजनाओं में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए प्रावधानों को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	सातवीं योजना 1985-90 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के प्रावधान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	140.00
2.	असम	90.00

1	2	3
3.	बिहार	95.00
4.	गुजरात	80.00
5.	हरियाणा	105.00
6.	हिमाचल प्रदेश	68.00
7.	जम्मू व कश्मीर	120.00
8.	केरल	81.00
9.	कर्नाटक	75.00
10.	मध्य प्रदेश	143.00
11.	महाराष्ट्र	460.00
12.	मणिपुर	22·00
13.	मेघालय	30.00
14.	नागालैंड	15.00
15.	उड़ीसा	40.00
16.	पंजाब	65.00
17.	राजस्थान	150.00
18.	सिक्किम	10.00
19.	तमिलनाडु	175.00
20.	त्रिपुरा	20.00
21.	उत्तर प्रदेश	175.00
22.	पश्चिम बंगाल	35.00
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.00
24.	अरुणाचल प्रदेश	18.00
25.	चण्डीगढ़	—
26.	दादरा व नगरहवेली	0.75

1	2	3
27.	दिल्ली	6.00
28.	गोआ, दमन व दीव	5.00
29.	लक्षद्वीप	1.50
30.	मिजोरम	18.00
31.	पांडिचेरी	2.00

वाराणसी को सुन्दर बनाने के सम्बन्ध में योजना

4226. **श्री मदन पांडे** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी को सुन्दर बनाने और वहां के घाटों के विकास के लिए सरकार केन्द्रीय स्तर पर किसी योजना पर विचार कर रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अधीन गंगा परियोजना निदेशालय ने विशेष कार्यवाही कार्यक्रम पर विचार किया है जिसमें नदी कोटि सुधार को शहरी विकास के साथ एकीकृत किया जाना है। इसके घाटों के विकास के लिए विचार करने की किसी योजना के बारे में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास योजना

4227. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा सरकार से उड़ीसा के विभिन्न भागों में वर्ष 1983-84 के दौरान नये 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के लिए कोई योजना मिली है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चंद्राकर) : (क) और (ख) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत इस मंत्रालय के मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम ये हैं :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा फालतू भूमि का वितरण कार्यक्रम। ये निरंतर चलने वाले कार्यक्रम हैं। केवल ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को परियोजनाएं तैयार करके उन्हें अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना होता है। उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान 2721.52 लाख

रुपए की लागत वाली 10 परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। इनमें से 2002.53 लाख रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

कनाट प्लेस, नई दिल्ली के इनर सर्किल में नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा भवनों के नक्शों की मंजूरी

4228. श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री बलवंत सिंह रामूवालिया
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा कनाट प्लेस, नई दिल्ली के इनर सर्किल में प्रस्तावित भवनों की ऊंचाई 45 फुट के निर्धारित नवीनतम मानदण्ड के अनुरूप होने के बावजूद भी नक्शे न मंजूर किये जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या पहले इनर सर्किल में निर्माण पर प्रतिबंध यातायात की समस्या के कारण लगाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या भूमिगत पालिका पार्किंग केन्द्र के खोले जाने के बाद वहां पर यातायात की समस्या समाप्त हो गई हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भाग (क) में उल्लिखित भवनों के नक्शे मंजूर करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका कनाट प्लेस की भीतरी सर्किल में भारी वाहन यातायात के कारण तथा इस तथ्य के कारण भी कि नागरिक सुविधाएं अतिरिक्त निर्माण के भार को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है, कोई भवन नक्शे स्वीकृत नहीं करती रही हैं। इसके अतिरिक्त, कनाट प्लेस की एक अनुपम विशेषता है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है।

यदि वहां कोई अतिरिक्त निर्माण अनुमेय किया जाता है तो इससे इसके वास्तुकीय सौन्दर्य तथा पर्यावरणीय कोटि के प्रतिकूलत: प्रभावित होने की सम्भावना है।

(ग) पालिका भूमिगत पार्किंग केन्द्र में वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था है तथा यह कनाट प्लेस में बने हुए सड़क यातायात को नियंत्रित नहीं करता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (क) तथा (ख) में कारण दिए गए हैं।

[हिन्दी]

प्राइवेट डिस्क के माध्यम से कार्यक्रमों का प्रसारण

4229. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट डिस्क के माध्यम से कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर प्रसारण से संबंधित सरकार द्वारा घोषित नीति की रूपरेखा क्या है; और

(ख) इस नीति के अंतर्गत इस समय देश में कितने प्राइवेट डिस्क स्थापित किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) ऐसा अनुमान है कि माननीय सदस्य भारत सरकार द्वारा हाल ही में घोषित उस नीति के बारे में पूछ रहे हैं जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थानों, आदि को अपने-अपने क्षेत्रों में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने हेतु धन लगाने की अनुमति दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत ट्रांसमीटरों के लिये धनराशि लगाना इन शर्तों के अधीन है कि इस प्रकार के ट्रांसमीटरों का स्वामित्व दूरदर्शन में निहित होगा जो इन ट्रांसमीटरों का संचालन तथा अनुरक्षण करेगा तथा उनसे प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण भी करेगा।

(ख) उक्त स्कीम के अंतर्गत अभी तक कोई ट्रांसमीटर स्थापित नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना

4230. **श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से कोई योजना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) और (ख) नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा फालतू भूमि का वितरण कार्यक्रम मुख्य ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम हैं। ये निरन्तर चलने वाले कार्यक्रम हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अलग-अलग योजनाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यों अथवा फालतू भूमि के

वितरण हेतु प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय सरकार में अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को परियोजनाएं तैयार करके उन्हें अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 1983-84 के दौरान 10,117.14 लाख रुपए की लागत वाली 35 परियोजनाएं प्रस्तुत की थीं। इनमें से 3447.71 लाख रुपए की लागत वाली 16 परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है। वर्ष 1984-85 के दौरान राज्य सरकार ने 49,466.29 लाख रुपए की लागत वाली 60 परियोजनाएं प्रस्तुत की जिनमें से 17,719.57 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली 52 परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के लिए वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 हेतु ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत निधियों का आवंटन क्रमश: 1705 लाख तथा 8525 लाख रुपए था।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

4231. **श्री शांति धारीवाल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय-सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के कतिपय मामलों में दोषी पाए गए कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही न करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण को जिम्मेदार पाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 1982, 1983 तथा 1984 की वार्षिक रिपोर्टों में कुछ मामले बताएं गए हैं जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अभी भी उचित कार्यवाही करनी अपेक्षित है। ऐसे मामलों के ब्यौरे तथा कार्यवाही न किए जाने के कारण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 तथा 84 से सम्बन्धित रिपोर्टों में बताए गए उन मामलों का विवरण जिन पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग की वर्ष 1982 की वार्षिक रिपोर्ट में एक उप निदेशक (उद्यान) के मामले का इस टिप्पणी के साथ उल्लेख है कि आयोग द्वारा अनुस्मारक प्रेषित करने के बावजूद भी जांच अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया था।

उपर्युक्त बताये गए इस मामले में जांच पहले ही समाप्त हो गई है। तथा श्री निरन्जन सिंह उप निदेशक (उद्यान) को एक पद नीचे सहायक निदेशक के पद पर पदावनत करने का दण्ड दिया गया है।

वर्ष .983 में एक मामले में अधीक्षक इंजीनियर श्री आर० एस० जिंदल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के विरुद्ध प्राधिकारी द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की थी, को भी आयोग ने बताया है है दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निर्माण और और आवास मन्त्रालय (अब शहरी विकास मन्त्रालय) के माध्यम से सम्बन्धित अधीक्षक इंजीनियर के विरुद्ध भारी दण्ड लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने दिसम्बर, 1982 के अपने भारी दण्ड की कार्यवाही की सलाह को दोहराया। 20-9-83 से 9-10-1984 तक की अवधि के दौरान फाइल प्राक्कलन समिति के पास रही। उपाध्यक्ष तथा उपराज्यपाल को मामले को केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर आदेश के लिए प्रस्तुत किया जा रहा था जबकि फाइल प्राक्कलन समिति द्वारा सितम्बर, 1983 में मंगा ली गई थी।

बाद में अधीक्षक इंजीनियर के विरुद्ध भारी दण्ड कार्यवाहियों के आदेशार्थ नवम्बर, 1984 में जब यह मामला उपाध्यक्ष/उपराज्यपाल को पुनः प्रस्तुत किया जा रहा था तभी अधीक्षक इंजीनियर ने कार्यवाहियों के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर कर दी तथा स्थगन प्राप्त कर लिया। इसलिए, मामला न्यायाधीन है।

आयोग की टिप्पणियों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम के भूतपूर्व कार्यपालक इंजीनियर, अब दिल्ली विकास प्राधिकरण में मुख्य इंजीनियर के पद पर कार्यरत, के विरुद्ध भारी जुर्माने की कार्यवाहियों की सलाह दी गई थी। इंजीनियर ने, जब वह दिल्ली नगर निगम में कार्यरत था, उस अवधि में दुर्व्यवहार किया था। दिल्ली नगर निगम की जांच ने प्रत्यक्ष रूप से यह व्यवस्था दी थी कि कार्यालय रिकार्ड में हेरा-फेरी करने, एक प्राइवेट ठेकेदार को अधिक सामग्री जारी करने तथा एक प्राइवेट ठेकेदार को अधिक भुगतान करने के लिए यह इंजीनियर उत्तरदायी था। ये अनियमितताएं गैर सरकारी ठेकेदारो का पक्ष लेने के लिए जानबूझकर की गई थीं। आयोग को मार्च, 1983 में आगे यह सूचित किया गया कि दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने दिल्ली नगर निगम के अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी है, जो मुख्य इंजीनियर के साथ-साथ इस लेन-देन में शामिल थे और उपराज्यपाल के अनुमोदन से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मुख्य परियोजना इंजीनियर के विरुद्ध भी मामला समाप्त कर दिया था। मुख्य परियोजना इंजीनियर के विरुद्ध मामला समाप्त करने से पहले आयोग से परामर्श नहीं किया गया था।

इस मामले में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा यह सूचित करने पर कि पुनर्विचार करने के लिए कोई कारण नहीं है, यह मामला अनुशासनिक प्राधिकारी होने के नाते उप राज्यपाल को भेजा गया जिसने कार्यपालक इंजीनियर के विरुद्ध भारी दण्डनीय कार्यवाही करने के लिए 14 जुलाई, 1983 को अनुमोदन दिया। जब आरोप पत्र जारी करने के लिए मामले पर कार्यवाही की जा रही थी तो यह फाइल प्राक्कलन समिति ने मंगाई और अक्तूबर, 1984 में वापस प्राप्त हुई। फाइल के अक्तूबर, 84

में प्राक्कलन समिति से वापस प्राप्त होने के बाद दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित रिकार्ड प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच कार्यपालक इंजीनियर ने इस कार्यवाही के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की और रोकादेश प्राप्त किया। इसलिए यह मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

निर्माण, आवास और पूर्ति मन्त्रालय की सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि का आबंटन

4232. **श्री कमल नाथ :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी दिल्ली में मधुबन कालोनी में सामुदायिक केन्द्र के लिए निर्धारित की गई भूमि मधुबन हाउसिंग सोसायटी को दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) निर्माण विहार में मधुबन कालोनी के लिए निर्धारित भूमि निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय की सहकारी गृह-निर्माण समिति को मधुबन हाउसिंग सोसायटी की शर्तों पर न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि उक्त समिति ने एक वर्ष से पहले भूमि मांगी थी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) अब तक मधुबन कालोनी में सामुदायिक केन्द्र के लिए कोई भूमि मधुबन आवासीय समिति को नहीं सौंपी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्रालय की सहकारी गृह निर्माण समिति को भूमि का आबंटन करने के अनुरोध पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शीघ्र अन्तिम निर्णय ले लिए जाने की आशा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कदाचार

4233. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दिल्ली विकास प्राधिकरण के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक तथा लेखा महा-परीक्षक के प्रतिवेदन की जानकारी है जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त विभिन्न कदाचारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और जिसमें 1960 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटित प्लाटों तथा निर्मित किए गए मकानों का ब्यौरा भी दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इन मकानों/प्लाटों का स्वामित्व अनेक बार बदला है और उनमें से

अधिकांश अवैध कब्जे में हैं जिसके कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण कोई लाइसेंस शुल्क आदि वसूल करने में असमर्थ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इन कदाचारों के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण की कितनी हानि हुई है;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) 1983-84 की नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के पैरा 54 में 1960 से जे०जे० स्कीम के अंतर्गत निर्मित तथा आवंटित प्लाटों एवं टेनामेंटों की कुल संख्या दी गई है।

(ख) अभी तक कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, ऐसा अनुमान है कि 50 प्रतिशत से अधिक प्लाटों/टेनामेन्टों के स्वामित्वाधिकार बदल गए हैं। ऐसे अनधिकृत दखलकारों से लाइसेन्स फीस एकत्र नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जे०जे०आर० कालोनियों में प्लाटों/टेनामेंटों के अनधिकृत दखलकारों के नियमितीकरण के लिए भारत सरकार को कतिपय प्रस्ताव पेश किए हैं। अन्तिम निर्णय लेते समय वित्तीय पक्ष का विधिवत ध्यान रखा जाएगा।

(ङ) उपर्युक्त (घ) की दृष्टि से उत्तरदायित्व नियत करने का प्रश्न नहीं उठता।

"डी०डी०ए० कम्प्लेंट्स टुवाड्‌स रूल्स वायोलेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

4234. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 नवम्बर, 1985 के "स्टेट्‌समैन" में "डी०डी०ए० कम्प्लेंट्स टुआड्‌स रूल्स वायोलेशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस समाचार में किये गये रहस्योद्‌घाटन को ध्यान में रखते हुये मामले की जांच कराई;

(ग) क्या कुछ समय पहले उनके ध्यान में यह बात भी लाई गई थी ईस्ट आफ कैलाश, नई दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र में वाणिज्यिक भवनों के मालिकों ने स्वीकृत नक्शों का उल्लंघन करके मेजेनाइन फ्लोर बना लिया है और इस प्रकार फर्शी क्षेत्र (फ्लोर एरिया) बढ़ा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे मामले की नए सिरे से जांच कराएंगे और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। पहली शिकायत की प्राप्ति पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही आरम्भ की गई थी। जांच के बाद यह पाया गया था कि उप किरायेदार फर्म पैकिंग बक्सों को नहीं बना रही थी, 3614 वर्ग फुट जिसके लिए अनुमति दी गई थी, के बजाय सारे परिसर का उपयोग कर रही थी/दखल में थी और भवन उप नियमों के विरुद्ध अस्थाई शेडों का भी निर्माण किया गया था। इसलिए उप किरायेदारों की अनुमति समाप्त कर दी गई और आबंटी को 5-11-85 को पट्टा विलेख के निर्धारण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह नोट किया है कि सामुदायिक केन्द्र में कुछ प्लाटों में पार्टियों ने अनुमेय सीमा के बाहर मेजानाइन फर्शों के क्षेत्र को बढ़ा दिया है। निर्माण स्तर पर निरीक्षण किये जाते हैं जब पार्टी "सी" तथा "डी" फार्म के लिए आवेदन करती है जो कि क्रमशः ढकें जाने वाली आंतरिक सेवाओं तथा भवन में मुहैया की जाने वाली स्वच्छता जुड़नारों से सम्बन्धित होते हैं। इन प्रमाण पत्रों की प्राप्ति के बाद पार्टियों द्वारा मेजानाइन फर्श पर अतिरिक्त स्थल का निर्माण किया गया था। दखल प्रमाण पत्र/पूर्णता प्रमाण पत्र के लिए जब पार्टियों ने आवेदन किया तो इन्हें रोक कर और स्थल पर निरीक्षण करके कार्यवाही की गई।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

डी० आई० जैड० क्षेत्र में पुराने मकानों को गिराने के लिए खाली कराना

4235. श्री रामपूजन पटेल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डी० आई० जैड० क्षेत्र नई दिल्ली में सम्पदा निदेशालय और भूमि विकास संगठन के पुराने उन मकानों की संख्या कितनी है जिन्हें गिराने के लिए खाली कराया गया था परन्तु न तो उन्हें गिराया गया है और न ही अब तक उनके स्थान पर बहुमंजिले मकान निर्माण करने की योजना आरम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या समाज विरोधी तत्वों द्वारा इन पुराने मकानों का इस्तेमाल करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं; और यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार के पास ऐसे दस्ते हैं जो उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित मामलों का पता लगाने के लिए समय-समय पर इन पुराने मकानों पर छापे मारें ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) फिलहाल 235 पुराने मकान गिराने के लिए खाली पड़े हुए हैं न्यायालय के रोकादेश के कारण कुछ क्वार्टर जो अनधिकृत कब्जे में थे खाली नहीं कराये जा सके। अक्तूबर, 1985 में रोकादेश के समाप्त हो जाने के बाद ये क्वार्टर खाली करा लिये गये हैं। अब इन क्वार्टरों को गिराने की आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जायेगी। इस क्षेत्र का काफी बड़ा भाग पार्कों इत्यादि के विकास के लिए उद्दिष्ट हैं।

(ग) जी, हां शिकायतें थीं। आवश्यक कार्यवाही कर दी गई हैं।

(घ) जी, नहीं।

[अनुवाद]

पटसन के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए उपाय

4236. श्री महावीर प्रसाद यादव : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त भारत में पटसन का उत्पादन सरकार द्वारा लगाये गये अनुमानों से अधिक हुआ है;

(ख) सरकार ने इस वर्ष पटसन के कितने उत्पादन का अनुमान लगाया था और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या पटसन के मूल्यों में भारी कमी उसके अधिक उत्पादन के कारण हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार पटसन के मूल्यों में गिरावट को रोकने के लिए क्या उपाय करने का है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) उत्पादन के सरकारी अनुमान क्षेत्र गणना और पटसन सहित विभिन्न फसलों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में किये गये फसल कटाई सम्बन्धी परीक्षणों पर आधारित होते हैं। राज्य सरकारों से सम्बद्ध जानकारी प्राप्त होने पर अखिल भारतीय स्तर पर इन अनुमानों को संकलित किया जाता है। चालू वर्ष, अर्थात् 1985-86 के लिए कच्चे पटसन के उत्पादन के बारे में जानकारी अभी तक राज्यों से उपलब्ध नहीं हो पाई है।

(ग) कच्चे पटसन के मूल्यों में वर्तमान कमी अनेक कारणों से हुई है, जैसे चालू वर्ष में कच्चे पटसन का अधिक उत्पादन होने की आशा, कच्चे पटसन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में कमी और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग में कमी।

(घ) सरकार ने चालू मौसम के दौरान पटसन के मूल्यों में कमी को रोकने के लिए अनेक उपाय किये हैं। वे उपाय हैं :—

(1) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सांविधिक मूल्यों पर कच्चे पटसन की बड़े पैमाने पर खरीद करने के लिए भारतीय पटसन निगम को निर्देश देना।

(2) विनिर्दिष्ट स्तरों तक कच्चे पटसन का भण्डार बनाने के लिए निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी पटसन मिलों को पटसन आयुक्त द्वारा निदेश देना ताकि कच्चे पटसन की मांग में वृद्धि की जा सके।

(3) बन्द पड़ी पटसन की कुछ मिलों को खोलने के लिये उपाय करना।

(4) कच्चे पटसन का सीमित मात्रा में निर्यात करने के लिए भारतीय पटसन निगम को अनुमति देना।

खाद्य तेलों के आयात पर प्रतिबन्ध

4237. श्री पी० आर० कुमार मंगलम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 2-3 वर्षों में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ा है और लक्ष्य से अधिक हुआ है और यह वृद्धि उपहार और वाणिज्यिक रूप में किए गये वनस्पति तेलों के आयात की कुल मात्रा के बराबर या उससे अधिक है;

(ख) क्या उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार सभी आयातों पर प्रतिबंध लगाने का है जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि हो जैसा कि पी० एल० 480 आयातों की तुलना में गेहूं के मामले में हुआ है;

(ग) क्या आत्मनिर्भर होने की अपनी क्षमता के अनुरूप और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि 70 प्रतिशत लोग खेती करते हैं सरकार का विचार सभी फर्म उत्पादों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का है; और

(घ) क्या यह सच है कि यही स्थिति दुग्ध चूर्ण और मक्खन के सीमांत आयातों के मामले में है जिससे हमारी आत्म निर्भरता और अभिमान को ठेस पहुंची है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) गत कई वर्षों में देशी तेल की उपलब्धि और उसकी मांग में अन्तर रहा है। अल्पावधि उपाय के रूप में इस अन्तर को पूरा करने के लिए भारत सरकार खाद्य तेलों का आयात करती रही है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों और वनस्पति के विनिर्माण के लिए वनस्पति उद्योग को उसकी सप्लाई करती रही है। जब स्वदेशी तेल की उपलब्धि और उसकी

मांग के बीच अन्तर है, तब तक सरकार को खाद्य तेलों का आयात करना पड़ेगा। तथापि, वास्तविक आयात देशी तेलों के उत्पादन पर निर्भर करेगा। गत तीन वर्षों के लिए खाद्य तेलों में मांग, आपूर्ति और अन्तर के बारे में जानकारी नीचे दी गई है :—

(मात्राएं लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मांग	सप्लाई	अन्तर
1982-83	41.71	30.21	11.50
1983-84	47.00	33.00	14.00
1984-85	49.06 *	36.68*	12.38

* अनुमानित।

गत कुछ वर्षों में चुनींदा खाद्य तेलों के आयात की मात्रा निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	(मात्रा हजार मीटरी टन में)
1980-81	1633
1981-82	1315
1982-83 (फरवरी 83 तक)	968

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अमरीका की सहकारी लीग (कलूसा) और कनाडा सहकारी संघ से उपहार के रूप में प्राप्त तेल की सहायता से खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन और विपणन की पुनः संरचना के लिए परियोजना क्रियान्वित कर रहा है। परियोजना के शुरू होने से अब तक उपहार के रूप में तेल की निम्न मात्रा प्राप्त की गई है :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	सोयाबीन का परिशोधित तेल	तोरिया का कच्चा तेल
1	2	3
1979-80	55.88	—
1980-81	9.97	3.26

1	2	3
1981-82	16.82	12.47
1982-83	21.38	17.18
1983-84	13.03	18.30
1984-85	9.58	20.04
कुल *	126.66	71.25

* जून 30, 1985 तक

(ग) फार्म उत्पादों के आयात के बारे में समय-समय पर विकसित मांग-सप्लाई की स्थिति, मूल्य स्तर आदि को ध्यान में रखते हुये विचार किया जाएगा।

(घ) दुग्ध चूर्ण के वाणिज्यिक आयात को 1975-76 से बन्द कर दिया गया था। डेरी विकास कार्यकलापों के लिए संसाधनों का सृजन करने हेतु उपहार के रूप में जिन्स प्राप्त किये जाते हैं और उनका इस तरीके से मूल्य-निर्धारण किया जा रहा है जिससे कि देशी दुग्ध उत्पादन में कोई बाधा न पड़े।

दक्षिणी दिल्ली में पत्थर खदानों में दुर्घटनाएं

4238. श्री राधाकांत डिगाल
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण दिल्ली में साकेत के निकट मदनगीर गांव में पत्थर खदानों में दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष इन पत्थर खदान दुर्घटनाओं में कितने श्रमिकों की मृत्यु हुई;

(ग) उस खदान में पर्याप्त सुरक्षा उपाय न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) प्रत्येक मृतक के निकट संबंधी को दिये गये मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) से (ङ) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध

सूचना के अनुसार, मदनगीर गांव में ऐसी पत्थर खदानें नहीं हैं जिनके लिए दिल्ली प्रशासन ने खनन परमिट दिए हैं। तथापि, यह सूचित किया गया है कि दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम की मदनगीर पत्थर खान से लगभग 150 मीटर दूर के क्षेत्र में, सितम्बर, 1985 में एक दुर्घटना हुई थी जिनमें गैर कानूनी रूप से पत्थर को निकालने की प्रक्रिया में तीन व्यक्ति मारे गए।

दिल्ली राज्य खनिज विकास निगम ने 15-10-1985 से मदनगीर क्षेत्र में खनन संक्रियाएं बन्द कर दी हैं क्योंकि इस क्षेत्र को दिल्ली प्रशासन ने उक्त क्षेत्र में नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए ले लिया है।

इलायची, लौंग, जायफल, मिर्च के मूल्यों में गिरावट

4239. श्री के० मोहन दास : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची, लौंग, जायफल, मिर्च आदि जैसे सभी मसालों के मूल्यों में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सभी मसालों के मूल्यों में गिरावट नहीं आई है। मिर्च तथा जायफल के मूल्यों में वृद्धि हुई है। लौंग का मूल्य कई महीनों तक स्थिर रहा। हाल ही में इलायची के मूल्य 1983-84 और 1984-85 के सूखे के वर्षों, जब मूल्य असामान्य रूप से बढ़े, से पूर्व विद्यमान सामान्य स्तर के करीब स्थिर रहे।

गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए ब्रिटेन के व्यापारी ग्रुप द्वारा स्वीकृति मांगना

4240. श्री साइमन तिग्गा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि युनाइटेड किंगडम (यू० के०) के व्यापारी उद्योग समूह ने शाहजापुर में गैस पर आधारित 750 करोड़ रुपये की लागत के उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उस ग्रुप को किन शर्तों पर आशय पत्र दिया जा रहा है; और

(ग) व्यापारी ग्रुप तथा अन्य अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश करने के लिए दिये जा रहे प्रोत्साहन और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां। 620 करोड़ रुपये

की अनुमानित लागत से उत्तर प्रदेश शाहजहापुर में एक गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए मै० साप्रो ग्रुप को पहले ही आशय-पत्र जारी किया जा चुका है।

(ख) वे शर्तें जिनके अन्तर्गत आशयपत्र जारी किया गया है, संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

(ग) भारत में निवेश हेतु प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों तथा सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

विवरण-1

औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 21-5-1985 के पत्र सं० एल० आई० 955 (1985) के माध्यम से जारी किए गये आशयपत्र में निर्धारित नियम व शर्तें।

शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ, सामान्य शर्तों के अतिरिक्त, निम्न बातें सम्मिलित हैं :—

(1) विदेशी सहयोग (वित्तीय/तकनीकी) की आवश्यकता एवं शर्तों का निर्धारण सरकार की तसल्ली के अनुसार किया जायेगा।

(2) वायु, जल तथा भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की तसल्ली के अनुसार पर्याप्त कदम उठाए जायेंगे। स्थापित किए जाने वाले इस प्रकार के प्रदूषण निरोधी उपाय उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निस्त्राव मानदण्डों के अनुसार होने चाहिए जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित हो इसके अतिरिक्त फैक्टरी अधिनियम में यथा निर्धारित पर्याप्त औद्योगिक सुरक्षा उस राज्य सरकार की तसल्ली के अनुसार की जाएगी जिसमें औद्योगिक उपक्रम का कारखाना स्थित है।

(3) वित्तीय व्यवस्था सरकार की तसल्ली के अनुसार की जाएगी।

(4) परियोजना के लिए अपेक्षित जल, पावर एवं भूमि की आपूर्ति हेतु संतोषजनक व्यवस्था की जानी होगी तथा राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने होंगे।

(5) उद्यमी राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों से यह वादा करेगा कि वह उपयुक्त उपकरणों की स्थापना करेगा। तथा प्रदूषण से बचत एवं नियंत्रक के लिए निर्धारित उपायों को कार्यान्वित करेगा।

विवरण-2

प्रवासी भारतीयों को उपलब्ध सुविधाएं

प्रवासी भारतीय निवेश योजना 1982 में उदार की गई थी ताकि विदेशों में बसे बड़ी संख्या

में भारतीय निवेशकर्ता आकर्षित हो और भारत की औद्योगिक प्रगति में भाग ले सकें। योजना में मूलत: चार तत्व सम्मिलित हैं।

(क) प्रत्यक्ष निवेश (ख) पोर्टफोलियों निवेश (ग) बैंकों में जमा, और (घ) आयात सुविधाएं।

(क) प्रत्यक्ष निवेश

प्रवासी भारतीय देश प्रत्यावर्तन और गैर देश प्रत्यावर्तन के आधार पर वास सम्पत्ति व्यापार कृषि और पौधा रोपण क्रियाकलापों को छोड़कर अन्य कार्यकलापों में निवेश कर सकते हैं। गैर देश प्रत्यावर्तन के आधार पर कम्पनी की साम्य पूंजी के 100 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है। देश प्रत्यावर्तन के साथ निवेश के अवसर निम्नलिखित दो योजनाओं के अधीन उपलब्ध है :—

(1) 40 प्रतिशत योजना

प्रवासी भारतीयों को, नई अथवा विद्यमान कम्पनियों जो नई औद्योगिक/निर्माण प्रक्रिया स्थापित करने अथवा विद्यमान क्रियाकलापों के विस्तार विविधीकरण के लिए अपनी पूंजी में वृद्धि कर रही है, के परिवर्तनीय ऋणपत्रों के शेयर्स के नये निर्गमनों में 40 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है।

(2) 74 प्रतिशत योजना

प्रवासी भारतीय, परिशिष्ट—1 (अग्रता उद्योग) के अधीन आने वाले उद्योगों में विद्यमान कम्पनियों अथवा नई कम्पनियों के नये निर्गमन ने साम्य पूंजी के 75 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। अन्य उद्योगों में वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उत्पादन के 60 प्रतिशत भाग का निर्यात करने का वायदा करे (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के मामले में 75 प्रतिशत योजना के अधीन अस्पतालों और होटलों) (3,4 और 8 स्टार वर्ग के) की स्थापना करने के लिए भी निवेश किया जा सकता है।

(ख) पोर्टफोलियो निवेश

प्रवासी भारतीय देश प्रत्यावर्तन के लाभ के साथ भारत में स्टाक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों और ऋणपत्रों में निवेश कर सकते हैं बशर्ते कि किसी एक कम्पनी में प्रत्येक प्रवासी द्वारा साम्य शेयरों/परिवर्तनीय ऋणपत्रों की खरीद साम्य पूंजी/परिवर्तनीय ऋणपत्रों के प्रदत्त मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक न हो और बशर्ते कि सभी पात्र प्रवासी निवेशकर्ताओं द्वारा कुल प्रदत्त साम्य पूंजी परिवर्तनीय ऋण पत्रों को प्रदत्त मूल्य का 5 प्रतिशत की समग्र सीमा तक निवेश किया जाये।

(ग) बैंकों में जमा

प्रवासी भारतीय बैंकों में देश प्रत्यावर्तन सुविधा के साथ प्रवासी द्वारा (एफ०एन०सी०आर०)

प्रवासी बाह्य (एन० आर० ई०) (रु० खाता) में विदेशी मुद्रा में जमा कर सकते हैं। वर्तमान में एफ० सी० एन० आर० खाता दो मुद्राओं में रखा जा सकता है अर्थात पौण्ड स्टर्लिंग और यू० एस० डालर में।

(घ) आयात सुविधाएं

स्थाई निवास के लिए घर वापिस आने वाले प्रवासी भारतीयों को निम्न सुविधाएं दी जाती है:

(1) पूंजीगत मालके आयात के लिए वित्त उनके अपने विदेशी विनिमय निधि में से दिया जाता है।

(2) कम से कम एक वर्ष के लिए विदेशों में प्रयुक्त होने वाले व्यवसायिक उपकरणों का आयात।

(3) 500 के० वी० ए० की दर वाले जेनरेटिंग सेटों का आयात।

(4) भारत में अपने उद्योगों में प्रयोग हेतु विदेशों में प्रयुक्त होने वाले कार्यालय उपकरणों तथा फर्नीचर का आयात।

(5) कम से कम एक वर्ष के लिए विदेशों में प्रयुक्त होने वाले कम्प्यूटर का आयात जिसका सी० आई० एफ० मूल्य 10 लाख से अधिक न हो।

(6) प्रोटो टाईप का आयात।

(7) फैक्टरी भवनों के निर्माण के लिए सीमेंट का आयात।

(8) प्रति वर्ष पांच लाख रुपये की शर्त पर तीन साल तक (एक समय में एक वर्ष) अपने उद्योग की अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिये कच्चे माल संघटकों, उपयोग तथा अतिरिक्त पुर्जों का आयात।

भोपाल गैस त्रासदी के बारे में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सिफारिशें

4241. श्री बी० बी० देसाई
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्रीमती डी० के० भंडारी
: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक विशेषज्ञ दल ने अप्रैल में भारत का दौरा किया था और भारत में भोपाल के समान विनाश से बचने के लिए प्रमुख जोखिम नियंत्रण प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को प्रस्तुत सिफारिशें प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने कई अन्य सिफारिशें भी की थीं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इनमें से कितनी सिफारिशों को मंजूर किया है?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया): (क) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दो विशेषज्ञों के एक मिशन ने अप्रैल, 1985 में हमारे देश का दौरा किया और उसके बाद एक रिपोर्ट दी जिसमें बड़े खतरों सम्बन्धी नियंत्रण के क्षेत्र में की जाने वाली कार्रवाई और अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा इस सम्बन्ध में दी जाने वाली तकनीकी सहायता का उल्लेख किया गया। उक्त मिशन की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। उन सिफारिशों के अनुसरण में, एक विशेषज्ञ ने इस वर्ष नवम्बर, में हमारे देश का दौरा किया। बड़े खतरों सम्बन्धी नियंत्रण के संबंध में कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तीन कार्य शालाओं का आयोजन किया गया जिनमें राज्य कारखाना निरीक्षणालयों, श्रमिकों और नियोजक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उनके द्वारा बड़े खतरों सम्बन्धी नियंत्रण के बारे में एक मैनुअल का मसौदा भी उपलब्ध कराया। श्रम विज्ञान केन्द्रों के तकनीकी अधिकारियों सहित 27 कारखाना निरीक्षकों को औद्योगिक स्वास्थ्य के विषय में आस्ट्रेलिया में प्रशिक्षित किया गया। तीन मुख्य कारखाना निरीक्षकों को बड़े खतरों के नियन्त्रण के बारे में यू० के० में प्रशिक्षण दिया गया चार अधिकारियों के एक दल को, जो सरकार कारखाना सलाह सेवा और श्रम विज्ञान केन्द्र महानिदेशालय, श्रमिकों और नियोजकों संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अब बड़े खतरे नियंत्रण पद्धति के बारे में यू० के०, फैडरल रिपब्लिक जर्मनी और फ्रांस में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जहां तक उक्त मिशन की अन्य सिफारिशों का सम्बन्ध है, तकनीकी सहायता के लिए एक परियोजना तैयार की जा रही है।

विवरण

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मिशन की सिफारिशों का सारांश अप्रैल, 1985

उक्त मिशन द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. जोखिमपूर्ण रसायनों और ज्वलनशील गैसों का प्रयोग और भंडारण पर नियंत्रण करने के लिये नया विधायी प्रबन्ध होना चाहिए।

2. केन्द्रीय श्रम विज्ञान केन्द्र में प्रमुख खतरे, नियंत्रण सलाहकार डिवीजन की स्थापना की जानी चाहिये और संयंत्रों में सुरक्षा मानकों पर निगरानी रखने, जोखिम आंकने एवं आपातकालीन योजना तैयार करने की जिम्मेवारी उसकी होगी। ऐसे डिवीजन में कम्प्यूटर की सुविधा होनी चाहिए।

3. जोखिमपूर्ण रसायनों और ज्वलनशील गैसों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिनमें

आवरण की सीमाओं, भंडारण के लिए मानकों और प्रयोग करने के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाओं का उल्लेख किया गया हो।

4. प्रत्येक औद्योगिक यूनिट को एक आपातकालीन योजना तैयार करनी चाहिये जिसमें यह बताया गया हो कि बड़ी दुर्घटना होने की दशा में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये।

5. ऐसे कार्यों के एकदम आस-पास जनसंख्या को न बसने देने के लिए कदम उठाने चाहिये।

6. विशेषज्ञ रसायन निरीक्षकों की भर्ती करके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कारखाना निरीक्षणालयों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये यह उचित स्टाफ और अन्य सुविधाओं वाली औद्योगिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं गठित करने के लिए पहले से ही स्वीकृत कार्यक्रम के अतिरिक्त होगा।

7. लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र में जोखिमपूर्ण रसायनों के ब्यौरे, उनकी भौतिक, रसायनिक और जहरीली विशेषताओं एवं भंडार की जाने या प्रयोग की जाने की अधिकतम मात्रा के ब्यौरे दिये गये हों।

8. बड़े खतरे नियन्त्रण डिवीजन को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और संगठनों के आंकड़ों को रखना चाहिये जो बड़ी दुर्घटना होने की दशा में तुरन्त सहायता देने में समर्थ हों।

9. नियोजकों और श्रमिकों के संगठनों को अपने सदस्यों को बड़े खतरों के नियन्त्रण के बारे में समुचित प्रशिक्षण और शिक्षा देनी चाहिये।

फूड स्पेसलिटीज एककों द्वारा अपनाई गई बाजार नीति

4242. डा० बी० एल० शैलेश
डा० जी० विजयरामाराव } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 नवम्बर, 1985 के "बिजनेस स्टैंडर्ड" कलकत्ता में प्रकाशित समाचार के अनुसार फूड स्पेसलिटीज के कुछ एककों द्वारा अपनाई गई कपटपूर्ण बाजार नीति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने मामले की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनैतिक व्यापार प्रक्रियाओं से बचने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी हां। 10 नवम्बर, 1985 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" कलकत्ता की एक रिपोर्ट के अनुसार "मैंगो" ब्रांड के सास तथा चटनी (केचप) 400 ग्राम के पैकों में बेचे गये हैं, जो बाट तथा माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 के तहत अनुमत आकार नहीं हैं।

(ख) और (ग) इस मामले की ओर आवश्यक कार्यवाही के लिये नियमों के प्रवर्तन से सम्बन्धित राज्य के प्रभारी प्राधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लुधियाना स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय में पुर्नानियुक्त किए गये भूतपूर्व सैनिकों का वेतन निर्धारण

4243. श्री हरिहर सोरन : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लुधियाना स्थित उप-क्षेत्रीय कार्यालय में पुर्नानियुक्त किए गये भूतपूर्व सैनिकों के वेतन निर्धारण के अनेक मामले कई वर्षों से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं और उनकी परेशानी दूर करने तथा उनके सेवा में आने की तारीख से भूतलक्षी प्रभाव से लाभ देकर उनका सही वेतन निर्धारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री टी० अंजैया) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

दालों का आयात

4244. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1982 से अब तक वर्ष वार कितनी मात्रा में दालों का आयात किया गया है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : 1982-83 से आयात किए गए दलहनों की मात्रा निम्नवत है :—

वर्ष	आयात मीटरी टन में
1	2
1982-83	93.427
1983-84	64.565
1984-85	98.078

1	2
1985-86 (30-9-85 तक)	1,86,149*

*दलहनों के आयात का प्रबोधन करने के लिये भारत सरकार द्वारा नामित एजेंसी अर्थात (नाफेड राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि०) के साथ किया गया करार :

फास्फोरिक अम्ल का जहाज तक नि:शुल्क आधार पर आयात

4245. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत फास्फोरिक अम्ल का विश्व का सबसे बड़ा खरीददार है, जिसकी मांग 1987-88 तक बढ़कर 25 लाख मीट्रिक टन हो जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस द्रव का आयात लगभग 15 लाख मीट्रिक टन है;

(ग) क्या उक्त आयात जहाज तक नि:शुल्क आधार पर किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो जहाज तक नि:शुल्क आधार पर कुल कितना द्रव आयात किया गया; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारत संसार में फास्फोरिक एसिड के प्रमुख आयातकर्ताओं में से एक है। 1988 तक घोल की अनुमानित मांग लगभग 2.4 मिलियन टन होगी।

(ख) तरल फास्फोरिक एसिड का वर्तमान आयात लगभग 1.4 मिलियन टन है।

(ग) और (घ) समय-समय पर केवल थोड़ी-थोड़ी मात्रा का आयात एफ० ओ० बी० आधार पर किया गया है।

(ङ) फास्फोरिक एसिड को दीर्घावधि मात्रा ठेके के आधार पर खरीदा जाता है। फास्फोरिक एसिड के परिवहन के लिए विशेष प्रकार के जहाजों की आवश्यकता होती है। जब ये करार किए गए थे उस समय फास्फोरिक एसिड को ढोने के लिए कोई सक्षम भारतीय शिपिंग क्षमता उपलब्ध नहीं थी। 1983 में ही एक ऐसी भारतीय जलयान उपलब्ध हो सका। हाल ही में, 1985 के उत्तरार्द्ध में एक अन्य जलयान लिया गया है। दोनों जलयानों में पर्याप्त कारगो उपलब्ध कर दिया गया है। सरकार की नीति फास्फोरिक एसिड के भारतीय कैरियरों को प्रथम वरीयता देना है। इस नीति के एक भाग के रूप में जब भी दीर्घावधि करार नवीकरण हेतु आते हैं अथवा नये करार किये जाते हैं जो जहां तक सरकार/सरकार नियंत्रित कारणों का सम्बन्ध है, एफ० ओ० बी० आधार अपनाया जाना अपेक्षित है। अन्य मामलों में भी, फास्फोरिक एसिड के भारतीय कैरियरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित

करने के लिए एफ० ओ० बी० तथा सी० आई० एफ० आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

राजधानी के लिए प्रभावी और द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था

4245—क. **श्री जय प्रकाश अग्रवाल** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के लिए कुशल और द्रुतगामी परिवहन व्यवस्था के बारे में कोई योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) राजधानी के लिए प्रभावी तथा त्वरित परिवहन पद्धति विकसित करने की व्यवहार्यता जांचाधीन है। तथापि, अभी तक कोई ठोस प्रस्ताव नहीं बनाए गए हैं।

[हिन्दी]

खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं के रूप में दूसरे देशों से सहायता

4245—ख. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं, जो भारत के खाद्य सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं सहायता के रूप में सप्लाई करते हैं और प्रत्येक देश द्वारा प्रत्येक सामग्री की सप्लाई कितनी मात्रा में की गई है ?

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान तारीख-वार ऐसे प्रत्येक देश से कौन-कौन सी वस्तुएं कितनी-कितनी मात्रा में प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या इन वस्तुओं के वितरण के बारे में बाहर से कोई अनुदेश मिलते हैं अथवा सरकार अपने विवेक पर उन वस्तुओं का वितरण करती है; और

(घ) यदि सरकार इन वस्तुओं का वितरण अपने विवेक पर करती है, तो क्या सरकार ने यह जानने के लिए कभी कोई सर्वेक्षण किया है कि क्या ये वस्तुएं अपेक्षित ढंग से उस श्रेणी के लोगों को सप्लाई की जा रही हैं, जिन्हें उनकी जरूरत है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बागान श्रमिकों के लिए आवास नीति का कार्यान्वयन

4245—ग. श्री अमल दत्त : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय बागान श्रमिक आवास नीति के कार्यान्वयन पर निगरानी रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस समय इस प्रकार की आवास नीति को क्या प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) क्या सरकार ने बागान मालिकों द्वारा आवास नीति का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु कोई उपाय किए हैं अथवा उनका ऐसा करने का विचार है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) बागान कर्मचारियों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना, जो कि केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है, में बागान सहित सभी चाय कर्मचारी शामिल हैं जैसा कि बागान श्रमिक अधिनियम में विनिर्दिष्ट है। राज्य सरकारों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से इस योजना का प्रबोधन किया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ रुपये का परिव्यय रखा गया है।

बागान श्रमिक अधिनियम की धारा 15 में उल्लेख है कि प्रत्येक कर्मचारी और उसके परिवार के रहने के लिए बागान में आवास प्रदान करने और उसका अनुरक्षण करना प्रत्येक नियोक्ता के लिए आवश्यक है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों में जब तक सभी कर्मचारियों को नहीं बसाया जाता है, प्रत्येक वर्ष कर्मचारियों के कम से कम 8 प्रतिशत के लिए आवास का निर्माण करना नियोक्ताओं के लिए अपेक्षित है।

पटसन का उत्पादन बढ़ाने के लिए पटसन उत्पादकों को प्रोत्साहन

4245—घ. श्री सतीश चन्द्र सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास पटसन उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) 1985-86 के दौरान देश में पटसन का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पटसन का उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्यों में सघन पटसन विकास कार्यक्रम पर एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चल रही है। इस योजना में पटसन का उत्पादन करने वालों को निम्नलिखित के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है :—

(1) उन्नत प्रमाणित बीज;

(2) खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग;

(3) वैज्ञानिक बीज ड्रिल और पहियादार फावड़ा का उपयोग;

(4) वैज्ञानिक खेती का प्रदर्शन;

(5) गलाने के लिए तालाबों का निर्माण;

(6) मिनीकिट देना और

(7) पटसन ग्रेडिंग आदि में प्रशिक्षणार्थियों को वृत्ति का योजना पर व्यय का वहन भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है।

(ग) पटसन विकास की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रम में फेर-बदल करके सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान मौजूदा योजना को जारी रखने का प्रस्ताव है।

आयातित खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि

4245—डा. श्री मोहनभाई पटेल
श्री कमला प्रसाद रावत
: क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1985-86 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान कितने खाद्य तेल का आयात किया गया और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(घ) इस वर्ष की शेष अवधि में कितना खाद्य तेल आयात किए जाने की सम्भावना है;

(ङ) क्या यह सच है कि विदेशों में खाद्य तेल के मूल्य में वृद्धि की गई है;

(च) यदि हां, तो कितनी और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) देश में कमजोर वर्ग के लोगों को सस्ते दाम पर खाद्य तेल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) जी, हां।

(ख) वनस्पति घी के उत्पादन तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्यों में 15-11-1985 से निम्नवत वृद्धि की गई है :—

	24-5-1984 से	15-11-1985 से
	(रुपये प्रति मी० टन)	
सार्वजमिक वितरण प्रणाली के लिए थोक में	8,000	9,000
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए टीनों में	9,500	10,500
वनस्पति उद्योग के लिए	9,500	11,500

(ग) :

वर्ष	मूल्य	मात्रा
	(लाख मी० टन में)	(करोड़ रुपये में)
1985-86	7.30 (अनन्तिम)	593.00 (अनन्तिम)
(अप्रैल से सितम्बर)		

(घ) आयात की जाने वाली खाद्य तेलों की मात्रा का निर्णय सरकार द्वारा, देशीय खाद्य तेलों की उपलभ्यता, खाद्य तेलों की सम्भावित मांग, विदेशी मुद्रा की उपलभ्यता तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर किया जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेल, उपभोक्ताओं, जिनमें समाज के कमजोर वर्ग शामिल हैं, को उचित दर की दुकानों के माध्यम से पूर्व निर्धारित उचित मूल्यों पर देने के लिए प्रत्येक माह आवंटित किए जाते हैं।

———

आकाशवाणी और दूरदर्शन में खेल कमेन्टरियों के बारे में दिनांक 5-8-1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : अतारांकित प्रश्न संख्या 1842 का 5-8-1985 को लोक सभा में दिए गए उत्तर के साथ लगे परिशिष्ट-1 में, जिसमें आकाशवाणी पर प्रसारण करने वाले पैनल में शामिल खेल कमेंटेटरों के नाम दिए हुए हैं, 1 (क) हाकी (अंग्रेजी) के अन्तर्गत परिशिष्ट के पृष्ठ 1 पर क्रम संख्या 14, 2 (क) फुटबाल (अंग्रेजी) के अन्तर्गत परिशिष्ट के पृष्ठ 2 पर क्रम संख्या 22, 3 (क) बैडमिंटन (अंग्रेजी) के अन्तर्गत परिशिष्ट के पृष्ठ 3 पर क्रम संख्या 8 और 7 (क) वाली बाल (अंग्रेजी) के अन्तर्गत परिशिष्ट के पृष्ठ 4 पर क्रम संख्या 1 के सम्मुख उल्लिखित श्री टी० एन० ला का नाम हटा दिया जाए। श्री ला का 1984 में निधन हो गया था और इसलिए इस समय पैनल में शामिल कमेंटेटरों की सूची में उनका नाम नहीं आना चाहिए था।

2. उक्त अतारांकित प्रश्न के दिए गए उत्तर में विभिन्न मैचों के लिए कई अनेक कमेंटेटरों के नाम दिए गए थे। जब श्री टी० एन० ला के नाम के बारे में अनवधानता से हुई गल्ती ध्यान में आई, तब यह महसूस किया गया कि पूरे विवरण की दुबारा जांच-पड़ताल करवाई जानी चाहिए। बड़ी संख्या में नाम होने के कारण इस कार्य को लोक सभा सत्र के 29-8-1985 को समाप्त होने से पहले पूरा नहीं किया जा सका।

———

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हमने परसों के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मंजूर किया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदय, सात तारीख के उर्दू डेली पत्र "मिलाप" में इस तरह का जहरीला···।

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट, एक मिनट ठहरिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नालगोंडा) : ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा आंध्र प्रदेश को बिजली

की पूर्ति में भारी कटौती की जा रही है जो कि 47% से अधिक है। इससे कृषकों को और ग्रामीण विद्युतीकरण को भारी खतरा है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने पद का सदुपयोग करके···

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दें—मैं देखूंगा।

[हिन्दी]

श्री मेवा सिंह गिल : अध्यक्ष महोदय, सात तारीख के उर्दू अखबार के एडीटोरियल में जो कि दिल्ली से निकलता है, इसमें सिखिज्म के बरखिलाफ उनके करेक्टर पर बहुत बड़ा अटैक किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है। इस तरह से लोगों को भड़काने वाली बातें की जा रही हैं, इससे देश को नुक्सान हो सकता है। हम सबसे बड़े नेशनलिस्ट हैं। आप इनके खिलाफ एन० एस० ए० के तहत कार्यवाही क्यों नहीं करते ? एन० एस० ए० बनाया किस लिए गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)

श्री शमिन्दर सिंह (फरीदकोट) : अध्यक्ष जी, सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए, आपको इसके लिए सरकार को कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं पता करवाऊंगा, आज देखते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी आज देखते हैं। मैं देखता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड, आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री तुलसीराम (नगरकुरनूल) : अध्यक्ष महोदय, कल के टाइम्स आफ इंडिया में एक समाचार छपा है, कल के टाइम्स आफ इंडिया में··।

अध्यक्ष महोदय : समाचार तो रोज छपते हैं।

श्री तुलसीराम : बहुत महत्वपूर्ण है।

[अनुवाद]

अधिकांश भारतीय औषधियां बेकार हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे। मैं ऐसे थोड़े ही अलाऊ करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठिए आप, बैठिए।

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, रोज के इस्तेमाल करने वाली दवाइयां हैं, 15 हजार है…।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह मैं किस प्रकार जानता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

ऐसे तो रोज समाचार निकलते हैं, कौन सा समाचार सही है, कौन सा गलत है, जब तक पता नहीं चल जाता, तब तक कैसे कह सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाट अलाउड।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह समाचार छपा है कि भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका जाने वाले शिष्ट मंडल को पासपोर्ट जारी किया है…(व्यवधान) इस पर मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। मंत्री महोदय को वक्तव्य देने दें…।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है, लिखकर दीजिए, मैं पता करवा दूंगा, आई विल फाइंड आउट, देख लेंगे।

[अनुवाद]

मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। मैं इसका पता लगाऊंगा। मुझे जानकारी प्राप्त करनी होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, मिलाप अखबार के बारे में···।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया यार, मैं देखूंगा। मेरे पास कोई जादू तो नहीं है।

[अनुवाद]

मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं इस पर ध्यान दे रहा हूं। मुझे पता लगाना होगा। यही बात मैंने दूसरे सदस्य से कही है। आपको इसे मेरे ध्यान में लाना होगा।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : अध्यक्ष महोदय, हम क्या करें। क्या आपको लिखकर दें ?

अध्यक्ष महोदय : हां, आप मुझे लिखकर दें।

[अनुवाद]

आपको इसे मेरे ध्यान में लाना होगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं होता, मुझे लिखकर दीजिएगा, आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न काल नहीं है···।

[हिन्दी]

श्री तुलसी राम : मैंने नोटिस दिया है। एक मिनट आप सुन तो लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नो।

श्री तुलसी राम : आंध्र प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं।

अध्यक्ष महोदय : मिस्टर तुलसी राम जी, मैं लिहाज करता हूं इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसका नाजायज फायदा उठाएं।

[अनुवाद]

पहले आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री तुलसी राम : आप सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सुन लिया है, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे धांधली नहीं चलेगी। नो-नो,

श्री तुलसी राम : मैं दूसरी बात कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। मैं देख लूंगा।

श्री तुलसी राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है मैं देख लूंगा। आप बैठ जाइए। ये कोई डिसकशन नहीं चल रहा है हाउस में। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

————

12.05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) फल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग विकास परिषद् के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1621/85]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चन्दू लाल चन्द्राकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति : —

(एक) शीतागार आदेश, 1980, जो 20 सितम्बर, 1980 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2453 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) शीतागार (संशोधन) आदेश, 1983, जो 23 जुलाई, 1983 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2964 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) शीतागार (दूसरा संशोधन) आदेश, 1984, जो 22 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3001 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) शीतागार (संशोधन) आदेश, 1985, जो 2 फरवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 475 में प्रकाशित हुआ था।

[श्री चन्दू लाल चन्द्राकर]

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०—1622/85]

मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मद्रास पाइराइट्स एंड कैमिकल्स लिमिटेड, डेहरी आन-सोन इत्यादि के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मद्रास, का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल०टी०—1623/85]

(2) (एक) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइट्स, फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स, लिमिटेड, डेहरी-आन-सोन, का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1624/85]

(3) (एक) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०— 1625/85]

(4) (एक) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड का वर्ष 1984-85 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—1626/85]

(5) (एक) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1627/85]

(6) (एक) भारतीय उर्वरक निगम सीमित के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय उर्वरक निगम सीमित का वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1628/85]

कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 और कर्नाटक कृषि उद्योग निगम बंगलौर के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री चंदूलाल चंद्राकर) : महोदय, मैं श्री योगेन्द्र मकवाना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

(दो) कर्नाटक दुग्धशाला विकास निगम सीमित, बंगलौर, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—1629/85]

(ख) (एक) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम सीमित, बंगलौर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कर्नाटक कृषि उद्योग निगम सीमित, बंगलौर, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणयां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० —1630/85]

12.06. म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 दिसम्बर, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 5 दिसम्बर, 1985 को पारित किए गए वायुयान (संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

12.06½ म० प०

लोक सभा सदस्य (दलबदल के आधार पर निरर्हता) नियम 1985

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मैं भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 8 के उप-पैरा (2) के अन्तर्गत लोक सभा सदस्य (दलबदल के आधार पर निरर्हता) नियम 1985 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो अध्यक्ष द्वारा उक्त अनुसूची के पैरा 8 के उप-पैरा (1) के अन्तर्गत बनाये गये हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : अध्यक्ष जी, करोड़ों बच्चों के जीवन का सवाल है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए। ...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा शाही : बहुत से मल्टी नेशनल आरगेनाइजेशन सब-स्टैण्डर्ड बेबी-फूड बना रहे हैं...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने का यह कोई तरीका नहीं है। आप मेरे पास क्यों नहीं आते ?

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैंने कालिंग अटेन्शन दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने मना किया है। आप आइए और मुझे बताइए कि क्या है।

(व्यवधान)

श्री मेवा सिंह गिल (लुधियाना) : मिलाप अखबार में एक खबर छपी है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आ करके मुझे बताइये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको आराम से बता दिया है। आपको समझना चाहिए और सीखना चाहिए। आप नए मैम्बर हैं आपको लिखकर देना चाहिए। हम पता करेंगे और उसके बाद ही कुछ करेंगे।···(व्यवधान)

श्री मेवा सिंह गिल : लिखकर दे चुके हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए, ज्यादा जिद नहीं किया करते।

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जादू का डंडा नहीं है हिसाब से करूंगा और देखकर करूंगा।

···(व्यवधान)

श्री मेवा सिंह गिल : सरकार को कहिए कि कुछ करे (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि कर रहे हैं। आपने मुझे लिखकर दे दिया है।

[अनुवाद]

मैं इस पर कार्यवाही करूंगा। यह बात है।

[हिन्दी]

आपको अपना बनाना चाहिए। आप नए मैम्बर हैं। तुलसीराम जी की उल्टी बात नहीं सीखना चाहिए। तुलसीराम जी कभी-कभी सच्ची बात करते हैं, वह सीखनी चाहिए।

···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री हरुभाई मेहता (अहमदाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यानाकर्षण···दिया है

···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये और बात कीजिए। ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर इस तरह चर्चा नहीं की जाती।

श्री हरुभाई मेहता : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर सभा में इस तरह चर्चा नहीं की जाती।

श्री हरुभाई मेहता : महोदय, मैंने केवल आपका ध्यान इस ओर आकर्षित किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आप सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत है।

———

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : (कनकपुरा) : महोदय मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

———

सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति (कनकपुरा) : महोदय, मैं सभा-पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

———

12.09 म० प०

सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की

[श्री जनार्दन पुजारी]

ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) हिमाचल प्रदेश में नाहन फाउन्ड्री का प्रबंध ग्रहण करने और वहां आलू तथा अबरक के कारखाने स्थापित करने की आवश्यकता

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश उद्योग की दृष्टि से

पिछड़ा क्षेत्र है। भारत सरकार उद्योगों की स्थापना के लिए सहायता देती है, परन्तु जो भी उद्योग इस राज्य में स्थापित किए गये हैं, वह सारे के सारे अधिकांश पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के मैदानी सीमा क्षेत्र पर ही लगाए गये हैं जो हिमाचल की दूरदराज क्षेत्रों की बेरोजगारी दूर करने में सहायक नहीं हैं। जब तक सरकार हिमाचल के भीतरी भाग में उद्योग स्थापित नहीं करती उस समय तक वहां के लोग आर्थिक उन्नति नहीं कर सकते।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर लाना चाहता हूं कि नाहन फाउन्डरी जिसमें सैकड़ों मजदूर काम में लगे हुए हैं, यह 100 वर्षों से अधिक पुराना कारखाना है जो इस समय घाटे में चल रहा है। राज्य सरकार इसमें लाखों रुपए का घाटा बर्दाश्त कर रही है भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा और संसद सदस्य शिमला क्षेत्र के माध्यम से इस कारखाने को भारत सरकार के अधीन लेने के लिए लिखा है परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।

अतः मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार जल्द ही इसे अपने अधीन ले जिस प्रकार घाटा दिलाने वाली मिलें सरकार ने अपने अधीन ली हैं उसी तरह से इसे भी लिया जाये। मैं भारत सरकार से एक बार फिर यह मांग करता हूं कि सरकार बड़ा कारखाना आलू से (वोडका) रूस की भांति बनाने का प्रावधान करे ताकि किसानों को उनकी कीमत प्राप्त हो सके। इसी प्रकार जिला सिरमौर में अदरक का कारखाना स्थापित करे ताकि किसानों को अपनी पैदावार का पूरा लाभ मिल सके। मैं प्रधान मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि संबंधित विभाग को आदेश देकर लोगों की इस कठिनाई का समाधान करावें।

[अनुवाद]

(दो) कर्नाटक के पिछड़े जिले तुमकुर में डीजल इंजनों का निर्माण करने के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का एक सब-डिवीजन खोलने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराजू (तुमकुर) : भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के अध्यक्ष ने कहा है कि कर्नाटक के एक पिछड़े जिले में बी० ई० एम० एल० का एक सब-डिवीजन खोला जाएगा। यह परियोजना जापान के सहयोग से डीजल इंजन बनाने के लिए शुरू की जाएगी, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपये होगी। तुमकुर औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तुमकुर में ऐसे उद्योग लगाने के लिए अपेक्षित सभी मूलभूत आवश्यकताएं विद्यमान हैं। इस निर्वाचन क्षेत्र की जनता भी चाहती है कि यह उद्योग तुमकुर में शुरू किया जाये। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह उद्योग तुमकुर में ही खोला जाना चाहिए।

(तीन) कोचीन स्थित नौसेना अकादमी को अस्थायी तौर पर गोवा ले जाने पर होने वाले व्यय को रोकने के लिए उसे फिलहाल वहीं पर ही रहने देने की आवश्यकता

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर) : नौसेना अकादमी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित

[श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन]

करने के निर्णय से केरल के लोगों को गहरा धक्का पहुंचा है, विशेषकर इसलिए कि इस वर्ष अप्रैल में नौसैनिक वायु स्कूल को कोचीन से बंगलौर स्थानांतरित करने के बाद ऐसा किया गया है।

कोचीन में इस अकादमी को बनाये रखना न केवल देश की रक्षा की दृष्टि से अपितु विपुल सामुद्रिक संपदा के संरक्षण की दृष्टि से भी आवश्यक है। इसका अन्दाज केरल की लम्बी समुद्रीय-तटीय रेखा से लगाया जा सकता है जिस पर केरल को गर्व है। इसका कारण संभवत: यह है कि केरल तट सामारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसलिए केरल के उत्तरी भाग के सिरे पर एझीमाला में नौसेना अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया। लेकिन इस परियोजना का काम अत्याधिक धीमी गति से चल रहा है और यहां तक कि सरकार का यह अनुमान है कि इस काम के पूरा होने में सात वर्ष का समय लग सकता है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस अकादमी को कम से कम उस समय तक रखे जब तक कि वह सीधे एझी माला में स्थानान्तरित न कर दी जाये ताकि इस अकादमी को अस्थायी रूप से गोवा में और पुन: केरल में स्थापित करने से होने वाली समस्याओं और खर्च से बचा जा सके।

(चार) प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बेगमपेट, हैदराबाद में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापतनम) : भारत सरकार की इस सामान्य नीति के अनुरूप कि सभी चिकित्सा पद्धतियों के लिये एक राष्ट्रीय संस्थान हो, हमारा सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को निम्नलिखित कारणों से बेगमपेट स्थित नेचर क्योर हास्पिटल में स्थापित किया जाये।

प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल बेगमपेट, हैदराबाद 1949 से सुचारू रूप से चल रहा है जिसमें 125 पलंग हैं और इसकी क्षमता को 200 पलंग तक आसानी से किया जा सकता है। यह अस्पताल को केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा मान्यता दी गई थी। यहां एक कालेज भी है जिसमें प्रतिवर्ष पूरे देश से 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी और यह उस्मानिया विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

इस अस्पताल के पास 11.6 एकड़ भूमि है जिसका अधिकांश भाग अभी भी उपयोग में लाया जा सकता है। वहां पहले ही से 20 भवन तैयार हैं। इसका कुल मूल्य 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के लगभग है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में यह इस तरह का यह एक मात्र अस्पताल है जहां इतनी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, केन्द्र सरकार ने 1979 में आंध्र प्रदेश सरकार के समक्ष इस राष्ट्रीय संस्थान की [स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया था। राज्य सरकार ने उसे

स्वीकार किया और दिनांक 4 जुलाई 1981 को जी० ओ० एम० एस० संख्या 400(एम०एण्ड एच०) (आर 2) जारी किया।

अत: मेरा भारत सरकार से अनुरोध है वह राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल, बेगमपेट, हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लें।

(पांच) वैगाई,पल्लवन और सेतु एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को पुन: चालू करने की आवश्यकता

श्री कादम्बुर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : मद्रास में आई बाढ़ के एक महीने बाद भी, दक्षिण रेलवे केवल तीन एक्सप्रेस गाड़ियां चला रहा है। अन्य तीन तीव्र गति की गाड़ियां-- वैगाई, पल्लवन और सेतु एक्सप्रेस रेलवे लाइन के पुनर्निर्माण में विलम्ब होने के कारण चल रही हैं। इन तीनों गाड़ियों के बंद होने के कारण नई फसल के मौसम में समूचे तमिलनाडु के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं अत: यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है और रेलवे को ये रेल गाड़ियां 14 जनवरी अर्थात पोंगल दिवस से पहले ही तमिलनाडु के लिए चला देनी चाहिये।

[हिन्दी]

(छ:) बिहार के मुंगेर जिले को भयानक बाढ़, सूखे,भूक्षरण आदि से बचाने के लिए बड़हिया मोकामा ताल योजना को क्रियान्वित करने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देती हूं :—

"भारत प्रकृति के दो प्रकोपों बाढ़ एवं सूखा से प्रत्येक वर्ष भयंकर रूप से प्रभावित होता है। सिंचाई आयोग के अनुसार बाढ़ रूपी प्रकोप के कारण देश में औसतन 1000 व्यक्ति व 50,000 पशु बेमौत मारे जाते हैं तथा अनाज की क्षति लगभग 15 मे 20 टन होती है। इसके अतिरिक्त यातायात के मार्ग बांध, सड़कें व रेल मार्गों के टूटने तथा गांव के गांव जल के गर्भ में विलीन हो जाने से राष्ट्रीय क्षति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है।

भू-अक्षरण (इरोजन) के कारण देश में अब तक 42 करोड़ 50 लाख एकड़ से अधिक जमीन भूमि बर्बाद हो चुकी है एवं 65 लाख एकड़ भूमि अम्लक्षार व जल प्लावित होने के कारण बर्बाद हो चुकी है। देश में सही जल नीति न होने के कारण भू-अक्षरण से प्रतिवर्ष 6000 करोड़ टन मिट्टी बह जाती है इस संदर्भ में बिहार के मुंगेर जिले के बड़हिया प्रखंड की स्थिति बड़ी नाजुक है। वहां गंगा नदी के कटाव से हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन, सैकड़ों गांव, स्कूल, कालेज, रेलवे लाइन को जल समाधि हो जाने की आशंका है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार एवं बिहार सरकार का ध्यान मैं वर्षों से आकृष्ट करती आ रही हूं, परन्तु कोई भी स्थाई, दीर्घकालीन योजना के अभाव में हजारों-हजार लोगों की जान खतरे में है। बड़हिया मोकामा टाल योजना के कार्यान्वयन के अभाव में ही यह भीषण कटाव की समस्या प्रतिक्षण बढ़ती जा रही है। अत: मैं सरकार

[श्रीमती कृष्णा साही]

का ध्यान इस ओर आकृष्ट करती हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इस संबंध में कार्यवाही कर लोगों की जान-माल को मृत्यु के कगार से बचाएं।"

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) माननीय अध्यक्ष महोदय, इतने वर्षों से ध्यान आकर्षित कर रही हैं, किंतु ध्यान आकर्षित कर ही नहीं पा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : बैरागी जी, कविता द्वारा कुछ कहिए। कविता द्वारा उनकी मांग में कुछ आकर्षण पैदा करिए।

(सात) सफेदाबाद रेल फाटक पर एक उपरि पुल बनाने और बाराबंकी में जयंती जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री कमला प्रसाद रावत (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान बाराबंकी जनपद की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बाराबंकी जनपद में राष्ट्रीय मार्ग जो लखनऊ से फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच बस्ती, देवरिया आजमगढ़ होते हुए नेपाल राज्य को जोड़ता है तथा इस मार्ग पर बहुत यातायात चलता है। लखनऊ से 20 कि० मीटर की दूरी पर सफेदाबाद में रेलवे लाइन जो इस राष्ट्रीय मार्ग को क्रास करती है, इस रेलवे क्रासिंग पर उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे की सवारी गाड़ियां तथा मालगाड़ियां चलती रहती हैं तथा छोटी रेलवे फाटक बन्द रहता है जिसकी वजह से यातायात ठप्प हो जाता है। यहां पर एक फ्लाई औवर ब्रिज बनाने की नितांत आवश्यकता है। बाराबंकी से देवा जाने वाली रोड़ पर उत्तर रेलवे तथा पूर्वोत्तर रेलवे की दो लाइनें हैं यदि इन्हें पास में कर दिया जाये तो आने-जाने वालों के समय में काफी बचत होगी। बाराबंकी में जयन्ती-जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी भी नहीं रुकती है जिससे वहां के लोगों को दिल्ली आने में काफी परेशानी होती है। जयन्ती-जनता एक्सप्रेस को बाराबंकी में रोका जाना चाहिए।"

अध्यक्ष महोदय : दिल्ली न आने से कुछ पैसा क्या नहीं बचेगा।

12.19 म०प०

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के स्थान पर टैरिफ का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक, 1985, जहां तक यह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है······

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : नियम 388 के अधीन इस प्रस्ताव का बहुत बार उपयोग किया जा रहा है। आखिर पिछले काफी दिनों से सभा का सत्र चल रहा है। इसके बारे में बहुत पहले भी सोचा जा सकता था, विशेषकर यह देखते हुए कि यह विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है। यह कोई ऐसी बात नहीं थी जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। वे नियम 388 के अधीन ऐसे प्रस्तावों का बहुत अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं, महोदय, यह आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परंतुक का, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक, 1985, जहां तक यह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु अधिनियम 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1985, जहां तक यह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के संबंध में निलम्बन करती है।"

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : खतरनाक नहीं है, जहां कहीं गड़बड़ होगी रोक लेंगे।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं उनमें से एक हूं जो इसको पसन्द नहीं करते। यह बहुत अधिक है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने इसकी अनुमति दी है। यदि यह नियमों के विरुद्ध होता तो मैं उन्हें एक के बाद एक रखने की अनुमति नहीं देता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन मन्त्री जी को और अधिक सतर्क रहना चाहिये था, आपको मन्त्री जी को सलाह देनी चाहिए कि वे थोड़ा और सतर्क रहें। वे हमसे इस तरह मनमानी नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। इसीलिए वे कह रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह कोई अप्रत्याशित बात नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1985, जहां तक यह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985 पर निर्भर है, पर विचार और उसे पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

————

अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : अब आप बोलिए।

[हिन्दी]

बोलिये आप, भाषणाचार्य बन जाइये।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : महोदय, सारी चीज इतनी यांत्रिक हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आदत का क्या करें ?

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, पुजारी जी ने क्या करिश्मा दिखाया कि आपका पूरा सैक्रेटरिएट खड़ा हो गया ?

अध्यक्ष महोदय : जादू वह, जो सिर पर चढ़कर बोले।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, जैसाकि माननीय सदस्यगण जानते हैं कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अब केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम 1944 की पहली सूची में दी गई दरों के अनुसार लगाया जाता है। जब केन्द्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम 1944 में लागू किया गया तो पहली सूची में केवल 11 मदें थीं, तब से टैरिफ मदों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। प्रारम्भ में शुल्क जो कि चयनात्मक प्रकार का था वह 1975 में बहुप्रयोजन हो गया जबकि अवशिष्ट टैरिफ मद संख्या 68 को शामिल कर लिया गया। अफीम, अल्कोहल जैसी कुछ मदों को छोड़कर, जिनके विषय में केन्द्र सरकार को कोई उत्पाद कर लागू करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, बाकी सारी निर्मित वस्तुएं अब शुल्क के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं।

केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ का पिछले कुछ वर्षों से विकास एक विकास की निरन्तर प्रक्रिया नहीं रही है, कुछ हद तक यह एक अव्यवस्थित ढंग से विकसित हुआ है जिसमें कोई निश्चित सिद्धान्तों का अनुसरण नहीं किया गया। इसके कारण उत्पाद शुल्क लगाने के उद्देश्य से वस्तुओं के वर्गीकरण के

[श्री जनार्दन पुजारी]

सम्बन्ध में विवाद पैदा हुआ है। सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के पुनरीक्षण की आवश्यकता को महसूस किया है ताकि कर दाताओं और कर-संग्रहकर्ताओं के बीच विवाद के जो क्षेत्र हैं वे कम हो जायें। इस उद्देश्य से 1984 के तत्कालीन वित्त मंत्री के बजट भाषण के अनुसरण में सरकार द्वारा केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ के संबंध में एक तकनीकी अध्ययन दल नियुक्त किया गया। दल को सौंपे गये कामों में से एक यह था कि एक नये केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ को बनाया जाए जिससे सीमा शुल्क (टैरिफ) तथा अन्य सम्बन्धित वर्गीकरण योजनाओं, जो कि आजकल लागू हैं, के बीच और अधिक ताल-मेल लाया जा सके तथा साथ ही यह विचार किया जाए कि क्या केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ पर, जो कि इस समय केन्द्रीय उत्पाद और नमक कानून 1944 का एक अंग है, एक पृथक केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम बनाया जा सकता है।

12.24 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सीमा-शुल्क सहयोग परिषद, ब्रसेल्स, के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और सांख्यिकीय के लिए नए नाम अपनाए गए। सीमाशुल्क मामलों के विश्व के विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद एवं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संघ और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों जैसे व्यापार और टैरिफ के सम्बन्ध में सामान्य करार (जी०ए०ए०टी०) सक्रिय सहायता से, परिषद ने "हार्मोनाइज्ड कम्मोडिटी डिस्क्रिप्शन एण्ड कोडिंग सिस्टम" नामक एक अभिसमय का विकास ब्रसेल्स में 14 जून, 1983 को किया।

एक वर्ष के दौरान तकनीकी अध्ययन दल ने व्यापार हितों तथा विभागीय अधिकारियों के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की। दल ने 30 सितम्बर, 1985 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद के ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। संशोधित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ इस रिपोर्ट का एक भाग है। संशोधित केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की अनुसंशा करने से पूर्व दल ने बहुत से विकल्पों पर विचार किया था। यह देखा गया है कि नामों की सुव्यवस्थित प्रणाली में 5000 के लगभग प्रविष्टियां हैं; यह उससे कहीं बहुत अधिक है जो आज हमारे उत्पाद टैरिफ में कभी-कभी परिगणना विशिष्ट रूप से केवल उन्हीं वस्तुओं की ओर उन्मुख होती है जिनका अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार केवल विकसित देशों द्वारा ही होता है। हार्मोनाइज्ड प्रणाली के नामकोष के कुछ अध्याय केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ की दृष्टि से अत्यधिक लम्बे या अत्यधिक छोटे हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि "निर्माण" की अवधारणा का, जो कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के लिये महत्वपूर्ण है टैरिफ के साथ समन्वय करना होता है, और जो वस्तुएं उत्पाद शुल्क योग्य नहीं हैं इसके क्षेत्र से बाहर रखनी होती हैं। नया टैरिफ जिसकी अध्ययन दल ने सिफारिश की है, हार्मोनाइज्ड वस्तु विवरण एवं कोडिंग प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय पर आधारित है। यह सिफारिश की गई कि एक पृथक केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ अधिनियम होना चाहिये और नया केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ इसी का एक भाग होना चाहिये, बजाय इसके यह केन्द्रीय उत्पाद एवं नमक अधिनियम, 1944 का एक हिस्सा हो, जैसा कि अब है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 1985 में जो केन्द्रीय उत्पाद टैरिफ प्रस्तावित है वह सामान्यतः तकनीकी अध्ययन दल द्वारा सुझाये गये ढांचे पर आधारित है। फिर भी, टैरिफ के नामकरण का हार्मोनाइज्ड प्रणाली से उपयुक्त संशोधनों द्वारा अच्छा समन्वय कर दिया गया है। कुछ अध्याय, विशेषकर बाद वाले अध्याय पूरी तरह हार्मोनाइज्ड प्रणाली के ढांचे पर ही आधारित हैं। जिन अध्यायों में नामकोष का बंटवारा किया गया है उनका क्षेत्र सामान्यतः वही है जैसा नामकोष की हार्मोनाइज्ड प्रणाली के तत्सम्बन्धी संख्या वाले अध्यायों का है। शीर्षकों में, जहां आवश्यक हो इस तथ्य के आधार पर परिवर्तन किया गया है कि हमारी निर्मित वस्तुएं इतनी भिन्न-भिन्न या इतनी आधुनिक नहीं हैं कि उनके लिए विस्तृत उप-वर्गीकरण की आवश्यकता पड़े। वर्गीकरण के साथ व्याख्यात्मक नियमों के एक समूह को भी दिया गया है ताकि वर्गीकरण में आसानी है, इस टैरिफ के कई लाभ होंगे :—

(क) यह नामकोष अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत नामकोष पर आधारित है जिसके निर्माण में सभी संगत बातों—तकनीकी और वैधानिक—का उचित रूप में ध्यान रखा गया है।

(ख) खण्ड और अध्याय टिप्पणियां तथा व्याख्या के नियमों का समावेश किये जाने से विवाद का क्षेत्र सीमित रह जायेगा।

(ग) नामकोष एक विस्तृत सांख्यकीय आधार प्रदान करेगा, जो कम्प्यूटरीकरण के लिए आदर्श तथा जिसमे नीति निर्माण में सहायता होगी।

(घ) देश के भीतर बनी वस्तुओं का एक निश्चित शीर्षक के अन्दर समावेश हो जायेगा। बहुप्रयोजन अवशिष्ट अज्ञातकुल टैरिफ मद 68, जिसके अन्तर्गत सभी वस्तुओं को जो अन्यत्र उल्लिखित नहीं हैं ले लिया जाता है, इससे वर्गीकरण की जो कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, वे सभी दूर हो जायेंगी।

(ङ) वर्गीकरण की समन्वित पद्धति के आधार पर सीमा-शुल्क टैरिफ का समन्वय करने के लिए अलग से विधायी कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तावित केन्द्रीय सीमा-शुल्क टैरिफ की पुरःस्थापना से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा-शुल्क के बीच दो अंकों की व्यापक एकरूपता के कारण आयात पर प्रति कर सीमा-शुल्क की वसूली अत्यन्त सुगम हो जाएगी।

प्रस्तावित टैरिफ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उगाहने के लिए एक योजना की व्यवस्था की गई है और इसका संबंध वर्गीकरण के लिए केवल नामकरण से है। ऐसा शुल्क की वर्तमान दर में किसी प्रकार का परिवर्तन के उद्देश्य से नहीं किया गया है। यदि शुल्क की दर में कोई अनभिप्रेत परिवर्तन है जिनसे यह टैरिफ लागू करने से पूर्व इनमें संशोधन किया जाएगा। इस कानून को शीघ्र लागू नहीं किया जा रहा है। इस बात की सम्भावना है कि इस टैरिफ को बहुत हद तक वित्त विधेयक 1986 में उल्लिखित सरकार के वित्तीय प्रस्तावों के साथ लागू किया जाए। इससे विभागीय अधिकारियो और व्यापार को नई टैरिफ नाम-पद्धति से जानकारी करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। इस उद्देश्य के लिए है कि नए टैरिफ के संबंध में समस्त देश में गोष्ठियों का आयोजन करने का प्रस्ताव है। यदि इन

[श्री जनार्दन पुजारी]

गोष्ठियों में चर्चाओं के दौरान कोई अनभिप्रेत कठिनाई देखी गई अथवा टैरिफ में और सुधार करने के लिए सुझाव दिए गए तो समन्वित पद्धति के व्यापक ढांचे के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए उन पर विचार किया जाएगा और उन्हें संसद के बजट अधिवेशन में लागू किया जाएगा।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम में खंड 3 में एक नया उपबंध करने का विचार है जिसके अन्तर्गत सरकार को कुछ परिस्थितियों में अधिसूचना के द्वा ा शुल्क दर में वृद्धि करने की शक्ति दी जाएगी। शुल्क में वृद्धि करने की कुछ सीमाएं होंगी। ऐसी शक्तियों का उपयोग केवल आपात-स्थिति में किया जाएगा। इस प्रकार की वृद्धि करने वाली अधिसूचनाएं संसद की स्वीकृति के अध्ययधीन प्राप्त होंगी। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सीमा शुल्क अधिनियम में संरक्षण शुल्क तथा निर्यात शुल्क के संबंध में ये शक्तियां मौजूद हैं, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में भी इन शक्तियों की आवश्यकता है ताकि व्यापार प्रथाओं और कानूनी निर्णयों से पता चलने वाले बजट संबंधी उपबंधों में किसी भी असंतुलन को दूर किया जा सके।

चूंकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 की पहली अनुसूची में निहित वर्तमान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, इसलिए यह आवश्यक है कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में अनुवर्ती परिवर्तन किए जाएं क्योंकि इन दो अधिनियमों की अनुसूचियों की प्रविष्टियां वर्तमान केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ पर आधारित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के स्थान पर टैरिफ का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री श्रीहरि राव भाषण देंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक अनुरोध करता हूं। मैं विधेयकों का स्वागत करता हूं क्योंकि यह स्पष्टतया विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे बताइए कि आप ने कौन-सा व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : समिति प्रतिवेदन ग्रंथालय में उपलब्ध हैं। ये विधेयक हमें शनिवार सुबह को उपलब्ध कराए गए। शनिवार और रविवार को ग्रंथालय बन्द था। यदि हमें कोई सार्थक योगदान देना है तो उन प्रतिवेदनों का अध्ययन किए बिना हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या हमें देखे बिना ही इसे स्वीकार करना है। मैं विधेयकों का विरोध नहीं कर रहा हूं। स्पष्ट रूप में इनका स्वागत है और ये विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं। किन्तु हमने विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन नहीं देखा है जो मंत्री जी के अनुसार ग्रंथालय में उपलब्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीहरि राव बोलेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री जी को कुछ कहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। वह क्या कर सकते हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरी समझ में नहीं आता। यह तो विधेयक को संसद के गले में ठोंस-ठोंस कर उतारना है। यद्यपि यह एक स्वागत योग्य विधेयक है, फिर भी इसको इस प्रकार ठोंसा नहीं जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यद्यपि यह पहले ही ग्रंथालय में है आप यह संकेत दे सकते थे कि क्या यह आने वाला है; मैं कैसे...?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमें पता नहीं हालांकि प्रतिवेदन ग्रंथालय में उपलब्ध है। और यह बात कि वे सोमवार को विधेयक प्रस्तुत करेंगे हमें शनिवार को मालूम हुई।

उपाध्यक्ष महोदय : शनिवार सुबह को?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह सच है ग्रंथालय शनिवार और रविवार को बन्द था। हम कैसे अध्ययन कर सकते हैं? हमें क्या मालूम?

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में 12 तारीख को ही यह परिचालित किया गया कि विधेयक लाये जा रहे हैं। बुलेटिन में यह पहले परिचालित कर दिया गया था कि विधेयक लाये जा रहे हैं। 12वें समाचार-पत्र में पहले ही इसकी सूचना दी गई कि विधेयक लाये जाएंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : किन्तु विधेयक की प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं। यह केवल शनिवार को उपलब्ध कराई गई। हम विधेयकों का स्वागत करते हैं। किन्तु, संसद-सदस्य के तौर पर हमें यह मालूम होना चाहिए कि विधेयक किस विषय में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप शनिवार को भी मांग सकते थे। वह ग्रंथालय खोल देते।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह शनिवार को ग्रंथालय नहीं खोलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : शनिवार को ग्रंथालय खुला होता है। आप उस समय जा सकते थे। आप यह नहीं कह सकते कि यह बन्द है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जो नोट हमें परिचालित किया गया है, उसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन ग्रंथालय में उपलब्ध था। अब मंत्री ने अपने वक्तव्य में यह बात स्पष्ट की है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : केवल आप इस मामले को उठा रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सभा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कहता हूं कि आपका अनुरोध गलत है। परिपत्र में भी पहले ही इस बात का उल्लेख किया गया है आपकी सुविधा के लिए मैं इसे पढ़ता हूं :

> "इस संदर्भ में ऊपरिलिखित विधेयक, और वित्त मंत्रालय से प्राप्त प्रत्येक निम्नलिखित दस्तावेजों की कुछ प्रतियां सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद ग्रंथालय में रखी गयी हैं।"

इसका पहले ही उल्लेख किया गया है। आप इसे नहीं उठा सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं विशेषज्ञ समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख परिपत्र में किया गया है···

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हम विशेषज्ञ समिति प्रतिवेदन की बात कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री श्रीहरि राव। आप बोल सकते हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विधेयकों में आप कुछ नहीं पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। परिपत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है। आप देख सकते हैं।

***श्री श्रीहरि राव** (राजामुन्द्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि (अन्ततः) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क विधेयक लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। वास्तव में यह बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। यद्यपि विलम्ब हुआ है फिर भी यह सभा में प्रस्तुत किया गया है जिसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं। जब यह अधिनियम वर्ष 1944 में पारित किया गया था तो सूची में केवल

*मूलतः तेलुगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

11 मदें शामिल की गयी थीं। किन्तु आज इस सूची में 137 मदें हैं। इसी प्रकार वर्ष 1950-51 के दौरान उत्पाद शुल्क से केवल 68 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था जो अब 9814 करोड़ रुपये हो गया है। उत्पाद-शुल्क के रूप में कुल कर का 17 प्रतिशत एकत्र होता था जो अब 50 प्रतिशत तक बढ़ गया है। किन्तु देश के विभिन्न न्यायालयों में 15 हजार मामले अभी पड़े हुए हैं और इन मुकदमों में 1000 करोड़ रुपये की राशि रुकी हुई है। केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम में बहुत सी कमियां थीं जिनसे व्यापारी इस मामले को थोड़ी सी बात पर न्यायालय में ले जाते थे। वर्तमान अधिनियम में कमियों के कारण इतने मुकदमें हुए हैं। चूंकि संकेत-पद्धति में एक-रूपता और सुसंगतता नहीं है इसलिए उत्पाद-शुल्क निरीक्षक करों का निर्धारण करने के लिए विभिन्न मानदण्डों का प्रयोग करते थे। एक जैसी वस्तुओं पर वह विभिन्न स्थानों पर विभिन्न मानदण्डों का प्रयोग करते थे। इससे विगत में बहुत से मुकदमें हुए। व्यापारियों ने इस दोष का उपयोग करके न्यायालय में जाकर स्थगन आदेश प्राप्त किए। इस प्रकार 1000 करोड़ रुपये से अधिक राशि व्यापारियों के पास रुकी पड़ी है। उपभोक्ता कर दे रहे हैं। जनता से बाकायदा तौर पर और शीघ्रता से कर की राशि वसूल की जा रही है किंतु सरकार को नहीं दी जा रही है। अतः बड़े व्यापारियों तथा कम्पनी स्वामियों की चालबाजियों के कारण सरकार को यह कर प्राप्त नहीं होते हैं। यही व्यापारी गरीब उपभोक्ताओं से कर एकत्र करते हैं किंतु विभिन्न कारणों से मूल्यांकन को विभिन्न आधारों पर चुनौती देकर इस राशि को सरकार को अदा नहीं करते। वे न्यायालय में चले जाते हैं और न्यायालय में बिना किसी विलम्ब के स्थगन आदेश देते हैं मैं न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दे रहा हूं और ऐसा करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। वर्तमान अधिनियम में जो कमियां हैं उनके कारण इतने स्थगन आदेश दिए गए हैं। इन कमियों के कारण, अब जो मूल्यांकन हो रहा है वह एक-जैसे नहीं हैं और वह हर मामले में अलग-अलग हैं यद्यपि यह एक ही प्रकार के हैं। अतः बड़े व्यापारी न्यायालय में जाते हैं और मूल्यांकन को चुनौती देते हैं और स्थगन अथवा निषेधादेश प्राप्त करते हैं। वह मामलों को पुनः खोलते हैं और इस प्रकार उस कर को देने से बच जाते हैं जो वे पहले ही बेचारे उपभोक्ताओं से प्राप्त कर लेते हैं। इसके परिणामस्वरूप न सरकार को और न ही जनता को इन करों के लगाने से कोई लाभ मिलता है। केवल बड़े व्यापारी तथा उद्योगपति इससे लाभ उठा रहे हैं। अतः मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने अन्ततः इन कमियों को महसूस किया है और इन कमियों को दूर करने के लिए सभा में यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूं। अतः इसमें एक प्रकार से एकरूपता होगी और मूल्यांकण के लिए समस्त देश में एक जैसा मानदण्ड अपनाया जाएगा और मुकदमेबाजी की सम्भावनाएं कम होंगी। महोदय, तेजी से कम्प्यूटरीकरण करने से देश भर में मूल्यांकन में एकरूपता लाने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी। इस अवसर पर मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि यथासम्भव सम्पूर्ण प्रणाली का कम्प्यूटरीकरण किया जाये जिससे कि मुकदमेबाजी की तुरन्त रोक-थाम हो जाये।

अनेक मामलों में एक दशक पूर्व लगाए गए अतिरिक्त शुल्क आज भी यथावत हैं। 1931 में जब एक गैलन मोटर स्प्रिट का मूल्य एक रुपया था तब उस पर $3\frac{1}{2}$ पैसे अतिरिक्त शुल्क प्रति लीटर लगाये गये थे किन्तु आज जबकि एक गैलन पेट्रोल का मूल्य लगभग 31 रुपए है उस पर अतिरिक्त शुल्क उतना ही है। इसलिए जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। इस प्रकार जो राशि एकत्र होती है, वह सड़कों और पुलों के रख-रखाव के लिए अपर्याप्त होती है।

[श्री श्रीहरि राव]

इसलिए इस अतिरिक्त शुल्क को आनुपातिक रूप में बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि राज्यों को लाभ हो सके।

महोदय, यह दुःख की बात है कि केन्द्र सरकार अनेक मदों को बिक्री कर के दायरे से निकालकर उन पर उत्पाद शुल्क लगा रही है। इस प्रकार सरकार राज्य सरकारों को बिक्री कर के माध्यम से प्राप्त होने वाले छोटे-छोटे लाभों को भी छीन रही है। ऐसा करके केन्द्र सरकार अपनी आर्थिक स्थिति तो सुदृढ़ करती जा रही है और राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति कमजोर करती जा रही है। यह बहुत बड़ा अन्याय है। राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही खराब है। केन्द्र सरकार के इस कदम से उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों से एक एक कर सभी संसाधन ले लेने की चेष्टा कर रही है। यह अनुचित है। राज्यों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केन्द्र को राज्यों को उनके अंश के रूप में दी जाने वाली राशि की प्रतिशतता बढ़ा देनी चाहिए। केन्द्रीय करों की जमा राशि में से राज्यों को और अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार केन्द्रीय करों की जमा राशि में से राज्यों को उतने ही प्रतिशत हिस्सा दे रही है; जितना वह 1944 में दिया करती थी। अब उत्पाद शुल्क की राशि 17 प्र०श०से बढ़कर 50 प्र० श० हो गई है; राज्यों को देय हिस्सा उसी अनुपात में बढ़ना चाहिए। राज्यों को देय राशि का अनुपात जमा राशि के समानुपात में होना चाहिए। इस समय यह स्थिति है कि राज्यों के पास धन एकत्र करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि प्रत्येक शुल्क या कर केन्द्र के हाथ में है और कठिनाई के समय में उन्हें केन्द्र से मांगने को विवश होना पड़ता है। किन्तु राज्यों को सहायता प्रदान करने के स्थान पर केन्द्र उन्हें ठुकरा रहा है। मैं आपको इस बात का एक उदाहरण देना चाहता हूं कि केन्द्र राज्यों के साथ किस प्रकार का बुरा व्यवहार करता है। इस वर्ष आंध्र प्रदेश में अप्रत्याशित सूखा पड़ा और उसके बाद एक तूफान आया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र से 600 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता मांगी थी। किन्तु केन्द्र सरकार ने केवल 35 करोड़ रुपए देकर अपना दायित्व पूरा कर दिया। इस अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए 35 करोड़ रुपए की यह राशि बहुत ही कम थी। संकट से उबरने के लिए यह राशि बहुत कम थी। अतः इस समय स्थिति यह है कि करों के माध्यम से जमा किया गया समस्त राजस्व केन्द्रीय राजकोष में एकत्र हो रहा है और राज्यों के पास कोई संसाधन शेष नहीं रह जाता है वह केन्द्र की दया पर निर्भर रहता है। राज्य सरकारों द्वारा सहायता के लिए किए गये अनुरोध दिल्ली में सरकार द्वारा ठुकराये जा रहे हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है और इसलिए केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय करों की जमा राशि में से राज्य सरकारों को समुचित हिस्सा मिलना चाहिए। उनके हिस्से का अनुपात बढ़ा दिया जाए जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यही अनुरोध है और मुझे उनसे यही आशा है।

महोदय, इस अवसर पर मैं इस बात की भी सिफारिश करता हूं कि जन उपयोगी वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से विमुक्त कर दिया जाये। ऐसी वस्तुओं को उत्पाद शुल्क से तत्काल विमुक्त कर दिया जाये और सीमा शुल्क विभाग द्वारा तत्काल उसकी स्वीकृति दी

जानी चाहिए। इन मदों की स्वीकृति देने में देरी करने से सार्वजनिक सेवा में संलग्न स्वयंसेवी संस्थाओं को अनेक परेशानियां उठानी पड़ती हैं। उदाहरणार्थ, काकीनाडा नगर पालिका ने हाल ही में एक धुंआ फैलाने वाली मशीन का आयात किया था। मच्छरों को कम करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए इस मशीन का आयात करना आवश्यक था। सरकार ने इस मशीन के आयात करने की अनुमति बहुत पहले ही दे दी थी। मशीन आ चुकी है किन्तु सीमा शुल्क की छूट पाने की प्रतीक्षा में अभी तक पत्तन पर पड़ी हुई है। इस संबंध में मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती किदवई तथा अपने वित्त मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को पहले ही पत्र भेज चुकी हूं। महोदय, सार्वजनिक उपयोग के लिए मंगाई गई इस मशीन पर छूट देने में अधिक देरी नहीं की जानी चाहिए। देश में ऐसी अनेक नगरपालिकायें हैं जिन्हें इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात को अब तक 8 या 9 महीने बीत चुके हैं। सीमा शुल्क विभाग ने अभी तक छूट नहीं प्रदान की है। इस बीच मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाने से वहां के लोगों के स्वास्थ्य की क्षति हो रही है। इतना ही नहीं नगरपालिका को पत्तन प्राधिकरण को विलम्ब शुल्क की भारी राशि अदा करनी पड़ेगी। नगर पालिका जनता की संस्था है। यह एक ऐसा नुकसान है जो न केवल नगर पालिका का है बल्कि जनता का भी है। यह सार्वजनिक धन का अपव्यय है। इसलिए सार्वजनिक उपयोग की किसी भी वस्तु को सरकार द्वारा तत्काल कर मुक्त कर दिया जाना चाहिए। वास्तव में, इसके लिए कुछ समय पहले एक परिपत्र जारी किया गया था। किन्तु उसको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। उस परिपत्र के कार्यान्वित न किये जाने से काकीनाडा नगरपालिका को परेशानी उठानी पड़ी। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसे कारगर ढंग से कार्यान्वित किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी मदों से शुल्क तत्काल हटा लिया जाए।

मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि वित्त मंत्रालय का कार्य सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमारे मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह तथा श्री जनार्दन पुजारी परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं तथा उनकी सफलता की कामना करता हूं। किन्तु मैं उनकी जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि वित्त विभाग के निम्न वर्ग के कर्मचारियों के कारण लोगों को किस कदर परेशानी उठानी पड़ती है। हम, संसद सदस्यों को वित्त विभाग के निम्न स्तर के अधिकारियों द्वारा परेशान किये जाने की जनता से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। निरीक्षकों तथा अन्य निम्न वर्ग के कर्मचारियों द्वारा एक बार बन्द किये गये मामले संबंधित पार्टी को सूचित किए बिना उनके बाद पदभार संभालने वाले कर्मचारियों द्वारा पुनः खोले जा रहे हैं। अन्त में कर संबंधी ऐसे मामले निर्णय के लिए न्यायालय की शरण में जाते हैं। इस प्रकार वित्त विभाग के उत्पाद शुल्क और अन्य स्कन्धों के निम्न स्तर पर लोगों को किस प्रकार परेशान किया जा रहा है। इसके कारण वित्त विभाग जनता का विश्वास खोता जा रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त विभाग के इस समय के दो प्रभारी मंत्री ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों को निकालने में पूर्णतया प्रयत्नशील हैं। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। विभाग की छवि निखारने के लिए आपको ऐसे अधिकाधिक कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा करने से न केवल विभाग की छवि सुधरेगी अपितु आपको अधिक राजस्व प्राप्त होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की आय बढ़ जाएगी। सरकार को भ्रष्ट व्यापारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही करनी चाहिये। उनके मामले में भी ढील नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इसके साथ ही अधिक प्रोत्साहन

[श्री श्रीहरि राव]

देकर सरकार को उन्हें ईमानदारी दिखाने के लिए प्रोत्साहित भी करना चाहिए। इसलिए सभी संबंधित व्यक्तियों के संबंध में सही और कठोर नीति अपनाने की मैं सिफारिश करता हूं। दण्ड की व्यवस्था के साथ ईमानदार अधिकारी अथवा व्यापारी को प्रोत्साहन देने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। कर्मचारियों के रवैये में भी परिवर्तन होना चाहिए। निम्न स्तर पर इस रवैये में परिवर्तन होना चाहिये। इस प्रकार के परिवर्तन होने के बाद ही इस अधिनियम का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन हो सकेगा और इससे सरकार को लाभ हो सकेगा।

महोदय, इस अवसर पर मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। देश में ऐसे अनेक कपड़ा मिल और चीनी मिल आदि हैं जिनके कारखाने तो किसी एक राज्य में हैं और उनके मुख्यालय किसी और राज्य में हैं। ऐसी स्थिति में जिस राज्य में ये कारखाने स्थापित हैं; वहां के लोगों को वायु और जल प्रदूषण, सड़कों पर अधिक भीड़-भाड़ आदि की परेशानी सहन करनी पड़ती है, किंतु विभिन्न करों के माध्यम से लाभ उन राज्यों को होता है; जहां पर उनके मुख्यालय अवस्थित हैं। इस प्रकार जिन राज्यों में कारखाने स्थापित हैं; उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है जबकि उन राज्यों को लाभ होता है; जहां उनके मुख्यालय स्थित हैं। जिन राज्यों में कारखाने लगे होते हैं उन्हें कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। अतः, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस स्थिति का पुनरीक्षण करें। कर निर्धारण उसी राज्य में किया जाना चाहिए, जहां कारखाने स्थापित हैं तथा कर निर्धारण उस राज्य में नहीं किया जाना चाहिए जहां उनके मुख्यालय हैं। विभिन्न करों के माध्यम से प्राप्त राजस्व उसी राज्य को प्राप्त होना चाहिए। सही न्याय यही है कि जिस राज्य की जनता को परेशानी उठानी पड़ती है; उसी को उसका लाभ मिलना चाहिए। इसके अलावा, जिस स्थान पर कारखाना स्थापित है; उस स्थान पर कर निर्धारण करने में हेरा-फेरी की गुंजाइश कम रहती है। इसलिये, महोदय मेरा विनम्र अनुरोध है कि कर निर्धारण उसी स्थान पर किया जाये जहां कारखाना स्थापित है तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कर की राशि भी केवल उन्हीं राज्यों को प्राप्त हो।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे निर्वाचन क्षेत्र की भी यही समस्या है। कारखाने किसी स्थान में हैं और उनके मुख्यालय किसी और नगर में हैं। राजस्व उसी स्थान को प्राप्त होता है जहां मुख्यालय होते हैं। यह एक समस्या है।

श्री श्रीहरि राव : पूरे देश में यही स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को अपना अनुभव बता रहा हूं। मेरे विचार से इस समस्या के बारे में उन्हें भी भली-भांति विदित है।

श्री श्रीहरि राव : इसलिए महोदय मेरा अनुरोध है कि कर निर्धारण उस स्थान पर होना चाहिये, जहां कारखाना स्थापित है। करों का अंश भी केवल उसी राज्य को ही जाना चाहिए। यह अंश उस राज्य को कदापि नहीं जाना चाहिए जहां तथाकथित मुख्यालय स्थापित हैं। उचित तो यही है कि जिन लोगों को पानी और हवा जैसे प्रदूषण को सहन करना पड़ता है; उन्हें लाभ भी प्राप्त हो।

मैं बार-बार यह अनुरोध इसलिए कर रहा हूं ताकि मंत्री महोदय इस असंगति को दूर करने के लिए कदम उठायें।

महोदय, केन्द्र उत्पाद शुल्क जमा राशि में से जो हिस्सा राज्यों को इस समय दिया जाता है, उसका अनुपात अवश्य ही बढ़ा दिया जाना चाहिए। सरकार को पुराने अनुपात पर ही नहीं जमे रहना चाहिये। अब राज्यों के पास अनेक वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इसीलिये उन्हें केन्द्र से अधिक धन लेने की आवश्यकता पडती है। अपनी कठिन आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें बहुत परेशानी उठानी पडती है। जबकि केन्द्र मख्य शरीर है; तो राज्य टांगों के समान है। यदि टांगें कमजोर होंगी तो वे पूरे शरीर का बोझ सहन नहीं कर सकेंगे। इसलिये, उनका मजबूत होना आवश्यक है। इसीलिये राज्यों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होनी चाहिये। इसलिये राज्यों की आर्थिक स्थिति भी शक्तिशाली बनानी चाहिये जिस के लिये, माननीय वित्त मंत्री से मेरा अनरोध है कि उत्पाद शुल्क की सूची में से कुछ मद हटा दिये जायें और उन्हें राज्य करों की सूची में शामिल कर दिया जाये। इस प्रकार राज्यों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में केन्द्र उनकी सहायता कर सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिये। सरकारिया आयोग की बात उठाने की उन्हें आवश्यकता ही क्या है ?

श्री श्रीहरि राव : इसलिये कुछ मदों को उत्पाद शुल्क के दायरे से निकालकर बिक्री करके दायरे में लाना होगा।

महोदय, यदि हम कर निर्धारण की असमानता को समाप्त करना चाहते हैं; तो एक ही प्रकार की वस्तुओं के लिए एक ही प्रकार का मापदण्ड होना चाहिये। एकरूपता और संगत संहिताकरण से मुकदमेंबाजी में कमी आयेगी। यह भी आवश्यक है कि वर्गीकरण और उसके अन्तर्गत उल्लिखित मदें बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिये। ऐसा करने से मुकदमेबाजी की गुंजायश नहीं रहेगी। प्रबन्ध पूर्णतया प्रामाणिक होना चाहिये। ऐसी कोई गुंजायश नहीं रह चाहिये कि मामले को न्यायालय तक ले जाना पड़े। इसलिये इस विधेयक का अध्ययन और अधिक गंभीरतापूर्वक किया जाये और इसे पूर्णतया प्रामाणिक बनाने के लिये अपेक्षित संशोधन किये जायें। इस समय मुकदमेंबाजी के कारण एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खटाई में पड़ी हुई है। इतना ही नहीं; यदि पूर्णतः प्रामाणिक प्रबंध किया जाये तो यह राशि तो एकत्र की जा सकती है, बल्कि भविष्य में सरकार की आय भी बढ़ सकती है।

एक बार पुन: इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरू भाई मेहता (अहमदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। बहुत समय से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि उत्पाद कर की दरें युक्तिसंगत बनाई जायें और यह कार्य इस विधि से पूरा किया जा सकता है। वास्तव में केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की प्रथम अनुसूची में विभिन्न मदों के सम्बन्ध में शुल्क-सूची में अनेक प्रकार की अस्पष्टताएं पाई गई थीं। इसके अलावा इस शुल्क-सूची में ऐसे अनेक मद हैं जो वर्षों से मुकदमेंबाजी के

[श्री हरूभाई मेहता]

कारण बने हुए थे और जिसके परिणामस्वरूप उनकी व्याख्या प्रतिपादित करने की कठिनाई अथवा अन्य कारणवश, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की बहुत सारी धनराशि न्यायालयों के निर्णयाधीन पड़ी है। केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 में प्राप्य वर्गीकरण में तथा सीमा शुल्क के मामले में लागू किये जाने वाले वर्गीकरण में विभिन्नता थी। कभी-कभी यह भी देखा गया है केन्द्रीय उत्पाद और नमक अधिनियम, 1944 की शुल्क-सूची का वर्गीकरण नामावली की मदों के अनुरूप नहीं है। इसलिये व्याख्या प्रतिपादित करते समय वर्तमान शुल्क-सूची पूरी तरह से उपयोगी नहीं सिद्ध हो पाती थी। इसलिये, इस विधेयक का स्वागत है। तथापि मुझे कुछ सुझाव देने हैं।

विस्तृत वर्गीकरणों के संबंध में यह कहा गया है कि अवशिष्ट शुल्क-सूची की मदों के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। निर्माताओं की चतुराई के कारण मैं इसके बारे में पूर्णतः संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि निर्माता कभी-कभी करों की चोरी करके लाभ कमाते हैं और भाड़े पर काम करने वाले वकीलों की बुद्धि उन्हें ऐसा करने के लिए सहायता प्रदान करेगी कि कुछ उत्पादों को, प्रस्तावित वर्तमान शुल्क सूची में विशिष्ट रूप से उल्लिखित किसी भी मद में शामिल न किया जा सके।

इसलिए सरकार अच्छी तरह से विचार कर सकती है कि क्या एक अवशिष्ट मद के लिए उपबन्ध करने की अभी आवश्यकता नहीं है ताकि यदि कोई उत्पाद व्याख्या करने पर विशिष्ट रूप से उल्लिखित मदों में शामिल नहीं पाया जाता है, तो कम से कम कोई अवशिष्ट मद हो सकती है ताकि सरकार उन उत्पादनों पर उत्पाद शुल्क प्राप्त कर सकें जो निर्माताओं तथा न्यायालय के अनुसार विशिष्ट रूप से उल्लिखित मदों में शामिल नहीं हैं। मस्तिष्क की पटुता असीमित है और प्रतिभा की पटुता के अतिरिक्त हमारे तकनीकी विस्तार से नये उत्पादों का निर्माण किया जा सकता है और यहां तक कि उत्पादों के स्रोत भी नए हो सकते हैं और हो सकता है कि टैरिफ नियमों को बनाते समय इसकी कल्पना न की गई हो। अतः सरकार अभी भी विचार कर सकती है कि क्या यह आवश्यक नहीं है कि अवशिष्ट मद को शामिल किया जाए ताकि कोई उत्पाद टैरिफ नियमों में उसके लिए उपबन्ध न होने के कारण शुल्क से मुक्त न रह जाए।

महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष शुल्क है और इसका भार वस्तुतः उपभोक्ताओं पर पड़ता है। हालांकि निर्माताओं के रवैये के कारण कुछ असंगतियां पैदा हो जाती हैं। वे खरीददारों से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वसूल करते हैं। उसके बाद वे प्रायः न्यायालयों में उस शुल्क को चुनौती देते हैं। न्यायालय इस पर विचार करते हैं और इसकी जांच करते हैं तथा यदि उन्हें पता चलता है कि निर्माता ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क था जो भुगतान सरकार को किया है वह वैध नहीं है या कानूनी रूप से मान्य नहीं है तो न्यायालय सरकार को निर्देश देता है कि वसूल किया गया शुल्क निर्माता को लौटा दिया जाए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 में तथा किसी अन्य अधिनियम में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है कि निर्माता द्वारा खरीददार से वसूल किया गया उत्पाद शुल्क जो सरकार को दिया गया है निर्माता का नहीं है और यदि बाद में न्यायालय द्वारा उसकी वसूली अवैध घोषित कर दी जाती है तो उसे निर्माता

को वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। क्या वह राशि मूल खरीदार को वापस नहीं लौटाई जानी चाहिए ? यह धनराशि खरीददार की है और उसने इसे निर्माता को दिया है। निर्माता न केवल अप्रत्यक्ष कर के रूप में उसे वसूल करता है। फिर भी, यदि न्यायालय निर्माता के पक्ष में निर्णय देता है तो इस अनुचित बात को रोकने के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 में कोई उपबन्ध नहीं है। निस्सन्देह सरकार न्यायालय में तर्क पेश करती है और कभी-कभी वह राशि निर्माता को न लौटाये जाने में सफल हो जाती है। गुजरात में कुछ मुकदमेबाजी थी। बड़ौदा में पश्चिम जर्मनी की संबंधित कम्पनी के लाइसेंस के अन्तर्गत न्यू इंडिया इंडस्ट्रीज नामक उत्पादन एकक है जो अग्फा कैमरा बनाती हैं। आग्फा कैमरा बेचा गया, खरीददार से शुल्क लिया गया और सरकार को इसका भुगतान किया गया। केन्द्रीय सरकार ने गुजरात उच्च न्यायालय में तर्क दिया कि निर्माता द्वारा जो राशि दी गई वह उसकी अपनी नहीं थी और उसे खरीददारों से वसूल किया गया था। करदाता ने संविदा अधिनियम की धारा 72 का सहारा लिया। संविदा अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि कोई धनराशि गलती से वसूल की जाती है तो उसे वापस लौटाया जाना चाहिए, उसे वापस किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की धारा 72 में वापस करने का प्रावधान है वापस करने का क्या अर्थ है ? इसका मतलब यह है कि यह धनराशि उस व्यक्ति को लौटाई जानी चाहिए जिसका इसके साथ मूलरूप से संबंध है। संविदा कानून पर प्रसिद्ध अंग्रेज विशेषज्ञ अंसन ने बताया है कि संविदा अधिनियम में वापस करने का मतलब है कि मूल स्वामी को वापस किया जाए। परन्तु संविदा अधिनियम की उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या की है कि यह धनराशि निर्माताओं को लौटाई जानी चाहिए थी। जब करदाता यह दिखाने में सफल हो जाए कि वसूल किया गया कर अवैध रूप से लगाया गया था तो वह धनराशि निर्माताओं को वापस लौटाई जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने यह व्याख्या 1959 में कन्हैया लाल के मामले में की थी। समय-समय पर इस मामले को उठाया जाता रहा है और 1975 में डी कवास जी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बताया कि यह एक विषमता है संयुक्त राज्य, यू०के० और आस्ट्रेलिया के विपरीत हमारे न्यायालयों की यह राय है कि कानून की गलती भी धनराशि लौटाने का अधिकार देती है। कानूनी गलती का क्या मतलब है ? मान लीजिए एक कर लगाया गया है और एक कम्पनी न्यायालय में मामला ले जाती है। उदाहरण के लिए 1972 में केलिको मिल्स ने गुजरात उच्च न्यायालय में मिश्रित धागे पर शुल्क की वैधता को चुनौती दी तथा न्यायालय ने उनके पक्ष में निर्णय दिया। इस तरह के मामले में न्यायालय के इस तरह के निर्णय के बाद सभी अन्य यूनिटें या कम्पनियां जो उसी चीज का उत्पादन कर रही हैं न्यायालय में जाती हैं और बताती हैं कि कानूनी गलती के कारण वे लगातार उत्पाद शुल्क देती रही हैं उदाहरण के लिए केलिको मिल्स के मामले में यह त्रुटि 1976 में पाई गई तथा अन्य कम्पनियों ने कहा कि वे भुगतान किए गए शुल्क को वापस लेने के हकदार हैं। उच्चतम न्यायालय ने डी कवास जी (1975) के मामले में निर्णय दिया कि यदि 100 वर्ष भी हो जाते हैं तो भी सरकार धनराशि लौटाने के लिए बाध्य है। कानून की त्रुटि का पता लगने के दिन से सीमा शुरू हो जाती है। निर्माता खरीददारों से सामान के मूल्य के साथ-साथ शुल्क भी वसूल करता है। खरीदार से शुल्क वसूल करने में कोई गलती नहीं है। उनके अपने कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। निर्माताओं द्वारा शुल्क वसूल करने में कोई गलती नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक शुल्क अदा कर रहा है। लेकिन जब एक कम्पनी न्यायालय में मामला जीत जाती है तो अन्य सभी कम्पनियां भी कानूनी त्रुटि के तर्क पर अपनी याचिकाएं दायर करती हैं

[श्री हरूभाई मेहता]

और धनराशि की वापसी का आदेश प्राप्त कर लेती हैं। बड़ोदा के आग्फा कैमरा के मामलों में सरकार ने तर्क दिया था कि कम्पनी को धनराशि लौटाई नहीं जानी चाहिए। उच्च न्यायालय ने निदेश दिया कि इस तरह के मामलों में सिविल न्यायालय धनराशि को वापस लौटाने के लिए डिक्री पारित करने के लिए बाध्य नहीं है और कि मामलों की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय राहत का आवश्यक रूप दे सकता है। इस तथ्य को देखते हुए उच्च न्यायालय ने निर्माताओं के पक्ष में आदेश देने से इंकार कर दिया।

दूसरा मामला भी गुजरात उच्च न्यायालय में उठा था। केलीको मिल्स ने 1972 में मिश्रित धागे पर शुल्क को चुनौती दी। उस समय टैरिफ प्रावधान अस्पष्ट था। सूती धागे की व्यवस्था तथा रेशमी धागे के बारे में प्रावधान था लेकिन मिश्रित धागे के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि ऐसे शुल्कों की व्याख्या के लिए भिन्न दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस प्रश्न को राष्ट्र के हित के संदर्भ में देखा जाना चाहिये। न्यायालयों को भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कर के रूप में दिया गया पैसा खरीददारों से आता है और सरकार उसे जनता के हित के लिए खर्च करती है। यदि सरकार केन्द्रीय उत्पाद या कोई अन्य शुल्क वसूल करती है तो उसे संसद की स्वीकृति से जनता के लिए खर्च किया जाता है। यदि वर्षों बाद शुल्क गैर कानूनी पाया जाता है और न्यायालय सरकार को निदेश देती है कि इसे वापस लौटाया जाना चाहिए तो क्या यह जनता के हित के विरुद्ध नहीं है? बद-किस्मती से अनेक न्यायालयों द्वारा इससे भिन्न निर्णय दिया गया है। केलीको के मामले में निर्णय के बाद विभिन्न मिलों द्वारा मिश्रित धागे के बारे में दायर किये गये मामले में भारत सरकार ने तर्क दिया कि निर्माताओं ने मिश्रित धागे पर शुल्क खरीददारों से वसूल किया था। उन्होंने इसे कर के रूप में सरकार को दिया। अब वसूली गैर-कानूनी पाई जाती है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि निर्माता उसे वापस लेने के हकदार हैं। संविदा अधिनियम की धारा 72 में वापस लौटाने का प्रावधान है। वापस लौटाने का अर्थ है। मूल स्वामी को वापस लौटाना। धनराशि निर्माताओं की जेब से प्राप्त नहीं की गई अपितु खरीददारों से प्राप्त की गई और सरकार को दी गई। इसलिए यदि उसको किसी व्यक्ति को लौटाना है तो उसका एक मात्र हकदार मूल खरीददार उपभोक्ता है, न कि निर्माता और उपभोक्ता। जहां तक गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार का सम्बन्ध है जैसाकि भारत सरकार ने भी कहा है कि गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा केलीको मिल्स के मामले में पहले दिये गये निर्णय को देखते हुए मिश्रित धागे पर शुल्क गैर-कानूनी है।

1.00 म० प०

उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध एक अपील पहले से ही लम्बित है। निस्संदेह यह एक अलग मामला है। सिविल न्यायालयों ने करोड़ों रुपये की राहत की मंजूरी दी है और निर्माताओं के पक्ष में डिक्री दी है। उच्च न्यायालय ने इन डिक्रियों को रद्द कर दिया है कहा है कि निर्माता को यह धनराशि वापिस नहीं की जानी चाहिए। हालांकि वसूली गैर कानूनी है। यह राशि न्यायालय के पास रहनी चाहिए और उपभोक्ताओं की भलाई के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, क्या आप अपना भाषण जारी रखना चाहते हैं ?

श्री हरूभाई मेहता : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं। अब हम मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होंगे और 2 बजे पुनः इकट्ठे होंगे

1.01 म० प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.06 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर छः मिनट पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मेहता, आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरूभाई मेहता : श्रीमन, मैं यह कह रहा था कि उत्पाद या सीमा-शुल्क जैसे अप्रत्यक्ष कर के मामले में उसकी वसूली गैर-कानूनी पाये जाने पर क्या कर के रूप में प्राप्त की गई राशि निर्माताओं को वापस लौटाई जाने चाहिये। मैं इस बात की वकालत कर रहा था कि उसे निर्माताओं को नहीं लौटाया जाना चाहिये क्योंकि धनराशि एकत्रित की गई है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि निर्माता संविदा अधिनियम की धारा 72 का सहारा ले रहे हैं। आस्ट्रेलिया, यू० के० और अमरीका में स्थिति यह है कि कानून की गलती के कारण प्राप्त की गई राशि वापस नहीं लौटाई जाती। लेकिन भारत में न्यायालयों ने भिन्न रुख अपनाया है। 1975 में उच्चतम न्यायालय ने संसद का ध्यान इस ओर दिलाया था। मैं 1975 के डी० कवास जी के मामले का उल्लेख कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने कहा था : —

> "कर का उद्देश्य सामान्य भलाई के लिए तुरन्त खर्च करना है और इसके पूर्ण या आंशिक रूप में खर्च किए जाने के बाद इसे पुनः लौटाने की मांग करना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कि उस कानून के जिसके अन्तर्गत यह कर वसूल किया गया है न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किये जाने के तीन वर्ष के अन्दर किसी भी समय मुकदमा या आवेदन पेश किया जा सके ..।"

इसलिए उच्चतम न्यायालय इसे अनुचित समझता है। लेकिन मौजूदा कानून के अन्तर्गत धारा

[श्री हरुभाई मेहता]

72 के अनुसार वह अपने को असहाय समझता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय ने पैरा 12 में कहा है :—

"राष्ट्र के हित की रक्षा के लिए विधान बनाने की जिम्मेदारी संसद और राज्य विधान मण्डलों की है। वर्तमान कानून के उपबंधों की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम इसका उल्लेख कर रहे हैं।"

अतः 1975 में उच्चतम न्यायालय ने संसद को इस बारे में सावधान किया था। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या इन दस वर्षों में सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या संविदा अधिनियम की धारा 72 या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन करने की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। अब गुजरात उच्च न्यायालय के दो निर्णयों ने सरकार के इस तर्क को स्वीकार करके सरकार के हाथ मजबूत कर लिए हैं कि यह धनराशि खरीददारों द्वारा दी जाती है और इसे निर्माताओं को वापस नहीं लौटाया जाना चाहिए। अतः केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक का अधिनियम 1944 तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के साथ-साथ संविदा अधिनियम की धारा 72 में संशोधन करने के लिए सरकार के रास्ते में क्या बाधा है जिससे यह व्यवस्था की जा सके कि अप्रत्यक्ष कर कभी भी निर्माताओं, कर दाताओं अथवा डीलरों को वापस नहीं किया जाएगा। मुझे इस बारे में यही कहना है। यह इसका एक पहलू है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : आप क्या प्रस्ताव करना चाहते हैं ?

श्री हरुभाई मेहता : इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार को धारा 72 में संशोधन करना चाहिए जिसमें ये शब्द शामिल किये जाने की व्यवस्था हो "कर की अदायगी के उद्देश्य के अन्यथा" एक बार धारा 72 में यह संशोधन कर दिया जाये तो धारा 72 के अन्तर्गत कर की राशि पुनः लौटाई नहीं जा सकेगी। धारा 72 में यह भी संशोधन किया जाना चाहिए कि केवल तथ्य की त्रुटि को माना जायेगा, कानून की गलती को नहीं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम तथा सीमा शुल्क अधिनियम में यह उपबंध किया जाना चाहिए कि किसी उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क की वसूल की गई राशि को न्यायालय द्वारा गैर-कानूनी करार दिये जाने के मामले में विशेषकर सामान्य तथा उपभोक्ता को लौटाया जायेगा या उसे एक न्यास में जमा किया जाएगा जिसका सरकार द्वारा उपभोक्ता के हित में उपयोग किया जायेगा, यह तीन स्थितियों में सहायता करेगा :— (1) सरकार को धनराशि देने या लौटाने की आवश्यकता नहीं होगी; (2) किसी मामले में उपभोक्ताओं को जिन्होंने कर अदा किया है लाभ पहुंचेगा। (3) इस मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। निर्माता उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क या बिक्री कर की देय राशि के विरुद्ध मुकदमेबाजी में दिलचस्पी रखते हैं यदि उन्हें वह धनराशि जिससे उनका कोई सम्बन्ध नहीं है वापस लेनी होती है।

यह अन्याय है। अतः हमें इसे भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

संसद ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में कई बार संशोधन किए हैं। न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। यह प्रावधान किया गया है कि अपीलीय समाहर्ता के आदेश से की गई अपील केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वर्ण नियन्त्रण तथा सीमा-शुल्क न्यायाधिकरण के पास की जाएगी। दुर्भाग्य से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम में, यथासंशोधित रूप में, ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिससे उच्च न्यायालय को याचिका पर विचार करने से रोका जा सके। अतः यद्यपि न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं फिर भी आज उच्च न्यायालय कई याचिकाओं पर विचार कर रहे हैं। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए लिखा था कि हमें उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को अलग रखने के लिए कुछ करना चाहिए। इसका उत्तर बड़ा अजीब था। इसका उत्तर था कि इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मुझे वित्त राज्य मन्त्री का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 323 ख की ओर दिलाना है जिसमें विशेष रूप से संसद को उस समय यह अधिकार देने का उपबन्ध है कि वह अनुच्छेद 56 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के ओर यहां तक कि अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार को अलग रखा जाये जबकि इनके लिए विशेष न्यायाधिकरण स्थापित किए गए हैं संविधान के अनुसार हम सबको और मुझे भी यह अधिकार है कि हम उस शक्ति का प्रयोग कर सकें, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग कर देना चाहिए, ताकि अनावश्यक रूप से होने वाली मुकदमेबाजी से बचा जा सके। प्रधान मन्त्री ने अक्तूबर में कहा था कि राजस्व की बहुत बड़ी राशि मुकदमेबाजी में फंसी पड़ी है। मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री महोदय इस बात के साक्षी हैं कि करीब 2000 करोड़ रुपये की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की राशि न्यायालयों में मुकदमेबाजी के कारण फंसी पड़ी है। आप अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अलग क्यों नहीं कर देते, जिसे करने का हमें अधिकार भी है।

कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनमें निर्माताओं की सहायता के लिए भी कुछ किया जाना चाहिए। कभी-कभी विभिन्न समाहर्ता कार्यालयों में टैरिफ मदों की अलग-अलग व्याख्या की जाती है। अदालतों में भी ऐसा होता है। अन्ततः प्रत्येक सांविधिक अधिकारी को चाहे वह सीमा-शुल्क समाहर्ता या उत्पाद-शुल्क समाहर्ता हो, अपना निर्णय स्वतंत्र रूप से देना होता है। अतः टैरिफ की किसी एक मद की गुजरात मे अलग ढंग से व्याख्या की जाती है और बम्बई में उसी की व्याख्या अलग ढंग से की जाती है। बम्बई का समाहर्ता कार्यालय इसकी व्याख्या निर्माता के पक्ष में कर सकता है जहां उस मद को कर मुक्त रखा जाता है या कम दर पर कर लगाया जाता है और गुजरात के समाहर्ता कार्यालय में उसी मद पर उच्च दर से शुल्क लगाकर अलग ढंग से व्याख्या की जाती है।

इससे स्थिति बड़ी विसंगतिपूर्ण हो जाती है। गुजरात के निर्माता को उच्च दर से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वहां उसकी व्याख्या इसी ढंग से की गई है जबकि बम्बई के निर्माता को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान कम दर से करना पड़ता है, यद्यपि कानून तो समान है लेकिन उसकी व्याख्या भिन्न-भिन्न की गई है। अतः इन परिस्थितियों में गुजरात में निर्माता को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वह प्रतियोगिता में पिछड़ रहा है। ऐसी स्थिति अधिक समय तक बनी नहीं रहने देनी चाहिए। इस तरह के कुछ प्रावधान बनाए जाने चाहिए कि जब कभी

[श्री हरुभाई मेहता]

विभिन्न समाहर्ता कार्यालयों में टैरिफ मदों की दो व्याख्याएं हों, वहां पर उसके बारे में मामले अपीलीय समाहर्ता और फिर न्यायाधिकरण के पास भेजने की बजाय सीधे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बोर्ड को या न्यायाधिकरण को भेज दिए जाने चाहिए। इससे इस सम्बन्ध में हुई व्याख्याओं सम्बन्धी विसंगति दूर हो जाएगी।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून में कुछ शक्तियों की व्यवस्था है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। हम इसे और शक्तिशाली क्यों नहीं बनाते? आखिर, कर का भुगतान करना राष्ट्र के प्रति हमारा कर्त्तव्य है और यदि कोई निर्माता रोक आदेश के कारण या अन्यथा कर का भुगतान समय पर नहीं करता, यदि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क का भुगतान वह विलम्ब से करता है तो उसे विशेष दर पर ब्याज देने के लिए कहा जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा आदेश जारी होने के बाद जिस समय वह उस शुल्क का भुगतान करता है उन्हें विशेष दर पर ब्याज देने के लिए कहा जाना चाहिए। अन्यथा वे निहित स्वार्थ से मुकदमेबाजी में विलम्ब करेंगे। आपके याचिका दायर करते ही आपको रोक आदेश मिल जाता है। 5 वर्षों के बाद उच्च न्यायालय यह घोषणा करता है कि कानून वैध है, और वसूली भी वैध है, इस समय भी राशि का भगतान बिना विशेष ब्याज दर पर किया जाता है और उस अवधि के दौरान वह क्रेता से प्राप्त कर की राशि अपने व्यापार में लगा चुका होता है।

अत: जो निर्माता या कर दाता किसी भी कारण से उत्पाद शुल्क के भुगतान में देरी करता है, उससे विशेष दर से ब्याज लिया जाना चाहिए। और हमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक कर कानून को और प्रभावशाली बनाना चाहिए। हमें इसके लिए दिए जाने वाले दंड को और कड़ा बनाना होगा। वास्तव में सभी आर्थिक अपराधों को गैर-जमानती अपराध बनाया जाना चाहिए और इसके लिए उपबन्ध किया जाना चाहिए।

काफी दिनों पहले सरकार ने केंद्रीय राजस्व आसूचना निदेशक ने अनेक प्रसिद्ध, नामी कम्पनियों पर छापे मारने में सफलता प्राप्त की। 'फेरा' और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम का बड़े पैमाने पर किए गए उल्लंघन का पता लगाया गया। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। उसी दिन उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। जनता पर इसका प्रभाव पड़ा? जो राष्ट्र समाजवाद का हिमायती है, वहां के लोग जो प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अपराध करते हैं जिसमें काफी बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा विनियमों और कर-कानूनों का उल्लंघन हुआ है और न्यायालय से उन्हें उसी दिन छोड़ दिया जाता है, तो इससे जनता की नजर में हमारे आर्थिक कानूनों के संबंध में कैसा प्रभाव पड़ेगा? दुर्भाग्य से, प्रेस के एक वर्ग ने भी सरकार को समर्थन नहीं दिया। कुछ राजनैतिक कार्यकर्ताओं ने भी कुछ कम्पनियों का समर्थन करने की कोशिश की। यदि किसी कम्पनी विशेष (किर्लोस्कर) का अध्यक्ष जनता पार्टी** के बड़े नेता का निकट संबंधी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके साथ विशेष तरह से बर्ताव क्यों किया जाए? कुछ राजनैतिक नेता मारे गए छापों और सम्बन्धित अपराधियों के साथ किए गए तथाकथित व्यवहार के बारे में वक्तव्य दे सकते हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अन्तत: उत्पाद शुल्क विभाग को अपना कार्य तो करना ही है। उन्हें राजस्व एकत्र करना पड़ता है। क्योंकि उसका प्रभाव अधिक है या वह जनता पार्टी के किसी बड़े नेता का संबंधी है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वे उसे बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकते।

मैं इस अवसर पर सरकार तथा विशेष रूप से राजस्व और आसूचना निदेशालय को बधाई देता हूं कि उन्होंने 'फेरा' और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आदि महत्वपूर्ण विधानों के उल्लंघन किये जाने के मामलों का पता लगाया है। और हम जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रेस और जनता की भावनाओं को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि अपराधों के पता लगाने के प्रयत्नों को बढ़ावा मिले। वे केवल कानूनों का प्रभाव कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। और वे उनके द्वारा किए गए प्रयासों की आलोचना कर रहे हैं। कुछ उच्चाधिकारी भी सरकार के सम्बन्धित विभाग की कीमत पर इन छापों के संदर्भ में व्यंग्य कस रहे हैं। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि कुछ लोग और प्रेस का एक वर्ग सरकार को कानून लागू कर राजस्व एकत्र करने से रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सरकार उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वसूली करने वाले तन्त्र को और सुदृढ़ बनाएगी।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : हमें बताया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक इस सम्बन्ध में गठित अध्ययन दल की सिफारिशों के आधार पर पुरःस्थापित किया गया है। इस दल ने यह सिफारिश की थी कि समन्वित वस्तु विवरण और संकेत पद्धति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन से प्राप्त वर्गीकरण की पद्धति पर मोटे तौर पर आधारित विस्तृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ को अपनाया जाए।

यदि इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष करों को और युक्तिसंगत बनाना तथा एकाधिकार गृहों, बड़ी कंपनियों, बड़े निर्माताओं से अधिक कर वसूल करना है, तो यह ठीक है। किंतु यदि सभी आवश्यक वस्तुओं पर मूल उत्पाद शुल्क पर 15 प्रतिशत दर से इन अतिरिक्त शुल्कों से आवश्यक वस्तुओं, जिनका लोग रोज प्रयोग करते हैं, के मूल्य बढ़ जाएंगे तब हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, क्योंकि लोग पहले ही से और अतिरिक्त कर देने की हालत में नहीं हैं। अत: यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि क्या प्रत्यक्ष कराधान के अन्तर्गत यह उत्पाद शुल्क बड़ी कम्पनियों, बड़े निर्माताओं या एकाधिकार गृहों पर लगाया जायेगा अथवा इसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा जो कि पहले ही से कठिनाइयों का सामना कर रहा है।

मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बड़े निर्माताओं, उत्पादकों और बड़े घरानों से करों की वसूली कर पाएगी क्योंकि कर अपवंचन के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है और आज भी हमारे देश में काला धन अभी भी तबाही मचा रहा है।

यह कहा गया है कि कुछ मदों पर इस समय बिक्री कर के बदले में अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकारों को आवंटन किए जाने और बिक्री कर के एक अंश उन्हें दिए जाने

[श्री आनन्द पाठक]

का उपबन्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मामले में भी ऐसा कोई उपबन्ध है। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकारों को उत्पाद शुल्क और बिक्री कर की वसूली में से अधिक राशि का आवंटन किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सेन्ट्रल एक्साइज टैरिफ बिल, 1985 तथा अन्य बिलों का मैं स्वागत करता हूं। ये जो बिल लाये गये हैं इसलिए लाये गये हैं कि जितने भी आइटम सेन्ट्रल एक्साइज में ऐसे थे जिनका कोडिफिकेशन नहीं हुआ था उन पर एक्साइज का रेट फिक्स नहीं था उनको इस बिल के द्वारा फिक्स किया गया है। हम आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं और जैसा स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स में भी दिया है :—

[अनुवाद]

> "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 में मूल रूप से केवल 11 मदों का उपबंध किया गया था। तब से मदों की संख्या बढ़कर 137 हो गई है। प्रारम्भ में शुल्क कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर ही था। 1975 में अवशिष्ट मद 68 को जोड़ने पर यह व्यापक हो गया।"

[हिन्दी]

इस तरीके से इस बिल के द्वारा, जितने आइटम्स इस हेड में आये हैं उनसे निश्चित तरीके से सरकार को बहुत लाभ मिलेगा। हमने पिछले पांच सालों में सेंट्रल एक्साइज और कस्टम डिपार्टमेंट को कई दफा एग्जामिन किया है और यह देखा है कि जिस तरीके से असेस्मेंट किए जाते हैं और डिफरेन्ट कलेक्टोरेट्स में जो तरीके अपनाए जाते हैं, मिली भगत की वजह से असेस्मेन्ट कम कर दिए जाते हैं और इंटर्नल आडिट में जब यह ध्यान में आता है तो कहा जाता है कि डिपार्टमेंट देखे कि किस अधिकारी ने असेस्मेन्ट कर दिया है, उससे पैसे की वसूली की जानी चाहिए। इस तरीके से करोड़ों रुपयों का नुकसान सरकार को एसेसिंग आथेरिटीज प्रति वर्ष देती आई है। अब आपने जो अलग-अलग आइटम्स पर अलग-अलग एक्साइज ड्यूटी निर्धारित कर दी है, उस प्रकार का इन्टरप्रिटेशन करने का अधिकार नहीं मिलेगा और उसकी वजह से सरकार की आमदनी में जो फर्क आता था और उसमें कमी आती थी, उसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा और एक समान तरीके से सभी कलक्ट्रेट्स इस एक्साइज ड्यूटी को वसूल करेंगी। इसलिए इस बिल के जरिए से एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है, जिससे उसकी आमदनी का बहुत बड़ा लाभ उसको मिलेगा।

दूसरा निवेदन यह है कि सैकेण्ड पैराग्राफ में इन्होंने इन्टरनैशनल ला के आधार पर कोडिफिकेशन किया है। इसमें इन्होंने कहा है :—

[अनुवाद]

"...समन्वित वस्तु वर्णन और संकेत पद्धति (समन्वित पद्धति) अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन से प्राप्त वर्गीकरण की पद्धति पर आधारित है। इसमें ऐसे संक्षेपण और उपान्तर किए गए हैं जिन्हें करना केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उद्ग्रहण के अन्तर्गत लाने के लिए आवश्यक है। इस ग्रुप ने यह भी सुझाव दिया है कि नये टैरिफ के लिए एक पृथक अधिनियम द्वारा उपबंध किया जाना चाहिए जिसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम कहा जाए।"

[हिन्दी]

इस तरीके से दुनिया के तमाम मुल्क जो एक्साइज ड्यूटी अलग-अलग तरह से लगाते थे, कहीं कम लगाते थे और कहीं ज्यादा लगाते थे, उन सारी चीजों को स्टडी करने के बाद जो ग्रुप ने सुझाव दिये हैं, उनको स्टडी करके जो प्रस्ताव सरकार ने किया है, उसका भी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा।

[अनुवाद]

"अध्ययन दल द्वारा जिस टैरिफ का सुझाव दिया गया है वह अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत नाम पद्धति पर आधारित है, इसकी रचना करने में तकनीकी और विधिक—सभी बातों पर विचार किया गया है।"

[हिन्दी]

ये सारे एक्सपेक्ट्स हैं, जिन पर इस बिल के जरिये ध्यान रखा गया है। अब तक इन चीजों का ध्यान न रखने की वजह से सरकार को बहुत नुकसान होता था। बड़े-बड़े मैन्यूफैक्चरर्स कोर्ट्स में चले जाते थे और कोर्ट्स में जाने के कारण सरकार की आमदनी रुक जाती थी। कई वर्षों तक मामले कोर्ट्स में चलते थे और फैसले देरी से होने के कारण आमदनी में बहुत बड़ा फर्क पड़ता था। इन सारी चीजों को देखकर आपने कानून बनाया है। इससे एक तो डिस्प्यूट्स कम एराइज होंगे और अगर एराइज होंगे, तो उनका फैसला जल्दी होगा। इससे सरकार की आमदनी तुरन्त होगी और सरकार की आमदनी भी काफी बढ़ जायेगी। जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने कहा है कि 2 हजार करोड़ रुपये के आस-पास सरकार का पैसा इस मुकदमेबाजी में फंसा हुआ है। कई-कई वर्षों का पैसा बकाया है और मुकदमों का फैसला नहीं होता है। एक बात और यह कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने कहा था कि इस प्रकार के मुकदमों में जो आपकी तरफ से वकील मुकर्रर किये जाते हैं, वे घटिया होते हैं, जिसकी वजह से वे अच्छी तरह से मुकदमों की पैरवी नहीं कर पाते हैं। जो लिस्ट बनी हुई होती है, उसी में से एडवोकेट्स मुकर्रर करते हैं जबकि पूंजीपति बेहतरीन वकील मुकर्रर करते हैं, जोकि अच्छी पैरवी करते हैं। आपके डिपार्टमेंट की तरफ से घटिया और सबसे कम फीस लेने वाले वकील मुकर्रर होते हैं और क्योंकि आप थोड़ा पैसा देते हैं, इसलिए वे मुकदमों की पैरवी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए इस बात का ख्याल

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

रखना चाहिए कि आपके डिपार्टमेंट की तरफ से जो लाइयर्स का पैनेल बनता है, वह इस प्रकार का बनना चाहिए कि सरकार की आमदनी घटने से रुक सके और वे मुकदमों की प्रोपर पैरवी कर सकें और सरकार के पक्ष में फैसला करा सकें। जब तक आप अच्छे कैलीबर के लोग पैनेल में मुकर्रर नहीं करेंगे, तब तक सरकार की आमदनी बराबर घटती रहेगी। इस वास्ते इस चीज को देखने की बड़ी आवश्यकता है।

एक प्रावधान आपने इसमें यह किया है :—

[अनुवाद]

"सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के बीच पर्याप्त समानता हो जायेगी। इससे उत्पाद शुल्क के समरूप आयात पर अतिरिक्त सीमा शुल्क प्रभारित करना सुकर होगा।"

[हिन्दी]

अगर किसी चीज पर आप एक्साइज ड्यूटी ज्यादा लगाते हैं और उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी कम है तो जो चीजें इम्पोर्ट की जाएंगी वे सस्ती बिकेंगी और उसी चीज को यहां मैन्युफेक्चर करने पर एक्साइज ड्यूटी ज्यादा होने से वह महंगी होगी और उसे कम लोग खरीदेंगे। इसी चीज को देखते हुए आपने जो प्रावधान किया है कि एक्साइज ड्यूटी उसी तरह से ली जायेगी जिससे कि यहां के मैन्यु-फेक्चरर को भी किसी प्रकार का नुकसान न हो और वह इम्पोर्ट की हुई चीज से सस्ती भी हो। यह आपने यहां की इंडस्ट्रीज को बचाने का एक बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत काफी लोगों को मदद मिलेगी।

इसी तरह से आपने एक प्रावधान और रखा है कि जहां कहीं भी सैन्ट्रल एक्साइज में कमी नजर आयेगी और आपको लगेगा कि फलां चीज पर कम ड्यूटी लगी है तो आप जो रिज्युडरी पावर्स अपने पास रखी है उसके तहत आप समय-समय पर ऐसी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकते हैं। इस पावर के तहत सरकार कभी भी कदम उठा सकती है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा सकती है। यह भी आपका एक बड़ा प्रशंसनीय कदम है। इससे सरकार को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

इस बिल में इस कानून को जो एकरूपता प्रदान करने का प्रयास किया गया है वह भी बड़ा प्रशंसनीय है। इससे आपके कस्टम्स टैरिफ बढ़ेंगे और लीगल कम्पलीकेशंस में भी कटौती होगी। कानून की आड़ लेकर जो बड़े-बड़े मैन्युफेक्चरर आपको पैसा नहीं देना चाहते हैं उसमें उनके सामने रुकावट आयेगी। इससे एक सुन्दर व्यवस्था पनपेगी। यह भी आपका बहुत प्रशंसनीय कदम है।

मैं आपको खास तौर पर असेसमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। असेसमेंट एक ऐसी चीज है जिससे एक्साइज में ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। अलग-अलग स्टेट्स में आपने असिस्टेंट कलैक्टर

और इन्सपैक्टर रखे हुए हैं जिनका अलग-अलग इंडस्ट्रीज से ताल्लुक रहता है। आपके डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं वे सब एक जगह ही जमे हुए हैं और उनके एक ही जगह जमे होने से उनका उन खास इंडस्ट्रीज से काफी सम्पर्क हो जाता है और इसकी वजह से इंडस्ट्रीज को काफी लाभ होता है। इससे गवर्नमेंट को काफी नुकसान होता है।

यह ठीक है कि अभी आपने छापे मारे हैं और किर्लोस्कर जैसी कम्पनी पर छापे मार कर करोड़ों रुपये की चोरी का पता लगाया है और आपने उनके खिलाफ कार्यवाही भी की है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारा कानून कितना लचीला है कि एक बहुत बड़ा ओफेण्डर भी जमानत पर छूट गया जिसको कि निश्चित रूप से पनिशमेंट मिलना चाहिए। यही नहीं एक बहुत बड़े पार्टनर ने तो घर बैठे ही मुचलके ले लिए, जमानत के लिए कचेहरी तक नहीं गया। जिस आदमी का और उसके पैसे का कानून पर इतना बड़ा प्रभाव पड़े उसके खिलाफ कानून भी कुछ नहीं कर सकेगा। करोड़पति पर अगर कानून ही ठीक तरह से लागू न हो तो फिर ऐसे आदमी से आप कानूनन कैसे रुपया वसूल कर सकेंगे। हमारे कानून में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि उसके सामने अपराध करने पर अमीर से अमीर आदमी भी सिर न उठा सके। गरीबों की तो दो-दो साल तक जमानत नहीं होती और जो करोड़पति बन गया, उसकी उसी रोज जमानत हो गई। इस कम्पनी के सबसे बड़े मालिक ने तो घर बैठे ही मुचलके ले लिए, जमानत की भी कोई जरूरत नहीं रही। इस तरह का लचीला कानून हमारी व्यवस्थाओं में काफी गड़बड़ी करता है। इस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है।

आपने जो पनिशमेंट के सम्बन्ध में प्रावधान किये हैं उन्हें और भी सख्त बनाइये ताकि जो इस प्रकार के इकोनोमिक ओफेंडर्स हैं, जो कि सरकार को करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान पहुंचाते हैं उनके खिलाफ सख्त कदम उठाये जा सकें। इससे भविष्य में गलत काम करने वालों पर रोक लगेगी।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो इकोनोमिक ओफेण्डर्स आपने अपने देश में पकड़े हैं उनमें से बहुतों ने विदेशों में भी बहुत-सी कंपनियां खोल रखी हैं। वे यहां से वहां पैसे को पहुंचाते हैं और उस पैसे के जरिए से नई-नई कम्पनियां खरीदकर हमारी सरकार को कस्टम्स और एक्साइज का नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके सम्बन्ध में आपको ध्यान देना चाहिए। एक किर्लोस्कर का मामला आपके सामने आया, लेकिन इसके अलावा और भी कई कम्पनियां हैं जो विदेशों में अपना व्यापार करती हैं और अपना सारा पैसा विदेशों में डायवर्ट कर देती है, वहां असेट्स खरीद लेती हैं, कम्पनियां खरीद लेती हैं, पैसा यहां से जाता है और वहां पर शेयर्स खरीदे जाते हैं और वहां पर उसका ज्यादा लाभ उठाया जाता है। इस तरह की व्यवस्था चलाई जाती है, उन लोगों के खिलाफ हमारी सरकार जब तक सख्त कदम नहीं उठाएगी तब तक इस प्रकार के लोग निश्चित तरीके से पनपते रहेंगे। अभी जैसा हमारे कम्युनिस्ट भाई कह रहे थे कि हमारे देश में 18-20 पैसे वाले लोग हैं जिनका पैसा बराबर बढ़ता जा रहा है और इसलिए बढ़ता जा रहा है कि हमारी सरकारी मशीनरी उन लोगों के खिलाफ इस प्रकार की सख्त कार्रवाई नहीं करती जिसकी वजह से उनको डेटरेंट पनिशमेंट नहीं मिलता उनका लिहाज करती है, उनके पैसे का असर रहता है, सारी चीजों का असर रहता है, इसीलिए

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

आज तक उनके खिलाफ माकूल व्यवस्था नहीं की गई। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर कोई माकूल व्यवस्था करना चाहते हैं, पूरा टैक्स लेना चाहते हैं पूरी एक्साइज और कस्टम ड्यूटी लेना चाहते हैं तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जिनकी मिलीभगत इन सारे बड़े-बड़े पूंजीपतियों से रहती है, उनके खिलाफ सख्त कारंवाई करनी होगी। इन लोगों को योग्य और ईमानदार होना चाहिये। जहां भी आप योग्य और ईमानदार लोग रखते हैं वहां पर वे बड़े लोगों को खुश नहीं रखते, चापलूसी नहीं करते और उनसे सब नाराज रहते हैं। ऐसे लोगों को ऐसी जगह ले जाकर डाल देते हैं जिसकी वजह से इनको तकलीफ होती है। जो लोग चापलूसी करते हैं, बड़े आदमियों को फायदा पहुंचाते हैं तो ऐसे लोगों को अच्छी पोस्ट दे दी जाती हैं। ये लोग खुद भी करोड़पति बनते हैं और करोड़पतियों को फायदा भी पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित तरीके से ध्यान रखने की आवश्यकता है। इन बड़े-बड़े पूंजीपतियों के खिलाफ कार्यवाही तो करिए ही मगर बीच में हमारे जो अधिकारी लोग बैठे हैं, उनके खिलाफ भी पूरे तरीके से सख्त कार्यवाही करें ताकि ये लोग नाजायज फायदा न उठा सकें और न ही नाजायज फायदा पहुंचाएं। ये लोग अपने को मालदार न बनाएं और देश को फायदा पहुंचाएं, इस प्रकार की व्यवस्था की नितांत आवश्यकता है। इसलिए मैं बराबर इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित कराता रहा हूं कि जहां पर करप्शन है, इसको मिटाने के लिए जब तक भरसक प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक देश उन्नति नहीं कर सकता। केवल भाषणों से काम नहीं चलता, कहने से काम नहीं चलता, उनके खिलाफ कार्यवाही करने से काम चलता है। जो इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उन लोगों को आप छोड़िये नहीं और निश्चित तरीके से सख्त कार्यवाही कीजिये। जो बड़े-बड़े स्थान हैं, बम्बई, अहमदाबाद, जहां पर एक्साइज ज्यादा मिलती है और जहां पर कस्टम ज्यादा मिलता है, ऐसी जगहों पर चुने हुए योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को लाएं, जिससे देश की आमदनी को चार चांद लग सकें, देश की आमदनी निरन्तर बढ़ती जाए और आर्थिक कार्यक्रमों को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। इस व्यवस्था को माकूल तरीके से लागू करने से ही हमारे देश के प्रधानमन्त्री जी की जो भावना है, करप्शन मिटाने की और देश की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाने की, गरीब लोगों को आर्थिक उन्नति की, वो तभी पूरी होंगी जब इस तरह के लोगों को सजा दी जाएगी। इन लोगों पर अंकुश लगाने से सारी व्यवस्था माकूल तरीके से चल सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री आर० अण्णानम्बी* (पोल्लाची): उपाध्यक्ष महोदय, अपने दल ए०आई०ए०डी० एम०के० की ओर से मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक, 1985, सीमा-शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1985 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ विधेयक, 1985, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) (संशोधन) विधेयक, 1985, और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

का माल) संशोधन विधेयक, 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस अवसर पर मैं कुछ शब्द भी कहना चाहूंगा।

हमारे माननीय वित्त राज्य मन्त्री मेरे इस तर्क से इन्कार नहीं कर सकते कि देश में काले धन का मुख्य स्रोत उत्पाद-शुल्क का अपवन्चन करना है। पिछले तीन चार दिनों से समाचार पत्रों में एम० आर० टी० पी० कम्पनियों पर उत्पाद-शुल्क अपवंचन करने के बारे में छापे मारे जाने की खबरें पढ़ी हैं। किर्लोस्कर कम्पनियों ने सैकड़ों करोड़ रु० के उत्पाद-शुल्क का अपवंचन किया है दिल्ली में मै० फेडर लायड्स ने 23 करोड़ रु० के उत्पाद-शुल्क की चोरी की है इसी प्रकार बम्बई के कई प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं ने सरकार से उत्पाद-शुल्क की करोड़ों रु० की चोरी करके धोखा धड़ी की है। श्रीमान यहां यह कहना उचित होगा कि फैक्ट्री-द्वार से सामान के निकलने पर ही उत्पाद-शुल्क लगाया जाए। जब तक आबकारी निरीक्षकों से सांठ-गांठ न हो, इस प्रकार की बड़े पैमाने पर उत्पाद शुल्क की चोरी नहीं हो सकती। मैं इस अवसर पर सुझाव देना चाहता हूं कि आबकारी-निरीक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को भी उतनी ही बड़ी सजा दी जानी चाहिए, जोकि उत्पाद-शुल्क की चोरी करने वाले निर्माताओं को दी जाती है। तभी सरकार उत्पाद-शुल्क राजस्व की इस राशि को वसूल कर पायेगी।

श्रीमन्, पिछले वर्ष के केन्द्रीय बजट के पश्चात सरकार ने कई मदों पर उत्पाद-शुल्क में छूट दी है। लेकिन निर्माताओं ने अपने माल के मूल्यों में कमी करके इस लाभ को उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया है। इसके विपरीत उन्होंने अपने माल के मूल्यों में वृद्धि की है, उदाहरण के तौर पर, हालांकि सरकार ने रबड़ पर उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क में कमी की है, लेकिन टायर निर्माताओं ने टायरों के मूल्य में कमी नहीं की है। इसके विपरीत उन्होंने इस दौरान टायरों के मूल्य में तीन या चार दफा वृद्धि की है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में टायरों के मूल्यों में भारी कमी हुई है। अगर हम टायरों क आयात करें, तो आयातित टायरों के दाम देशी टायरों की तुलना में 50% कम होंगे। कभी-कभी मैं भारत सरकार के सोचने की प्रक्रिया को समझ नहीं पाता हूं। सरकार आयात के लिए इतना अधिक प्रोत्साहन देती है कि निर्माता उनका अनुचित लाभ उठाने लगता है। उदाहरण के तौर पर "ओ० जी० एल०" के अन्तर्गत सरकार कृत्रिम और प्राकृतिक रबड़ के आयात की अनुमति देती है। टायर निर्माता इन दोनों वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम मूल्यों में आयात कर देश में भण्डारण कर लेते हैं। लेकिन वे टायरों के मूल्यों को कम करने के लिए राजी नहीं होते। वास्तव में वे उत्पाद शुल्क की चोरी करते हैं और टायरों के मूल्यों में वृद्धि करने से भी नहीं चूकते। पिछले-वर्ष उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि निर्माण के पश्चात खर्चों और उत्पाद-शुल्क में कोई सम्बन्ध नहीं है। टायर निर्माताओं को सरकार को 800 करोड़ रु० का बकाया देना है मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उनसे 800 करोड़ रुपये की इस राशि की वसूली के लिए कौन से कदम उठाए हैं।

मैं इस संबंध में यहां एक या दो संगत मामलों का जिक्र करना चाहता हूं सरकार को सही दर से सीमा शुल्क न अदा करने के लिए आयातकों और निर्यातकों ने कई गलत ढंग अपनाए है। वे लदान पत्र में कम मूल्य दर्शाकर कम उत्पाद-शुल्क अदा करते हैं। आयात करके वे इन्हें उच्च मूल्यों पर बेचते हैं। सीमा-शुल्क अधिकारियों को इन आयात की जाने वाली वस्तुओं के मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भाव का ज्ञान नहीं होता है। अतः वे इन गलत बिलों को पास कर देते हैं। मैं सुझाव देना

[श्री आर० अण्णानम्बी]

चाहता हूं कि सीमा शुल्क अधिकारियों को आयात की जाने वाली वस्तुओं की मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की जानकारी भी प्रदान की जानी चाहिए। केवल तभी सीमा शुल्क की चोरी रोकी जा सकती है।

श्रीमन्, जब हम विदेशों के दौरे पर जाते हैं तो मात्र 2,500 रु० का ही छूट दी जाती है, इसके बाद माल के मूल्य के अनुसार सीमा-शुल्क लगाया जाता है। क्योंकि यह मामूली रकम है, अतः विदेशी सामान लाने के लिए हमें कई गलत कार्य करने पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि इस दर को 2,500 रु० से बढ़ाकर 5,000 रु० कर दिया जाना चाहिए, ताकि हम अवैध ढंग न अपनाएं।

न्यायालयों में इन मामलों के लंबित होने की वजह से सरकार 2000 करोड़ रु० के उत्पाद शुल्क की वसूली से वंचित है। इस भारी राशि का उपयोग निर्माता कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार उत्पाद-शुल्क के मामलों को न्यायालय में भेजे जाने पर रोक लगाने से सम्बन्धित विधान बनायें।

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में उत्पाद-शुल्क की चोरी और इसमें सम्बन्धित अधिकारियों की मिली-भगत के उदाहरण दिए हैं। इस सभा की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की जांच कर अधिकारियों की मिली भगत को रोकने के लिए भारत सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव देती है। लेकिन सरकार इन सिफारिशों पर समुचित कार्यवाही नहीं करती है। सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू न कर पाने की वजह से विभाग द्वारा हाल ही में मारे गए छापों में काफी मात्रा में उत्पाद-शुल्क अपवंचन का पता चला है। रातों-रात तो ऐसा नहीं हो गया, नई वर्षों से ऐसा हो रहा है, मैं चाहता हूं कि सरकार लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शीघ्र कार्यवाही करे ताकि ऐसी बातें न हो सकें।

अन्त में, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उत्पाद शुल्क विभाग के कर्मचारियों को बेहतर वेतन और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने चाहिए, ताकि वे उत्पाद शुल्क की चोरी करने वालों के भारी दबाव के आगे न झुक सकें इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिल से अंग्रेजी में अनुवाद बहुत अच्छा है।

श्री जी० एस० बसवराजु (टुमकुर) : श्रीमन्, यह वास्तव में अच्छा है।

श्री आर० अण्णानम्बी : इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं आपका आभारी हूं। इन उपबन्धों के सफल कार्यान्वयन से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी जिसका उपयोग लोगों की मुसीबतों को दूर करने के लिए किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, सीमा शुल्क संशोधन विधेयक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक (संशोधन) विधेयक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक (नियम 66 का निलम्बन) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क टैक्सटाइल और टैक्साइल वस्तु संशोधन विधेयक तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक तथा नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन से सम्बन्धित विधेयक, जो वित्त मन्त्री जी ने सदन के समक्ष विचार हेतु प्रस्तुत किए हैं, का मैं स्वागत और समर्थन करता हूं।

प्रत्यक्ष करों को युक्ति संगत बनाने और खासकर राजस्व में वृद्धि करने के लिए तथा आर्थिक कानूनों नियमों के सरलीकवण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। सैन्ट्रल एक्साइज से बचने के कई तरीके आज के उद्योगपतियों ने तलाश कर रखे हैं तथा कई नियमों की आड़ लेकर वे अदालतों में जाकर करोड़ों रुपये की एक्साइज का पैसा सरकारी खजाने में जमा कराने से रोक लेते हैं जिससे न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि सरकार को व्यर्थ की मुकदमेबाजी में फंसे रहना पड़ता है।

टैरिफ और नमक अधिनियम में आपस में भिन्नता थी। इस प्रकार की कई कमियों को दूर करने के लिए जो नया कानून लाया गया है, मैं उसका पुनः स्वागत करता हूं। कई कमियों का फायदा उठाकर लोग उत्पाद-करों की चोरी किया करते थे। अप्रत्यक्ष कर होने के कारण आम जनता को इन चोरियों का पता भी नहीं चलता था और मुकदमे-बाजी के कारण अरबों रुपए वसूल होने से रह जाते थे। इन संशोधनों से स्थिति में निश्चित रूप से सुधार आने की सम्भावना है।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ टैक्निकल स्टडी ग्रुप ने जो ब्रोड-बेसिस पर एक्जामिनेशन या जांच वगैरह की है तथा कुछ सुझाव दिए हैं, वे वाकई स्वागत-योग्य हैं और उनके सुझावों के अनुसरण में वित्त मन्त्री जी ने संशोधन इस सदन में प्रस्तुत किए हैं, यह बहुत उत्तम बात है। कई विसंगतियां जो वर्गीकरण के पहले थीं, इन संशोधनों से मिटाई जा रही हैं। वर्गीकरण की असमानता के कारण उत्पादकों को एवं अन्यों को भी काफी झमेले में पड़े रहना पड़ता था। इसलिए काफी समय से इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि एक ही वर्ग के माल को एक साथ वर्गीकृत किया जाए और इस बिल की लिस्ट को भी अधिक डिटेल्ड और काम्प्रीहैन्सिव बनाया जाए, जो कि इन संशोधनों के द्वारा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे कर के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन होने चाहिए और उसमें एकरूपता तथा समानता लाई जानी चाहिए। जहां माल का उत्पादन होता है, हमें उसी एक स्थान पर, माल के उत्पादन तथा बेचने की बाबत, पूरे टैक्स एकत्रित करने चाहिए। एक्साइज के साथ-साथ अन्य सभी प्रकार के कर उसी प्रोडक्शन के स्थान पर एकत्रित किए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, सेल्स टैक्स के मामले में आज पूरे देश में हलचल है। इस टैक्स को इकट्ठा करने की मशीनरी आज पूरे देश में भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। कर्मचारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपये की कर चोरी होती है। हर राज्य में सेल्स-टैक्स की दरें, रेट्स, अलग-अलग

[श्री शांति धारीवाल]

होने के कारण व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस कारण हर शहर में हर वस्तु की कीमत अलग-अलग हो जाती है, इससे उपभोक्ता भी परेशानी में है। खास तौर से छोटे-छोटे व्यापारियों को कई प्रकार के कागजात या रजिस्टर भरने पड़ते हैं, कई प्रकार की दूसरी फौरमैलिटीज निभानी पड़ती हैं तथा कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ-साथ उन्हें विभाग के कर्मचारियों की नाराजगी का भुगतान भी करना पड़ता है। इन सब कारणों से उपभोक्ताओं को आर्थिक व मानसिक चोट सहनी पड़ती है। हमने सेल्स-टैक्स को स्टेट्स से हटाने की बाबत वायदा भी किया था और अब वह वक्त आ गया है जब कि सेल्स टैक्स को राज्यों से हटाया जाना मुनासिब होगा। अतः मैं इन सब संशोधनों का स्वागत करता हूं और वित्त मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि करों के ढांचे में समानता और एकरूपता लाने के लिए, सारे टैक्स प्रोडक्शन के स्थल पर ही एकत्रित करने की कोशिश और व्यवस्था प्रारम्भ करें और सेल्स टेक्स को तमाम राज्यों से एबोलिश करने हेतु कोई नया कानून लायें। साथ ही आर्थिक अपराधों के लिए और कठोर नियम बनाये जाएं ताकि करों का असेसमैंट व वसूली में तेजी आ सके।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्री द्वारा शीघ्रता से लाये गए इन तीन विधेयकों पर हम एक साथ ही चर्चा कर रहे हैं।

हालांकि यह तो बात का दोहराना ही है जो मैं यह कहना चाहता हूं कि तकनीकी दृष्टि से सरकार द्वारा इन विधेयकों को पेश करना सही है। लेकिन उन्हें सदस्यों की व्यवहारिक कठिनाइयों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सप्ताह के अन्त में अधिकांश सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं। तथापि कम से कम भविष्य में जब सभा में इस प्रकार के विधेयक पेश किए जायें तो पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों के लिए पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए।

जहां तक इस विधान का सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं।

मैं इन तीन विधानों के बारे में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं।

सरकार द्वारा 1984 में गठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सम्बन्धी तकनीकी अध्ययन दल की सिफारिशों पर यह आधारित है। यह विधान आवश्यक था। हम भी चाहते थे कि उत्पाद शुल्क में सुधार किया जाए और ये आधुनिक और युक्तिसंगत बनाये जायें। लगभग सभी सदस्यों की यह मांग थी कि इसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। इस सीमा तक तो हम इसका स्वागत करते हैं। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में मन्त्री महोदय ने कहा है कि अधिकांश रूप से इस विधेयक का उद्देश्य करों के वर्तमान ढांचे को बनाए रखना है।

एक अन्य बात है, जिसे भूलना नहीं चाहिये। उसी विधेयक में अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

विधेयक में राज्य की आपाती परिस्थितियों में सरकार को जहां भी आवश्यक हो टैरिफ में वृद्धि करने के लिए शक्ति प्रदान करने का उपबन्ध है। मैं महसूस करता हूं कि यह उपबन्ध वास्तव में खतरनाक है। संसद द्वारा कार्यपालिका को इतनी व्यापक शक्तियां प्रदान करना बहुत मुश्किल है।

मैं चाहूंगा कि माननीय वित्त मन्त्री उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें, जब इसमें वृद्धि की जा सकती है। सरकार ऐसी शक्तियां क्यों चाहती है? आखिरकार विधान द्वारा इन्हें लाया जाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट जायेगा। ऐसा अध्यादेश द्वारा भी किया जा सकता है।

अतः मैं विशेष रूप से उस उपबन्ध का विरोध करता हूं जिसमें सरकार को केवल अधिसूचना द्वारा आवश्यकता पड़ने पर टैरिफ बढ़ाने की शक्ति दी जा रही है।

खण्ड में, यह व्यवस्था है कि, अधिसूचना को संसद में रखा जा सकता है। हम जानते हैं— पिछले एक वर्ष का मेरा अनुभव है— यहां किसी अधिसूचना पर चर्चा नहीं होगी। इसे संसद में रखा जाएगा और जब तक सदस्य बहुत सावधान न हो और उस पर चर्चा की कोशिश न करे तब तक चर्चा नहीं होगी।

लेकिन आम तौर पर ऐसा होता नहीं है। इस विशेष खण्ड के अन्तर्गत, सरकार वह शक्ति क्यों प्राप्त करना चाहती है? मैं इससे कायल नहीं हूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने उत्तर में स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में सरकार को ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है।

जहां तक केन्द्र सरकार का संबंध है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वास्तव में उनके लिए एक कल्पवृक्ष है। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो करीब 50% राजस्व सरकार को अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होता है। मुझे याद है एक वक्तव्य में···

कुछ माननीय सदस्य : 80%

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : मेरी भूल सुधारी जा सकती है। मुझे याद है, एक वक्तव्य में वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि 1948 में अप्रत्यक्ष करों से केवल 182 करोड़ रुपये की वसूली होती थी जो कि 1984-85 में बढ़कर 18000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। मैं नहीं जानता कि इस वर्ष कितनी वसूली होगी। निश्चय ही वित्त मन्त्री यह बात बता सकते हैं। इस अप्रत्यक्ष कर या उत्पाद शुल्क। शुल्क का प्रभाव देश की सारी जनता पर पड़ेगा। अब मैं प्रत्यक्ष कर, पर आता हूं, 76 करोड़ जनता में से 40 लाख जनता को आय-कर देना होता है। कुछ सीमित लोग ही आय-कर का भुगतान करेंगे। लेकिन जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है, इससे हर व्यक्ति प्रभावित होगा। यह सरकार के लिए कल्प-वृक्ष के समान है अतः यह बहुत जरूरी है कि इस उत्पाद-शुल्क की वसूली सही ढंग से की जाए।

सन् 1948 से अब तक मैंने देखा कि उत्पाद शुल्क में बहुत वृद्धि हुई है। इसकी कोई प्रणाली

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

नहीं है, वे जब चाहे सूची में संशोधन कर वृद्धि कर सकते हैं।

एक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि न्यायालयों में अभी भी 15,000 से अधिक मामले लम्बित पड़े हैं, जिनमें 1000 करोड़ से भी अधिक राशि फंसी हुई है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि यह राशि 2000 करोड़ रुपये है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह आंकड़े प्रतिवेदन से लिए हैं या समाचार पत्रों से एकत्र किए हैं। माननीय मन्त्री जी को बताना होगा कि ऐसे मामलों में कितनी राशि फंसी हुई है। इस तदर्थवाद से कुछ भ्रम पैदा हुआ है। जब अव्यवस्थित तरीके से वृद्धि की जाती है और शुल्क इकट्ठा किया जाता है तो लोगों को न्यायालयों में जाने के लिए बाध्य किया जाता है और उनमें से अधिकांश को स्थगन-आदेश मिल जाता है। मैं सचमुच ही इस उपाय तथा व्यापक विधेयक का स्वागत करता हूं तथापि मैं एक-दो सुझाव देना चाहूंगा।

सी० पी० आई० के माननीय सदस्य ने भी इसका जिक्र किया है। उत्पाद-शुल्क का निर्धारण करते समय उपभोक्ताओं के हितों की उपेक्षा की गई है। उपभोक्ता का इस मामले में ध्यान ही नहीं रखा गया है। हमें उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिये। राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच इतना तालमेल नहीं रहता क्योंकि कच्चे माल पर कर लगाया जाता है, उत्पादन में काम आने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता है और फिर तैयार माल पर भी कर लगाया जाता है। उसके अतिरिक्त राज्य सरकारें भी अपना अस्तित्व बनाए रखना है—चुंगी कर, प्रवेश-कर, बिक्री कर आदि लगाती हैं परिणाम यह होगा कि ये सभी कर तैयार उत्पाद की कीमत में जोड़ दिए जाएंगे। अतः इस बात को ध्यान में रखना होगा कि इन करों का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरा यह सुझाव है कि जब कभी कई मदों पर उत्पाद-शुल्क का निर्धारण किया जाए और यहां तक कि उनमें वृद्धि करते समय भी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच तालमेल होना चाहिये। केन्द्र सरकार को ऐसा करते समय कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है किन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त अनिवार्य है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं। उत्पाद शुल्क बढ़ाना, नए कर लगाना कोई जरूरी नहीं है बशर्ते कि वर्तमान में लगाये जा रहे करों की वसूली सही ढंग से और ईमानदारी से की जाए। और पिछले एक वर्ष से जो कुछ किया जा रहा है उससे यह बात सिद्ध हो गई है। प्रायः रोज ही हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि उत्पाद-शुल्क की चोरी, आय-कर की चोरी आदि के मामलों का पता चला है, जिसमें लाखों नहीं करोड़ों रुपये की चोरी हुई है और हमें इसकी खुशी है। जिस तरह से काला धन कमाया जाता है इसका पता सरकार द्वारा ऐसे कर वंचनों का पता लगाने से चलता है। पिछले एक वर्ष से जो कुछ किया जा रहा है। उसकी जानकारी हमें है। महाराजाओं सहित कई बड़े-बड़े लोगों के घरों में छापे मारे गए हैं, जिन्होंने इतने वर्षों तक निर्धनों का शोषण किया है, उनका खून चूसा है। हम इसका स्वागत करते हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कुछ जानना चाहता हूं। उन्होंने पिछले एक साल में कई घरों में छापे मारे हैं और दस्तावेज तथा अन्य वस्तुएं बरामद की हैं। किन्तु अन्ततः इसका परिणाम क्या होगा, वह सामने आना चाहिये। मेरा मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह

हमें बताएं कि पिछले एक वर्ष के दौरान कितने छापे मारे गए, कितने धन का पता लगाया गया। उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई आदि। यह कर वंचन व्यक्ति केवल अपने ही प्रयास से नहीं करता। इसकी चोरी अधिकारियों की मिलीभगत से की जाती है। जब तक इसमें अधिकारियों की मिली भगत न हो, निर्माता या उत्पादक कर की चोरी नहीं कर सकते।

इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान जिसका जिक्र अन्ना द्रमुक मुनेत्र कषगम के सदस्य ने भी किया है—आयातित वस्तुओं के कम राशि के बीजक तैयार किये जाने की ओर दिलाना चाहता हूं। एक उदाहरण तो मैसूर में राष्ट्रपति जी जैसे व्यक्ति के ध्यान में लाया गया जब वह बाल-बियरिंग फैक्टरी के उद्घाटन के लिए वहां गये थे। वित्त मन्त्री जी को इसकी जानकारी तो होगी ही। कई वस्तुओं के कम राशि के बीजक तैयार किए गए। इस सम्बन्ध में मैंने वित्त मन्त्री का ध्यान समाचार की कतरन भेजकर दिलाया और मुझे उसका यह उत्तर दिया गया कि सरकार बाल-बियरिंग निर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही कर रही है। किंतु वह महत्वपूर्ण नहीं है। हम जानना यह चाहते हैं कि आप इसमें अन्तर्ग्रस्त लोगों को क्या दण्ड देने जा रहे हैं। कर अपवंचन एक राष्ट्रीय अपराध है, इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिये, चाहे वह कोई भी हो।

हाल ही में हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि आयातित वस्तुओं के कम राशि के बीजक तैयार किये गये हैं। ऐसे कई मामले हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसकी जांच करें।

अब मैं विशेष मदों पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क विधेयक जिसे आपने आज प्रस्तुत किया है—के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र करूंगा। आपने पहले ही राज्यों की वित्तीय शक्तियों का अतिक्रमण किया है। आपने इसमें काफी हस्तक्षेप किया है। आपने चीनी, सूती कपड़ों, ऊनी कपड़ों, रेशम के कपड़ों के मामले में राज्यों के अधिकार छीन लिए हैं। आप कृपया राज्यों के वित्तीय अधिकारों में और हस्तक्षेप मत कीजिये। आप जानते हैं कि संविधान के अनुसार राज्यों की वित्तीय और कराधान की शक्तियां बहुत ही सीमित है। इसीलिए राज्य यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें वित्तीय मामलों में स्वायत्तता होनी चाहिए। वे और वित्तीय शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व बनाए रखना है। यदि भारत का अस्तित्व बनाए रखना है तो राज्यों का अस्तित्व बनाए रखना होगा। इस संघीय ढांचे में इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिये।

एक-दो सदस्यों को मैंने कहते हुए सुना है कि केन्द्र सरकार को बिक्री कर अपने हाथ में ले लेना चाहिये। हमने विशेष रूप से कर्नाटक में और तमिलनाडु में भी इसका विरोध किया गया है। दूसरी ओर, जो अधिकार पहले ही उनसे छीने जा चुके हैं, उस सम्बन्ध में हम भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह देखे कि राज्यों को उसका अधिक प्रतिशत दिया जाए। ऐसा विशेष रूप से उन मदों के बारे में कहा जा रहा है जो हाल ही में केन्द्र सरकार ने अपने हाथ में ले ली हैं।

मैं एक मुद्दा और उठाना चाहता हूं, जो इस विधेयक से ज्यादा सम्बद्ध तो नहीं है। वह माल-कर के सम्बन्ध में है। राज्य के मुख्य मन्त्रियों ने पांच वर्ष पूर्व हुए सम्मेलन में केन्द्र सरकार से अनुरोध किया था कि माल कर के सम्बन्ध में एक विधेयक लाया जाए। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक,, आंध्र प्रदेश

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

सभी राज्यों ने नोटिस दिया था। आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने बहुत चिन्ता व्यक्त की थी और वह बहुत गुस्से में भी थे। उससे राज्यों की स्थिति का पता चलता है। मेरा वित्त मन्त्री जी से अनुरोध है कि किसी भी व्यक्ति को चाहे वह संसद सदस्य हो या विधान सभा का सदस्य कर वसूल करने वाले अधिकारियों, विशेष रूप से कर-अपवंचन रोधक स्कंध में लगे हुए अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। कानून को अपना काम करने दो।

मुझे खुशी है कि बहुत से अधिकारियों को सेवा से निकाल दिया है और वित्त मन्त्रालय प्रशासन को सरल और कारगर बना रहा है। आप कृपया इस बात का ध्यान रखें कि केवल ईमानदार लोगों को और जो अपनी कर्त्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते हों उन्हें ही यह महत्वपूर्ण काम सौंपा जाये। केवल तभी हमारी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मुझे खुशी है कि एक दीर्घकालिक वित्तीय नीति की पूर्वसन्ध्या के अवसर पर, यह विधेयक लाया गया है। मुझे केवल यह शिकायत है कि इसके लिए पर्याप्त समय दिया जा सकता था। महोदय सैद्धान्तिक रूप से मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा बिल मेरी समझ में नहीं आता है। अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। हमारे प्रिजाइडिंग आफिसर्स का काम और कर्त्तव्य है कि वह इस प्रकार के बिलों को देखें। यह बिल देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं।

अगर सेक्शन 3 को पढ़ लिया जाये तो मालूम हो जायेगा कि पार्लियामेंट अपनी पावर्स ब्यूरोक्रेट्स को कहां तक देने जा रही है। बिल पारित होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में पावर आ जाएगी कि अपर-लिमिट के बाद या 50 परसेन्ट के बाद जब चाहेंगे तब टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देंगे।

सबार्डिनेट लैजिस्लेशन के अन्दर हमने देखा है कि टैक्सेशन की पावर कभी हम एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को देते हैं।

[अनुवाद]

> "जहां किसी मामले की बाबत केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 3 के अधीन इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क बढ़ाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है वहां केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में किए जाने वाले संशोधन के बारे में निदेश दे सकेगी जिससे ऐसे माल की बाबत अनुसूची में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर प्रतिस्थापित की जा सकेगी।"

[हिन्दी]

हमेशा एक्साइज ड्यूटी ऐक्ट के अन्दर अपर लिमिट होती थी कि इसके अन्दर आप टैक्स लगा सकते हैं। उस समय श्री जनार्दन पुजारी जी का रोज एक लेजिस्लेशन शाम को ले आउट हो जाया करता था। लेकिन अब यह जरूरत नहीं रहेगी। अब तो सबार्डिनेट को, अधिकारियों को यह पावर दे गई है। मैं समझता हूं यह पावर उनको नहीं दी जानी चाहिए। मैं यह पावर उनको दिए जाने के खिलाफ हूं उन्होंने कहा कि इसको अप्रूव कराएंगे। पेज 2 पर उनका यह कहना है :

[अनुवाद]

"इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक अधिसूचना संसद के दोनों सदनों में रखी जाएंगी।"

[हिन्दी]

पार्लियामेंट जब दो तीन महीने के बाद मिलेगी तो उसके सात दिन के बाद यह स्टेच्यूटरी लेजिस्लेशन होगा। इस तरह से आज पार्लियामेंट अपने पावर्स अपने सबार्डिनेट्स के हाथ में, ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में देने जा रही है। इस पर सबको विचार करना चाहिए। यह लिखा जाएगा कि डिप्टी स्पीकर साहब जब प्रेसाइड कर रहे थे तब यह कानून पास हुआ था···(व्यवधान)···आप कृपा करके मन्त्री महोदय से कहें कि वह इसके ऊपर फिर से विचार करें और इसको कमेटी को रेफर कर दें। अगर मन्त्री महोदय इसको कमेटी को भेज देंगे तो आसमान नहीं गिर जाएगा। इसके जरिये कानूनन उनको यह अधिकार दे दिया जायेगा कि जब चाहें वह एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दें। किस लिए बढ़ा दें, इसके लिए एनीरीजन, कोई भी कारण वह दे सकते हैं, इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं रहेगा। इसलिए सेक्शन 3 की तरफ मैंने ध्यान दिलाया कि इन्होंने यह जो काम इसके जरिये किया है वह ठीक काम नहीं किया है। आप मेहरबानी करके देखें कि एक्साइज के अन्दर 11 हजार करोड़ के करीब आमदनी होती है और यह जितनी भी एक्साइज ड्यूटी से रेवेन्यू आपको मिलती है यह टोटल रेवेन्यू का एक परसेन्ट होता है। इसका कारण क्या है ? कारण आप जानते है।

अब उधर बैठने वाले कुछ सज्जनों ने या इधर बैठने वाले लोगों ने जो बात कही उस पर तो तारीफ करनी पड़ेगी कि वित्त मन्त्रालय ने यह काम किया है कि कानून की नजरों में सब बराबर हो गये हैं। चाहे वह कितना ही ऊंचा व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह दोषी है तो उसे शिकंजों में बन्द किया जाएगा और बन्द किया गया है। कई बड़े-बड़े नाम उसमें आए है जिनको यहां लेना मैं उचित नहीं समझता हूं। माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी बैठे हुये हैं वह नाम लिखकर देंगे कि कितने पूंजीपति या बड़े-बड़े लोग जिन्होंने ईवेजन करने की कोशिश की है उनको बन्द किया है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि फिस्कल पालिसी आप बनाने जा रहे हैं और शायद 19 तारीख को आपकी वह फिस्कल पालिसी हाउस के सामने आएगी। एक्साइज ड्यूटी में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे वह भी उसमें होगा। तो इतना बड़ा बिल जो आप इतनी जल्दी में ले आए हैं उस पर कुछ विचार करते और तब लाते तो वह ज्यादा अच्छा होता।

[श्री मूलचन्द डागा]

इसमें एक सेक्शन 68 है। वह वाइप आउट नहीं हुआ है। आप ने कह दिया कि हर एक पर 12 परसेन्ट लगा दिया जायेगा। 68 को गायब नहीं किया है। हर एक जिस पर टैक्स नहीं लगा है वह 12 परसेंट से नहीं छूटेगा। उस पर टैक्स लगेगा। आपसे मेरी एक और प्रार्थना है। आजकल हिन्दुस्तान के लोग सेल्स टैक्स की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हैं, लेकिन आप कह देंगे कि इसे एबालिश करने के लिए स्टेट्स राजी नहीं हैं। जब आज हमारा देश लोकतन्त्र में विश्वास करता है और जनता की भावनाओं की इज्जत की जाती है तो मैं समझता हूं आपको सेल्स टैक्स खत्म करने के लिए कदम उठाने चाहिये और उसके स्थान पर एक्साइज ड्यूटी लगानी चाहिये ताकि इसकी वजह से आज जो करप्शन फैला हुआ है वह समाप्त हो सके। कुछ आइटम्स के बारे में तो स्टेट्स ने मान लिया है। लेकिन आप सीमेंट और शुगर को देखिए कि उसका क्या प्रोडक्शन है और एक टन की क्या वैल्यू है। आज बोरियों की बोरियां मिलों से निकल रही हैं। अगर 100 बोरियां निकलती हैं तो 50 ही बताई जाती हैं। एक्साइज ड्यूटी वाले और बड़े अफसर इसमें शामिल होते हैं। कल तो एक बड़े आदमी ने यह कह दिया कि इंस्पेक्टर राज जो है इसमें पूरा गठबन्धन है बेइमान अफसरों और राजनेताओं से और इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप सेल्स टैक्स को खत्म करने का यत्न कीजिए। दूसरी बात यह है कि यह सेल्स टैक्स यूनिफार्म भी नहीं है। राजस्थान में अगर एक रेट है तो जम्मू काश्मीर में दूसरा है। इसलिए मेहरबानी करके आप जनता को इससे बचाइये।

आपने बिल के अन्दर बातें तो बहुत अच्छी कही हैं। सुबह दस बजे आया था वरना मैं इसको पूरा पढ़ता, शायद मिनिस्टर साहब को भी सुबह दे दिया होगा कि आज यह बिल आप पेश कर दो। मैं आपसे फिर कहता हूं कि हमारे स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बहुत मेहनती हैं, लेकिन जो एक्साइज ड्यूटी है उसके कई इन्टरप्रिटेशन होते हैं। इसीलिए आज 24 हजार मुकदमे एक्साइज ड्यूटी के पेंडिंग हैं। ये कलक्टर जिस पर चाहें उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दें और जिसको चाहें उसको छोड़ दें।

मैं इसके पेज 167 को पढ़ रहा था, मैं चाहूंगा मन्त्री जी मेहरबानी करके हमें बताएं कि ट्यूब और पाइप में क्या फर्क है? एक आइटम पर अगर ड्यूटी 9 परसेंट है तो दूसरे आइटम पर 20 परसेंट है और तीसरे आइटम पर कुछ और ही है, मेरे पास यह डिक्शनरी है, इसमें टैरिफ का जो नामेनक्लेचर निकला है उसको मैंने पढ़ा :

[अनुवाद]

"तांबे की ट्यूबों और पाइपों में ब्रिटिश टैरिफ नामावली का उद्योगों में कई तरह से उपयोग होता है (अर्थात खाना बनाने में, गर्म करने में, आसवन परिष्करण वाष्पीकरण यंत्रों में) और घरेलू तथा सामान्य रूप से जल और गैस की सप्लाई करने के लिए भवनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तांबा मिश्रित कंडेंसर पाइपों का जलयानों, विद्युत और विद्युत केन्द्रों में भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग, विशेष रूप से खारा पानी पानी की प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है।"

फिर वे कहते हैं कि उनका एक वही अर्थ है।

[हिन्दी]

उस मीनिंग को डिफ्रेंट किया है। अगर ट्यूब्स के लिए, पाइप्स के लिए आप ब्रिटिश टैरिफ के अन्दर मीनिंग देखें, तो उससे यहां पर डिफ्रेन्ट मीनिंग किया है। एक-एक आइटम को इन्होंने खींचा है और इसका इन्टरप्रिटेशन कौन करेगा। कलक्टर करेंगे या एसिसटेंट कलक्टर करेंगे और दूसरे आफिसर करेंगे और उनसे पब्लिक को हैरेसमेंट होगा। आप कानून बनाते चले जाओ और लोग उनको समझते नहीं हैं। वह गवर्नमेंट अच्छी है, जो कम कानून बनाती है और उनको लागू कर देती है। ज्यादा कानून बनाने से आम जनता को बड़ी तकलीफ होती है। नरकोटिक्स का कानून बन गया और पुलिस वाला घूमता है कि चलो, देखो यह आ गया है। वह पूछता है, अरे भाई क्या कानून आ गया है। वह खुद भी उस कानून को नहीं जानता है। कानून का लागू करने वाला कानून नहीं जानता है। अब यह इतना बड़ा कानून है और इतना बड़ा पोथा है। गीता भी पढ़े तो पांच साल लगते हैं और यह बिल यहां तीन घंटे में पास हो जाएगा और शाम को यह आ जाएगा कि जनार्दन पुजारी जी ने यह उत्तर दिया और बिल पारित हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपका भी नाम आ जायेगा कि आपकीअध्यक्षता में यह कानून पास हो गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हमने इसके लिए तीन घंटे दिये हैं।

श्री मूल चन्द डागा : लेकिन विधेयक देखने का समय नहीं मिला है। हमने आंशिक रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक पर भी चर्चा की है और वह भी पूरी नहीं हुई है। हम स्वाभाविक रूप से यह सोच रहे थे कि उस विधेयक पर चर्चा की जाएगी। लेकिन उसके बदले यह विधेयक चर्चार्थ प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

आप इस बिल को पारित करेंगे। आप इसके अन्दर जो इन्टरप्रिटेशन करना चाहते हैं, उनको आपरेट कौन करेगा। आप ने कहा है कि यह साल में, डेढ साल में 1986 में फोर्स में आएगा। जब ऐसी बात है, तो इसको इतनी जल्दी पारित करने की जरूरत क्या है। इसको आप सलेक्ट कमेटी में भेज देते औरवहां पर एक्सपर्ट्स को बुला लेते और वे इसको अच्छी तरह से समझ कर अपने सुझाव देते। दो-तीन महीने में कौन सी नई बात हो जाती। बजट का सेशन दो महीने बाद आ जाता और उसमें आप इसको पास करा लेते और जनता के साथ न्याय करते। आपने सोचा कि हमने कानून बना दिया और सब ठीक है। जितने आप कानून बनाते हैं, उनका इन्टरप्रिटेशन करने में सबसे ज्यादा दिक्कत इस एक्साइज ड्यूटी वाले कानून में होती है। बहुत से लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं और उनको इसको समझने में दिक्कत आती है। आपका कानून सरल भाषा में होना चाहिये। और जो रीजनल लैंगुएजेज हैं, उन सारी लैंगुएज में ये कानून निकलने चाहिये। लोग कानून जानते नहीं हैं मैनूफैक्चरर्स कानून जानते नहीं

[श्री मूल चन्द डागा]

हैं और छोटे-छोटे उद्योग करने वाले कानून जानते नहीं हैं और वे इसके चक्कर में आ जाते हैं। उनके पास तो एक ही इलाज है कि इंस्पेक्टर साहब को नजराना पेश कर दिया। वे कहते हैं कि ये लो पैसे, हम कुछ कानून नहीं जानते। अब आपका यह कानून बन जाएगा। मैंने इसके बहुत से आइटम्स को देखा है। अब यह जो कानून में लिखा है, इसका इन्टरप्रिटेशन कौन करेगा। कहीं भी आपने आइटम्स को एक्सप्लेन नहीं किया है। इनका पूरा एक्सप्लानेशन होना चाहिये। इट हैज नाट बीन एक्सप्लेन्ड इन सो मेनी वर्ड्स कि इसका यह मतलब होगा, इसका यह इन्टरप्रिटेशन होगा।

यह बिल भी यहां पास हो जायेगा, जैसे कि हरेक बिल होता है। लेकिन श्रीमन् मैं चाहता था कि इसके कानून बनने से पहले, इसके लागू होने से पहले आप इसे कमेटी में भेज दें तो बहुत अच्छा होगा। खुद जनार्दन पुजारी जी ही भेज दें।

आपने घंटी बजा दी है और इशारा कर दिया है कि मैं इसे मूव कर दूं। अच्छा होगा कि अगर इसे पुजारी जी ही मूव कर दें तो लोगों को और फायदा हो जायेगा।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, कुछ दिन पूर्व अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान यदि मैं गलत नहीं हूं तो प्रधान मंत्री ने सभा में आश्वासन दिया था कि आगामी बजट में कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के योगदान को कम किया जायेगा। इस संकेत का सभी ने स्वागत किया था चूंकि सभी जानते हैं कि अप्रत्यक्ष करों के भार में वृद्धि के कारण मूल्य वृद्धि होती है, विशेषत: आम आदमी द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। फिर अप्रत्यक्ष कर राजस्व में मुख्य योगदान करते हैं। मैं समझता हूं केवल उत्पाद शुल्क 65 से 70 प्रतिशत बैठता है। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों का महत्व कम होता जा रहा है। अतः आमतौर पर कुछ लोगों को छोड़कर सभी लोग सदा उत्सुक रहे हैं कि अप्रत्यक्ष करों में कुछ रियायत दी जाये। यह मुझे ठीक याद है, वित्त मंत्री ने भी उसी प्रकार का संकेत दिया था। हम नहीं जानते कि दीर्घकालीन वित्तीय नीति क्या होगी तथा कुछ सप्ताह बाद बजट प्रस्ताव क्या होंगे। परन्तु अप्रत्यक्ष कर अपितु उत्पाद-शुल्क कर व्यवस्था का केन्द्र हैं। परन्तु इन तीन विधेयकों में वित्त मंत्री के आश्वासन पूरे नहीं होते।

इस कारण मुझे असंतोष हुआ है तथा मैं श्री डागा द्वारा अभी-अभी व्यक्त किये गये आशंका से सहमत हूं कि बेशक इसका उद्देश्य सभी उत्पाद शुल्कों को संहिताबद्ध करना है। यदि यह केवल तकनीकी प्रावधान हैं तो मैं इसका स्वागत करता। परन्तु मैं नहीं समझता कि यह इतना निर्दोष प्रयास है। स्वयं श्री डागा ने बताया था कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ विधेयक प्राथमिक खण्ड 3(1) (क) 3(1) (ख) से स्पष्ट है कि इसके द्वारा केन्द्रीय सरकार करों को घटा सकती है। यदि वे शक्तियां लेना चाहते हैं तो उन्हें दोनों शक्तियां लेनी चाहिए। क्योंकि यदि सरकार किसी वस्तु पर उत्पाद-शुल्क कम करना चाहती है तो उसे संसद के समक्ष अनुमोदन के लिए आना पड़ता है। मांगी गई दोनों शक्तियों

में अधिसूचना द्वारा केवल उत्पाद शुल्कों को बढ़ाने की शक्ति मांगी गई है। कारण तथा उद्देश्यों के कथन में भी कहा गया है :—

"किन्हीं हालात में, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में निर्दिष्ट दरों को बढ़ाने की शक्ति सरकार को प्राप्त होगी। फिर भी ऐसी शक्ति का उपयोग केवल आपात स्थितियों में ही किया जायेगा...।"

आपात स्थिति का क्या अभिप्राय है मैं नहीं जानता। सभी जानते हैं कि एक आपात स्थिति बनी हुई है—जिसे सभी जानते हैं और मैं भी मानता हूं। वह है कि देश संसाधनों की विकट कमी से गुजर रहा है। सरकार सदा यह तर्क दे सकती है कि पर्याप्त आयात स्थितियां विद्यमान हैं, अधिक राजस्व पाने के लिए उत्पाद शुल्क बढ़ा सकती है। अत: मैं समझता हूं कि उत्पाद शुल्कों के जाल को और बड़ा बनाने से आम जनता के कष्ट बढ़ेंगे, क्योंकि जैसे उस पक्ष के बहुत से सदस्यों ने बताया है कि उत्पाद शुल्क एक ऐसी विचित्र वस्तु है जिसमें व्यक्ति उपभोक्ता ही कष्ट उठाता है। वास्तव में वही वह व्यक्ति है जो कर देता है। वह उत्पाद शुल्क देता है। यह निर्माता द्वारा नहीं दिया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह शुल्क वस्तु के उत्पादक द्वारा दिया जाता है। परन्तु यह ऐसा नहीं है। हमारी प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कि उत्पादक बढ़े हुए उत्पाद शुल्कों को अपने लाभ की ऊंची दरों में खपा सके। उदाहरण के तौर पर जोकि बड़ी ऊंची दरों के लाभ काफी समय से कमा रहे हैं तथा ऊंची दरों पर लाभांश दे रहे हैं जिनमें वास्तव में बढ़े हुए उत्पाद शुल्क को देने की क्षमता है। परन्तु क्या हमारी प्रणाली में ऐसी कोई व्यवस्था है। ऐसा नहीं है। अत: उत्पादक पूरे उत्पाद शुल्क को बढ़े हुए मूल्यों के रूप में उपभोक्ता को देना पड़ता है। अत: उपभोक्ता को उत्पाद शुल्क देना पड़ता है। वास्तव में शुल्क उसे ही देना पड़ता है। ये कानून वास्तव में पुरातनवादी है जिससे पता चलता है कि सरकार इस समय पुराने रास्ते पर चलना चाहती है। कुछ महीने के पहले बजट में भी यह सिद्धांत निहित थे। अर्थात प्रत्यक्ष करों में भारी छूट दी गई। अर्थात बहुत कम लोगों को करों के रूप में धन देने के स्थान पर उन्हें धन को अपने पास रखने दिया जा रहा है। उनके पास काफी धन रहना चाहिए ताकि वे उसे उत्पादक उद्देश्यों से उसे लगा सकें तथा करों का भार अप्रत्यक्ष करों के रूप में आम व्यक्ति को देना पड़े। इन विधेयकों में बेशक यह दावा किया गया है कि सरकार को उत्पाद शुल्क की वर्तमान प्रणाली को संहिताबद्ध करने के लिए अधिकार मांगा गया है पर मुझे आशंका है कि वे उत्पाद शुल्क को बढ़ा तो सकते हैं परन्तु कोई राहत नहीं दे सकते।

फिर मुझे कुछ सामान्य बातें भी कहनी हैं। पता नहीं चर्चा के दौरान मंत्री महोदय इन प्रश्नों पर ध्यान देंगे। आम उपभोक्ता वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क की दरों तथा अन्य वस्तुओं पर शुल्क की दरों में कोई अन्तर नहीं है—मेरा अभिप्राय है कि जो व्यक्ति अधिक सम्पन्न नहीं है उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा विलास सामग्री के मूल्य के बारे में कोई अन्तर नहीं है।

इसमें स्पष्ट विभेद किया जाना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत से खाद्य पदार्थों को भी अछूता नहीं छोड़ा गया। कुछ मामले में उत्पाद शुल्क शून्य है। भविष्य में उसे बढ़ाया जाना चाहिए। परन्तु बहुत से खाद्य पदार्थों पर उत्पाद शुल्क लगा हुआ है, इन पदार्थों का उपयोग आम व्यक्तियों द्वारा

[श्री इन्द्र जीत गुप्त]

जिनमें 20 से 30 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं तथा जिनकी खरीदने की शक्ति नहीं है। अतः मैं चाहता हूं कि आप अपनी भावी कर नीति बताएं – आपको आम व्यक्ति के हित में आम वस्तुओं तथा विलास की सामग्री में भेद करना चाहिए।

फिर, कच्चे माल का प्रश्न है। कई वस्तुएं ऐसी हैं, जो अन्य वस्तुओं के लिए कच्चा माल हैं। कुछ ऐसा भी कच्चा माल है जिससे उपभोग्य वस्तुएं बनती हैं। कुछ ऐसे कच्चे माल हैं जिनसे विलास की सामग्री बनती है। अतः हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सुविचारित नीति द्वारा ऐसी विभिन्न वस्तुओं में भेदभाव करेगी। एक सीमा है जिसके बाहर आप नहीं जा सकते। यदि आप शुल्क बढ़ाते चले जाएंगे— तो बहुत लाभ कमाने वाले उद्योग—चाय उद्योग हाल के वर्षों में काफी लाभ कमा रहा है। विश्व भर में उसके मूल्यों में वृद्धि हुई। चाय कम्पनियां भारी लाभ कमा रही हैं। स्वभावतः सरकार ने उन पर उत्पाद शुल्क बढ़ाना चाहा। इससे उन्हें अच्छी राशि मिलती है। परन्तु इसकी अदायगी कौन करता है। चाय पीने वाले व्यक्तियों को बढ़े हुए उत्पाद शुल्क के हिसाब से मूल्य देना पड़ता है। कम्पनियां उत्पाद शुल्क का एक पैसा भी नहीं देतीं। वे उस राशि की पूरी उगाही उपभोक्ताओं से कर लेते हैं जिसे उन्हें सरकार को जमा करना होता है। अब यदि चाय का मूल्य बहुत अधिक बढ़ाया जाता है तो लोगों को घटिया किस्म की चाय लेनी पड़ेगी। इन दिनों घटिया किस्म की चाय की खपत में बहुत वृद्धि हुई है। चाय की दुकान पर भी चाय का मूल्य बहुत बढ़ गया है। कोई भी व्यक्ति बाहर दुकान पर चाय पीना पसंद नहीं करेगा। मैं नहीं जानता कि किस तरह की चाय का प्रयोग वे लोग करते हैं। बढ़े हुए उत्पाद शुल्क के कारण पीने योग्य चाय आम व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है जो चाय दुकानों पर आम आदमी को पीने को मिलती है वह हर तरह से खराब तथा सेहत के लिए हानिकर है।

मैं मंत्री महोदय को एक और महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकता हूं। विभिन्न कम्पनियों द्वारा बने धातु के डिब्बे, टीन के डिब्बे जिनका उपयोग खाद्य वस्तुओं, फलों, सब्जियों, मछली आदि की पैकिंग में किया जाता है जिसके निर्यात से हमें बहुत सी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, कुछ वर्ष पूर्व पता चला कि यदि उसे हम ताइवान से आयात करते हैं तो वह बहुत सस्ती पड़ती है। अतः उन्होंने इनका आयात करना शुरू कर दिया क्योंकि स्वदेश के बने टीन के डिब्बों पर बहुत ऊंची दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाता है अतः उन्होंने इसे विदेशों से खरीदना लाभदायक पाया। मुझे पता है कि धातु के डिब्बे बनाने वाली कुछ कम्पनियां महीनों, बल्कि वर्षों तक लगातार बंद रहीं। अतः इस बारे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाना आवश्यक है क्योंकि केवल राजस्व प्राप्त करने के लिए आप एक सीमा से अधिक उत्पाद शुल्क नहीं लगा सकते।

कई सदस्यों ने उत्पाद-शुल्कों की बड़े पैमाने पर हो रही चोरी सम्बन्धी प्रश्न का जिक्र किया है। मैं नहीं जानता कि सरकार इस सम्बन्ध में अपने तन्त्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या करने जा रही है। हाल ही में जो छापे मारे गए और जो काम किए जा रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं नहीं जानता कि क्या ये काम प्रतीकात्मक उद्देश्य से या दिखावे के लिए किए जा रहे हैं अथवा क्या आप

इस बारे में सचमुच गंभीर हैं। क्योंकि जो इससे प्रभावित हुए हैं उनमें भारी विरोध पनप रहा है वे इसका अत्यधिक विरोध कर रहे हैं। और हर रोज सम्मानित लोगों द्वारा, जो वाणिज्य संघ के अध्यक्ष आदि हैं। बड़े-बड़े प्रसिद्ध उद्योगपतियों के घरों और कार्यालयों पर मारे गये छापों के सम्बन्ध में कई भाषण दिए जा रहे हैं जिनमें भय-आतंक का उल्लेख किया जाना है इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए इससे लोगों को आघात लगता है। आप किर्लोस्कर, ओर्के मिल्स के अध्यक्ष या किसी और अन्य सज्जन के साथ ऐसा करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। सभ्य समाज में इस तरह के नामी, सभ्य जनों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता।

मुझे बहुत खुशी है लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं तो अप्रसिद्ध व्यक्ति हूं। मुझे बस यह आश्चर्य हो रहा है कि क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ ठोस कदम उठाएगी। ठीक है मैं समझता हूं कि आपने प्रथम दृष्टया प्रमाणों के आधार पर कि विदेशी मुद्रा आदि की भारी चोरी हो रही है, जो कि अपराध है, ये छापे मारे हैं। यह ठीक कहा गया है कि जो लोग इस तरह देश में करोड़ों रुपए के राजस्व का घाटा कराते हैं, वे अपराधी हैं। यदि आपने इस मामले को गंभीरता से लिया तो आपके द्वारा की गई ये कार्यवाही ठीक ही है किंतु इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं और मैं ऐसा कभी-कभार ही करता हूं। मुझे आशा है कि आप इसे जारी रखेंगे और वाणिज्य संघों और अन्यों के द्वारा डाले जा रहे दबाव के आगे नहीं झुकेंगे।

एक माननीय सदस्य : क्या आपने उन व्यक्तियों के नाम नहीं बताने की ठानी हुई है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि, जैसा कि किसी और ने भी पूछा है आखिर इन मामलों का, इन छापों का क्या हुआ जब कि इतनी सारी सामग्री बरामद हुई कई कागजात और फाइलें पकड़ी गई हैं और अन्ततः किसी को भी यह पता नहीं है कि इन सबका क्या हुआ। कोई भी नहीं जानता कि इन मामलों के अंत में क्या होता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : हम भी भूल जाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यहां उन कुछ विशिष्ट तरीकों का जिक्र करना चाहता हूं जिसकी जानकारी मैं समझता हूं सबको है और वह है उत्पाद-शुल्क का भुगतान और अपवंचन। मेरा अभिप्राय मूल्यांकन से है, भुगतान से नहीं भुगतान तो वे कभी भी नहीं करते हैं भुगतान तो हमेशा उपभोक्ता करते हैं, लेकिन मेरा अभिप्राय यह है कि वे केवल मूल्यांकन करते हैं।

सबसे पहले मैं कहूंगा कि काफी अर्से तक एक ही तरीका अपनाया गया है, मैं नहीं जानता कि क्या अभी भी इस तरीके को अपनाया जा रहा है। लाइसेंस देने की एक क्षमता होती है। अब उसमें काफी ढील दी गई है और जिन लोगों की अधिशेष क्षमता है उन्हें कहा गया है कि यदि आप अपनी क्षमता तक उत्पादन कर सकते हैं तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है आदि-आदि। लेकिन कुछ लोगों की उत्पादन क्षमता उससे अधिक होती है, जितना कि हम सोचते हैं। मान लीजिए उसको 1000 मशीनों की क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाती है और वास्तव में उसने 1500 मशीनें लगाई हैं। सरकार को विवरण देते समय वह केवल उन 1000 मशीनों पर हुआ उत्पादन

[श्री इन्द्र जीत गुप्त]

दिखा रहा है। और अन्य 500 मशीनों पर हुए उत्पादन का जिक्र वह अपने द्वारा दिए गए विवरण में कहीं नहीं करता और उन 500 मशीनों पर हुए अतिरिक्त उत्पादन को काला बाजार में काला बाजार की दरों पर बेचता है और उससे होने वाली आय को कम्पनी के किसी बही-खाते में नहीं दिखाया जाता और सरकार को कोई उत्पाद शुल्क नहीं मिलता। मैं नहीं जानता कि इंस्पैक्टरों और अन्य लोगों की नजरों से बचाकर ऐसे काम कैसे किए जाते हैं। ऐसा काफी समय से होता आ रहा है।

बेनामी बिक्री एजेंट एक प्रणाली है। प्राथमिक निर्माता यह कहता है कि उसने अपना सारा माल किसी बिक्री ऐजेंट को बेचा है और वह बिक्री ऐजेंट को जिस मूल्य पर बेचता है, उसे वह अपनी बहियों में बहुत कम मूल्य दिखाता है। यही बिक्री ऐजेंट उस माल को बहुत ऊंचे मूल्य पर बेचता है और उत्पाद शुल्क बिक्री ऐजेंट द्वारा बेचे गए सामान पर नहीं लगता लेकिन निर्माता द्वारा उस वस्तु के निर्माण-स्तर पर लगता है। वास्तव में बिक्री से होने वाला लाभ तो निर्माता को मिल रहा है किंतु उसे उत्पाद शुल्क नहीं देना पड़ा क्योंकि वह वास्तविक मूल्य बहियों में नहीं दिखाता और उससे उत्पाद शुल्क बहुत कम लिया जा रहा है।

महोदय, देश में इस समय एक और चीज प्रचलन में है और मैं समझता हूं कि सरकार को उसकी जानकारी अच्छी तरह से है। कानूनी तौर पर प्रत्येक वस्तु पर उसका अधिकतम मूल्य लिखा होना चाहिए आप यह जानते हैं वस्तुओं पर नकली मोहर लगाई जा रही है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा अधिकांश लोग और मैं समझता हूं कि इस सभा के अधिकांश सदस्य सिगरेट नहीं पीते। मेरे ख्याल से आप भी सिगरेट नहीं पीते हैं। यह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। लेकिन मैं सिगरेट पीता हूं, पर मैं सिगरेट बहुत कम ही पीता हूं। आप एक पैकेट सिगरेट नहीं खरीद सकते क्योंकि सभी छोटे-छोटे सिगरेट बिक्रेता हड़ताल पर हैं। मुझे सिगरेट का यह पैकेट दिखाने की अनुमति दी जाए। मै इसे सभा पटल पर नहीं रख रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने भी बहुत सस्ती सिगरेट पीना शुरू कर दिया है क्योंकि मैं जो ब्रांड पीना चाहता हूं वह मेरे सामर्थ्य से बाहर है। इसके मूल्य लगभग दुगने हो गए हैं। संभवतः मैं ये घटिया किस्म की सिगरेट पीकर अपने गुर्दों को जहर दे रहा हूं। लेकिन इस पैकेट पर अधिकतम मूल्य 1 रुपया 70 पैसे लिखा है। जब मैंने दुकानदार से यह पैकेट खरीदा तो उसने मुझसे इसके 2.50 रुपए लिए अर्थात यहां छपे मूल्य से 80 पैसे अधिक लिए इस पैकेट में 10 सिगरेट हैं। इसका मतलब है वह प्रति सिगरेट 8 पैसे अधिक ले रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन इस पर उत्पाद शुल्क और कुछ शुल्क अतिरिक्त लिखा हुआ है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : इस पर उत्पाद शुल्क पहले ही दिया जा चुका है। जब आप दुकानदार से यह पूछते हैं कि वह इसके 80 पैसे ज्यादा क्यों ले रहा है तो वह कहता है क्या कम्पनी मुझे यह पैकेट 1 रुपए 70 पैसे में देती है कम्पनी उसे काफी मात्रा में सिगरेट सप्लाई कर रही है। और वह उससे बढ़ाकर 2.30 रुपए ले रही है। उसका कहना है कि उसे कम्पनी को यह 60 पैसे अतिरिक्त नकद

देने पड़ते हैं। वे इसे किसी बही में नहीं दिखाते। बड़ी कम्पनियां ऐसा कर रही हैं। मैं उन कम्पनियों का नाम लेना नहीं चाहता सिगरेट बनाने वाली बड़ी और नामी कम्पनियां हमेशा से ऐसा करती आ रही हैं। वे अपने डीलरों को छपे मूल्यों से काफी अधिक मूल्य पर माल सप्लाई कर रहे हैं। और सरकार सरल लड़के की भांति छपे मूल्य पर उत्पाद शुल्क वसूल कर रही है। अतिरिक्त पैसा दुकानदार कम्पनी को नकद देता है और अन्त में उपभोक्ता को उसके बहुत ऊंचे दाम देने पड़ते हैं, जो कि बरदाश्त से बाहर होता है।

खैर, मैं इस संबंध में अधिक समय नहीं लेना चाहता क्योंकि इस विधेयक में इन सबका जिक्र नहीं है। इससे केवल सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वह जब चाहे वैसे ही या खास परिस्थितियों में शुल्क और उत्पाद-शुल्क में वृद्धि कर सकते हैं। मैं नहीं जानता वे खास परिस्थितियां क्या हैं। और मुझे विश्वास है कि उत्पाद-शुल्क की चोरी जारी रहेगी क्योंकि किसी ने कहा है कि ये लोग बहुत प्रवीण/चालाक होते हैं और वे न्यायालयों आदि में किसी भी तरह की बड़ी-बड़ी युक्तियां अपना सकते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि काफी समय से जिस नई वित्तीय नीति का इन्तजार था, उस संबंध में उठाया गया पहला ही कदम बड़ा निरुत्साहित करने वाला है। इससे किसी को यह आश्वासन नहीं मिलता कि वित्त मंत्री ने कल समूचे कर ढांचे में अप्रत्यक्ष कराधान में कमी लाने के संबंध में जो आश्वासन दिया था, वह पूरा किया जाएगा। अतः मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता मैं इसका समर्थन इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसके निहितार्थ बहुत ही गम्भीर है। मेरा सरकार से इतना ही अनुरोध है कि उन्हें इन सब शुल्कों को एक ही जगह पर सुव्यवस्थित करके ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। वहां भी मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि छूट अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निर्धारित किए गए शुल्क की प्रभावी दरों को भी जोड़ा गया है। हर समय ऐसी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं जिनमें छूट दी जाती है। यहां यह दावा किया गया है कि नए संहिताबद्ध विधेयक में इन सभी छूटों आदि को शामिल किया जाएगा ताकि सभी इसके समूचे ढांचे को देख और समझ सकें। लेकिन इसमें आगे कहा गया है कि तथापि, उदाहरण के लिए, किसी मामले में शुल्क की प्रभावी दरों पर, कुछ शर्तों के पूरी होने पर दी गई छूट पर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत जारी छूट देने वाली अधिसूचनाओं के जरिए इस प्रकार की छूट आगे भी दी जाती रहेगी। इसका अर्थ यह है कि पहले आपने जो पहले लिखा है कि किसी प्रकार का शेष शुल्क बाकी नहीं है और किसी प्रकार की शेष शुल्क मद को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। वास्तव में इस प्रकार की छूट आगे भी दी जाती रहेगी, क्योंकि सरकार भविष्य में अधिसूचनाओं के जरिए छूट देने का अधिकार अपने पास रख रही है।

अन्त में मैं उन सब सदस्यों का समर्थन करूंगा जिन्होंने संसद में इस तरह का विधेयक लाए जाने का निरानुमोदन किया है आप हमेशा कहते हैं कि आपके पास केवल तीन घंटे का समय है, हम उस समय में बोल सकते हैं, आदि लेकिन हम स्वचालित रोबोट नहीं हैं—यह मशीनी युग है—इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम स्वचालित यंत्र से चलने वाले रोबोट नहीं हैं कि जिस समय चाहे, नियमों का उल्लंघन करते हुए, इस तरह का बड़ा विधेयक अचानक कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए ताकि बिना पूरा समय दिए इसे लाया जा सके, हम से अनुरोध किया गया है कि इस तरह के

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

विधेयक का समुचित रूप से अध्ययन किया जाए और इस पर हम अपने सुविचारित मत व्यक्त करें। मैं समझता हूं कि यह संसद के महत्व को नकारना है, कम करना है और ऐसा बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए तथा मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं क्योंकि इस विधेयक का असर/बोझ अन्ततः उपभोक्ताओं पर ही पड़ेगा। जिन कम्पनियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उत्पाद-शुल्क का भुगतान करें, वे अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने नहीं जा रहे हैं, सारा बोझ उपभोक्ता पर डाल दिया जाएगा। जिन मदों को इसके अन्तर्गत शामिल किया जा रहा है, उनका जिक्र इस विधेयक में किया गया है। टाइपराइटर, सिगार और यहां तक कि बाल-पैन जैसी छोटी मद को भी इस विधेयक के क्षेत्राधिकार से अलग नहीं रखा गया है। इन सब वस्तुओं पर भी उत्पाद-शुल्क लगाया जा रहा है। अतः समूचे समाज और निर्धन जनता पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ेगा। यह विधेयक निर्माताओं से उत्पाद-शुल्क वसूलने के नाम पर लाया गया है लेकिन हमारा अनुभव है कि भारत में अमीरों/बड़े लोगों के लिए कोई कानून नहीं है, क्योंकि एक कहावत है कि प्रत्येक घर के दो दरवाजे होते हैं—आगे का दरवाजा और पीछे का दरवाजा। पीछे का दरवाजा किस लिए होता है? मुसीबत आने पर पीछे के रास्ते से बचा जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपात द्वार होता है।

श्री पीयूष तिरकी : इसे आपातकालीन दरवाजा या मुसीबत आने पर बचने का रास्ता कहा जा सकता है। यहां तक कि उत्पाद-शुल्क के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून संसद में ही रखे, जाए तो सम्भवतः उन सबको यहां रखने के लिए जगह पूरी नहीं होगी। फिर वे अधिशासी भी जिनका काम उन कानूनों को कार्यान्वित करना है, उन सब बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं? ये शोषक, कर-अपवंचक, यह अच्छी तरह जानते हैं कि पुलिस अधिकारी या उन लोगों को, जिन्हें इन कानूनों को लागू करना है भी, अच्छी तरह से यह जानकारी नहीं होती कि ये कानून क्या हैं। इसलिए वे कानून की किसी धारा को मुद्दा बनाकर अदालत में चले जाते हैं। वकीलों के लिए यह पैसा बनाने का कारखाना है। संसद में हमने जो कानून बनाये हैं उसे वकील भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए नीचे की अदालत में सफलता नहीं मिलने पर वे उच्च न्यायालय और उसके बाद उच्चतम न्यायालय में चले जाते हैं और हर बात रद्द हो जाती है। वकील ही अगर कानून को ठीक से नहीं समझ पाते तो एक सांसद के लिए यहां प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को इतने कम समय में समझ पाना और फिर उस पर अपनी सहमति देना एक बहुत कठिन काम है। संसद एक कारखाना बन गया है जहां हर रोज कुछ नए विधेयक पेश किए जाते हैं लेकिन कोई नहीं जानता कि कानून क्या है और वह किस के लिए है। ऐसी स्थिति में जनता और गरीबों को कानून की जानकारी न होने के कारण बहुत-सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अतः मेरी सलाह है कि सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिए जिसके द्वारा सभी कानूनों को कम किया जा सके ताकि आम आदमी समझ सके कि देश

का कानून क्या है और वे उसके अनुसार चल सके तथा कार्यपालिका और अधिकारियों को भी समझना चाहिए कि वे किस लिए हैं। यह तो एक प्रथा सी है। मुझे संदेह है कि क्या मंत्री जी भी हर बात को स्पष्ट करने और लागू करने में समर्थ हैं। करदाता ही सबसे अधिक परेशानियां झेलते हैं। चूंकि मैं चाय बागान क्षेत्रों से आया हूं इसलिए चाय पर लगने वाले उत्पादन शुल्क पर बोलूंगा, क्योंकि वहां उसकी वसूली बहुत नियमित ढंग से की जाती है। बाजार में आने से पूर्व ही फैक्ट्री में ही उसका भुगतान कर दिया जाता है। इसलिए जहां तक मैं जानता हूं चाय पर लगने वाले उत्पादन शुल्क का अपवंचन नहीं किया जाता। राष्ट्रीय राजकोष में चाय के योगदान को दर्शाने के लिए मैं "नेशनल हैराल्ड" से उद्धृत कर रहा हूं। इसमें यह उल्लेख किया गया है :—

> "चाय उद्योग का राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 1600 करोड़ रुपये का और विदेशी मुद्रा आय में 750 करोड़ रुपये सालाना का योगदान है। उत्पादन शुल्क के रूप में इसके द्वारा राष्ट्रीय आय में 60 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होता है।"

लेकिन चाय बागानों की क्या दशा है? क्या वे केवल कर वसूली के लिए हैं? कर उन्हें विकास कार्य करने की दिशा में बढ़ने, विशेषकर कमजोर और पिछड़े क्षेत्रों में, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी अपने 20 सूत्री कार्यक्रमों में चाय बागानों और चाय-श्रमिकों के कल्याण को शामिल किया था। 20 सूत्री कार्यक्रम में यह उल्लेख है कि चाय बागान और इसके श्रमिक राष्ट्रीय आय और उत्पादन शुल्क और सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्व-पूर्ण अंग हैं। लेकिन मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि भारत में उनकी आय सबसे कम है। चाय श्रमिकों में कहीं तो साक्षरता एक प्रतिशत और कहीं-कहीं शून्य है। जहां हम दावा करते हैं कि शिक्षा और निरक्षरता उन्मूलन के मामले में सभी को समान अधिकार प्राप्त हैं वहां कराधान, उत्पादन-शुल्क और विदेशी मुद्रा आय में इतना अधिक योगदान करने वाले इन गरीबों की दशा बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री इन्हें, जिनसे आपको बहुत अधिक फायदा होता है, कुछ सुविधाएं दें, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके खासतौर पर इसलिए कि अब अधिकाधिक अतिरिक्त श्रमिक इस क्षेत्र में आ रहे हैं। वास्तव में इस क्षेत्र के लिए अधिक संख्या में सहायक उद्योगों की जरूरत है। आप कर इस इरादे से मत लगाइये कि आप कर से प्राप्त होने वाली राशि को पुन: बम्बई और कलकत्ता में लगा दें। इन पिछड़े क्षेत्रों की ओर भी सरकार द्वारा ध्यान दिये जाने की जरूरत है। अब यह धारणा बनती जा रही है कि भारत में कर अपवंचक सबसे बुद्धिमान और खुशहाल व्यक्ति होते हैं और ईमानदार, मेहनतकश और नियमित रूप से कर अदा करने वाले लोग बेवकूफ होते हैं और सबसे अधिक परेशानी उठाते हैं। हमारी संस्कृति क्या है? वर्तमान संस्कृति यही है कि काम न करने वाले को समाज में सबसे सभ्य और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। दो या तीन नौकर रखने वाले लोगों को सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। इसी तरह दूसरों को धोखा देने वालों का और अधिक सम्मान होता है। इस तरह से हमारी संस्कृति पूरी तरह से बदल गई है। एक धारणा बन गई है कि अगर आप एक बार में सौ लोगों को धोखा देते हैं तो आप एक बार में एक हजार लोगों को धोखा देने वाले व्यक्ति से कम हैं उसका सम्मान अधिक होता है। ऐसी स्थिति में कानून काम नहीं कर सकता और आपके शिकंजे में कोई नहीं आएगा।

[श्री पीयूष तिरकी]

चाय उद्योग एक ऐसा उद्योग है जहां से कराधान और विदेशी मुद्रा के रूप में आपको काफी धनराशि मिलती है। हर चाय बागान में फालतू श्रमिक हैं। ये लोग आदिवासी और अनुसूचित जाति के हैं आपने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के विकास के लिए बहुत बृहत कार्यक्रम बनाया है। आप अपना पैसा उनके विकास और उन्हें रोजगार के अवसर देने में क्यों नहीं लगाते ? प्रबन्ध और उसके कार्यसंचालन में श्रमिकों के प्रतिनिधि रखे जाने चाहिये। वे आपको बताएंगे कि कर वसूली कैसे की जाए। श्रमिक बहुत ईमानदार होते हैं और वे सारे देश के कल्याण तथा अपने लाभ के लिए काम कर रहे हैं। वे दिन प्रतिदिन के प्रबंध कार्य में बहुत रुचि लेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी कर आपने लगाएं हैं उनकी वसूली हो पाएगी और कानून और व्यवस्था की स्थिति भी ठीक रहेगी। इसलिए इस विधेयक के बारे में मेरा विनीत अनुरोध यह है। एक वकील भी इतने कम समय में अपनी सहमति नहीं दे सकता। मुझे इस विधेयक को पढ़ने के लिए केवल एक दिन का समय मिला। जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर आपत्ति की है उनसे मैं सहमत हूं, क्योंकि यह विधेयक आम आदमी और उपभोक्ताओं के दमन का एक माध्यम है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

* **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से आम आदमी को आघात पहुंचेगा। अब इस विधेयक के द्वारा सरकार उन मदों पर उत्पादन शुल्क लगाने का प्रयास कर रही है जिन पर अभी तक बिक्री कर लगता था इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकारों के राजस्व का स्रोत समाप्त हो जाएगा और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए केन्द्र सरकार पर अधिक निर्भर रहना होगा। यह अन्याय है यद्यपि केन्द्र सरकार, जिन वस्तुओं पर कर लगता है उन वस्तुओं की सूची में और विस्तार करके अधिक से अधिक कर इकट्ठा कर रही है, वह राज्य सरकारों को राजस्व में से उतना ही हिस्सा देती है जितना दशकों पूर्व निर्धारित किया गया था। अब सरकार ने आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चाय और काफी जैसी मदों पर शुल्क बढ़ा दिया है लेकिन इस बढ़ी हुई रकम में से राज्य सरकारों को कुछ नहीं मिलता। राज्यों की वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं है। यह कार्यवाही तो घाव पर नमक लगाने के समान है। इस समय उनके पास अपने विकास कार्यों के लिए जरूरी धन को एकत्र करने के कोई साधन नहीं हैं। राज्य इतने गरीब हैं कि वे अपने कर्मचारियों को वेतन देने की स्थिति में भी नहीं है ऐसी स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा उनके राजस्व के शेष बचे स्रोतों को भी छीन लेना उपयुक्त नहीं है। केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह राज्य सरकारों की दुर्दशा को समझे और केन्द्र द्वारा एकत्र किए जाने वाले करों में से राज्य सरकारों का हिस्सा बढ़ाकर उनकी सहायता करें।

महोदय, मुझे यह नोट करते हुए बहुत खुशी है कि वर्तमान वित्त मन्त्री देश में तस्करी को रोकने के लिए यथा सम्भव प्रयास कर रहे हैं। सरकार द्वारा कर अपवंचकों को सजा देने का प्रयास भी उल्लेखनीय है। पर हमें मालूम नहीं है कि कितना धन अभी भी छिपा हुआ है और कितना एकत्र किए

* मूलतः तेलगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

जाने की आशा है। महोदय, मुझे राजनीति में तीस साल हो गये हैं और इस दौरान मैंने सरपंच से लेकर मन्त्री तक जैसे विभिन्न पदों पर काम किया है। इतना अधिक अनुभव होने के नाते मैं कह सकता हूं कि केवल तीन श्रेणी के व्यक्ति करों का भुगतान नहीं करते। पहले श्रेणी में वे व्यापारी आते हैं जो करों का भुगतान नहीं करते। दूसरी श्रेणी में सरकारी कर्मचारी आते हैं जो व्यापारियों को गुमराह करते हैं और उन्हें कर भुगतान से बचने के लिए तरीके बताते हैं। तीसरी श्रेणी में न्यायपालिका आती है। अपनी न्याय पालिका के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। लेकिन यह बेईमान व्यापारियों के हाथों का खिलौना बनकर, दूसरे पक्ष की बात सुने बिना उन्हें रोक व्यादेश तथा आदेश देती है। अर्जी पेश होते ही अदालत रोक आदेश दे देती है। वह दूसरे पक्ष को सुनने की परवाह नहीं करती। अब सरकार द्वारा कर लगाने और कुछ बेईमान लोगों द्वारा करों की सफलतापूर्वक चोरी की समूची प्रक्रिया एक व्यर्थ का प्रयास सिद्ध हो रहा है। करों की संख्या में वृद्धि हुई है। लेकिन करों के माध्यम से एकत्र की जाने वाली धनराशि में वृद्धि नहीं हुई है। यह बात मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। सरकारी कर्मचारी व्यापारियों को गुमराह करके तथा कर भुगतान से बचने के लिए उनकी सहायता करके अपनी भूमिका निभा रहे हैं। न्यायपालिका केवल अर्जी के आधार पर रोक आदेश दे देती है। कर वसूली की यह सारी प्रक्रिया सरकार को एक पैसा दिलाए बिना जारी है। परिणाम यह होता है कि गरीब और आम आदमी को मजबूरन करों को बोझ उठाना पड़ता है। विधेयक में बहुत-सी मदें ऐसी हैं जो समाज के जमींदारों और अमीरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली विलासिता की मदें नहीं हैं। ये ऐसी मदें हैं जिन्हें लोग इस्तेमाल करते हैं। अब एक प्याला काफी के लिए अधिक भुगतान करना होता है। अभी-अभी गुप्ता जी बता रहे थे कि बिचौलियों को सिगरेट के एक पैकेट पर 60 पैसे मिल जाते हैं। एक और ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर एकत्र करने की देखभाल के लिए कोई उपयुक्त मशीनरी नहीं है। इस समय विभिन्न राज्यों में सतर्कता एकक (सेल) काम कर रहे हैं। लेकिन वे प्रभावी नहीं है। सतर्कता कार्मिकों के आने से पूर्व ही माल काला बाजार में बिक जाता है और किसी भी तरह के कर भुगतान से बच जाते हैं। बेहतर होगा अगर कर को एक ही स्थान पर लगाया और एकत्रित किया जाए। इस समय बिक्री कर विभिन्न स्तरों पर एकत्र किया जाता है। थोक व्यापारी कर वसूल करते हैं और बाद में फुटकर व्यापारी के पास जब माल पहुंचता है तो वह भी कर की वसूली करता है। यहां तक कि फेरी लगाकर वस्तुएं बेचने वाला भी उपभोक्ता से कर वसूली करने में नहीं हिचकिचाता है। इस प्रकार उपभोक्ता को विभिन्न स्तरों पर कर भुगतान करना पड़ता है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए और इस पर नियन्त्रण रखने के लिए उपयुक्त मशीनरी होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि कर के रूप में कितनी धनराशि और किस स्तर पर एकत्र की जायेगी। सरकार को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन को मैं एक सूचना दे रहा हूं। पांच बजे वे सातवीं योजना के प्रारूप पर चर्चा करेंगे।

श्री एम० सुब्बा रेड्डी : महोदय बिक्री कर वसूल करने की एक सुस्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार कर तो लगा रही है लेकिन उन्हें कारगर ढंग से वसूल करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। यदि बकाया कर राशि की वसूली में सफलता मिल जाए तो नये कर लगाने की कोई जरूरत

[श्री एम० सुब्बा रेड्डी]

नहीं है। देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां 100 करोड़ से अधिक धनराशि कर राशि के रूप में बकाया है। कर वसूली के लिए इस समय जो व्यवस्थाएं अपनाई जा रही हैं उनमें अनेक कमियां हैं। करों की समस्त बकाया राशि को वसूल करने में अगर सरकार सफल हो जाए तो घाटे की बजट-व्यवस्था से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। हमारे पास अपनी निर्माणाधीन परियोजनाओं को उधार लिए बिना पूरा करने के लिए काफी धनराशि होगी। तो सबसे पहले इन त्रुटियों को दूर किया जाना होगा। महोदय, मैं राजनीति में पिछले 30 सालों से हूं। कर लगाने का कोई फायदा नहीं, अगर उन्हें एकत्र करने के लिए कोई उपयुक्त मशीनरी न हो। वह व्यर्थ है। अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। कराधान की मौजूदा व्यवस्था अमीरों के लिए ही सहायक है गरीबों के लिए नहीं। जिन वस्तुओं पर केन्द्र कर लगाता है उन्हीं पर राज्य सरकारों द्वारा भी कर लगाया जा रहा है। दोहरे कराधान की इसी नीति से आम आदमी की तो पीठ ही टूट गई है। इसकी बजाय, बेहतर यही होगा कि सरकार एकत्र की गई कर की राशि में से अधिक कोटा दे। ऐसा करने से राज्यों को प्रगति करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा केन्द्र और राज्य के मध्य परस्पर विश्वास और सहयोग का वातावरण बनेगा। कानून को कड़ा बनाने के लिए उपाय किये जाने चाहिए ताकि व्यवसायी आसानी से बहाना बना कर रोक आदेश न ले लें। अभी तो अदालत याचिका दायर होते ही रोक आदेश दे देती है। इससे करों को एकत्र करने पर प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को रोक आदेश की अवधि अनिवार्यतः एक महीने तक ही रखने के लिए एक विधेयक लाने का प्रयास करना चाहिए। वित्त मंत्रालय को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। हाल ही में मारे गए छापों और गिरफ्तारियों से यह सिद्ध हुआ है कि अमीर ही हमेशा कर का अपवंचन करते हैं। कर के जाल से बड़े लोग बच जाते हैं। इसका उदाहरण किर्लोस्कर कम्पनी पर मारा गया छापा है। बड़े लोगों को कर जाल से भागने की अनुमति देकर आप आम आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाय, काफी, आदि जैसी मदों पर कर लगाया जा रहा है।

5 05 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कुरनूल में एक कागज मिल है। एक टन कागज तैयार करने की लागत लगभग 550 रुपये बैठती है। लेकिन वही कागज काला बाजार में 1100 रुपये टन बिकता है। क्या सरकार 550 रुपये की उस धनराशि पर भी कर लगाएगी जो वे कालाबाजार में बेच कर कमाते हैं ? जी नहीं। हमारी आंखों के सामने यह हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मौजूदा कराधान की सभी खामियों को उपयुक्त ढंग से दूर किया जाए। यदि सरकार ऐसा करने में सफल हो जाती है तो नये कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे वित्त मंत्री ने इस दिशा में जो उपाय किये हैं उनसे मैं प्रसन्न हूं। सरकार अब कालाबाजार को नियंत्रित करने के लिए उपाय कर रही है। लेकिन शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित किए बिना काले धन पर नियंत्रण रखना सम्भव नहीं है। शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित न होने के कारण शहरों में रहने वाले

लोग करोड़ों रुपये कमाते हैं। इस देश में खाड़ी के देशों से सोना तस्करी के माध्यम से आता है। कोई नहीं जानता कि वह कहां जाता है। कई मामलों में तो लोग कर से बचने के लिए सोना जमीन में दबा देते हैं। हमने सुना है कि तूफान के बाद जमीन से सोना निकला। इसलिए सरकार को मूल्यवान मदों पर नजर रखनी चाहिए। इन सब कार्यों पर नियंत्रण रखने और कानून को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार के पास विशेष स्टाफ होना चाहिए। तभी काले धन के परिचालन को रोका जा सकता है। परिचालन में काला धन बढ़ने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी और आम आदमी प्रभावित होगा। कुछ दिन पहले कुछ व्यवसायी किसी के पास आए और कपड़ा तथा घी आदि का आयात करने के लिए मेरा समर्थन मांगा। कल्पना कीजिए की इस तरह के आयात के लिए अगर अनुमति दे दी जाए तो विदेशी मुद्रा के रूप में कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। ये व्यापारी इन मदों को इकट्ठा कर लेंगे और कृत्रिम कमी की स्थिति उत्पन्न करके उन्हें बेचेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस तरह के व्यापारियों के कार्यों पर रोक लगाई जाए। ये स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए समाज का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं। वित्त मंत्री को ऐसे लोगों के कार्यों पर नजर रखनी चाहिए। देश से गरीबी को भी समाप्त किया जा सकता है। गरीब लोगों पर कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे-धीरे प्रत्यक्ष करों को समाप्त करके उनके स्थान पर अप्रत्यक्ष कर लगाए जा रहे हैं। गरीब आदमी के चाय के प्याले पर कर लगाना उपयुक्त नहीं है। सरकार अमीरों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सिगरेट, आदि जैसी वस्तुओं पर कर लगा सकती है। इससे लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में सहायता मिलेगी क्योंकि इससे कैंसर जैसी घातक बीमारियों से होने वाले मामलों में कमी आएगी। चाय और काफी जैसी मदों का इस्तेमाल तो बहुत गरीब लोगों द्वारा किया जाता है। खेतिहर मजदूर भी एक प्याला चाय पीकर हर सुबह अपने काम पर जाता है। किसानों को भी कराधान की इस नीति से बहुत परेशानी होती है। उन्हें खेतिहर मजदूरों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। अत: सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह कोई कर लगाने से पूर्व इन सब बातों पर विस्तार से विचार करे। उसे विस्तार से विचार करना चाहिए कि कहां कितना और किस पर कर लगाया जाए। इन पर विस्तार से विचार करने के बाद सरकार को लोगों पर लगाये जाने वाले करों में सुधार करना चाहिए। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री सारी नीति पर विस्तार से विचार करें। अन्त में माननीय मंत्री से अनुरोध है कि आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मदों पर कर समाप्त किया जाए।

महोदय, यह अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : सभापति महोदय, पहले मैं उन सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन विधेयकों पर विचार करने में अपना सहयोग दिया। शुरू में यह कहकर आपत्ति की गई कि विधेयकों को जल्दी में लाया जा रहा है लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों ने चर्चा में सहयोग दिया है। वस्तुत: चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों ने विधेयक का अध्ययन किया है।

जहां तक उत्पादन शुल्क के वर्गीकरण और शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं का पता लगाने का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही सरल और व्यापक विधेयक है। पहले दो पृष्ठों को छोड़कर अन्य पृष्ठों

[श्री जनार्दन पुजारी]

के स्थान पर अनुसूची लगा दी गई है और यही नई अनुसूची विधेयक में शामिल की गई है। अन्यथा, यह बहुत ही सरल विधेयक है।

1984 में बजट भाषण देते समय भूतपूर्व वित्त मंत्री ने कहा था :—

"केन्द्रीय उत्पादन राजस्व, जो कि 1953-54 में लगभग 100 करोड़ रुपये था, 1983-84 में चमत्कारिक रूप से बढ़कर 10,100 करोड़ रुपये हो गया—जिससे केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क में भी काफी वृद्धि हुई। मेरे विचार में इस प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से इसकी व्यापक समीक्षा करने का यही समय है क्योंकि यह पिछले तीन दशकों से चल रहा है। हमें विस्तार से अध्ययन करने की जरूरत है और तकनीकी अध्ययन दल ही यह काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे एक दल का गठन किया जाए।"

इस आश्वासन के अनुसरण में एक तकनीकी दल को अध्ययन दल के रूप में नियुक्त किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट सितम्बर, 1985 में प्रस्तुत की और सरकार ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में इस व्यापक विधेयक को तैयार किया।

आप जानते ही हैं कि पिछले केन्द्रीय उत्पादन तथा नमक अधिनियम में मद 1 से 67 तक ऐसी वस्तुएं थीं जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है।

जहां तक मद संख्या 68 का संबंध है इसमें शुल्क योग्य वस्तुओं के स्वरूप के बारे में नहीं बताया गया था। मद 68 के अन्तर्गत वे मदें आती थीं जो मद 1 से 67 के अन्तर्गत नहीं आती थीं। स्थिति यह थी।

मद 67 में 1,000 से अधिक मदों का उल्लेख था लेकिन अनुसूची में उन्हें निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

अब इस विधेयक में हमने इसका उल्लेख कर दिया है और हमने पहले ही स्पष्ट रूप से उन वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिन पर शुल्क लगाया जा सकता है जो पहले मद संख्या 68 के अन्तर्गत आती थीं। अत: अब कोई जटिलता नहीं रही है।

यह बहुत सरल विधेयक है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि किन-किन वस्तुओं पर शुल्क लगाया जा सकता है। अत: मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि भले ही यह विधेयक सदन के अन्तिम सप्ताह में लाया गया है किन्तु इसमें जल्दबाजी नहीं की गई।

नियम को निलम्बित क्यों किया गया है ? मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि हमारे पास विधेयक संख्या 202 है। यह आधारभूत विधेयक है। अन्य विधेयक आनुषंगिक विधेयक हैं। इस

विधेयक में परिवर्तन के कारण हमें अन्य विधेयकों-विधेयक संख्यांक 201 और विधेयक संख्यांक-204 में परिवर्तन करने पड़ेंगे और इस विधेयक के साथ उन पर विचार करना होगा। नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाकर हमने संसद से नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने का अनुरोध किया है। आशय यही है। माननीय सदस्यों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं माननीय सदस्यों और विपक्ष के सदस्यों का भी सहयोग देने के लिए आभारी हूं। इससे अधिकारियों को ही नहीं बल्कि निर्माताओं को भी उन वस्तुओं को जानने में सहायता मिलेगी जो अनुसूची के अन्तर्गत आ सकते हैं जिन पर शुल्क लग सकता है। अब अस्पष्ट स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है, भ्रम समाप्त हो गया है और हमने इस विधेयक में स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि इन मदों पर शुल्क लगाए जा सकते हैं। इसलिए अधिकारी कोई शरारत नहीं कर सकते। इसके द्वारा हम भ्रष्टाचार भी समाप्त कर रहे है। हम निर्माताओं को भी बता रहे हैं कि अमुक मदों, उत्पादों या वस्तुओं पर शुल्क लग सकता है और उसके अनुसार उन्हें भुगतान करना होगा।

मेरा अगला निवेदन यह है कि इस विधेयक के अन्तर्गत वस्तुओं के समूहीकरण की व्यवस्था भी की गई है। तो इस तरीके से भी हम भ्रम या अस्पष्टता को समाप्त कर रहे हैं। संक्षेप में इसी व्यवस्था को मैं सदन में बताना चाहता हूं।

एक मुद्दा उठाया गया है कि क्या दीर्घकालीन राजस्व नीति की घोषणा की जाएगी और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त ने इस मुद्दे को उठाया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे कुछ दिन और प्रतीक्षा करें। हम इस सत्र में ही इस माह की 19 तारीख को दीर्घकालीन राजस्व नीति की घोषणा करने जा रहे हैं और इसकी घोषणा हो जाने पर माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त इस बात का अध्ययन कर सकते हैं कि क्या हम उपभोक्ताओं के लिए कुछ बेहतर करने जा रहे हैं या केवल उद्योगपतियों को ही प्रोत्साहन देंगे।

यह उल्लेख किया जा चुका है कि इस देश में काला धन पैदा करने के लिए उत्तरदायी उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है जो सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क और अन्य करों का भुगतान नहीं करते। हमारी प्रतिबद्धता एकदम स्पष्ट है। इस देश के प्रधान मंत्री का कार्यभार संभालने के समय माननीय प्रधान मंत्री ने वचन दिया है कि काले धन के मामले में कर अपवंचकों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। यही नहीं, अधिक राजस्व एकत्रित होगा। उन्होंने देश को कारगर और स्वच्छ प्रशासन देने का भी वचन दिया है। अब आप देख सकते हैं कि यह वचन पूरा किया गया है या यह देश के साथ किया गया एक झूठा वायदा है। अब हम आंकड़ों पर आते हैं। इस सरकार का इस साल कार्यनिष्पादन क्या रहा। आप देखिए —चालू वर्ष में सीमा शुल्क के सम्बन्ध में बजट अनुमान 8,166 करोड़ रुपए है और हम नवम्बर, 1985 तक 5,741 करोड़ रुपए ही वसूल कर पाए। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में बजट अनुमान 12,227 करोड़ रुपए है और नवम्बर, 1985 तक 8,128 करोड़ रुपए ही वसूल हो पाए। आयकर और निगमित कर के मामले में बजट अनुमान 4,816 करोड़ रुपए था और हम नवम्बर, 1985 तक 2,158 करोड़ रुपए वसूल कर पाए। सीमा शुल्क में पिछले साल

[श्री जनार्दन पुजारी]

के मुकाबले में 1423 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की वसूली में 1133 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। जहां तक आयकर तथा निगमित करों का संबंध है, इसमें 404 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई। 1984 के आंकड़ों की अगर नवम्बर, 1985 तक वसूल किए गए शुल्क के आंकड़ों से तुलना की जाए तो उसमें लगभग 23% की वृद्धि हुई है।

ऐसा कभी नहीं हुआ। यह तो एक ऐतिहासिक बात हुई है। ऐसा माननीय सदस्यों द्वारा उल्लिखित उपायों सहित किए गए उपायों के कारण हुआ हैं। इसका सामूहिक प्रभाव यह पड़ा कि राजस्व अधिक वसूल हुआ। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और आयकर के रूप में अधिक राजस्व एकत्र करने पर, आयकर से होने वाली वसूली का 80% और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से होने वाली वसूली का 45% राज्यों को मिलेगा। इस प्रकार राज्यों को अधिक धनराशि मिलेगी।

अगर हम अधिक राजस्व एकत्र करने में सफल हो गए तो राज्यों को भी अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्हें भी लाभ होगा।

जहां तक बड़े लोगों द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और अन्य अधिनियमों का उल्लंघन करने का संबंध है, यह आशंका व्यक्त की गई है कि अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाएगी। हमने राष्ट्र को स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे और कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई भी इसका उल्लंघन करता है चाहे वह 'क' अथवा 'ख' व्यक्ति हो, चाहे वह राजनीति से संबंधित व्यक्ति हो अथवा किसी और क्षेत्र का व्यक्ति हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा और कार्यवाही की जाएगी। अब तक जो कार्यवाही की जा चुकी है, उससे यह बात स्पष्ट हो चुकी है। कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को ही नहीं अपितु उन व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ा जाएगा जो करों की चोरी करने वाले व्यक्तियों का साथ देते हैं। उन लोगों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है जिनकी उनके साथ मौन स्वीकृति थी जिनकी सत्यनिष्ठा पर संदेह था।

राष्ट्र को उन व्यक्तियों के बारे में पता है। ये नाम राष्ट्र को पता हैं। राष्ट्र को यह भी पता है कि सरकार ने इन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

जहां तक इन कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही का सम्बन्ध है, जो स्वयं को बड़ा आदमी समझते हैं, यदि उनके द्वारा किसी नियम का उल्लंघन किया जाएगा; तो जैसा कि मैं कह चुका हूं, उनमें से कुछ मामलों के बारे में आपको पता चल जाएगा। मेरे विचार में अब हम अगले बजट सत्र में मिलेंगे तब उसके बारे में राष्ट्र को बताया जाएगा। इससे पहले ही कुछ लोगों के बारे में हमें पता चल जाएगा। माननीय सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि बड़े लोगों को इसके अन्तर्गत लाया जाये। सरकार का यही इरादा है और माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दे को हम पूरी तरह से समझते हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा किये गये योगदान से मुझे अपार प्रसन्नता हुई है। पूरी सभा ने यह

आवाज उठाई है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाना चाहिये और उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। हम उन माननीय सदस्यों के कृतज्ञ हैं जिन्होंने उन लोगों का पता लगाने में सहयोग दिया है जो इस देश के नियमों का उल्लंघन करते रहे हैं।

महोदय, मैं दुबारा माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इसके बारे में उन्हें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है कि हम उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं; और यदि इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति है जो देश के कानूनों का उल्लंघन करते रहे हैं, विशेषकर ऐसे व्यक्ति जो ऐसे व्यक्तियों का साथ देते रहे हैं; यदि उनके बारे में हमें पता चल सका तो हम उनके विरुद्ध कार्यवाही अवश्य ही करेंगे चाहे ऐसी कार्यवाही रोकने के लिए हम पर किसी औद्योगिक क्षेत्र से या वाणिज्य मंडल से अथवा किसी राजनैतिक क्षेत्र से अथवा किसी भी अन्य क्षेत्र से कैसा भी दबाव क्यों न डाला जाये। हम किसी दबाव में आने वाले नहीं हैं। सरकार इस मामले से अवगत है। ऐसे तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का दृढ़ संकल्प है। इसी अवसर पर माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि विकासशील गतिविधियों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। इतना ही पर्याप्त नहीं है कि केन्द्रीय सरकार ही कार्यवाही करे। इसे नीचे के स्तर से ही होना चाहिए और राज्य सरकारों को अपने स्थानीय प्रशासन में कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही सम्पूर्ण देश पर यह प्रभाव पड़ेगा कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने इस विषय को गम्भीरता से लिया है और वह राष्ट्र को मजबूत प्रशासन देने जा रही है।

जहां तक संसाधन जुटाने का संबंध है, आंध्र प्रदेश के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि प्रशासन को कसकर रखेंगे तो अधिक धन एकत्र हो सकेगा और जो कदम उठाये गये थे, उसी का यह परिणाम निकला है। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं। इसी प्रकार बिक्री कर और उत्पाद शुल्क का संबंध है, यदि इनकी चोरी की जाती है, तो धन जुटाने के लिए राज्य सरकारों को कदम उठाने चाहिये।

बकाया राजस्व के मामलों अर्थात न्यायालयों में पड़े निर्णयाधीन मामलों के संबंध में, उत्पाद शुल्क संबंधी 15000 मामले विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन हैं और उनमें 300 करोड़ रुपये से अधिक राशि फंसी है। एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया है कि अधिक सक्षम वकीलों को नियुक्त किया जाये और उन्हें पर्याप्त पारितोषिक दिया जाये। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने कदम उठाये हैं। सक्षम वकील नियुक्त किये गये हैं। पेनल में दर्ज न किए गए वकीलों को भी नियुक्त किया गया है और अधिक पारितोषिक दिया गया है जिससे कि वे न्यायालय में कारगर ढंग से मामलों की पैरवी कर सकें। मैं न्यायपालिका से भी राष्ट्र की चिंता को ध्यान में रखकर विभिन्न न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मामलों का निर्णय करने का अनुरोध कर रहा हूं।

श्री इन्द्र जीत गुप्त ने यह मुद्दा उठाया था कि शुल्क बढ़ाने के लिए हम और अधिक आपात शक्ति क्यों हासिल कर रहे हैं। श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर ने भी यह मुद्दा उठाया था और उन्होंने पूछा था कि हम यह उपबन्ध क्यों शामिल कर रहे हैं जिससे केन्द्र सरकार को और अधिक शक्ति

[श्री जनार्दन पुजारी]

प्राप्त हो। धनाभाव की स्थिति में जब आप बजट प्राक्कलनों को पूरा कर पाने में असमर्थ होते जा रहे हैं; तब हम इन शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं जो इस खण्ड के अन्तर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान कानून में करों को घटाने का उपबन्ध है। अनुसूची में केवल अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। अब उसमें इसका उपबन्ध है। हम इसका लाभ उठा रहे हैं। जब कभी भी जहां हम कर कम करना चाहते थे; हम संसद का सहारा लिए बिना ही ऐसा कर सकते थे और ऐसी स्थिति में हमें सभा के समक्ष केवल एक अधिसूचना रखनी पड़ती थी। इसी प्रकार खण्ड 3 के अधीन हमने शक्तियां प्राप्त की हैं। इसका इस्तेमाल केवल आपात मामलों में ही किया जाएगा। इसका इस्तेमाल राष्ट्र के हित में, न कि राष्ट्र के अहित में किया जाएगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत हम शुल्क घटा तो सकते हैं और इस नियम के अन्तर्गत हम कर बढ़ा नहीं सकते हैं। अत: खण्ड 3 एक समर्थकारी खण्ड है इसके द्वारा हमें कर वृद्धि की शक्ति प्राप्त हो जाएगी।

अब, प्रोत्साहन के सम्बन्ध में, माननीय सदस्य ने मुझसे पूछा है कि अच्छा कार्य करने के लिए इन कर्मचारियों को कोई प्रोत्साहन दिया जाता है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्पादन शुल्क की राशि एकत्र करने के लिए पारितोषिक प्रणाली है। अन्ततोगत्वा इस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को खतरों का सामना करना पड़ता है और स्वाभाविक रूप से उन्हें कठिन परिस्थितियों में कार्य करना पड़ता है; इसलिए हमें उन्हें पारितोषिक देना पड़ता है और पारितोषिक देने की व्यवस्था है। इतना ही नहीं; जब कभी सरकार को यह पता चलता है कि विभाग में भ्रष्ट कर्मचारी हैं, तथा अकुशल कर्मचारी हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों के साथ उनकी मिली-भगत है; तो ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध हमने कार्यवाही की है। इसके साथ ही, मैं इस सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि यदि कष्ट पहुंचाने या बदनीयती से कोई छापा मारा जाता है; तो ऐसा करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का भी प्रावधान है। पिछली बार मैंने सभा को बताया था और आज भी मैंने कहा है कि राजस्व विभाग ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अच्छे कार्य के लिए मुझे बधाई दी थी। हमारे राजस्व विभाग के कर्मचारी, जो जोखिम उठाकर दिन-रात कार्य करने को तत्पर रहते हैं; प्रशंसा के पात्र हैं। राजस्व विभाग को बधाई देने के लिए मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। वास्तव में वे इसके अधिकारी हैं। बुद्धिमान, ईमानदार और कुशल कर्मचारियों को, जिनके कारण यह प्रशंसनीय कार्य हुआ है, बधाई देने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस अवसर मैं भी उन्हें बधाई देता हूं।

महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह विधेयक बहुत साधारण-सा विधेयक है और अन्य दो विधेयक संख्या 201 और 204 उसके आनुषंगिक विधेयक हैं। इसके बारे में मुझे और कुछ नहीं कहना है। इसलिए, मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्यगण बिना किसी विरोध के इस विधेयक को पारित कर दें। मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों को विशेषकर श्री जयपाल रेड्डी को कोई बाधा न डालने के लिए धन्यवाद देता हूं और मुझे खेद है कि इसके बारे में अधिक योगदान करने के लिए उन्हें समय नहीं मिल सका। मुझे आशा है; कि किसी और समय वह कुछ बोल सकेंगे। धन्यवाद।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के स्थान पर टैरिफ का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समापति महोदय : अब, हम दो और विधेयकों पर विचार करेंगे।

समापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (टेक्सटाइल और टेक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

समापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2 से 5

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 5 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री जनार्दन पुजारी : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 66 के परन्तुक के निलम्बन का प्रस्ताव

[अनुवाद]

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985 तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर विचार और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 66 के परन्तुक का, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक, 1985 तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985, जहां तक ये एक दूसरे पर निर्भर हैं, पर विचार और उन्हें पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने के सम्बन्ध में निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.39 म० प०

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक और कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं : —

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

और

"कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए उनके निर्यात पर सीमा-शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का प्रस्ताव है। मैं समझता हूं यह बात स्पष्ट है कि निर्यात किए जाने वाले माल में मैं इन वस्तुओं को महत्व दूं, यह जानी-मानी बात है कि इस समय निर्यात में कृषि वस्तुओं का हिस्सा हमारे कुल निर्यात का केवल 25 प्रतिशत है यद्यपि सम्भावना इससे कहीं अधिक है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि हम इन उत्पादों के निर्यात में विकास करने के लिए विशेष प्रयास करें।

इस समय प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद इन उत्पादों के निर्यात की देख-रेख करता है। यह सच है कि परिषद के पास गुणवत्ता नियन्त्रण के लिए कोई सांविधिक आधार नहीं है और इस पहलू की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये, क्योंकि गुणवत्ता नियन्त्रण बहुत आवश्यक है, विशेषकर जब आयात करने वाले देश इस पर बल दें। परिषद के पास न तो मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए और न ही इन उत्पादों का प्रभावशाली ढंग से निर्यात करने के लिए पर्याप्त शक्तियां हैं। यह मानी हुई बात है कि इन उत्पादों से अधिक राजस्व और अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। अतः हमें इन मूल्यवर्धित उत्पादों पर अधिक बल देना चाहिए।

अतः इन उत्पादो के महत्व और इसकी भावी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जैसा मैंने अभी कहा है, इस बात का निर्णय किया गया है कि परिषद के स्थान पर एक सांविधिक प्राधिकरण

स्थापित किया जाएगा जो अपने कृत्य और उत्तरदायित्व अधिक प्रभावशाली और अधिक निष्ठा से निभा सकेगा। इससे यह बागवानी बोर्ड जैसे राष्ट्रीय निकायों और राज्य सरकारों के साथ निर्यात के लिए उत्पादन करने और ऐसे मूल्यवर्धित उत्पादों के विकास के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के साथ समन्वय कर सकेगा।

महोदय, यह गुण प्रकार प्रमाणीकरण का काम भी करेगा और मांस तथा मांस उत्पादों जैसे उत्पादों के निरीक्षण तथा गुणवत्ता को प्रभावशाली ढंग से नियन्त्रित करेगा। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति पूरी तरह से सन्तोषजनक नहीं है और इसकी ओर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है विशेषकर गुणवत्ता नियन्त्रण के मामले में। प्राधिकरण में केन्द्रीय और राज्य सरकारों, संसद, व्यापार, निर्यात संवर्धन परिषद और इस क्षेत्र में विशेषज्ञों के प्रतिनिधि होंगे।

प्राधिकरण का एक महत्वपूर्ण कृत्य प्रसंस्कृत खाद्य उद्योग का वित्तीय सहायता, व्यावहार्यता अध्ययन, संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इक्विटी पूंजी तथा अन्य राहत और सहायता योजनाओं में भागिता द्वारा विकास करना होगा। अनुसूचित उत्पादों के निर्यातकों का पंजीकरण, निर्यात के लिए अनुसूचित उत्पादों के लिए मानक और विशिष्टियां निर्धारित करना इस प्राधिकरण के कृत्य और जिम्मेवारियों का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू होगा। बूचड़खानों और प्रसंस्करण संयंत्रों का निरीक्षण, पैकिंग और सामान्य सफाई भी प्राधिकरण की जिम्मेवारी होगी क्योंकि बूचड़खानों में स्वास्थ्यकर वातावरण बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस पर और अधिक सावधानी के साथ ध्यान दिया जाना है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि आयात करने वाले देश सफाई व्यवस्था पर अधिक बल देते हैं और उनका स्तर बहुत ऊंचा हों।

विधेयक में एक उपबन्ध है कि प्राधिकरण कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास तथा संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय करेगा। जैसा कि मैंने कहा है कि कृषि क्षेत्र हमारे निर्यात प्रयासों में बहुत योगदान देता है और इसे यह लगातार जारी रखेगा, विशेषकर इसलिए कि हमें ऐसा लगता है कि इसकी संभावनाएं अधिक हैं। अतः यह प्राधिकरण उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा जो हमारे कृषि उत्पादों, विशेषकर मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात के सम्बन्ध में हैं, किंतु अधिक विश्वास प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर किया जाएगा जिससे मूल्यवर्धित उत्पादों के माध्यम से अधिक प्राप्ति होगी। संयोगवश इससे आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी और हमारे लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होगा। इस समय हमें प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास में अनेक गम्भीर बाधाएं आ रही हैं। उदाहारण के तौर पर इस समय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मुख्यतः लघु उद्योग क्षेत्र में है जिसमें प्रसंस्करण और पैकिंग की पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। अतः नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाना चाहिए और केवल यह प्राधिकरण ऐसा कर सकता है।

स्थाई बाजार सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि हम आयात करने वाले देशों के गुणवत्ता मानदण्डों का सख्ती से पालन करें; और आयात करने वाले देशों के वांछित मानदण्डों को पूरा करने के लिए गुणवत्ता नियन्त्रण और निरीक्षण भी अच्छे ढंग से हों और इन्हें बढ़ाया जाए। इसमें

[श्री खुर्शीद आलम खां]

स्वभावतः अनुसंधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना पड़ेगा और भारी मात्रा में संगठनात्मक प्रयास होना चाहिए जिसे प्राधिकरण द्वारा किया जाना होगा।

प्राधिकरण के पास अपने कृत्य और जिम्मेदारियां निभाने के लिए आवश्यक संसाधन हों। इसके लिए सभी अनुसूचित कृषि तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर ,जिनका निर्यात किया जाएगा, सीमा शुल्क पर मूल्यानुसार 3% से अनधिक उपकर लगाया जाएगा। उपकर की वास्तविक दर भिन्न-भिन्न होगी जो उत्पाद के किस्म पर निर्भर होगी, अर्थात 0.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत तक जो सबसे अधिक होगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि दो विधेयकों अर्थात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण विधेयक 1985 तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात उपकर विधेयक, 1985 पर एक-साथ विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि कुछ कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के विकास और निर्यात के संवर्धन के लिए, उनके निर्यात पर, सीमा शुल्क का उपकर के रूप में उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री रघुमा रेड्डी बोलेंगे।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : महोदय, इस विधेयक में प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद के स्थान पर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण स्थापित करने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। एक प्रकार से यह विधेयक किसानों और किसान समुदाय के लिए सहायक होगा। यदि इस कानून को ईमानदारी से लागू किया जाए। और इसे कार्यान्वित करने वाले अधिकारी ईमानदार हों।

सामान्यतः जब ऐसे निगमों अथवा प्राधिकरणों की रचना की जाती है तो इसका उद्देश्य यह होता है कि ऐसे कुछ गैर-सरकारी लोगों और ऐसे अधिकारियों को रोजगार दिया जाए जो भ्रष्ट और अकुशल हैं। ऐसे लोगों को इन निगमों और प्राधिकरणों में नियुक्त किया जाता है। इस विधेयक में प्राधिकरण में बहुत से सदस्यों का उपबंध किया गया है। संसद सदस्यों और कृषि सम्बन्धी व्यक्तियों समेत अनेक विशेषज्ञ शामिल किये गये हैं। किन्तु इस प्राधिकरण में सदस्यों की संख्या अधिक है और

यह बाजार सा दिखाई देता है। सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है। मैं नहीं समझता बहुत से सदस्यों के होने से अच्छा कार्य परिवर्तन नजर आएगा। उनके लिए कुछ मामलों पर निष्कर्ष निकालना असंभव होगा।

खण्ड 9 में प्राधिकरण द्वारा समितियों की नियुक्ति का उल्लेख है। किंदु उस खण्ड में इस बात का उल्लेख नहीं है कि ऐसी कितनीं समितियों का गठन किया जाएगा। एक उप-समिति होनी चाहिए जो कृषकों की समस्याओं को निपटाएगा।

आज हम कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गये हैं; और हमें अपने देश के प्रत्येक उत्पाद का निर्यात करना है —केवल कृषि के ही नहीं, किन्तु बागवानी, दुग्धशाला, मुर्गी पालन तथा औषधीय पौधे भी। किन्तु उपोत्पाद तैयार करते समय हमें गुणवत्ता का भी ध्यान रखना चाहिए। हमें न्यूनतम प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी चाहिए। आप हर समय उच्च प्रौद्योगिकी की बात करते हैं। ऐसी प्रौद्योगिकी प्राप्त की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम को सभी क्षेत्रों में ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिये।

हमें उन वस्तुओं की योजना बनानी चाहिए जिन्हें हम दूसरे देशों को निर्यात करने जा रहे हैं। इन्हें हमारे क्षेत्र में बोया जाना चाहिए। जिस किसी फसल को हम यहां उगाने की योजना बना रहे हैं, चाहे यह बागवानी, दुग्धशाला, अथवा अनाज की, हों, पहले हमें उनकी मांग को देखना है। आप पहले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की मांग का अध्ययन कीजिए और उसके पश्चात् इन फसलों और अन्य चीजों के सम्बन्ध में बात कीजिए। यदि आप किसान को कहीं कोई विशेष फसल उगाने अथवा कोई और चीज उगाने के लिए कहेंगे जहां उस उत्पाद का कोई बाजार नहीं है। उस उत्पाद को खरीदने वाला कोई नहीं है, कोई बिचौलिया इस स्थिति का लाभ उठाएगा; वह किसान की अपेक्षा अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार उनकी कीमत पर कोई लखपति बन जाएगा।

आप जिस प्राधिकरण की रचना करने जा रहे हैं उसे इन सभी पहलुओं का अच्छी तरह अध्ययन करने की क्षमता होनी चाहिए और तभी आप उनके विरुद्ध कुछ कार्यवाही कर सकते हैं। आप यह सर्वेक्षण भी कर सकेंगे कि भारतीय किसान किस का उत्पादन कर रहे हैं और उन्हें इसके अतिरिक्त क्या चाहिए। हमें अन्य देशों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ भी मुकाबला करना है। दिन-प्रति-दिन अन्य देश प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं। अतः हमें भी अपनी प्रौद्योगिकी का इस प्रकार विकास करना है जिससे हम अन्य देशों की प्रौद्योगिकी के साथ मुकाबला कर सकें। केवल ऐसा करने से हम अपने निर्यात का लाभ उठा सकते हैं।

विपणन सुविधाओं और अन्य व्यापारिक रियायतें भी आवश्यक हैं। यदि आप वर्तमान अधिकारियों को उपयुक्त नहीं समझते हैं तो आप विज्ञापन निकाल कर इन कार्यों को करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर सकते हैं। आप कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों से भी बुद्धिमान और प्रशिक्षित अधिकारी प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान पद्धति को चलाते रहने के बजाय, आप उन निजी फर्मों से जो ऐसे कार्य में लगी हुई हैं कुशल अधिकारी प्राप्त कर सकते हैं।

[श्री एम० रघुमा रेड्डी]

आप परिषद में परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि वह सही ढंग से कार्य नहीं कर रही। आप और अधिक नई शक्तियां ले रहे हैं और नई प्रणाली ला रहे हैं। यहां मैं सुझाव देना चाहता हूं कि आपको वही अधिकारी और अन्य सम्बन्धित बातें इसमें नहीं लेनी चाहिए। आप इसका आधार व्यापक कर सकते हो। आप अन्य प्रतिष्ठित फर्मों से भी लोगों को बुला सकते हैं और निजी क्षेत्र से जहां पर प्रशिक्षित काम कर रहे हैं, अन्य बातें भी ग्रहण कर सकते हैं। आप प्राधिकरण को सुधारने के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

आज, कपास उत्पादकों को अच्छे मूल्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं क्योंकि उच्च स्तर पर लोगों का कहना है कि वे अच्छी किस्म की कपास पैदा नहीं कर रहे। इसलिए उन्हें कपास उपज की कम कीमत मिल रही है और उनसे धोखा किया जा रहा है। कपास की ऐसी किस्म के लिए कौन जिम्मेदार है? जब आप इस विषय को ले रहे हैं, तो पहले आपको गुणवत्ता, पूर्ति और अन्य चीजों को तय करना है। आप जो कुछ उत्पादन चाहते हो, चाहे वह बागवानी, डेरी या कोई अन्य उत्पादन हो इसकी गुणवत्ता बनाए रखनी चाहिए। अच्छी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आपको नवीनतम प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है जो सस्ती दर पर अन्य देशों में उपलब्ध है। उस प्रौद्योगिकी को खरीद कर आप अपनी प्रौद्योगिकी का विकास कर सकते हो जो अन्य देशों की प्रौद्योगिकी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

हमारा कृषि प्रधान देश है। हमारी 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। आपको किसानों को विश्वास में लेना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए। यह फर्म आपके कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने में सहायक होगी और किसानों को भी अपने उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो सकेगा। कृपया बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों को अपने रास्ते में आने की अनुमति न दें और उन्हें किसानों को हानि न पहुंचाने दें। मुझे आशा है कि यदि इन बातों को ध्यान में रखा गया तो यह विधेयक किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने में सहायक होगा। मेरी यह राय है कि आप किसानों के लिए सहायक होंगे और मुझे आशा है कि यह विधेयक किसानों के उत्पादन की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता करेगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल (कोपरगांव) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। एग्रीकल्चर के बारे में नीतिगत परिवर्तन लाने के लिए सरकार जो विधेयक लाई है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि बहुत समय से किसानों की यह मांग रही है कि जब इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए विभिन्न कारपोरेशन बने हुए हैं तो किसानों द्वारा उत्पादित चीजों को एक्सपोर्ट करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। पांच-दस साल से लगातार किसान इसकी मांग कर रहे थे इसलिए मैं समझता हूं आज किसानों के लिए यह एक बड़ा शुभ दिन है जबकि इस विधेयक के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि वे अपनी पैदा-

धार खुद ही विदेशों को भेज सकते हैं या सहकारी संस्थाओं के माध्यम से भी भेज सकेंगे। अभी मन्त्री जी ने बताया है कि अभी तक जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें 25 फीसदी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस (मीट वगैरह मिला कर) विदेशों को भेजा जाता है। अभी जो 1982 में मीटिंग हुई थी उसमें कहा गया है कि अभी तक गये पांच सालों में 1435 करोड़ रुपये के कृषि की पैदावार का एक्सपोर्ट किया है और हमारा लक्ष्य 500 करोड़ रुपये का है। मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक कितना इन्होंने हासिल किया है और कितना हासिल करने जा रहे हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में हमारा कितना लक्ष्य था एक्सपोर्ट करने के लिए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमने कितना लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य को पूरा करने के बारे में हमारी नीति क्या होगी। हम तो यह देख रहे हैं कि सरकार ने जो कदम उठाया है, वह एक अच्छा कदम उठाया है क्योंकि वह ज्वाइन्ट वेंचर में भी जाना चाहती है और मैं उसका समर्थन करूंगा लेकिन जब ज्वाइन्ट वेन्चर में जाएं, तो मैं मन्त्री जी से आग्रह करूंगा कि वे सहकारी आंदोलन को साथ लेकर आगे बढ़ें क्योंकि इस उद्योग में भी मोनोपोलिस्ट्स लगे हुए हैं और एजेंट्स लगे हुए हैं। जब विदेश के लिए हम कुछ माल भेज सकते हैं, तो सहकारी आंदोलन द्वारा भेजना चाहिए। आप नेफेड को ही देख लीजिए। नेफेड का जो काम चल रहा है, वह जूट हो, कपास हो और कुछ भी हो, वह कैसा चल रहा है, यह सब जानते हैं। आप प्याज को ही देख लीजिए। जब उसमें हमको घाटा हुआ, तो हर एक राज्य सरकार ने यह तय किया कि इस घाटे पर प्याज को विदेशों में नहीं भेजेंगे। केले का भी वैसा ही हुआ। जब ज्यादा पैदावार हो जाती है और हम विदेशों में भेजने की कोशिश करते हैं, तो विदेशों में हमको ज्यादा दाम नहीं मिलता। इसलिए हमको यह सोचना चाहिए कि एक दीर्घकालीन नीति इसके लिए बनाएं। जब हम दीर्घकालीन नीति बनाएंगे, तो विदेश वालों को विश्वास होगा। चावल हो, बासमती का चावल हो या दूसरा चावल हो, गेहूं हो, कपास हो, चाय हो, काफी हो या कोई और चीज हो, जब हमारी दीर्घकालीन नीति नहीं होती है, तो वे हमारे आर्डर कैंसिल कर देते हैं और फिर हमारे हिन्दुस्तान में इन चीजों का फ्लड-सा आ जाता है और किसान विक्टम बन जाता है और किसान को भारी नुकसान होता है।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि वेयरहाऊसिंग का प्रावधान होना चाहिए। जो माल हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए स्टोरेज की कैपेसिटी हम बढ़ाएं और साइंटीफिक तरीके से उसको बढ़ाएं और इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना जरूरी हो, तो वह भी करना चाहिए। अगर हम यह कहेंगे कि जो एजेन्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, वे स्टोरेज कैपेसिटी बनाएं, तो उससे यह यह काम चलने वाला नहीं है। सरकार खुद यह बिल लाई है और प्रोसेस्ड फूड और एग्रीकल्चर की जो हमारी पैदावार है, उसको रखने के लिए गोडाऊन न हो, और हमारे पास सस्टेनिंग पावर न हो, तो जब हम इन्टरनेशनल मार्केट में जाएंगे और उनके साथ हमको कम दाम में माल बेचना पड़ेगा, तो उसमें हमें घाटा उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं यह आग्रह करता हूं कि स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए।

रजिस्ट्रेशन की बात भी कही गई है। रजिस्ट्रेशन थोड़ा आसान होना चाहिए। अभी तो जो रजिस्ट्रेशन की बात है, उसमें बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारे मित्र ने कहा है कि विदेशों के लिए मार्केट पोटेंशियल की स्टडी गवर्नमेंट की मार्केट एजेन्सी द्वारा कराया जाना जरूरी है ताकि किसान को और देश को मालूम हो कि क्या पोटेंशियल है और उसी हिसाब से किसान अपना क्रोपिंग पैटर्न बना

[श्री बालासाहेब विखे पाटिल]

ले कि हम कौन सी चीज पैदा करें और कौन सी चीज न पैदा करें, जिसको हम विदेशों में भेज सकते हैं और लोगों के लिए भी पैदावार कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, तो जिस दिन कोई चीज ज्यादा पैदा होगी, देखिए कपास ज्यादा पैदा हुआ है तो हम चिल्लाएंगे कि इसको एक्सपोर्ट करो और सरकार कह देगी कि हम नहीं भेज सकते क्योंकि विदेशों में अच्छा मार्केट नहीं है और हमको घाटा हो रहा है। चीनी के बारे में यही हुआ है और जब चाय और काफी की बात आती है, तो ऐसा ही होता है। इसलिए वेयरहाऊसिंग की बहुत जरूरत है, इस बात को मैं मानता हूं। अगर वेयरहाऊसिंग की सुविधा न हो, तो वह जो एग्रीकल्चर एण्ड प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट आथेरिटी में है, इसका काम जिस ढंग से हम चलाना चाहते हैं और किसानों के हित में चलाना चाहते हैं, वह चलने वाला नहीं है।

एक दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आई और वह रिसोर्सेज के बारे में है। इसमें सेस लगाने की बात आपने कही है और वह 3 पर सेन्ट है मैक्सीमम और वह प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट और आइटम टू आइटम वैरी करता है। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहूंगा कि खाली आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ही विदेशों को नहीं भेज रहे हैं, कई किस्म के इन्डस्ट्रियल गुड्स भी आप बाहर भेज रहे हैं। कौन-कौन से ऐसे इन्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी रिसोर्सेज के लिए आपने सेस लगाया है और आप इस पर ही क्यों लगाना चाहते हैं। इसके कारण लोगों पर मुसीबत आ जाएगी। जब आप चीजें एक्सपोर्ट करेंगे, तो सेस लगाने से चीजें ज्यादा महंगी हो जाएंगी। आपको यह देखना चाहिए कि सेस हटाने के कारण कोई कठिनाई पैदा न होनी चाहिए।

5.00 म० प०

क्योंकि बाकी जगहों पर, काफी जगहों पर आप सैस नहीं लगा रहे हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डवलपमेंट के लिए आप लगा रहे हैं। मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूं और ठीक भी नहीं मानता हूं।

[अनुवाद]

समापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखेंगे।

सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 के सम्बन्ध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा 'सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90', जिसे 4 दिसम्बर, 1985 को सभा के पटल पर रखा गया था, विचार करे।"

5.01 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : इस दस्तावेज पर अब चर्चा करने का क्या लाभ है?

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस योजना को पहले से ही अन्तिम रूप दे दिया गया है। अब हम क्या चर्चा करेंगे? हम माननीय मन्त्री से जानना चाहते हैं कि क्या हमारे सुझावों को दस्तावेज में शामिल किया जाएगा या नहीं···(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : इस पर चर्चा करने से क्या फायदा है?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर पहले से ही चर्चा हो चुकी है, आप भी इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हो।

श्री वसुदेव आचार्य : इस दस्तावेज को अन्तिम रूप देने से पहले इस योजना पर चर्चा करने का इस सदन को कोई अवसर नहीं दिया गया।

···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा निर्णय दिया गया है कि इसे आज 5 बजे लिया जाएगा···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : इस सरकार द्वारा संसद की कैसी उपेक्षा की जा रही है? योजना को पहले से ही अन्तिम रूप दे दिया गया है···(व्यवधान) वह इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि क्या हमारे सुझावों को योजना दस्तावेज में शामिल किया जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार किस तरह से संसद की अनदेखी कर रही है?···(व्यवधान) हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे सुझावों को शामिल किया जाएगा या नहीं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री जी यहां हैं, वह स्पष्ट करेंगे। मन्त्री जी खड़े हैं। आप कृपया बैठ जाएं···(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : दस्तावेज को अन्तिम रूप देने के बाद सदन में इस समय अब चर्चा करने से क्या फायदा है?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप सबको एक साथ कैसे सुन सकता हूं···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : आप हमसे किसी एक को बोलने के लिए कह सकते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रेड्डी कुछ कहना चाहते हैं। आप सब कृपया अपनी सीट लें···

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : हम मन्त्री जी से साफ-साफ उत्तर चाहते हैं···(व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : हम खुली चर्चा चाहते हैं, केवल दस्तावेज ही नहीं···

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, केवल एक बात है। भारतीय योजना के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पहले एक योजना दस्तावेज को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद सदन के सामने चर्चा के लिए लाया गया। परम्परा यह रही है कि सदन में पहले योजना के एप्रोच पेपर पर चर्चा की जाती है और उसके बाद उसे स्वीकार किया जाता है। पहली बार, सभी परम्पराओं और ठोस पूर्व दृष्टान्तों की भारी अवहेलना की गई है ··व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आप व्यवधान क्यों कर रहे हैं ?···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपनी बात कह चुके हैं···(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, यह महत्वपूर्ण बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मन्त्री जी को अनुमति दे रहा हूं···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, आप उन्हें भाषण क्यों देने दे रहे हैं ··

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : पहले हम सरकार से साफ-साफ उत्तर चाहते हैं···

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : मन्त्री जी यह आश्वासन दें कि इस सदन में चर्चा के बाद, सरकार इन विचारों को ध्यान में रखते हुए दूसरा दस्तावेज तैयार करेगी···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपया बैठ जाइए, क्योंकि आप अपनी बात कह चुके हैं। अब मन्त्री जी जवाब देंगे · (व्यवधान)

श्री एम० रघुमा रेड्डी : क्या वह उसका जवाब देने आ रहे हैं ?…

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : ऐसा कभी नहीं हुआ। जनता शासन के समय में भी प्रारूप योजना को लोगों में परिचालित किया गया था ताकि उनकी राय जानी जा सके… (व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : यदि सब बोलेंगे तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूं ?…

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मन्त्री जी का उत्तर स्पष्टीकरण के लिए चाहते हैं तो आप कृपया अपनी सीट पर बैठ जाएं… (व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : उपाध्यक्ष महोदय, यदि सभी सदस्य प्रश्न पूछेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। प्रक्रिया के बारे में यह प्रश्न उठाया गया है कि इसे सदन के सामने कब रखा जाता है। वास्तव में, इसे कार्य मंत्रणा समिति के सामने रखा गया था और पिछले इतिहास को जानते हुए सभी ने एक मत से सहमति दी कि इसे आज रखा जाना चाहिए। परन्तु उन सदस्यों की सूचना के लिए जो कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य नहीं हैं, क्या मैं उनसे कह सकता हूं कि क्या प्रक्रिया है ? मैं पहले यहां नहीं था परन्तु मुझे बताया गया है कि प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रीय विकास परिषद में जुलाई, 1984 को योजना एप्रोच पर भी चर्चा हुई थी और उस समय अध्यक्षता हमारी तत्कालीन प्रिय प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी मन्त्रियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की गई थी। उसके बाद पूरे एक वर्ष उन विभिन्न सुझावों को जांच के लिए लिया गया था जो राष्ट्रीय विकास परिषद में एप्रोच प्लान पर दिये गये थे। प्रक्रिय यह है कि एप्रोच प्लान के तैयार होने के बाद पुस्तक तैयार की जाती है और उसे राज्यों को अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्यों को दोबारा से यह पुस्तक परिचालित की जाती है। इसे परिचालित किया गया था ··

श्री वसुदेव आचार्य : संसद के बारे में क्या स्थिति है ? (व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : कृपया मुझे उत्तर देने दो। (व्यवधान)

यदि सदस्य नहीं सुनते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

श्री वसुदेव आचार्य : हमें अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए ? हमारा प्रश्न यह है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० पंजा : राष्ट्रीय विकास परिषद के सामने रखने के बाद… (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा योजना दस्तावेज के अन्तिम रूप देने के बाद क्या हमारे सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : हमारे सुझावों का क्या होगा ? चर्चा के दौरान हम बहुत से सुझाव देंगे। क्या वे उन्हें शामिल करेंगे ?

श्री ए० के० पंजा : मैं प्रक्रिया बदल नहीं सकता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद में इसकी चर्चा करने के बाद··· (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कार्य मंत्रणा समिति में इस पर निर्णय लिया गया था। वहां नेता भी उपस्थित थे। वहां भी हमने प्रक्रिया की चर्चा की थी।

श्री ए० के० पंजा : राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक 8 और 9 नवम्बर को हुई थी···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमारा प्रश्न यह है कि सदन में प्रारूप योजना पर भी चर्चा नहीं की गई थी। अब अन्तिम दस्तावेज आ गया है। एप्रोच पेपर पर चर्चा क्यों नहीं हुई थी। प्रारूप दस्तावेज पर चर्चा नहीं की गई और राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत अन्तिम दस्तावेज के बाद ··

(व्यवधान)

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : पहले से ही एप्रोच पेपर को क्यों नहीं रखा गया था। आप संसद की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ?

श्री ए० के० पंजा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अनावश्यक ही उत्तेजित हो रहे हैं।

(व्यवधान)

मैंने आपको सुना। अब कृपया आप मुझे सुनिए। एप्रोच पेपर की जब राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा की गई थी तो इसे संसद के दोनों सदनों में रखा गया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई थी।

श्री ए० के० पंजा : राज्य सभा में इस पर चर्चा की गई थी। इसके बाद प्रारूप योजना बनाई गई थी और प्रारूप योजना बनाने के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद की अन्तिम बैठक 8 और 9 नवम्बर को हुई थी। इन दोनों दिनों कई घंटों तक इस पर चर्चा की गई और विभिन्न सुझाव दिए गए थे। उसके बाद जो राय बनी उसे सर्वसम्मति माना गया।

आम राय यह थी कि प्रारूप योजना को स्वीकृति दे दी जाये। इसे त्रिपुरा के माननीय मुख्य मन्त्री तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की असहमति के साथ स्वीकृत कर दिया गया था। इसके बाद इसे पारितकर दिया गया था। इसके बाद प्रक्रिया यह है कि इस पर लोक सभा में फिर से चर्चा की जाएगी

तथा फिर राज्य सभा में इस पर चर्चा करनी होगी। यह प्रक्रिया है और मैं इस अन्तिम अवस्था में हूं।

(व्यवधान)

कृपया थोड़ी देर सुनिए। इस पर चर्चा होने के बाद, मुद्दे उठ सकते हैं। अब चर्चा का क्या लाभ अगर हम कुछ कहें और उस पर विचार न हो? यहां पर मैं कहूंगा कि एक योजना बनाने के बाद यह पूर्ण रूप से एक संरचनात्मक ढांचा है। वार्षिक योजनाओं पर प्रत्येक वर्ष चर्चा की जाती है। अब, अगर कोई सुझाव आता है—हम यह नहीं कह रहे हैं कि हमने कभी कोई गलती नहीं की या हमसे पूर्व वालों ने चर्चा की है, और हमने नहीं की है कार्यों के लिए निश्चित समय की वरियताओं में गलती हो सकती है—किसी भी माननीय सदस्य द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों पर तुरन्त विचार किया जाएगा और अगर किसी सुधार की आवश्यकता है, कोई महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए अथवा ध्यान नहीं दिया, तो अवश्य ही वार्षिक योजना की चर्चा के समय हम उन पर निर्णय लेंगे। अन्यथा चर्चा का क्या लाभ है? मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त कर सकता हूं कि प्रत्येक सदस्य के सुझावों को, जब कोई माननीय सदस्य बोलता है तो, नोट किया जाता है। यहां तक कि ठीक किए गए भाषणों पर भी मैं विचार तथा विश्लेषण करवाता हूं। मुद्दों पर विश्लेषण करवाने के पश्चात उसे उप-सभापति को दिया जाता है। वह अपने विशेषज्ञ सदस्यों के साथ उस पर विचार करता है और अगर कोई मूल्यवान सुझाव है तो हम उसे वार्षिक योजना में (सम्मिलित) करने का प्रयत्न करते हैं। यह परम्परा है जिसे हम वर्षों से अनुसरण करते आ रहे हैं अतः माननीय सदस्यों को उत्तेजित नहीं होना चाहिए।

कार्य मंत्रणा समिति के सदस्यों, जो सभी अनुभवी सदस्य हैं, की सलाह से इसके लिए सात घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। वे इस प्रक्रिया को जानते हैं। वे पृष्ठ भूमि, इतिहास इत्यादि से पूरी तरह से विदित होते हैं महोदय, अगर किसी को जानकारी नहीं थी तो यह वास्तव में दुर्भाग्य की बात है। प्रत्येक व्यक्ति पृष्ठ भूमि से अवगत था और यही कारण था कि सर्वसम्मिति से यह निर्णय लिया गया था कि इसे कल राज्य सभा में रखने से पूर्व इसे इस सदन में रखा जाना चाहिए। अतः कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे विश्वास है कि यह एक फलदायक चर्चा होगी। इसे मुझे इस सम्मानित सभा के सामने रखने की अनुमति दी जाए। महोदय, मुझे लिखित भाषण पढ़ना है। यही प्रक्रिया है।

महोदय, मुझे निम्नलिखित प्रस्ताव सभा के विचारार्थ प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिला है।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 4 दिसम्बर, 1985 को सभा-पटल पर रखी गई सातवीं पंचवर्षीय योजना, 1985-90 पर विचार करती है।"

जिन माननीय सदस्यों को यह दस्तावेज 4 दिसम्बर, 1985 को सभा-पटल पर रखते समय उपलब्ध कराया गया था निस्सन्देह उन्हें इसे पढ़ने का अवसर मिला होगा अतः सातवीं योजना के दस्तावेज में दी गई कुछ मुख्य बातों तथा नीति निदेशों पर प्रकाश डालने तक ही मैं स्वयं को सीमित रखूंगा।

मैं सभा में इसे प्रस्तुत करने की शुरूआत इससे बेहतर तरीके से नहीं कर सकता कि मैं राष्ट्रीय

[श्री ए० के० पंजा]

विकास परिषद के समक्ष, जब वह 8 तथा 9 नवम्बर, 1985 को सातवीं योजना के प्रारूप पर विचार करने के लिए बैठी थीं, प्रधानमन्त्री द्वारा किए गए अभिभाषण की याद कराऊं। प्रधानमन्त्री ने कहा, और मैं उद्धृत करता हूं;

"राष्ट्रीय योजना की स्वीकृति नियोजित अर्थ व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बात है। दीर्घ-कालीन परिप्रेक्ष्य में योजना विकास की गति तथा दिशा को निर्धारित करती है। यह सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों और प्राथमिकताओं की व्याख्या करती है। यह केन्द्र तथा राज्य दोनों सर-कारों के लिए निश्चित उद्देश्य निर्धारित करती है। शायद, सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि यह उस राष्ट्रीय राय को व्यक्त करती है कि गरीबी को किसी प्रकार से दूर किया जाए तथा एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर समाज कैसे बनाया जाए। प्रत्येक योजना हमें हमारे समाज-वाद के अभिष्ट लक्ष्य के निकट ले जाती है।"

योजना बनाते समय हमने अपनी प्रिय इंदिरा जी की इच्छाओं को पूरा किया है जैसा कि उन्होंने जुलाई, 1984 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में सातवीं पंचवर्षीय योजना को खाद्य, कार्य तथा उत्पादकता जैसी मूल प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर बनाने का आवाहन किया था। यह वही थीं जिन्होंने सम्पूर्ण आर्थिक योजना की नींव के आवश्यक तत्वों की अपनी ठोस ग्रहण शक्ति के कारण स्पष्ट आवाहन किया था कि इन पर ध्यान दिया जाए तथा हमारी योजना में प्रयत्नरत प्रत्येक क्षेत्र इन वरीयताओं से अवगत हों। अतः योजना को तैयार करते समय हमने उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिए गए मत को, जो उन्होंने गत वर्ष अप्रोच पेपर को स्वीकृत करते समय दिया था, ध्यान में रखा गया है। भोजन उपलब्ध कराने तथा 'भोजन सुनिश्चित करने सम्बन्धी विस्तार प्रणाली की अनिवार्यताएं रोजगार के अवसर जुटाने के लिए तथा हमारे कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की जो अनिवार्यताएं उन्होंने भोजन बनाने में हमारा मार्ग दर्शन किया है एवम् इनको राष्ट्रीय विकास परिषद की हाल की बैठक में उस समय इसकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है जब उसने इस योजना को स्वीकृति प्रदान की। इसके अलावा मानव संसाधन के विकास तथा बुनियादी ढांचे की क्षमता को बढ़ाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है क्योंकि ये सब वृद्धि प्रक्रिया को बनाये रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोनों मानव संसाधन विकास तथा बुनियादि ढांचे के लिए योजना के प्रावधानों में काफी वृद्धि की गई है।

माननीय सदस्य अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जैसा कि प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परि-षद को बताया था कि सातवीं पंचवर्षीय योजना को छठी योजना के सशक्त विकास परिणामों के बल पर बनाया गया है। जैसा कि प्रधानमन्त्री महोदय ने कहा है—मैं उद्धृत करता हूं।

"छठी योजना का लगभग 5% का विकास लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है। कृषि क्षेत्र का कार्य विशिष्टरूप से अच्छा था, विशेषकर खाद्य उत्पादन में। महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में जिसमें कोयला, तेल, विद्युत, सीमेंट, उर्वरक सम्मिलित हैं काफी प्रगति की गई है। योजना में गरीबी दूर करने पर विशेष ध्यान दिया गया है······

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों के प्रतिशत में उल्लेखनीय गिरावट आई है। तथापि हमें अभी बहुत काम करना है। हम गरीबी को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति तथा दृढ़ता के साथ कार्य करेंगे। ये सब उपलब्धियां मुद्रास्फीति पर दृढ़तापूर्वक नियंत्रण करके तथा भुगतान सन्तुलन सफलता प्राप्त करके प्राप्त की गई हैं।"

अब मैं कुछ आंकड़े दूंगा जिससे मैं आशा करता हूं, कि ये प्रधानमन्त्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसकी पुष्टि करेंगे तथा यह दर्शायेंगे कि किस प्रकार से हम योजना को क्रियान्वित करने में राष्ट्रीय विकास परिषद के मत को पूरा करेंगे। जैसा कि योजना दस्तावेज से सदस्य देखेंगे, सातवीं योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए कुल 180,000 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है, जिसमें से केन्द्र का 95,534 करोड़ रुपये का परिव्यय है तथा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए क्रमशः 80,698 करोड़ रुपये और 3768 करोड़ रुपये होने की आशा है। ऐसा अनुमान है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 5 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष वृद्धि होगी जिसमें कुल कृषि उत्पादन मूल्य की वृद्धि 4 प्रतिशत तथा खनन व निर्माण की वृद्धि 8.3 प्रतिशत है। महोदय, विद्युत, गैस तथा जल-आपूर्ति का हिस्सा कुल उत्पादन का लगभग 12 प्रतिशत प्रति वर्ष है जबकि परिवहन का लगभग 8 प्रतिशत प्रति वर्ष होगा।

सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि केन्द्र राज्यों तथा संघ शासित राज्यों के कुल परिव्यय का 30.45 प्रतिशत अंश ऊर्जा के लिए रखा गया था तथा कृषि और ग्रामीण विकास के साथ-साथ सिंचाई और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए कुल परिव्यय का 22 प्रतिशत रखा गया है। अगला अधिकम प्रतिशत सामाजिक सेवाओं के लिए रखा गया है जो 16.31 प्रतिशत है। रुपए के रूप में ये परिव्यय ऊर्जा के लिए 54,821 करोड़ रुपए, 39,772 करोड़ रुपए की कृषि तथा ग्रामीण विकास, सिंचाई और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए एवं सामाजिक सेवाओं के लिए 29,350 करोड़ रुपए हैं इसके बाद अधिकतम परिव्यय अंश परिवहन का 22,971 करोड़ रुपए हैं जो सरकारी क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल परिव्यय का 12.76 प्रतिशत है। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य यह नोट करेंगे कि सरकारी क्षेत्र का परिव्यय मुख्य रूप से योजना के महत्वर्ण क्षेत्रों पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान दिया गया है।

महोदय, इससे हमें योजना के ढांचे तथा किस प्रकार संसाधन आवंटन की पद्धति द्वारा योजना उद्देश्यों को प्राप्त करने की आशा की जाती है इसका पता चलता है। जैसा कि प्रधानमन्त्री ने राष्ट्रीय विकास परिषद के अपने अभिभाषण में कहा था।

"कृषि हमारी अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। यही क्षेत्र है जिसमें लगातार वृद्धि करने से अधिकतम लोगों के लिए उत्पादन रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। रोजगार के अवसर बढ़ने का मतलब है गरीबी का कम होना। औद्योगिक वृद्धि तथा अर्थ-व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रगति के लिए भी कृषि उत्पादन का विस्तार आवश्यक है। अब हमारे समक्ष जो कार्य हैं वह और अधिक तेजी से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। हमें हरित क्रांति को पूर्वी क्षेत्रों तथा शुष्क भूमि वाले क्षेत्रों में पहुंचाना होगा जहां हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग रहता

[श्री ए० के० पंजा]

है और यही क्षेत्र है जहां गरीबी की समस्या भी बहुत उग्र है। यह क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने में सहायक होगा तथा गरीबी पर विजय पाने की कुंजी है।"

कृषि रणनीति का उद्देश्य प्रति व्यक्ति बढ़ती हुई खपत के स्तर को देखते हुए खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए विस्तार प्रणाली का निर्माण है। मैं सदस्यों का ध्यान योजना दस्तावेज की सारणि 2.11, खंड एक, की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें संक्षेप में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन संकेतों को दिया गया है।

आप देख सकते हैं कि 1984-85 में प्रति व्यक्ति अनाज की खपत 178 किलोग्राम प्रति वर्ष से बढ़कर सातवीं योजना तक 19 किलोग्राम हो जाएगी तथा वर्ष 2000 तक यह खपत और बढ़कर 215 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष हो जाएगी। हमें अपने जल-संसाधनों का विकास करना है, और कृषि अनुसंधान संस्थानों में जो अनुसंधान हुए हैं उनका लाभ किसानों के लिए खेतों तक पहुंचाने के प्रयत्नों की व्यवस्था को शक्तिशाली बनाना है तथा उसका विस्तार करना है एवं कृषि संबंधों में मूलभूत सांस्थानिक परिवर्तन करना है ताकि और अधिक अपनी जिम्मेदारी से न बचा जा सके। चकबन्दी तथा भूमि सुधार न केवल सामाजिक न्याय की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, अपितु कृषि विकास के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

हमें किसानों को वे आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने हेतु जो उसके प्रयत्नों को लगातार बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, बुनियादी ढांचे की प्रणाली का विकास तथा विस्तार करना होगा जो कि फसल काटने के बाद का बुनियादी ढांचा, अर्थात उसके उत्पादन के लिए मंडियों की व्यवस्था इस प्रकार से करना कि वह अपनी आय बाजार के घटा-बढ़ी के कुप्रभाव से बचकर बढ़ा सके, उपलब्ध कराने के अलावा बीज, उर्वरक, ऋण की शक्ल में जो भारत की वृद्धि प्रक्रिया की धुरी हैं, किसानों को उपलब्ध कराया जाए। 130 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता कृषि के लिए जल जैसे आवश्यक आदानों के विकास कार्यों हेतु चल रहे प्रयत्नों के तौर पर उत्पन्न की जाएगी।

हमें आशा है कि कुल फसल उगाने योग्य क्षेत्र 1984-85 के 1800 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1989-90 में 1900 लाख हेक्टेयर हो जायेगा। चावल का उत्पादन, विशेषकर पूर्वी क्षेत्रों में तथा कुछ दक्षिणी राज्यों में बढ़ाने; शुष्क-भूमि खेती तथा तिलहन व दालों का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रम बनाए जाएंगे तथा क्रियान्वित किये जायेंगे।

योजना में गरीबों की आय बढ़ाने के प्रयोजन से छोटे तथा सीमांत किसानों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कार्यक्रमों की तरफ प्रमुख रूप से ध्यान दिया जायेगा। अन्त में सातवीं योजना में वन लगाने पर अधिक बल दिया जाएगा। इस संदर्भ में, नए स्थापित किये गये राष्ट्रीय ऊसर भूमि विकास बोर्ड की भूमिका का विशेष उल्लेख करना आवश्यक है जिसे ऊसर भूमि का विकास बड़े स्तर पर वन तथा वृक्ष लगाकर करने के लिये एक योजना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कृषि वृद्धि पर बल देने के साथ-साथ गरीबी हटाने तथा बेरोजगारी दूर करने के लिए युद्ध-स्तर पर कार्यवाही की जाएगी। इस रुख को बनाए रखने के लिए सातवीं योजना में अतिरिक्त उत्पादन का बड़ा भाग न केवल छोटे तथा सीमांत-किसानों और वर्षा पर निर्भर तथा शुष्क भूमि क्षेत्रों से और विशेषकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों से प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है बल्कि पूर्वी भारत के चावल उगाने वाले क्षेत्रों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्नों का भी उल्लेख किया गया है। कृषि उत्पादन के लाभदायक प्रभावों तथा छोटे या सीमांत किसानों की आय बढ़ाने के अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे रोजगारोन्मुख कार्यक्रम भी शुरू किये जायेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने में सहायक होंगे। हमारी नीति का तीसरा पहलू आर्थिक व्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या से निपटना है जिसे तीव्र औद्योगिक प्रगति और निजी क्षेत्र में आवास कार्यक्रम का समुचित विकास करके किया जायेगा जिसके लिए संस्थानीय स्रोतों के माध्यम से वित्त की व्यवस्था के प्रयास किए जाएंगे।

इस प्रकार, तीनों तत्वों को साथ लिया गया है अर्थात कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। रोजगार के अवसर प्रदान करने के कार्यक्रम और एन०आर०ई०पी० और आई०आर०डी०पी० जैसे आय पैदा करने के कार्यक्रम और तेजी से औद्योगिक विकास, इन सभी को एक साथ लिया जाए तो पिछले समय की अपेक्षा कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों दोनों में रोजगार के अधिक अवसर होंगे। मैं विशेषरूप से माननीय सदस्यों के लाभ के लिए बताना चाहता हूं कि हम गरीबी स्तर और रोजगार स्तर पर किस प्रकार विचार कर रहे हैं। हमें सातवीं योजना में 4 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष रोजगार पैदा करना है जबकि उसी अवधि में लगभग 390 लाख व्यक्ति श्रम शक्ति में और शामिल हो जायेंगे। कहने का मतलब यह है कि इस योजनावधि में रोजगार के अवसर श्रम शक्ति की 2.6 प्रतिशत या 2.5 प्रतिशत की वृद्धि की अपेक्षा रोजगार में 4 प्रतिशत वृद्धि प्रति वर्ष होगी। 4 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष में से लगभग 1.8 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष का अतिरिक्त रोजगार कृषि से आएगा जबकि सेवा क्षेत्र लगभग 1 करोड़ मानक व्यक्ति वर्ष का सहयोग देगा। "उत्पादन" "निर्माण" और "अन्य परिवहन" क्रमश: 67 लाख, 22 लाख और 24 लाख मानक व्यक्ति वर्ष का सहयोग देंगे। इस प्रकार सातवीं योजना एक रोजगारोन्मुख योजना है और नीति के द्वारा हमने साधन आवंटन और अर्थव्यवस्था मे मूल्य वर्धित उत्पाद पैदा करके हम दूसरे निदेश का पालन करेंगे, जो हमारी स्वर्गीय प्रिय इंदिरा गांधी ने हमें बताया था अर्थात हमारे लोगों में उत्पादिकता-रोजगार होना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय विकास प्रयास में ही अपना सहयोग न दे सकें बल्कि उपयोगी कार्य करने से व्यक्ति की निजी उपलब्धि तथा मानव प्रतिष्ठा की चेतना में वृद्धि होती है और वह सोचता है कि रोजगार के साथ-साथ उत्पादिकता में भी योगदान करता है। माननीय सदस्य और आगे जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सातवीं योजना की पूरी नीति का यह उद्देश्य है कि 1984-85 की कुल जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत भाग जो गरीबी रेखा से नीचे है उसे 1989-90 तक पूरी तरह से लगभग 26 प्रतिशत तक कम करने का है। गरीबी रेखा को पार करने वाले लोगों की संख्या लगभग 620 लाख होगी जिसमें से ग्रामीण/शहरी जनसंख्या क्रमश: 536 लाख और 83 लाख है। योजना में हमारी यह पूरी नीति है कि गरीबी को कम किया जाए तथा भारत के सभी लोगों को और अधिक समानता तथा न्याय प्रदान किया जाए तथा ऐसा समाज बनाया जाए जहां आर्थिक रूप से कम असमानता हो। सातवीं योजना की नीति में कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

[श्री ए० के० पंजा]

10. अब मैं सामाजिक न्याय के अन्य पहलू पर आता हूं और जब से हमारे प्रधान मंत्री जी ने हमारी जनता से व्यापक बहुमत प्राप्त किया है और नई सरकार का कार्यभार संभाला है तब से उन्होंने इस पर बहुत ध्यान दिया है। जैसा कि उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद को बताया और मैं उसे उद्धृत करता हूं :

> "फैक्ट्री, बांध और सड़क के लिए विकास नहीं है। विकास लोगों के लिए है। उद्देश्य है लोगों की भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पूर्ति करना। विकास के कार्य में मानव, संदर्भ में मनुष्य का सबसे अधिक महत्व है"

इसी कारण हमने मानव संसाधन विकास के लिए अधिक आवंटन की व्यवस्था की है। शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, महिलाओं और युवाओं के कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के क्षेत्र में नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य राष्ट्रीय समुदाय में अधिक तालमेल पैदा करना है। सभी को आधुनिक शिक्षा का लाभ पहुंचना चाहिए। साथ ही हमें अपनी विरासत की सुरक्षा करनी चाहिए जो हमारी अन्दरूनी भावना को मजबूत और संतुलन रखता है। हम समुदाय की श्रेष्ठता और विशिष्टता तथा प्रत्येक के लिए प्रयास करेंगे। विज्ञान और आध्यात्मिकता के संयोजन के समाकलन के रूप में हमारा प्रत्येक उद्देश्य मानव के पूरे विकास के लिए होना चाहिए।

> "सुव्यवस्थित समाज की यह संकल्पना संतुलन पर आधारित है—साधन और जनसंख्या के बीच संतुलन सांसरिक विकास और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति, नैतिक और आध्यात्मिक विकास, प्रकृति और व्यक्ति के बीच संतुलन"

इस विचार को देखते हुए हमने साधनों में व्यापक वृद्धि के लिए व्यवस्था की है जिसे मानव संसाधन विकास के लिए आवंटित किया गया है। जब हमने छठी योजना बनाई थी तो इसमें प्रस्तावित 14035 करोड़ रुपए को बढ़ाकर सातवीं योजना में 29,350 करोड़ रुपए कर दिया है। इस प्रकार हमारे पास छठी योजना की अपेक्षा सातवीं योजना में प्रस्तावित कुल राशि के दुगना से अधिक है और इन्हें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में एकीकृत बच्चों के विकास कार्यक्रम, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम और अलाभिंत वर्गों को ऊपर उठाने के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए साथ-साथ लिया जाए तो हमारे लोगों को कुछ सामाजिक ऊपरी खपत की मूल आवश्यकता को पूरा करेगा। सातवीं योजना में दो प्रमुख कल्याण उपायों को लिया गया है जिसमें बच्चों और महिलाओं को उस बीमारी से बचाने के लिए जिससे वे विशेषरूप से पीड़ित होते हैं प्रतिरक्षकरण कार्यक्रम तथा हमारी पूरी जनसंख्या को पीने के साफ पानी की सप्लाई करने के कार्यक्रम को सुनिश्चित करना। हम आरम्भिक शिक्षा के स्तर पर भर्ती में वृद्धि करने का प्रस्ताव करते हैं अर्थात I से VIII श्रेणी में 250 लाख तक वृद्धि करना ताकि 6—14 वर्ष के ग्रुप में बच्चों की जनसंख्या का 92 प्रतिशत पूरा हो सके। सातवीं योजना में मानव संसाधनों के अनिवार्य विकास में इन सबको शामिल किया गया है।

हम जनसंख्या की वृद्धि को कम करने के लिए प्रमुख रूप से प्रयास करने का भी प्रस्ताव करते हैं। 1990 तक सभी योग्य दम्पत्तियों का 42 प्रतिशत को परिवार कल्याण के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है और बच्चों की जनसंख्या के प्रति हजार में 90 बच्चों की मृत्यु दर में कमी करना है। ग्रामीण परिवारों के लिए आवास कार्यक्रम, शहरों में गन्दी बस्तियों के निवासियों के लिए सुधार कार्यक्रम और मध्यम तथा छोटे नगरों के विकास के लिए हमारे देश में सामाजिक सेवाएं भी सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है।

अब मैं उद्योग कार्यक्रमों की ओर आता हूं जहां बिजली की कमी और परिवहन की कमी जैसे आधारभूत संरचना में बाधाओं को दूर करके निर्माण क्षेत्र में वृद्धि की दर को लगभग 8 प्रतिशत करने की आशा है जिसके द्वारा विशाल खपत के सामान के लिए मांग में तेजी से वृद्धि के माध्यम से मौजूदा औद्योगिक क्षमता का और अच्छा उपयोग करना है जो उन लोगों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में अपेक्षित होगी जिनके लिए अधिक आय की और रोजगार में वृद्धि की व्यवस्था की जाएगी चाहे यह ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में। हम पिछले समय की अपेक्षा उद्योग के विकास की दर में और अच्छी तरह से सुधार करने की आशा रखते हैं। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि योजना अवधि में ऊर्जा क्षेत्र के लिए हमेशा सबसे अधिक आवंटन दिया गया है। कुल सरकारी क्षेत्र परिव्यय का 30.5 प्रतिशत जितना कि बनता है। विद्युत, कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए व्यापक वृद्धि करने की योजना है जिसके ब्यौरे योजना दस्तावेज के उपयुक्त अध्यायों में देखे जा सकते हैं। योजना अवधि में सीमेंट और उर्वरक उत्पादन बढ़ने की भी आशा है। योजना के अन्त तक सीमेंट का उत्पादन 490 लाख टन तक होने की आशा है जबकि घरेलू उर्वरक का उत्पादन जो योजना के शुरू में 500 लाख टन से कुछ अधिक है 1989-90 तक 875 लाख टन तक बढ़ने की आशा है। जब हमारा 1989-90 में 499,000 टन हो जाएगा तब एल्यूमिनियम आयात को पूरी तरह बन्द कर दिया जाएगा। हालांकि तांबा, सीसा और जस्त के कुछ आयात की फिर भी आवश्यकता होगी।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, पहले ही समय 5.30 बज चुके हैं। सदन को आधे घंटे की चर्चा लेनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घंटे की चर्चा की जाएगी। मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री ए० के० पंजा : डागा जी, मैं दो या तीन मिनटों से अधिक नहीं लूंगा।

योजना का आखरी पहलू वित्तीय है। समुदाय के सभी वर्गों को यह मानना होगा कि सातवीं योजना के लिए परिव्यय के रूप में जितनी बड़ी धनराशियां रखी गई है उनको जुटाने के लिए हमें दृढ़ संकल्प के साथ अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। योजना पर कर प्राप्ति के अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना अवधि में 2 प्रतिशत अर्थात 16.3 प्रतिशत से 18.3 प्रतिशत करनी होगी। राजसहायता और गैर-योजना खर्च में काफी हद तक कमी करनी होगी जिससे घाटे की अर्थ व्यवस्था से बचा जा सके। इसमें कोई संदेह नहीं होगा कि उन लोगों को अपरिहार्य फल निकालने में

[श्री ए० के० पंजा]

कुछ हानि होगी जो राजसहायता का लाभ उठा रहे हैं लेकिन जब तक इसे नहीं किया जाता तब तक साधन नहीं बनाए जा सकते। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सरकारी उपक्रमों को भी अपनी उत्पादन लागत कम करने के लिए अनुशासनबद्ध तरीके से काम करना होगा ताकि उनका लाभ बढ़ जाए और वे अपने ही संसाधनों से पूंजी बढ़ाने में सक्षम हो जाएं। और मुद्रा स्फीति में साधनों को बनाने के लिए ये सभी उपाय अनिवार्य होंगे। जहां सरकारी क्षेत्र उपक्रमों की हानियां कम उत्पादिकता से या प्रबन्धकीय कमियों से हो रही है वहां इन्हें समय नष्ट किए बिना सुधार करने की आवश्यकता होगी क्योंकि सामान्य रूप से इन कारणों से उत्पन्न होने वाली अकुशलता के परिणाम को समुदाय से सहन करने की आशा नहीं की जा सकती। इस प्रकार की अकुशलता से या तो कीमतों में वृद्धि होती है चाहे ये बाजार में हो या नियन्त्रित मूल्य में हो या हानि में हो जिसे कर राजस्व से अनुकूल बनाया जाएगा।

विदेशी भुगतान को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यह आवश्यक होगा कि अभी जो अकुशल उद्योग है, वह निर्यात की ओर अधिक ध्यान दे और आयात कम करना होगा। अभी भी हमारा निर्यात निष्पादन मुख्य संरचनात्मक कमियां बताता है और हमारे भुगतान के संतुलन के सुव्यवस्थित प्रबन्ध के हित में जैसा कि योजना दस्तावेज में बताया गया है। हमारे निर्यात वस्तुओं के प्रतियोगितात्मक तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता में वास्तविक सुधार आएगा।

मैं अपना भाषण कुछ प्रमुख समस्याओं का, जो योजना की सफलता के लिए आवश्यक हैं, सदन में उल्लेख करके समाप्त करना चाहता हूं।

पहला योजना के कृषि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि ऋण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना तथा उसे पुर्नजिवित करना अनिवार्य है। कृषि के सामान की आवश्यकताओं में समुचित रूप से वित्त के लिए कृषि ऋण व्यवस्था में कुल अतिदेय को दृढ़ता से नियन्त्रित करना होगा। कृषि ऋण केवल एक ही तरफ लगातार नहीं जा सकता है।

दूसरा, हमारे कृषि और ग्रामीण विकास प्रशासन के स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार दिखना चाहिए तथा जिला स्तर पर योजना को सुचारू रूप से लागू किया जाना चाहिए ताकि योजना निम्न स्तर से शुरू होकर आगे बढ़ सके। विभिन्न गरीबी-रोधी कार्यक्रमों में अधिक धन राशि को लगाने से ही निम्न स्तर पर गरीबी को कम करने में सही प्रभाव मिल सकेगा यदि इस प्रणाली से यह सुधार आता है।

तीसरे, परिवार कल्याण कार्यक्रमों से संबंधित और मूल नीति पर नए सिरे से विचार करना होगा ताकि जनसंख्या वृद्धि की दर को कम किया जा सके।

चौथा, केन्द्रीय और राज्यों दोनों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आन्तरिक साधनों को बढ़ाने, कुशलता बढ़ाने तथा उत्पादिकता अधिक करने के लिए प्रमुख सुधार करने चाहिए। केवल उनके निष्पादन के स्तर को बढ़ाने से क्या योजना में विचारित वृद्धि की दर को प्राप्त करने के लिए संसाधन पूरे हो सकते हैं और हमारे लोगों को विकास का फल मिले।

मैंने उपर्युक्त मूल नीति की रूपरेखा और विस्तृत लक्ष्य तथा उपायों को बताया है जिसमें योजना के साधनों के आवंटन के बारे में बताया है। इन शब्दों के साथ मैं सदन द्वारा सातवीं योजना 1985-90 पर विचार करने की सिफारिश करता हूं।

मैं श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों का स्मरण किये बिना नहीं रह सकता।

"बालो बालो बालो सबे शातो बिना बेनु रबे
भारत आबार जगत सभया श्रेष्ठासन लबे"

श्री अमर राय प्रधान : यह पद श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर का नहीं है, यह अतुल प्रसाद का है।

श्री ए० के० पंजा : जब मैं अतुल प्रसाद के बारे में सोचता हूं; तभी मुझे टैगोर की याद आ जाती है।

कार्य मंत्रणा समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

5.44 म०प०

आधे घंटे की चर्चा

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा योजना के बारे में

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था (प्रश्न संख्या 155) जो इस प्रकार था :

[अनुवाद]

पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली परिवहन निगम में चिकित्सा सुविधाओं पर कुल खर्च की

[श्री मूल चन्द डागा]

गई राशि और उसमें दर्ज कर्मचारियों की संख्या।

क्या कर्मचारियों के कल्याण की इस योजना को समाप्त किये जाने की संभावना है।

उत्तर यह दिया गया था :—

छ: महीने की अवधि में कुल व्यय 7,72,86,318 रुपये था।

[हिन्दी]

दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में एक साल में 113 करोड़ रुपये का घाटा है और दिल्ली परिवहन निगम ने 6 महीने के लिए मैडिकल स्कीम के अन्दर 7 करोड़ रुपये दे दिये। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से पहले यह रुपया दिया जाता था। इसके पहले का जो क्वेश्चन था, उसमें यह था :

[अनुवाद]

"लगभग 36,000 कर्मचारियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। 1982-83 में 44,03,316/- रुपये दिये गये थे। 1983-84 में यह राशि 73 लाख रुपये हो गई थी। 1984-85 में यह राशि एकदम बढ़कर 9.15 करोड़ रुपये हो गई।"

यह राशि एक वर्ष में 15 गुणी बढ़ गई है।

[हिन्दी]

7 करोड़ 15 लाख रुपया केवल मैडिकल स्कीम के अन्तर्गत उनको दे दिया गया। मैं खुश इसलिए हूं कि अभी हमारे एक मन्त्री जी हैं, जिन्होंने रेलवे में कामयाबी हासिल की है और यह मैं नहीं कहता, यह उनके द्वारा किये गये काम कहते हैं। वही मन्त्री आज ट्रांसपोर्ट के मन्त्री भी हैं लेकिन दु:ख की बात यह है कि इस प्रकार से यह पैसा दिया जाता है। अगर उनके हित में यह पैसा दिया जाता, तो मैं उसका स्वागत करता। जब 6 महीने में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने 7 करोड़ रुपया दे दिया, तो एक साल में वह 14 करोड़ रुपये होगा। ये कितने होशियार हैं और कितनी इनमें कला है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि एक निर्भीक और जल्दी निर्णय लेने वाले मंत्री जी के होते हुए यह हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह स्कीम है क्या? दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बात आप जानते हैं और उसकी हालत के बारे में भी आप जानते हैं। भगवान करे, इसके दर्शन कोई न करे। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन में 5 हजार बसें चलती हैं और 900 प्राइवेट बसें चलती हैं और इसके अन्दर एक साल में कितना घाटा हुआ है। अगर कोई इसको देखे, तो उसको आश्चर्य होगा। डी०टी०सी० को 178 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यह खिलवाड़ देश के साथ

हुआ है। 1958 से 1980 तक इसको घाटा हुआ है और केवल एक साल में 113 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तो यह रुपया कौन लूटता है। आप इस स्कीम को देखिये। कितनी सुन्दर यह स्कीम है। एक एम०पी० भी इतना नहीं पा सकता। एक-एक एम्पलाई तीन, तीन हजार रुपये रीएम्बर्समेंट के उठाकर ले गया और बड़ी खूबसूरती से जवाब दे दिया कि हमें मालूम नहीं है, हम खाता नहीं रखते हैं हर आदमी का। मैं जानना चाहता हूं कि पेनेल पर ये डाक्टर कौन हैं और कौन कैमिस्ट्स पेनेल पर रखे जाते हैं। इसका आधार क्या है। 7 करोड़ रुपये उठा लिये और आपकी अध्यक्षता में यह प्रश्न आ रहा है। एक अच्छे मजबूत मंत्री जी हैं, इनको भी समय मिल गया है और वे आ गये हैं।

यह जो प्रश्न पूछा गया था, उसके सम्बन्ध में यह कहा गया है :

[अनुवाद]

इस योजना के अन्तर्गत बहुत सारे कर्मचारी लाभान्वित होते हैं इसलिये इसके व्यक्तिगत लेखे नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

इस स्कीम में क्या कहा है ? आपकी जो स्कीम आती है ? उसका पूरा हिस्सा क्या है ?

[अनुवाद]

"प्रत्येक कर्मचारी तथा डाक्टरों और कैमिस्टों के प्रतिपूर्ति योजना के खाते के रख-रखाव का उत्तरदायित्व संबंधित एकक अधिकारी पर होगा।"

अब, योजना क्या है ? क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या यह एक सांविधिक योजना है जो किसी अधिनियम के अन्तर्गत चलाई गई है अथवा इस योजना को सभा पटल पर रखा गया है ?

[हिन्दी]

यह स्कीम बना दी। इस स्कीम के लिए पहले जहां 44 लाख रुपया मिलता था अब कितना रुपया मिलता है। भगवान की कृपा से दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथारिटी का भार आपने संभाल लिया है। आपने कई लोगों को निकाल भी दिया है। आपको इसको भी देखना होगा कि ये कौन महारथी हैं जो घोटाला करने वाले हैं।

पहले तो आप यह बताइये कि यह स्कीम क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, इस अथारिटी में कितना सुन्दर काम होता है, यह जानकर आपको खुशी होगी। उनके आफिसर्स क्या करते हैं अब आप सुनेंगे।

[श्री मूल चन्द डागा]

[अनुवाद]

इस विचार से कि इस योजना के अन्तर्गत बहुत सारे कर्मचारी लाभांवित होते हैं, इसलिए इसके व्यक्तिगत लेखे नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि आप यह कह देंगे कि यह इर्रेलेवेन्ट है। श्रीमन् हरेक एक्सपेंडीचर के बारे में हरेक आदमी को हिसाब रखना होता है। यह बात अखबारों में नहीं आई है, यह क्वेश्चन के आन्सर में आई है। उसी से मालूम हुआ है कि डाक्टर मिले हुए हैं, कैमिस्ट्स मिले हुये हैं, आपके यूनिट का आफिसर मिला हुआ है और एम्पलाई मिला हुआ है। ये चारों मिल करके यह काम करते हैं जैसे कि एक बेईमान बनिया मिल कर टैक्सों की चोरी करता है।

यह किसकी पूंजी है ? यह अथारिटी घाटे में क्यों जा रही है ? मैं इसके विस्तार में अगर जाऊंगा तो उपाध्यक्ष महोदय मुझे आप अलाऊ नहीं करेंगे। मुझे आप यह बताइये कि ये डाक्टर कौन मुकरर्र करता है, यह पेनल कौन बनाता है ? ये कौन डाक्टर हैं, ये कौन कैमिस्ट्स हैं ? इन्होंने कितनी-कितनी दवाइयां दे दीं। 6 महीने के अन्दर इन्होंने 7-8 करोड़ रुपये की दवाइयां दे दीं। साल में ये 15-16 करोड़ रुपये की हो जाएंगी। इसका मतलब यह है कि एक-एक आदमी इतना रुपया दवाइयों का ले जाएगा। यह रुपया कहां से आता है ? जब मैंने पूछा तो आपने जवाब दे दिया। आप वह जवाब पढ़ देते हैं जो आपके आफिसर्स बनाकर भेज देते हैं। उन आफिसरों को इसके लिए पद्म भूषण मिलना चाहिये, ऐसे जवाब बनाने के लिए।

यह बताएं साहब ये डाक्टर कौन-मुकरर्र करता है, कैमिस्ट्स कौन मुकरर्र करता है। यह स्कीम क्या है कि एक-एक विजिट को इतना रुपया लिया जाता है, आठ-आठ रुपया लेते हैं। स्पेशलिस्ट का 50 रुपया लेते हैं। ये लोग कितने बीमार दिखाते हैं।

चादर में कितना पाप होता है। उपाध्यक्ष महोदय, अंधेरे की चादर में, रात में पाप होते हैं। यह सब क्यों होता है ? वे डाक्टर के पास जाते हैं। बढ़िया से बढ़िया दवाई लिखाते हैं, आजाद साहब आप तो दो पैसे की दवाई मुंह में रखते होंगे, लेकिन ये एक-एक बिल पौने दो सौ रुपए का प्रस्तुत करते हैं। दवाइयां लिखी जाती हैं, कैमिस्ट दो रसीदें दे देता है ए और बी, वह लेकर जाता है और जाकर डाक्टर साहब को दे देता है, और वहां से फिर कैशियर को ले जाकर दे देता है। आफिसर हिसाब देखता है कि ठीक है। कैमिस्ट कभी साबुन की बट्टी, कभी सिंघाल या कभी पाउडर या कभी कुछ और चीज दे देता है, दवाइयां वहां से नहीं लेते। डाक्टर साहब घर पर नहीं आते और विजिट हो जाता है। नर्स भी घर पर आ सकती है, 60 रुपया उसका भी दो।

एक माननीय सदस्य : आप डी० टी० सी० ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते ?

श्री मूल चन्द डागा : अब ये मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं कि डी० टी० सी० जाइन करो, अब मैं बुढ़ापे में नर्स क्या रखूंगा, ये मुझे क्या क्या सलाह दे रहे हैं मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए, मैं समझ नहीं सका। नर्स रखने की बात है, नर्स मेल होगी या फीमेल होगी, ये मुझे पता नहीं है। श्रीमन् मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि इस स्कीम की जांच करवाइए और ये बताइए कि जब सी०जी० एच० एस० स्कीम है···।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिये और अपने प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके होते हुए बोल रहा हूं, बड़ा कीमती समय ले रहा हूं, आज मुझे मौका मिला है और एक मजबूत मिनिस्टर यहां बैठे हुये हैं और इस पर आप देखना कल अखबारों में ऐसा धमाका होगा, इसलिए मैं एक आशा लेकर बोल रहा हूं और आपके होते हुये बोल रहा हूं, अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं बोलता, मैं बोलने की हिम्मत ही नहीं करता। आप कुर्सी पर हैं तो मैं बोल रहा हूं, माननीय बंसी लाल जी भी बैठे हैं, इसलिए ज्यादा बोल रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि इस पर कार्यवाही होगी। इन्होंने कहा है कि जांच कराएंगे अब जांच करवाने वाली जो बात है तो आपने क्या जांच करवाई और जांच करवाने के बाद कितने डाक्टर्स, कितने कैमिस्ट और कितने एंप्लाएज को आपने सजा दी और ये कौन से एंप्लाएज हैं। इस स्कीम को चालू रखने का जबकि पहले दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की स्कीम चल रही है, उसका क्या कारण है।

एक सवाल का जवाब और चाहता हूं और उसका उत्तर आप दें कि पहले लिमिटेड मेडीकल रियंबर्समेंट मिलता था, पहले लिमिटेड मिलता था वह क्या था और आज क्या है और इस स्कीम के लिए किसने राय दी और किसने तैयार करवाई?

समय बहुत कम है, मैंने कुछ सवाल किये हैं और मैं चाहूंगा कि सरकार का यह रुपया उन लोगों के काम आए जो वास्तव में बीमार हैं। जो लोग बीमार नहीं हैं, उन लोगों को इसमें फायदा न हो। जो कैमिस्ट भ्रष्ट बन रहे हैं, डाक्टर भ्रष्ट बन रहे हैं तो इस स्कीम का क्या लाभ है। एक चीज और है कि आफिसर लोग स्पेशलिस्ट के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं। इनकी चमड़ी और किस्म की होती है और साधारण लोगों की और होती है। साधारण लोग तो डाक्टरों से, एम०बी०बी०एस० डाक्टरों से इलाज करवाएंगे और अधिकारी लोग डायरेक्ट स्पेशलिस्ट जो कि एक्सपर्ट होते हैं, उनके पास जाते हैं। इनको कोई मनाही नहीं है। कितनी अच्छी स्कीम बनाई है। इन अधिकारियों के बनाए हुये जो रूल्स हैं, मैं मन्त्री जी को कहना चाहता हूं कि वे मेहरबानी करके इस स्कीम को किसी ला के अन्तर्गत लाएं।

मन्त्री महोदय बहुत योग्य हैं इसलिए मैं आपका इतना समय ले रहा हूं। मुझे आशा है कि इस तरह के जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उनको वे दूर करेंगे। आने वाले दिन बतलाएंगे, जिस प्रकार रेलवे

[श्री मूलचन्द डागा]

में सुधार किया है उसी तरह से यहां भी सुधार करेंगे और भ्रष्ट लोगों का रास्ता बताएंगे। आज देश के अन्दर हमारे प्रधान मन्त्री जी को "मिस्टर क्लीन" कहा जाता है और मुझे आशा है कि ये चीज आगे भी इसी तरह से चलेगी और इसके लिए माननीय अब्दुल गफूर जी बैठे हैं, माननीय बंसीलाल जी बैठे हैं, ये लोग इस काम को करेंगे, इनसे मुझे उम्मीद है। मैं यही चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर दें और इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, तभी मैं रात को सन्तोष की नींद सो सकूंगा।

6.00 म० प०

[अनुवाद]

परिवहन मन्त्री (श्री बंसी लाल) : महोदय, माननीय सदस्य ने दि० 28 नवम्बर, 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1516 के सम्बंध में दिये गये उत्तर के आधार पर चर्चा करने की मांग की है। सर्व प्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि केवल इस बात की तथ्य सम्बन्धी जानकारी मांगी गई थी कि दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा योजना पर कुल कितनी राशि व्यय की जाती है; इस योजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति लाभांवित होते हैं और क्या इस योजना को समाप्त किये जाने की सम्भावना है, केवल इन प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर दिया गया था। माननीय सदस्य महोदय ने अब यह कहा है कि उत्तर से यह स्पष्ट नहीं होता है कि दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा पैनल योजना क्या है, तथापि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसमें उन्होंने स्वयं ही इस "दिल्ली परिवहन निगम की चिकित्सा पैनल योजना" नाम का उल्लेख किया है। तथापि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली परिवहन निगम अपने कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करता रहा है, कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती रही हैं, उनमें सुधार लाने के लिए कर्मचारीगण बहुत समय से आन्दोलन कर रहे थे। 23 मार्च, 1983 को दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों ने जो हड़ताल की थी; उसमें उनकी प्रमुख मांगों में यह भी एक प्रमुख मांग थी। जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। अन्य बातों के साथ समिति ने यह सिफारिश की थी :—

दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों को चाहिये कि वे कर्मचारियों के निवास के निकट के क्षेत्रों के अनुमोदित डाक्टरों और कैमिस्टों का एक पैनल तैयार करें। कर्मचारी अपने क्षेत्र के संबंधित डाक्टरों से परामर्श ले सकते हैं और अपने क्षेत्र के कैमिस्टों से दवाइयां खरीद सकते हैं। दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धक डाक्टरों और कैमिस्टों को सीधा भुगतान करेंगे। कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सरकारी और नगरपालिका के अस्पतालों से विशेषज्ञ चिकित्सा प्राप्त करने का अधिकार होगा।"

सरकार सिद्धांत रूप से इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर चुकी थी और उसने दिल्ली परिवहन निगम से योजना तैयार करने को कहा तथा यह भी कहा कि यदि इसमें कोई वित्तीय

जटिलताएं हैं तो वे सरकार से ऐसे प्रस्तावों के बारे में लिखा पढ़ी कर। दिल्ली परिवहन निगम ने चिकित्सा सुविधा योजना तैयार की जिसे सामान्यतः 'चिकित्सा पैनल योजना' कहा जाता है और सरकारी अनुमोदन की प्रत्याशा में इस योजना को 1-5-1984 से कार्यान्वित किया। इस मामले में कार्योत्तर अनुमोदन के लिए सरकार को भेज दिया। दिल्ली परिवहन निगम ने यह योजना परीक्षण के तौर पर चालू की थी और तब से यह चल रही है।

दिल्ली परिवहन निगम में इस समय जो चिकित्सा योजना चल रही है उसके अधीन दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी न केवल निगम के डाक्टरों और डिस्पेन्सरियों से चिकित्सा ले सकते हैं अपितु डाक्टरों और कैमिस्टों के पैनल के दो डाक्टरों और दो कैमिस्टों से चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं। कर्मचारी तथा उनके परिवार के सदस्य दोनों ही इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। कर्मचारी और उनका परिवार विशेषज्ञ चिकित्सा भी प्राप्त कर सकता है। डाक्टरों और कैमिस्टों की सुविधाओं पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति पर अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यद्यपि इस योजना को आरम्भ हुए 18 महीने से अधिक का समय बीत चुका है किन्तु दिल्ली परिवहन निगम ने इस योजना के प्रभाव और आर्थिक व्यय के मूल्यांकन को अन्तिम रूप अभी तक नहीं दिया है। कार्योत्तर अनुमोदन के लिए प्रस्ताव के प्राप्त होने के बाद से सरकार सरकारी उपक्रम ब्यूरो के परामर्श से इस योजना का विस्तार-पूर्वक परीक्षण कर रही है और इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए मौजूदा योजना में संशोधन करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

1 मई 1984 को इस नई चिकित्सा योजना के लागू होने के समय से दिल्ली परिवहन निगम 1984-85 में 9.15 करोड़ रुपया व्यय कर चुका है और 1985-86 में 31 अक्तूबर, 1985 तक 8.82 करोड़ रुपया व्यय कर चुका है। यह राशि उन बिलों से सम्बन्धित है, जो डाक्टरों तथा कैमिस्टों ने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों की चिकित्सा तथा कर्मचारियों के रोगों का पता लगाने के लिए वसूल की गई फीस के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए हैं। दिल्ली परिवहन निगम चिकित्सा योजना से 36000 से अधिक कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों सहित लगभग 2 लाख व्यक्ति लाभान्वित होते हैं। इस सम्बन्ध में यह भी कहना है कि मई 1984 से पहले विशेषज्ञ चिकित्सा केवल कर्मचारियों को उपलब्ध थी और उनके परिवार के सदस्यों को यह उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान योजना के अन्तर्गत सभी आ जाते हैं।

माननीय सदस्य ने कर्मचारियों, डाक्टरों और कैमिस्टों की मिली भगत होने की संभावना व्यक्त की है, जिसके कारण भारी व्यय हुआ है। यह सच है कि इस योजना पर अधिक राशि व्यय हुई है। असामाजिक तत्वों द्वारा इसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। डाक्टरों द्वारा झूठे नुस्खे जारी करने, कैमिस्टों द्वारा दवाई के बदले में नकद राशि अन्य सामान दिये जाने से इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। वास्तविकता यह है कि दिल्ली परिवहन निगम के प्रबन्धकों को कुछ अनियमित मामलों का पता चला है। दिल्ली परिवहन निगम के जिन चिकित्सा अधिकारियों को इस योजना के कार्यान्वियन की निगरानी रखने तथा बिलों की संवीक्षा करने का काम सौंपा गया था, उन्हें अधिक राशि के बिल बनाये जाने के कुछ मामलों का पता चला है।

[श्री बंसी लाल]

संवीक्षा और जांच-पड़ताल के आधार पर 352 डाक्टरों और 117 कैमिस्टों को पैनल से निकाल दिया गया है, एक कर्मचारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं और बाहरी एजेन्सियों के माध्यम से 146 मामलों की छान-बीन कराई जा रही है।

जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, इस योजना को चालू रखने, बंद करने अथवा इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन करने का मामला विचाराधीन है और इसके बारे में निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : उत्तर से यह बात पहले ही स्पष्ट है, और यह मुद्दे उठाये जा रहे हैं कि चिकित्सा योजना के आवरण में कुछ बड़ी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। मेरा मुद्दा यह है कि क्या मन्त्री इस चिकित्सा योजना का पूरी तरह से अध्ययन करने के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन करेंगे, और जो योजना इस समय लागू की जा रही है उसके स्थान पर आवश्यकता पड़ने पर त्रुटि रहित चिकित्सा योजना का सुझाव देंगे।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मन्दसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपके इस विभाग में आने के बाद भी यदि यही क्रम चलता रहा, जो आपने अभी पढ़कर सुनाया, तो मैं समझता हूं कि वह आपके यश के ऊपर एक धब्बा लग रहा है। भाई राजेश पाइलट ने जो शुरूआत की थी, मैं समझता हूं कि उसी अभियान को आगे बढ़ाया जाना चाहिए था। जैसा आपने अभी बताया, निपटाने में 8 करोड़ रुपये तक तो ये लोग पहुंच चुके हैं और जहां तक मेरी जानकारी है पिछले साल यह आंकड़ा 9 करोड़ तक पहुंच गया था और आने वाले तीन-चार महीनों में मैं समझता हूं इसमें और भी बढ़ोत्तरी होगी।

सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप एक फेमिली की परिभाषा कैसे करते हैं। डी० टी० सी० में इस समय 36 हजार एम्पलाइज हैं, यदि उनकी फैमिली में, प्रत्येक परिवार में 5 या 6 सदस्य मान लिए जाएं, तो आपने स्वयं एक स्थान पर माना है, यह संख्या दो लाख से ऊपर है, जिनको रीअम्बर्समेंट का फायदा दिया जाता है। अब तक आप 8 करोड़ से ज्यादा राशि इस मद में खर्च कर चुके हैं। जैसा कि कई राज्यों में विधायकों और संसद सदस्यों तक को यह सुविधा है कि उनको रीअम्बर्समेंट न करके मेडिकल सुविधाओं के बदले एक निश्चित एलाउंस प्रति माह दिया जाता है, यदि आप उसी व्यवस्था को डी० टी० सी० में भी अपनाएं तो इससे आपको करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। मैं चाहता हूं कि आप रिअम्बर्समेंट सिस्टम पर पुनः विचार कीजिए और जैसा आपने यहां पर भी कहा कि यह व्यवस्था अभी ट्रायल बेसिस पर ही है, सारी की सारी स्कीम ट्रायल के तौर पर लागू है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस ट्रायल सिस्टम को अब तुरन्त बन्द कर दिया जाए और उसके स्थान पर आप कोई ऐसी स्कीम लाइये जिससे कि पैसा भी बचे और आपका यश भी बढ़े। जिस तरह की कुशलता आपके और माधवराव सिंधिया जी के नेतृत्व में रेल विभाग में देखने

को मिलती है, इस देश की जनता आपसे अपेक्षा रखती है कि वैसी ही कुशलता आप और राजेश पाइलट जी मिलकर डी० टी० सी० में औपरेशन करके लाएं। माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि डी० टी० सी० में इस समय 800 प्राइवेट बसें चलती हैं और कार्पोरेशन की 5000 बसें हैं, आप हिसाब-किताब लगाकर देखिए कि क्या इन 5000 में ही घाटा है और प्राइवेट बसेस में कोई घाटा नहीं है। यदि प्राइवेट बस वालों को घाटा होता तो वे कभी के कार्पोरेशन को छोड़कर चले गए होते। सारे-का-सारा घाटा आपकी 5000 बसों पर लिखा जाता है। जिन लोगों का चरित्र ही ऐसा है कि वे हेराफेरी करने के आदी हैं, क्या आप उनसे उम्मीद करते हैं, कि वे आपकी इस ट्रायल वाली स्कीम को सफल कर देंगे। उन्होंने तो यह तय कर रखा है, उनका यह निर्णय है और शायद आपको याद होगा कि इन्हीं लोगों के कारण भाई ललित माकन जैसे आदमी को, एक मजबूत नेता को, इस संसद की सीट पर बैठे हुए, सार्वजनिक तौर से माफी मांगनी पड़ी थी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग मूलतः चिन्तन से ही आपके विरोध में हैं, सरकारी पैसे के विरोध में हैं यदि आपने ठीक वक्त पर उनका औपरेशन नहीं किया तो चौधरी साहब आपने एशिया के सबसे बड़े संस्थान रेलवे को तो सम्भाल लिया, लेकिन हिन्दुस्तान के सबसे छोटे संस्थान पर असफल हो गए, तो यह अंगुली इतिहास में उठेगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि डागा जी ने जो मुद्दा उठाया है वह सही है। अतः जो पैनल आफ डाक्टर्स बनाया है और जो लोग इन डाक्टर्स को आपके यहां रिकमेंड करते हैं और यह जो स्कीम चल रही है, इन सब चीजों का आप पुनर्विलोकन करके एक फिक्स मेडिकल अलाउंस आप दे दीजिए और फेमिली को डिफाइन कर दीजिए। अगर आप इन सब कामों को नहीं करेंगे, तो आपके सारे व्यक्तित्व का इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है।

आपसे हमें आशा है कि आप हमारे इन सुझावों पर ध्यान देंगे। अगर आप हमारे इन सुझावों पर ध्यान देंगे, तो हम आपके बहुत आभारी होंगे। उपाध्यक्ष महोदय आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : सारा देश डी० टी० सी० (दिल्ली परिवहन निगम) को आर्थिक सहायता देता है। हम इस निगम पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। हाल में पूरक बजट में 34 करोड़ रुपये की सहायता की मंजूरी दी गई। देश को डी० टी० सी० पर गर्व है और इसे आदर्श परिवहन निगम होना चाहिए। किन्तु, दुर्भाग्यवश यह लगातार घाटे में चल रहा है।

बंगलौर में 25 प्रतिशत किराया बढ़ाया गया है। जब हमने उनसे इसके विषय में पूछा तो उन्होंने कहा दिल्ली में आपके होते हुए क्या हो रहा है? यह दुर्भाग्य की बात है।

श्री डागा जी ने अभी यह स्पष्ट किया था कि किस प्रकार करोड़ों रुपयों का कुप्रबन्ध हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चिकित्सा योजना के लिए बजट का प्रावधान क्या है? पिछले वर्ष कितना था और अब यह कितना है? वास्तव में कितनी राशि खर्च हुई और इस वर्ष कितनी राशि का प्राव-

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

धान है ? कौन इसकी जांच-पड़ताल करता है ? कौन से लोग इस लेखे की परीक्षा करेंगे ? क्या उन्होंने गत वर्ष की लेखा परीक्षा के संबंध में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : आरम्भ में, मैं कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं के विरुद्ध नहीं हूं।

श्री बालकवि बैरागी : कोई भी इसके विरुद्ध नहीं है। हम सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह भी इसके विरुद्ध नहीं हैं। आप भी इसके विरुद्ध नहीं हैं। तो फिर कौन इसके विरुद्ध है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : हम व्यापक रूप में हो रही वहां की बुराई के विरुद्ध हैं। आप उनके लिए सी० जी० एच० एस० चिकित्सालय क्यों नहीं खोल सकते हैं जैसे आप संसद सदस्यों के लिए कर रहे हैं ? आप उनके लिए अलग अस्पताल और बाकी चीजें भी उपलब्ध कीजिए। किन्तु आप सीधे डाक्टरों को ही पैसा क्यों दे रहे हैं ? आप उनके लिए औषधियों और अन्य चीजों के रूप में सुविधाएं उपलब्ध क्यों नहीं कर सकते हैं ? आप भी उन्हें विशेषज्ञों के पास जाने और आपको बिल देने की अनुमति दीजिए। आप उनके लिए लेखाकार की व्यवस्था कीजिए और लेखा विभाग खोलिए। वह नकद भुगदान बीजक प्रस्तुत करें और आप इनकी जांच कीजिए और भुगतान कीजिए, और आवश्यकता पड़ने पर आप गलत व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही भी कर सकते हैं।

मैं समझता हूं कि वहां कुछ गलत काम हो रहा है। मुझे इस बात में संदेह है कि क्या धन सही उपभोक्ताओं को मिल रहा है। कुछ दलाल गड़बड़ कर रहे हैं। मैं इस बात की आशा करता हूं कि मंत्री इस मामले की जांच करेंगे अथवा उच्च स्तरीय समिति नियुक्त करेंगे जो विस्तारपूर्वक ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे तथा यह देखें कि कर्मचारियों से न्याय किया जा रहा है। वास्तव में इस प्रकार धन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

श्री बंसी लाल : श्री बालकवि बैरागी ने परिवार की परिभाषा के संबंध में एक प्रश्न उठाया था। परिवार की परिभाषा में बहुत विस्तार किया गया है और हमें इसमें परिवर्तन करना होगा। इस समय कर्मचारी के परिवार की परिभाषा है : "कर्मचारी की पत्नी अथवा पति, जैसा भी हो और कर्मचारी के साथ रहता हो। औरत बच्चे और सौतेले बच्चे जो पूर्णतः कर्मचारी पर आश्रित हैं और उसके साथ रह रहे हैं। नाबालिग भाई और नाबालिग अविवाहित बहनें अथवा विधवा बहनें जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हैं और उसके साथ निवास करते हैं यदि पिता, (क) जीवित नहीं है; अथवा (ख) कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर हैं और कर्मचारी के साथ निवास करते हैं। माता-पिता यदि वह

कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित और उसके साथ रहते हों, बशर्ते कि माता-पिता की मिली-जुली आय 400 रुपये प्रति मास से अधिक नहीं है।"

अतः यह परिवार की परिभाषा है और यह एक व्यापक परिभाषा है।

मैं सदस्यों से सहमत हूं कि योजना को संशोधित किया जाना चाहिए।

कोई रास्ता ढूंढ़ निकालना पड़ेगा। हम यह सार्वजनिक उपक्रम के परामर्श से कर रहे हैं और उसने कुछ मार्गदर्शक सिद्धान्त भी दिए हैं। उनके द्वारा दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त इस प्रकार हैं :—

"दुरुपयोग को दूर करने और डी० टी० सी० कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ योजना को सरल बनाने के लिए निम्नलिखित संशोधन विचाराधीन हैं :—

(क) बी० पी० ई० ने यह परामर्श दिया है कि डाक्टरों और औषध-विक्रेताओं को सीधे भुगतान की प्रणाली समाप्त की जाए। मंत्रालय का भी यही विचार है और बिलों की जांच के पश्चात् कर्मचारियों को भुगतान प्रणाली आरम्भ की जाए।

(ख) वर्तमान असीमित भुगतान को देखते हुए बी० पी० ई० ने इस बात का परामर्श दिया है कि एक महीने का वेतन निर्धारित किया जाएगा जिसमें मूल वेतन, दैनिक/महंगाई भत्ता शामिल है। वित्त विभाग का यह विचार है कि 900 रुपये से कम वेतन पाने वालों को कुल मिलाकर 900 रुपये की सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। और उन लोगों को जिनका वेतन 1200 रुपये से अधिक है वार्षिक सीमा 1200 रुपये निर्धारित की जानी चाहिए। फिर भी डी० टी० सी० प्रबन्ध यह सुझाव दे रहा है कि एक महीने का वेतन न्यूनतम 1200 रुपये प्रति वर्ष की सीमा निर्धारित की जाए, क्योंकि मई, 1984 से पूर्व प्रति कर्मचारी पर प्रति मास 100 रुपये की सीमा थी। एक संभव विकल्प यह भी है कि इस बात का ध्यान किये बिना कि कर्मचारी को 1200 रुपये से अधिक अथवा कम वेतन मिल रहा है। 1200 रुपये की सीमा निर्धारित की जाए।

(ग) वर्तमान लाभ-भोगियों के स्थान पर जिसमें परिवार के सभी आश्रित आते हैं, परिवार की परिभाषा में से उन बहनों और भाइयों और बच्चों और माता-पिता को भी अलग किया जाये जिनकी मासिक आय 250 से अधिक है।

(घ) निजी नर्सिंग होम्स तक में भी उपचार की वर्तमान सुविधा के बदले केवल सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ उपचार की सुविधा।

अतः हम कोई ऐसा उपाय ढूंढ़ रहे हैं जिससे यह सारा भ्रष्टाचार दूर हो जाये।

[श्री बंसी लाल]

मैं अन्य सदस्यों से सहमत हूं और मुझे भी इस बात की चिन्ता है कि इसमें भ्रष्टाचार है। कुछ लोगों को 3000 रुपये प्रतिमास तक प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है। इसका कोई अन्त नहीं।

अत: हमें इस पर नये सिरे से विचार करना होगा और इसमें परिवर्तन करना होगा और अपराधियों के विरुद्ध हमें सख्त कार्यवाही करनी होगी और यदि आवश्यक हुआ तो मैं कुछ मामले केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : आपका धन्यवाद।

श्री बंसी लाल : अत: हम ऐसा कर रहे हैं और मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से आश्वासन देता हूं कि इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाएगा।

6.19 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 17 दिसम्बर, 1985/26 अग्रहायण, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-53